शुक्रवार, 10 अप्रैल 1981

20 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 40गु रूवार, 10 अप्रैल, 1981/20 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या 763 से 785 और 767 से 770	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	25—189
तारांकित प्रश्न संख्या 766, 771 से 778 और 780 से 783	25—39
अतारांकित प्रश्न संख्या 7131 से150 और 7152 से 7330	40—189
ध्यानाकर्षण, आदि के बारे में	190—192
सभापटल पर रखे गए पत्र	193—196
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	196
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना	196—219
त्रिपुरा में खाद्यान्नों की भारी कमी का समाचार	
श्री बाजू बन रियान	196
कुमारी कमला कुमारी	197
राव वीरेन्द्र सिंह	201
श्री अजित कुमार साहा	202
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	203
श्री अजय विश्वास	206
श्री मुकुन्द मण्डल	207
लोक लेखा समिति	210
तीसरा और बीसवां प्रतिवेदन	210
समिति के लिए निर्वाचन	210
चाय बोर्ड	210
नियम 377 के अधीन मामले	211
(एक) महानदी के बेसिन में तेल की खोज का कार्य पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता	
डा० कृपा सिंधु भोई	211
(दो) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में लघु उद्योगों के विकास	
श्री वृद्धिचन्द्र जैन	212
(तीन) केरल में मीन उद्योग पर संकट	
श्री जेवियर अरावकल	212
(चार) बम्बई-थाने क्षेत्र में औषधि निर्माता कम्पनियों का कथित बन्द होना।	
श्री अजित कुमार साहा	213
(पांच) डा० अम्बेदकर के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता	
श्री सत्यनारायण जटिया	214

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

(छः) आगामी एशियाई खेलों के लिए बिजली की कमी का समाचार।
श्री रशीद मसूद 215

(सात) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पीने के पानी की कमी।
श्री सत्यनारायण चौबे 215

(आठ) मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिए दिल्ली-रफाड़ा लौह-अयस्क में काम को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता।
श्री हरिकेश बहादुर 215

(नौ) मोगा रेलवे स्टेशन के निकट बंजर भूमि का उचित उपयोग करने की आवश्यकता।
श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार 216

(दस) हाल ही में घोषित आयात नीति के कारण केरल में कुछ वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव।
श्री वी० एस० विजयराघवन 216

अनुदानों की मांगें, 1981-92 217—273

कृषि मंत्रालय और
ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय
श्री जनुल अबेदीन 217
श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ 244
श्री बी० डी० सिंह 249
श्री नगीना राय 258
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल 268
श्री मोहनभाई पटेल 270

गैर-सरकार सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
इक्कीसवां प्रतिवेदन 273

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प 273—310
श्री पी० नामग्याल 274
श्री बापूसाहिब परुलेकर 276
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 278
श्री सूरज भान 282
श्री एन० ई० होरो 285
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 286
प्रो० एन० जी० रंगा 289
श्री पी० राजगोपाल नायडू 296
श्री जेवियर अरावकल 297
श्री जगपाल सिंह 299
श्री रामावतार शास्त्री 302
श्री गिरधारी लाल व्यास 304
श्री वाई० एस० महाजन 308

लोक सभा

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1981/20 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कारण प्रभावित किसानों को अन्य रोजगार

***763. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** क्या इस्पात और खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5000 से अधिक किसानों को जिनकी भूमि विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र लगाने के लिये अधिगृहीत की गई थी, अन्य प्रकार के काम जो उन्हें दिये जा रहे हैं, करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार अपने काम से अलग हुए इन व्यक्तियों को किस प्रकार अन्य काम में लगाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : भूमि-अर्जन तथा विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने का उत्तर-दायित्व मुख्यत: राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विस्थापितों को बसाने के प्रथम चरण में लगभग 6000 विस्थापित परिवारों को बसाया जाना था। इसमें से अब तक लगभग 3,870 परिवार पेदागनत्यदा पुनर्वास केन्द्र में चले गए हैं। इस केन्द्र में राज्य सरकार द्वारा विकसित आवासीय स्थलों के आवंटन के अलावा जल, बिजली आदि जैसी मूल-भूत सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

राज्य सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस समय विस्थापित परिवारों के लगभग 1000 लोग परियोजना के स्थल को समतल करने के कार्य में लगे हुए हैं। परियोजना का निर्माण-कार्य शुरू होने से विस्थापित परिवारों के लोगों के लिए रोजगार के और अवसर उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ व्यक्तियों को हुडको योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यों में लगाए जाने की सम्भावना है। परियोजना के प्राधिकारी विस्थापित परिवार के प्रत्येक घर में से एक सक्षम व्यक्ति को परियोजना में रोजगार देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं बशर्ते कि वह पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखता हो। विस्थापित परिवारों

को रोजगार और उन्नति के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने पोलिटेकनिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे हैं।

चूंकि विस्थापितों को फिर से बसाने का कार्य अभी हाल में शुरू किया गया है और इस्पात कारखाने में रोजगार के अवसर अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं अतः इस समय पुनर्वास कार्यक्रम की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना समय पूर्व होगा।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : महोदय, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र क्षेत्र में हजारों विस्थापित लोगों को अपने पुनर्वास के बारे में सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकार का कहना है कि उसने पुनर्वास कार्य पूरा कर लिया है और केन्द्र सरकार का कहना है कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। यहां मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि विवरण में यह स्पष्ट बताया गया है कि इस्पात संयत्र प्राधिकारियों ने विस्थापित परिवार के प्रत्येक घर में से एक सक्षम सदस्य को परियोजना में रोजगार देना स्वीकार कर लिया है बशर्ते कि वह पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करता हो। यह भी बताया गया है। इस समय पुनर्वासकार्यक्रमकी पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना समय पूर्व होगा। सम्भवतः वे यह सोच रहे होंगे कि चूंकि इस परियोजना पर भूमि को समतल करने का कार्य शुरू होने से अब तक एक दशक लग गया है क्योंकि हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1971 में इसका शिलान्यास किया था इसलिए इनके पुनर्वास में कुछ दशक और लगेंगे। अब 1981 है और 2256 करोड़ रुपये की कुल राशि निवेशप्त इस इस्पात संयंत्र में 1985 में उत्पादन आरम्भ होने की आशा है तथा 34 लाख टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय इस्पात मन्त्रालय निरन्तर दावा करता आ रहा है कि इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए आधारित ढांचे की कोई कमी नहीं है। किंतु वास्तव में इस्पात संयंत्र प्राधिकरण के प्रवन्धक सभी स्तरों पर प्रारम्भिक भर्ती कर सकने में भी पूर्णतः असमर्थ रहे हैं।

महोदय, भर्ती का पुनर्वास से कुछ सम्बन्ध है। इसलिए अगर आप प्रारम्भ में ही इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते तो आप विस्थापित लोगों को दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर सकेंगे। वस्तुतः यहां मंत्रालय का ही उत्तरदायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया लम्बा भाषण न दें।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : 4600 विस्थापित व्यक्तियों ने अपने नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करवाये हैं। उनमें से केवल 784 को रोजगार कार्यालय द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए नामित किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उनमें से अब तक कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और क्या मंत्रालय सभी स्तरों पर आवश्यक प्रारम्भिक भर्ती पूरी करने में तत्पर है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : पहले प्रश्न के उत्तर में मेरा यह निवेदन है कि 784 व्यक्तियों में से 441 व्यक्तियों को 1981 में रोजगार प्रदान किया गया है।

28 फरवरी, 1981 तक संयंत्र में कुल 414 व्यक्तियों की भर्ती की गई है जिनमें 66

कार्यकारी आये 348 गैर-कार्यकारी हैं। माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि जब तक इस्पात संयंत्र चालू नहीं हो जाता तब तक विस्थापित परिवारों को रोजगार देना सम्भव नहीं होगा। इसलिए ये दोनों प्रश्न पुनर्वास की समस्या और विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने की समस्या भिन्न हैं। हमने यह स्वीकार किया है कि हम प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। किंतु इसे तभी पूरा किया जा सकेगा जब संयंत्र में काम शुरू हो जायेगा।

पुनर्वास की समस्या के बारे में हम अपना वचन निभा रहे हैं। हम राज्य सरकार को राशि दे रहे हैं और राज्य सरकार को भूमि अधिगृहण के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजनायें तैयार करनी हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने ठीक वही बात कही है जो मैं सोच रहा था—'जब तक इस्पात संयंत्र में काम आरम्भ नहीं हो जाता, इनका पुनर्वास सम्भव नहीं।' क्रियान्वयन की गति से स्पष्ट हो जाता है कि वे न्यूनतम आवंटन राशि को किस प्रकार खर्च कर रहे है। वे अपना उद्देश्य कैसे प्राप्त करेंगे ?

चालू सत्र में मैंने 28 मार्च, 1981 को प्रश्न संख्या 741 किया था मैं वहां के लोगों के असन्तोष के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। मैं भी उन युवकों में से ही हूं जो इस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे अभी भी अपने उन मित्रों की याद आती है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। मैं भावना में बहकर नहीं कह रहा हूं। मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। 28 मार्च को यह उत्तर दिया गया था—

"1980-81 के लिए इस्पात सयंत्र के लिए 66-46 रु० के आवंटन में से 50 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है।" 28 मार्च को उत्तर दिया गया था। वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। इन आंकड़ों में वृद्धि नहीं हुई होगी। और 16.46 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हुई।

जब तक कि कर्मचारियों की संख्या में चरण बद्ध तरीके से वृद्धि नहीं की जाती तब तक इस्पात संयंत्र को चालू करना सम्भव नहीं होगा।

200 करोड़ रुपये से इस संयंत्र को चालू करने का अनुमान लगाया गया था, किन्तु यह नहीं हुआ। यहां तक कि 66 करोड़ रुपये की राशि भी खर्च नहीं की गई। जनता भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रति नाराजगी दिखा रही है।

इस्पात संयंत्र के लिए स्टाफिंग पैट्रन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त औद्योगिक अध्ययन दल की एक सिफारिश है। इस सिफारिश की भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने पूर्णतः अवहेलना की है। जब तक स्टाफिंग पैट्रन उपयुक्त रूप से नहीं अपनाया जाता, मुझे आशंका है कि इसे निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित करना सम्भव नहीं होगा और न ही वचन पूरा हो सकेगा।

इस बात का रोष व्याप्त है कि आंध्र प्रदेश के स्थानीय लोगों को उपयुक्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा का अभाव नहीं है। बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला में संयंत्रों के निर्माण हेतु इन्जीनियरों ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हर सम्भव

प्रयास किये हैं। वे वापिस आने को तैयार हैं अगर उन्हें प्रतिनियुक्ति की उदार सुविधायें प्रदान की जाएं। इनके अतिरिक्त इस्पात संयंत्र का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अनिवार्यतः आंध्र प्रदेश का ही होना चाहिए क्योंकि जब तक वह आंध्र प्रदेश का नहीं होगा तब तक स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा नहीं हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए··· (व्यवधान)

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं जनता के रोष और उनकी आधारभूत आवश्यकताएं बता रहा हूं। जनता के रोष को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वह विशाखापत्तनम में सभी स्तरों पर वर्तमान स्टाफिंग पैट्रन को, विशेष कर कार्यकारी स्तर पर सरल और कारगर बनाने का कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक स्टाफिंग पैट्रन का सम्बन्ध है, हमारे पास निर्धारित सिद्धांत हैं। माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि हमने अभी कार्य शुरू ही किया है। स्थानीय लोगों की भर्ती करने के लिए भी प्रणाली निर्धारित है, अर्थात् हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वेतन स्तर तक अधिकतम संख्या में लोग स्थानीय रोजगार कार्यालय से भर्ती किए जा सकते हैं। इस समय, हम संयत्र के लिए भूमि के अधिगृहण किए जाने के फलस्वरूप विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम में व्यस्त हैं। वहां पर भी हमने एक नीति निर्धारित की है और मैंने यह स्पष्ट किया है कि जैसे ही मिल में काम शुरू होगा भर्ती की जायेगी तथा लोगों को रखा जायेगा।

श्री छागुर राम : माननीय उपाध्यक्ष जी, 6000 परिवारों की जमीन अधिगृहीत की गई, जिसमें से अब तक केवल 1000 परिवारों को रोजगार दिया गया, वह भी समतलीकरण योजना के अन्तर्गत मिट्टी पाटने का काम दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन 6000 परिवारों में से कितने परिवार ऐसे थे, जिनके पास केवल वही जमीन थी, जो ले ली गई। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल उतनी ही जमीन थी, जो अधिगृहीत कर ली गई है, वही उनके खाने कमाने का साधन थी, उनकी रोजी रोटी के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक आंध्र प्रदेश द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजना का संबंध है उसके अधीन वे मकानों के लिए स्थान सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे। दो पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं इनमें से एक पेडागनत्यादा और दूसरा डिब्बापलेम में है। 31 मार्च, 1981 तक 3,869 परिवारों को पहले पुनर्वास केन्द्र में स्थानान्तरित किया जा चुका है। इनमें से लगभग 1000 लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक हमारे वायदे का सम्बन्ध है मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि हम पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को धन राशि दे रहे हैं। 31 मार्च, 1981 तक राज्य सरकार को 7.42 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

श्री एन० ई० होरो : आपने यह कहा है कि पुनर्वास का दायित्व राज्य का है और यह

भी कहा है कि वे कुछ आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। किन्तु आप भूल गये हैं कि क्या आप पहले से बसे हुए व्यक्तियों को विस्थापित कर रहे हैं। आप उन्हें बेरोजगार और बेघरबार कर रहे हैं। आप एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं। यह कोई पुनर्वास नहीं है। हर जगह यही हो रहा है। में सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इन लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कुछ मार्गनिर्देशन बताएगी यानी अर्थ रोजगार प्रदान करना और उनकी रोजी-रोटी के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना है। ताकि यह मार्गनिर्देशन राज्य सरकार को भेजे जायें और उनसे इनके अनुपालन के लिए कहा जाये। जहां कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम स्थापित किये जा रहे हैं। वहां के लोग विस्थापित कर दिये जाते हैं। यहां तक कि आज भी 10 से 15 वर्ष उपरान्त, ये लोग बे-घरबार और बेरोजगार हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों के लिए मार्गनिर्देशन तैयार कर रही है ताकि लोगों के विस्थापित होने की हालत में उन्हें आर्थिक रूप से पुनर्वासित किया जा सके। कहने का अर्थ यह है कि आप उन्हें रोजगार प्रदान करें। यह मत भूल जाइये कि किसान के परिवार में पुरुषों तथा महिलाओं सहित पांच व्यक्ति खेतों में काम करते हैं किन्तु एक बार जब आप उन्हें विस्थापित कर देते हैं तो आप यह कहते हैं कि एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति को ही रोजगार दिया जायेगा। इस प्रकार आप चार व्यक्तियों को बेरोजगार बना रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। और इस प्रश्न का उत्तर आपने बड़े चलते ढंग से दिया है। सरकार लोगों के प्रति अचेतनशील प्रतीत होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह विशेष रूप से इस बात पर विचार करेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक मार्गनिर्देशनों का संबंध है, वास्तव में हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं, और पुनर्वास की समस्या पर हम उनसे परामर्श करते हैं। किन्तु माननीय सदस्य यह मानेंगे कि किसी एक संयंत्र प्राधिकरण द्वारा अपने ही बलबूते पर पुनर्वास कार्य कर सकना सम्भव नहीं है। वह केवल इतना ही कर सकता है कि राज्य एजेंसियों को आवश्यक राशि प्रदान करे और राज्य एजेंसियां इनके लिए उपयुक्त योजना तैयार करें।

ऐसी परिस्थितियों में ऐसी समस्याएं आती ही हैं। जहां पर आप सार्वजनिक क्षेत्र का प्लांट जैसे कि स्टील प्लांट अथवा बड़ा कम्पलैक्स, चाहते हैं कुछ एक लोगों को विस्थापित होना ही पड़ेगा सरकार द्वारा इन विस्थापित लोगों को जरूरी आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। किन्तु पुनर्वास का सम्पूर्ण कार्य किसी एक प्लांट के लिए कर सकना सम्भव नहीं होता। इसीलिए हम इसे हल करने के लिए एक निश्चित फार्मूला और प्रक्रिया अपनाते हैं। वह यह है कि : हम राज्य सरकार से विचार विमर्श करते हैं। वे योजना बनाते हैं और खर्च का कुछ भाग हम वहन करते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है 31 मार्च तक राज्य सरकार को 7.42 करोड़ रुपया दिया जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सैंट्रल प्राजेक्ट है। छः हजार फैमिलीज जिनको आपने हटाया है उनको आपने कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी है। 1971 में जमीन ली गई थी। प्रधानमन्त्री ने बार-बार कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक जमीन से महरूम नहीं किया

जाएगा जब तक उसको उसका पूरा मुआवजा नहीं दे दिया जाता है या उसको रिहेबिलिटेट नहीं कर दिया जाता है। कितना मुआवजा और कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है? आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं यह कह कर कि यह स्टेट सबजेक्ट है। यह आपका काम है। दस साल के अन्दर कितने लोगों को बसाया है और कितने लोग अब भी बेकार फिर रहे हैं?

श्री प्रणव मुखर्जी :—महोदय, राज्य सरकार को दी गई कुल राशि मैं बता सकता हूं। अन्य ब्यौरे कि अलग-अलग व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि दी गई और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आदि के बारे में सूचना राज्य सरकारों से मंगानी पड़ेगी। मैंने पहले ही कह दिया है कि राज्य सरकार को 31 मार्च तक 7.42 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

स्टेनलैस स्टील के रंगीन डिब्बों में तेल का आयात

***764 . श्री बापू साहब पारूलेकर :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने राज्य व्यापार निगम के एजेंट के रूप में काम करते हुए स्टेनलैस स्टील के रंगीन डिब्बों में, जिसके आयात पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध है, तेल का आयात किया और देश को 100 करोड़ रु० से अधिक का धोखा दिया;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 'करेन्ट' दिनांक 14 मार्च, 1981 में 'रूपीज 100 करोड़ लूट बाई आयल शार्कस' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार लि० के मार्फत सरणीबद्ध किया जाता है। सरणीकरण अभिकरण ने आयात कार्य संभालने के लिए भारत में अपनी ओर से किसी भी सरणीकरण अभिकरण की नियुक्ति नहीं की है।

(ख) जी हां।

(ग) एक मामला ऐसा आया है जिसमें मैसर्स जैन, शुद्ध वनस्पति प्रा० लि०, गाजियाबाद ने भूतपूर्व नीति के अन्तर्गत जारी किये गए एक आयात लाइसेंस के आधार पर आर. बी. डी. ताड़ के तेल का आयात किया था। यह आयात 19,590 स्टेनलैस स्टील के ड्रमों में किया गया था। चूंकि इन ड्रमों को आयातित आर. बी. डी. ताड़ के तेल के लिए सामान्य व्यापार पैकिंग नहीं माना गया, अत: उन पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही की जानी थी। इसलिये सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई ने अधिनिर्णय कार्यवाही शुरू की। फर्म ने 11 फरवरी, 1980 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दर्ज कराई और मामले में और आगे कार्यवाही से सरकार को रोकने के लिये अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। परिणामत: न्यायालय ने कार्यवाही

को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी किये गए नोटिस कानून के खिलाफ हैं। सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष लीव याचिका दर्ज कराई गई है जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और मामले पर सुनवाई लम्बित है। उक्त फर्म ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने 2-12-78 से पहले, जब आयात का सरणीकरण किया गया था, की गई पुख्ता वचनबद्धता के अनुसरण में 20,000 मी० टन तेल के लिये एक लाइसेंस के वास्ते आयात आवेदन-पत्र भी दर्ज कराया है। चूंकि आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ; अत: लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका। फर्म ने अपने आवेदनपत्र के रद्द किये जाने के आधार पर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दर्ज कराई है। मामला न्यायालय में लम्बित है।

श्री बाबू साहब पारुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि वह प्रश्न तथा उसका उत्तर दोनों ही आपको मिल गये होंगे जिससे आप इस प्रश्न के महत्व का अंदाज लगा सकते हैं।

इस प्रश्न के माध्यम से मैंने इस माननीय सदन को यह बताने का प्रयास किया है कि तेल व्यापारियों के एक प्रत्यक्ष समूह ने वनस्पति तेल का आयात करने में किस प्रकार धोखेबाजी की चालें अपनाकर इस देश को 100 करोड़ रु० से अधिक का धोखा दिया है। समाचारपत्रोंमें यह छपा रहता है कि वनस्पति तेल आमतौर से टीन के कनस्तरों में आयात किया जाता है। लेकिन कुछ महीनों पहले इन तेल व्यापारियों ने राज्य व्यापार निगम के एजेन्टों के रूप में कार्य करके बड़ी चालाकी से स्टेनलैस स्टील के कनस्तरों में में तेल आयात करने का तरीका अपना लिया। जबकि स्टेनलैस स्टील का आयात पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने इन स्टेनलैस स्टील के कनस्तरों को पीला रंग कर इसमें तेल का आयात किया और इस प्रकार देश के खजाने को लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि पहुंचाई।

जब हम किसी भी परियोजना विशेष के बारे में बात करते हैं तो सरकार सदा ही विनीत अवरोधों की बात करती है। इसलिये मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछता हूं जो प्रश्न संख्या (क) 'क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने राज्य व्यापार निगम के एजेंटों के रूप में कार्य करके तेल का आयात किया है"। मैं **"एजेंट के रूप में कार्य करके"** शब्दों पर जोर देना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह है "जी नहीं"।

"खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध होता है। सरणीकरण अधिकरण (एजेंसी) ने कोई एजेंट नहीं नियुक्त किया है"।

मैंने अपने प्रश्न में किसी एजेंट की नियुक्ति के बारे में नहीं पूछा है। मेरे प्रश्न का मुख्य आशय तो यह है कि कुछ तेल व्यापारी राज्य व्यापार निगम के एजेंट के रूप में काम करते हैं और वे ही ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं और उन्होंने ही तेल का आयात किया है। मेरे प्रश्न का यह भाग (क) है।

प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या यह सच है या नहीं स्टेनलैस स्टील के इस भय का आभास पूर्णतया प्रतिबंधित है और आयात किये गये 19890 स्टेनलैस स्टील के ड्रमों का कुल भार

कितना है तथा इस स्टेनलैस स्टील का मूल्य क्या है और इस पर वसूली के लिये कितना कर लगाया गया होता ।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि—

उपाध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न समाप्त हो गया ।

श्री बापू साहब परूलेकर : मुझे खेद है । महोदय कृपया आप इस पर विचार करें कि मंत्री महोदय ने......बहाना बनाकर इन अपराधियों को बचाने की कोशिश की है ।

श्री के० लक्प्पा : उन्होंने ऐसा करने की कभी कोशिश नहीं की है ।

श्री बापू साहब परूलेकर : माननीय सदस्य ने शायद वक्तव्य नहीं पढ़ा है । उन्होंने उत्तर में बताया है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और इसीलिये यह निर्णयाधीन है । उत्तर को टालने का प्रयास किया गया है । उत्तर में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का यह मत है कि जो नोटिस जारी किये गये हैं वे गलत हैं और इसलिये उन्होंने याचिका स्वीकार कर ली है । मेरा प्रश्न यह है । जब उच्च न्यायालय का यह मत है कि नोटिस गलत हैं तो बजाय नोटिसों को सही करने के आप सर्वोच्च न्यायालय में क्यों चले गये, क्योंकि आप उन व्यक्तियों को बचाना चाहते हैं और इसीलिये आपने उन नोटिसों को सही नहीं किया ।

यह मेरे तीन यथार्थवादी प्रश्न हैं ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य अपना प्रश्न ही नही समझा पाये हैं जिसे वह पूछना चाहते हैं । प्रथम प्रश्न यह है कि क्या इन लोगों ने राज्य व्यापार निगम के एजेंटों के रूप में कार्य किया था और मेरा उत्तर है कि राज्य सरकार निगम तेल आयात करने के लिये किसी को भी अपना एजेंट नहीं नियुक्त करता है । इसलिये इन व्यक्तियों के राज्य व्यापार निगम के एजेंटों के रूप में कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने बताया है कि राज्य व्यापार निगम कोई एजेंट नहीं नियुक्त करता है । इसीलिये इन व्यक्तियों का राज्य व्यापार निगम के एजेंटों के रूप में कार्य करने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है ।

दूसरे, जब इन अनियमितताओं का पता चला तो, उनके मकानों पर छापे मारे गये, उनके व्यापारिक स्थानों पर छापे मारे गये तथा पिछले मार्च में एक और प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्रालय ने विस्तार से बताया है कि ये छापे क्यों मारे गये थे और इनका क्या परिणाम निकला । इसके बाद, सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार उन पर कानूनी कार्रवाई की गई थी । ये लोग तब उच्च न्यायालय चले गये और उन्होंने कुछ आदेश करा लिये । तत्पश्चात् उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया को रद्द ठहरा दिया कि यह स्वाभाविक था कि यदि किसी कानूनी कार्रवाई का विरोध करना है तो उच्चतम न्यायालय में जाने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है । इसीलिये, हम उच्चतम-न्यायालय में गये । नाकि इस कारण कि हम कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं । इसलिये किसी को बचाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इस मामले में हमने कार्रवाई शुरू कर दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परूलेकर से एक वकील के रूप में मेरा यह अनुरोध है कि वह इन प्रश्नों को वकीलों के माध्यम से न उठायें। यह आपसे मेरा अनुरोध है। अपने वकीलों से कहिये कि वे लोग न्यायालय में इस मामले का पक्ष न लें।

श्री बापू साहेब परूलेकर : महोदय, अपने वकीलों के कहने से आपका क्या आशय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप वकील हैं। आपके वकील मित्र।

श्री प्रणव मुखर्जी : भारतीय सदस्य ने अपना प्रश्न एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया है। मैंने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया है कि सरकार का ध्यान समाचार पत्र में छपी इस समाचार की ओर दिला दिया गया है और इसलिये भाग (ग) में, मैंने उन अनेकों कार्यवाहियों का ब्यौरा दिया है जो हमने सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध की हैं।

श्री बापू साहेब परूलेकर : मुझे खेद है कि मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूं। ऐसा कहने के बजाय कि वह समझ नहीं पाये हैं, मैं इस प्रकार कहता हूं। जो कहा गया है वह यह है कि उच्च न्यायालय ने जारी किये गये नोटिसों को गलत बताया है। इसलिये मेरा प्रश्न था :— नोटिसों को ठीक करने के बजाय, आप उच्चतम न्यायालय क्यों चले गये ? वह इसका उत्तर नहीं देना चाहते। इसलिये, उस पर और आगे बात नहीं करना चाहता।

मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि इस लेख के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस इस लेख विशेष में उल्लिखित विवरण विशेष की ओर दिलाता हूं। में उसे सच नहीं मानता लेकिन अगर यह सच नहीं है तो, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार को अथवा प्रधान मंत्री को बदनाम करने का कोई प्रयास है। इस पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। रिपोर्ट है "कुछ सप्ताह पूर्व अधिकारियों ने लगभग उन 50 तेल व्यापारियों पर छापा मारा था जो देश के विभिन्न भागों में इन गतिविधियों में लगे हुए थे, विशेष रूप से गुजरात में। कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री से अपील की थी कि इन तेल व्यापारियों पर छापे न मारे जायें क्योंकि वे व्यापारी 'किसान-रैली कोष' में भारी चन्दा देने वाले व्यक्ति हैं।" यह समाचार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि यह सच नहीं है तो···(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मैं व्यवस्था के प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मंत्री को इसका उत्तर देना है। अर्ध प्रश्नोत्तर काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : महोदय, यह अप्रसंगिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : महोदय, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर प्रश्न पूछना उचित नहीं है। महोदय···(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : महोदय, यह एक अप्रसंगिक प्रश्न है।

श्री बापू साहेब परूलेकर : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय पर छोड़िये। वह इसका उत्तर देंगे, मि० तिवारी··· (व्यवधान) आप इतने जोश में क्यों हो रहे हैं? कृपया बैठ जाइये। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना है।

श्री के० लकप्पा : आप इस पूरक प्रश्न की अनुमति मत कीजिये। यह अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। दो व्यक्ति एक ही समय में नहीं बोल सकते···
(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : प्रश्न यह है कि आप इस पूरक प्रश्न की अनुमति मत दीजिये। यह अप्रसंगिक है। यही मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : सर्वप्रथम मुझे यह कहना है···।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है···। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री बापू साहिब परूलेकर : महोदय, यह क्या है। मैंने अभी तक तो प्रश्न किया ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न कर तो दिया है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यदि यह सही नहीं है और यदि कुछ समाचार पत्र माननीय प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं तो क्या सरकार उस समाचार पत्र विशेष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी।

उपाध्यक्ष : कृपया अपना प्रश्न कीजिए। असंगत बातें मत कीजिए··· (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री परूलेकर आप तो काफी विद्वान व्यक्ति हैं···

श्री बापू साहिब परूलेकर : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : इस प्रश्न से किसान रैली का क्या सम्बन्ध है? व्यवधान्। कृपया बैठ जाइए! यह उचित नहीं है··· (व्यवधान)! नहीं-नहीं! कुछ नहीं! कृपया बैठ जाइए!

श्री बाबू साहिब परूलेकर : महोदय, मेरा क्या प्रश्न है? क्या मैंने कोई आरोप लगाया था? मैं तो यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री को बदनाम करने हेतु उन पर आरोप लगाया गया है।···

उपाध्यक्ष : कोई भी आरोप लगाया जा सकता है लेकिन यह आपके प्रश्न का हिस्सा नहीं होना चाहिए।·· कृपया बैठ जाइए।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यदि यह गलत रिपोर्ट थी तो सरकार ने समाचारपत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की थी ? आप प्रश्न समझ ही नहीं रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : आप इसका उत्तर दीजिये......(व्यवधान) असंगत बातें न बोलें अन्यथा आप मुख्य प्रश्न से भटक जाएंगे ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : महोदय ! यदि इस प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता तो बताइए किस प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है ?......*

उपाध्यक्ष : रिकार्ड में शामिल न किया जाए ।......(व्यवधान)* यह रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा ।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय ! मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ! माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह समाचार-पत्र में छपी एक ऐसी खबर पर आधारित है जो एकदम बेबुनियाद तथा असत्य है तथा जिसका किसान रैली या किसी को निर्देश देने से कोई संबंध नहीं है । महोदय ! कुछ समाचार-पत्र ऐसे हैं जिनकी ऐसी खबरें छापने की आदत-सी बन गई है । यदि माननीय सदस्य उन्हें महत्व देते हैं तो हम क्या करें ? इस संबंध में तो वे स्वयं ही निर्णय करें ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यह बात नहीं है ! आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हम उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ।

श्री मोहन भाई पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो एडिबल आयल आ रहा है उसमें स्टेनलैस स्टील के कन्टेनरों के बावजूद भी जिस पाभोलिम आयल का लाइसेंस दिया गया था, उसके बजाय कोई दूसरा आयल उसमें आया, ऐसी कोई शिकायत आई है क्या ? पाभोलिन आयल के बजाय कोकोनट आयल बहुत बड़ी क्वान्टिटि में लाया गया है और एक बहुत बड़ा प्लांट इस तरह से चल रहा है, क्या ऐसी कोई शिकायत माननीय मिनिस्टर महोदय के पास आई है ? अगर आई है तो क्या इसके बारे में सी० बी० आई० से तपास करा रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, विवाद का विषय यही है कि निसन्देह ये लोग कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और इससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं । इसी कारण से वे इसे सामान्य टिन के डिब्बों में लाने के स्थान पर इसका स्टेनलैस स्टील के डिब्बों में आयात करते हैं । लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था । जब यह बात कस्टम अधिकारियों के ध्यान में आई तो उन लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई थी । सीमा शुल्क अधिनियम संबंधी कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है । कोकोनट आयल के आयात के संबंध में हमें उन लोगों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं तथा हम उनकी जाँच कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या विगत में कभी ऐसे अनुभव नहीं हुए हैं कि कभी-कभी कुछ प्राधिकारियों और कदाचार करने वाले लोगों के बीच टकराव हो जाता है । इसलिए कानून से बच निकलने के शस्त्रों की जानकारी होने के कारण कभी-

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की गई ।

कभी नोटिसों में जानबूझकर बचाव के रास्ते छोड़ दिए जाते हैं जिसके फलस्वरूप प्रभावित पार्टियां न्यायालयों में चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय आमतौर से यह कहकर मामले को अपास्त कर देते हैं कि नोटिस में कुछ खामी रह गई है। क्या उन्होंने इस बात की जांच की है? उनके स्वयं के वक्तव्य के अनुसार भी न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी किए गए नोटिसों को इस आधार पर अपास्त कर दिया था क्योंकि वे कानून के प्रतिकूल थे। इसलिए क्या उन्होंने यह पता लगाने हेतु जाँच की थी कि कहीं जारी किए गए नोटिसों में जानबूझकर तो कुछ खामियां नहीं छोड़ दी गई थीं? यदि हाँ तो उस जाँच के क्या परिणाम निकले?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को उच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया था जिसके कारण उन्हें इसमें संशोधन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा था। जहां तक यह प्रश्न है कि कहीं खामियाँ जान बूझकर तो नहीं छोड़ी गई थीं, इसकी जाँच तो सीमा-शुल्क विभाग द्वारा ही की जाएगी तथा मैं यह सुझाव वित्त मंत्रालय को भेज दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने यह पूछा था कि क्या उक्त जांच से यह पता चलता है कि जारी किए गए नोटिसों में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थीं?

श्री प्रणव मुखर्जी : इस प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि उक्त मामले पर विचार सीमा शुल्क विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के प्रशासनाधीन है, द्वारा किया जाएगा। उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता दूँ कि ये सभी लाइसेंस उस अवधि में जारी किए गए थे जब वे सत्ता में थे। एक लाइसेंस 1 जनवरी, 1979, एक 23 जनवरी, 1979, एक 21 मई, 1979, एक 21 जनवरी, 1979 और एक 13 दिसंबर, 1979 को जारी किया गया था।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री परूलेकर का दल तेल व्यवसायियों की दया पर निर्भर करता है। देश की ग्रामीण जनता की दया पर नहीं। मैं मंत्री महोदय से उन मंत्रियों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी पार्टियों को ये लाइसेंस जारी किये थे? क्या ऐसे मंत्रियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी? प्रो० दण्डवते हमेशा प्राधिकारियों पर दोष मढ़ते रहते हैं। मैं समझता हूं कि प्राधिकारी भी उतनी ही सहानुभूति रखते हैं जितनी की हम रखते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। खाद्य तेल खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आते थे। 2 दिसंबर, 1979 को इसे सरणीवद्ध करने का निर्णय किया गया था। जब हम उक्त वस्तु को सरणीबद्ध करने का निर्णय ले रहे थे उसी दौरान कुछ लोगों ने विदेशी पार्टियों से करार कर लिए होंगे। इन करारों को आमतौर से प्रतिबंध लगने से पूर्व के किए गए वायदों के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम पार्टियों को यह सिद्ध करने का मौका देते हैं कि प्रतिबंध लगने से पूर्व निश्चित करार कर लिया गया था। मामलों पर तदनुसार विचार किया जाता है। निश्चित करार सिद्ध हो जाने पर उस विशेष वस्तु के आयात की अनुमति दे दी जाती है। ये मामले उक्त

श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी कारण से मैंने लाइसेंस जारी किए जाने की तिथियां बताई हैं। यदि कोई कदाचार संबंधी मामला बताता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

एयर इंडिया की विश्व प्ररिक्रमा विमान सेवा

***765. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने विश्व परिक्रमा विमान सेवा आरंभ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह सेवा किस तारीख तक आरंभ की जायेगी और क्या अग्रिम आरक्षण के लिये किराए में कोई रियायत दी जायेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्दुलाल चन्द्राकर)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या एयर इण्डिया विश्व परिक्रमा विमान सेवा शुरू करने के लिए किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा से सहयोग कर रही है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : इस संबंध में एयर-इण्डिया अमरीका की नार्थ वेस्टर्न एयरलाइन्स से सहयोग कर रही है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : यह सहयोग किस आधार पर किया गया है ? क्या इस सहयोग के अनुभवों को देखते हुए हम वहाँ के लिए अपनी स्वयं की विभाग सेवा शुरू करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी नहीं। उस मार्ग पर इस प्रकार का यातायात है कि एयर-इण्डिया वहां के लिए अपनी स्वयं की विमान सेवा शुरू नहीं कर सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि क्या इस बात को देखते हुए कि कई मार्गों पर यातायात के घनत्व को पूरा नहीं किया जा सकता, एयर इण्डिया, पेनम एयर लाइन्स जैसी कुछ एयरलाइन्स की भांति ऐसे मार्गों के लिए स्टेण्ड बाई टिकट व्यवस्था शुरू करने पर विचार करेगी ताकि न भरी गई सीटों को स्टेण्ड बाई टिकट जारी करके भरा जा सके ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक केवल पेनम एयरलाइन्स ही ने स्टेण्ड-बाई किराया प्रणाली शुरू की है तथा किसी अन्य एयर लाइन्स ने ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की है। माननीय सदस्य महोदय के इस सुझाव पर हम विचार करेंगे कि यदि किन्ही मार्गों पर कुछ सीटें खाली रह जाएं तो उस अवस्था में हम स्टेण्ड बाई किराया टिकटें जारी कर सकें।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता

हूं, आप अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विमान सेवा प्रारम्भ करें, इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमारी अन्तर्देशीय जो विमान सेवा है उसमें मैं खजुराहो की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खजुराहो अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सेंटर है लेकिन न तो वहाँ रेलवे लाइन है और न पर्याप्त विमान सेवा, एक ही विमान सेवा वहां है, क्या मंत्री महोदय बताएगे, अभी तक वहाँ पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है, क्या इस ओर वह जल्दी से जल्दी से ध्यान देंगे और इस योजना में या इसके पूर्व कोई नाइट लैंडिंग की व्यवस्था वहाँ पर करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, खजुराहो वर्ल्ड के मैप पर है लेकिन यह प्रश्न खजुराहो से सम्बन्ध नहीं रखता है ।

श्री जगपाल सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी नौलेज में है कि पिछले दिनों दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने हिन्दुस्तान को यह धमकी दी थी कि अगर हिन्दुस्तान के एयरोड्रम की पट्टियों को ठीक नहीं किया गया तो हम अपनी विमान सेवा हिन्दुस्तान के अंदर भेजने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनका कहना था कि यहां की ज्यादातर पट्टियाँ खराब हो चुकी हैं और हमारे चालक उन पट्टियों पर विमान उतारने के लिए तैयार नहीं हैं ? अगर मंत्री जी की नौलेज में यह है तो इन पट्टियों को सुधारने के लिए वह कितनी जल्दी योजना बना रहे हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : हम लोगों की जानकारी में तो इस तरह की कोई धमकी नहीं है । लेकिन अगर माननीय सदस्य की जानकारी में कोई हो तो बताएंगे, हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री के० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय ! माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर 'नहीं में दिया है । महोदय हमारी विमान सेवाएं समूचे विश्व में कार्यरत हैं तथा वे अन्य सेवाओं से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय केवल कम किराए और अन्य सुविधाओं वाली ही नही अपितु चुनौती का सामना करने और अपनी विमान सेवाओं को अन्य विमान सेवाओं से पीछे न रहने देने के उद्देश्य से विश्व-परिक्रमा विमान सेवा चलाने की संभाव्यता का पता लगाएंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : एयर इण्डिया केवल टोक्यो से प्रशान्त महासागर तक ही नहीं वरन न्यूयार्क से प्रशान्त महासागर तक कार्य कर रही हैं । केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम कार्य नहीं कर रहे हैं । यातायात की स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ कार्य नहीं करना हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा । इसलिए हमने नार्थ वेस्टर्न एयरलाइन्स के साथ यह व्यवस्था की है कि हम उस मार्ग के लिए जितने भी यात्री बुक करेंगे उन्हें उनके पास भेज देंगे ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एयर इण्डिया से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें बेंकोक से पोर्ट ब्लेयर के रास्ते से होकर मद्रास तक के लिए एक नई सेवा शुरू करने की बात कही गई है ? यदि हाँ तो, इस संबंध में क्या स्थिति है और सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लेकिन माननीय सदस्य महोदय के प्रस्ताव पर यातायात की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए उचित विचार किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम तथा आम बीमा निगम के अनिर्णीत दावे तथा गैर समायोजित प्रीमियम

*767. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम तथा आम बीमा निगम के 31 मार्च, 1980 के दिन 8.35 करोड़ रुपये के अनिर्णीय दावे थे और गैर समायोजित प्रीमियम एवं अन्य जमा राशियों की कुल राशियाँ 31.13 करोड़ रुपए की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इनके बारे में अद्यतन अर्थात् मार्च, 1981 तक की स्थिति क्या है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या है;

(घ) इनके निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(ङ) क्या इन राशियों का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा उन्हें निलम्बन में रखा जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जीवन बीमा निगम :

1. 31 मार्च, 1980 को जीवन बीमा निगम के "अनिर्णित दावों" और "प्रीमियम तथा अन्य जमा रकमों" की कुल राशि 48.75 करोड़ रुपये और 31.13 करोड़ रुपये थी। चूंकि वर्ष 1980-81 के लेखाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए 31 मार्च, 1981 तक की स्थिति के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

2. मृत्यु दावों और परिपक्वता दावों के अनिर्णीत पड़े रहने का मुख्य कारण यह है कि पालिसीधारकों से दावा फार्म (क्लेम फार्म) और विमुक्ति फार्म (डिस्चार्ज फार्म) प्राप्त नहीं होते। अन्य कारणों में पालिसीधारकों द्वारा आयु अथवा हकनामा प्रमाण-पत्रों का न दिया जाना या अन्य शर्तों का पूरा न किया जाना शामिल है। विशेष रूप से उन दावों के संबंध में जिनमें पालिसी-धारक की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दावों की जांच को पूरा करने में भी कुछ समय लग जाता है। कुछ मामलों के अनिर्णीत रहने का कारण जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में दावों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की देरी होती है।

3. जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का अधिक से अधिक निपटान करने के लिए हाल के वर्षों में जो उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:—

(i) छोटी रकमों के बीमों के दावों के संबंध में हकनामा अथवा आयु का प्रमाण देने की शर्त हटा दी गई है।

(ii) जब तक कि जीवन बीमा निगम को दावों की सच्चाई पर कोई संदेह न हो तब तक छोटे दावों के संबंध में जांच खत्म कर दी गई है।

(iii) दावों के निपटान के संबंध में पालिसीधारकों के साथ पत्र-व्यवहार तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों के जरिए व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(iv) दावों के निपटान का परिवीक्षण करने और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की समीक्षा करने और उसे सरल बनाने के लिए जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय में एक कक्ष की स्थापना की गई है।

4. जब पालिसीधारकों द्वारा की गई अदायगियों का किन्हीं कारणों से प्रीमियमों के अन्तर्गत समायोजन नहीं किया जा सकता; जैसे प्रीमियमों की पूरी राशि प्राप्त न हुई हो या प्रीमियम राशि रियायती दिनों के समाप्त होने के बाद विलम्ब शुल्क की अदायगी के बिना प्राप्त हुई हो अथवा राशि जमा करते समय पालिसी का नम्बर गलत दिया गया हो या पालिसी नम्बर ही न दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में इन अदायगियों को जमा में रख दिया जाता है। ऐसे प्रत्येक मामले में त्रुटि के अनुसार जमा रकम का समायोजन करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

5. "अनिर्णीत दावा" खाते की राशियाँ परिपक्वता तथा मृत्यु के उन दावों की रकमों के साथ जमा कर दी जाती हैं जो किन्हीं कारणों से लेखा वर्ष के अन्त तक अदत्त रह जाते हैं। इसी तरह, बकाया प्रीमियम तथा अन्य जमा खाते में जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रीमियम और अन्य रकमें जमा कर दी जाती हैं जिन्हें लेखा वर्ष के अन्त तक व्यक्तिगत पालिसी खातों में अथवा अन्य खातों में समयोजित न किया गया हो। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि इन खातों में जमा रकमें पालिसीधारकों को नहीं दी जातीं। इन खातों की बराबर समीक्षा की जाती है और जब कभी दावों का भुगतान कर दिया जाता है तथा प्रीमियम और अन्य जमा रकमों का समायोजन कर दिया जाता है तब "अनिर्णीत दावा" खाते और बकाया प्रीमियमों और अन्य जमा खाते में उतनी ही रकम कम हो जाती है। जीवन बीमा निगम यह देखता है कि जब काफी कोशिश के बावजूद भी अनिर्णीत दावों और बकाया प्रीमियमों और अन्य जमा रकमों के खातों में जमा कुछ एक रकमों का समायोजन नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में इन रकमों को राजस्व खाते में जमा रकमों में अन्तरित कर दिया जाता है। यह अन्तरण सामान्य वाणिज्यिक और लेखा पालन पद्धति के अनुरूप ही है और इसका मतलब यह नहीं है कि पालिसीधारक बाद में इस रकम का दावा ही नहीं कर सकते।

साधारण बीमा निगम

6. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के मामले में 31 दिसम्बर, 1979 को अनिर्णीत दावों के संबंध में अनुमानित देनदारी के चाहे वह देय हो अथवा सूचित, नवीनतम उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार है :—

कम्पनी	(करोड़ रुपये) राशि
साधारण बीमा निगम	54.22
नेशनल	59.66
न्यू इण्डिया	74.88
ओरियण्टल	69.20
यूनाइटेड इण्डिया	62.61

उपरोक्त आंकड़ों में न केवल पालिसीधारकों के दावे शामिल हैं वरन् अन्य बीमाकर्ताओं को देय पुनर्बीमा के दावे भी सम्मिलित हैं। ये केवल व्यवस्था के रूप में हैं।

7. इन दावों के अनिर्णीत रहने का मुख्य कारण, दावेदारों द्वारा कागजात का न भेजा जाना अथवा इन मामलों का न्यायालय में विचाराधीन पड़ा रहना है। अन्य कारणों में पुलिस रिपोर्टों, संवेक्षण रिपोर्टों का विलम्ब से प्राप्त होना और दावे के फार्मों, चिकित्सा प्रमाण-पत्रों का पेश न किया जाना आदि शामिल हैं।

8. अनिर्णीत दावों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा इन दावों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षित सूचना, कागज पत्र आदि मंगवाने के लिए कार्रवाई की जाती है। लम्बे अर्से तक चलने वाली मुकदमेबाजी से बचने के लिए न्यायालय से बाहर समझौते करने के लिए यथासंभव प्रयास किये जाते हैं।

9. जीवन बीमा निगम के मामलों के विपरीत साधारण बीमा उद्योग में गैर-समायोजित प्रीमियम जमा की कोई समस्या नहीं है। जीवन बीमा संविदा लम्बी अवधि के लिये होते हैं जिनके अन्तर्गत प्रीमियम समय-समय पर दिया जाता है और इसीलिये किसी सूचना के प्राप्त न होने के कारण अथवा कतिपय औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण किसी पालिसी के अधीन समय-समय पर दिया गया प्रीमियम ऐसे जमा खाते में रखा जाता है जिनका समायोजन होना बाकी हो। दूसरी ओर, साधारण बीमा संविदा छोटी अवधि के लिए होते हैं जिनके अन्तर्गत प्रीमियमों की राशि प्राय: जोखिम का जिम्मा लेने से पूर्व ही अदा कर दी जाती है। 31 दिसम्बर, 1980 को साधारण बीमा निगम के खाते में गैर समायोजित प्रीमियम की कोई राशि नहीं थी और यद्यपि उसकी सहायक कम्पनियों से इसके बारे में कोई जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है, तो भी उनके गैर-समायोजित प्रीमियमों की राशि नगण्य होगी।

श्री बी० वी० देसाई : माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गए उत्तर के अनुसार यह पता चलता है कि जीवन बीमा निगम के दो तरह के खातों अर्थात् 'अनिर्णीत दावों' और 'प्रीमियम तथा अन्य जमा रकमों', में बकाया राशि 48.75 करोड़ रु० और 31.13 करोड़ रु० थी। यह पालिसीधारियों की खून-पसीने की कमाई है। यह आंकड़े 31.3.1980 तक के हैं। उन्होंने 31.3.1981 तक के आंकड़े नहीं दिए हैं। इसके अलावा मंत्री जी ने अनिर्णीत दावों का कारण आयु तथा हकनामा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया है जबकि पालिसी दिये जाते समय ये बातें पहले ही

लिखवानी अपेक्षित हैं। उन्हें हकनामा प्रमाण-पत्र पालिसी देते समय ही ले लेना होता है। अभी उस दिन, इस सदन में हम जीवन बीमा निगम के बारे में चर्चा कर रहे थे तथा हमें पता है कि ये अधिकारी बड़े-बड़े वेतन पाते हैं तथा वे काफी निपुण भी हैं।

तो क्या उनके लिये यह आवश्यक नहीं किया जा सकता कि वह यह देखें कि आयु प्रमाण और हकनामा प्रमाण देख लिया जाए, पहली बात मैं यह कह रहा हूं।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा : हकनामा प्रमाण से अभिप्राय है फायदा प्राप्त करने वाले का नाम पालिसी में ही दिया जाए। ये दोनों बातें पालिसी में होती हैं। अतः माननीय मंत्री जी ने जो ये दो कारण बताये हैं, सही नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि इतनी बड़ी राशि को अनिर्णीत दिखाना ठीक नहीं है।

दूसरे, जब कभी भी आम प्रक्रिया में दावों के लिए अनुवर्ती कार्यवाही तथा अन्य बातें की जाती हैं, तो इन दोनों खातों की बकाया राशि, एक अन्य खाते—'राजस्व खाते' में डाल दी जाती है। अतः यह राशि 'राजस्व खाते' में डाल दी जाती है। लेकिन 'राजस्व खाते में इकट्ठी हुई राशि कितनी है, यह मंत्री महोदय ने नहीं बताया। मैं कुल राशि के बारे में जानना चाहता हूं। अब मैं साधारण बीमा निगम की बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया एक सीधा प्रश्न कीजिए।

श्री बी० वी० देसाई : हां महोदय, मैं एकदम स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। साधारण बीमा निगम और अन्य संबद्ध बीमा कम्पनियों की संचित राशि 320 करोड़ रु० है। अतः माननीय मंत्री मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस बड़ी राशि को कम करने तथा इसे उचित स्तर तक लाने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दोनों पूरक प्रश्न पूरे हुए।

श्री मगन भाई बरोट : महोदय, मैंने यह कहा है : "मृत्यु दावों और परिपक्वता दावों के अनिर्णीत पड़े रहने का मुख्य कारण यह है कि पालिसी धारकों से दावा फार्म और विमुक्ति फार्म प्राप्त नहीं होते। अन्य कारणों में पालिसीधारकों द्वारा आयु अथवा हकनामा प्रमाण-पत्रों का न दियां जाना या अन्य शर्तों का पूरा न किया जाना शामिल है। विशेषकर से उन दावों के संबंध में जिनमें पालिसीधारक की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दावों की जांच को पूरा करने में भी कुछ समय लग जाता है।

जहां तक इन दोनों के अनुपात का संबंध है मननीय सदन को मैं बताना चाहूंगा कि स्थिति यह है कि भुगनान किए गए दावों की संख्या अनिर्णीत दावों की अपेक्षा अधिक है। अनिर्णीत दावों की संख्या 2 कम है।

श्री बी० वी० देसाई : असल में तो दावों के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही करने के पश्चात राशि को 'राजस्व खाते' में डाल दिया जाता है। राशि का यह परिवर्तन सामान्य वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार किया जाता है, यह लेखा प्रणालियों के अनुसार किया जाता है तथा पालिसीधारक द्वारा दावा की गई राशि में यह रुकावट का कार्य नहीं करता। अतः जब इस प्रकार की सामान्य

वाणिज्यिक प्रथाएं तथा लेखा प्रथाएं अपनाई जा रही हों तो क्या मंत्री जी सदन को यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सामान्य वाणिज्यिक ब्याज इन खातों पर भी दिया जाएगा तथा पालिसीधारियों को उसका भुगतान होगा ?

श्री मगन भाई बरोट : सामान्य बीमा निगम के मामले में (**एक माननीय सदस्य : जीवन बीमा निगम**) हां जीवन बीमा निगम भी, मैं स्थिति के बारे में बता रहा हूं। जीवन बीमा निगम के मामले में 60 दिन की परिपक्वता अवधि के पश्चात ब्याज दिया जाएगा। सामान्य बीमे के मामले में 30 दिन के बाद 6 अथवा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से, जैसी भी स्थिति हो, ब्याज दिया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री मोती भाई आर० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि एक सैल की रचना की गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सैल की रचना कब की गई और इसके बनने के बाद कितने दावे कम हुए हैं, सुलझाए गए हैं ? यह बताया गया है कि प्रोसीजर को सिम्पल बनाने के लिए सैल की रचना की गई है, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि प्रोसीजर के सिम्पलीफिकेशन में क्या-क्या फर्क किया गया है ?

श्री मगन भाई बरोट : उपाध्यक्ष महोदय, सैल बनाने के बाद जो परिस्थिति निर्माण की है, उसमें क्लेमेंट्स की तरफ से जो चीजें मांगी जाती थीं, उसको सरल बनाया गया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि 74-75, 75-76, 76-77 में क्लेम्स जो पैंडिंग थी, वह कम थी और पेमेंट्स ज्यादी थीं। 77-78, 78-79 और 79-80 में अनिर्णीत दावे अधिक थे तथा भुगतान कम थे।

श्री जेवियर अराक्कल : जीवन बीमा निगम से ऋण लेना अथवा दावों का निपटान बहुत ही कठिन काम है। बहुत से सदस्यों और जनता का कहना यह है कि ऋण लेना अथवा दावों का निपटान करना वास्तव में बहुत ही कठिन है। मैं वर्तमान प्रक्रिया के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें सुधार करना तथा इसे आसान बनाना चाहती है। जिससे कि आम आदमी इन दावों को आसानी से प्राप्त कर सके अथवा इनका निपटान करा सके।

श्री मगन भाई बरोट : मूल प्रश्न ऋण से संबंधित नहीं था। यह केवल पालिसियों की परिपक्वता और भुगतान के बारे में था।

डा० वसंत कुमार पन्डित : जब जीवन बीमा निगम में कंप्यूटर से काम करना शुरू किया गया था, तो हमें बताया गया था कि इससे प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी तथा बड़ी जल्दी काम होगा। लेकिन असलियत यह है कि कंप्यूटर लगाए जाने के बाद भी दावों के निपटान की गति लगभग वही है। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि लाभ भोगी के नाम पालिसी जारी करने के साथ-साथ ही ऐसा क्यों नहीं किया जाता क्योंकि नाम तो बाद में भी बदला जा सकता है। अगर इसे सरल कर दिया जाए तथा इस बात का प्रमाण दिया जाए कि अमुक-अमुक व्यक्ति लाभ-भोगी है तो, यह प्रक्रिया ज्यादा आसान होगी। दूसरे, आप ने पैरा 3 (तीन) में यह कहा है : "(तीन)

दावों के निपटान के संबंध में पालिसी धारकों के साथ पत्र-व्यवहार तथा फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क करके अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।"

अत:, जवाब के पहले भाग में "पत्र व्यवहार किया जाता है" यह कहा गया है। लेकिन, जब कभी भी औपचारिक पत्र भेजे जाते हैं, अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाती। केवल प्रोफार्मा सा बनाया गया है, जिसमें बहुत सी बातें पूछी जाती हैं। कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाती तथा प्रोफार्मा में यही लिख कर भेजा जाता है कि आपने यह-यह नहीं भरा है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अनुवर्ती कार्यवाही को और ज्यादा तत्परता से किया जाए जिससे कि दावों का निपटान ज्यादा आसानी से किया जा सके एवं राशि का भुगतान शीघ्रतापूर्वक किया जा सके।

श्री मगन भाई बरोट : जहां तक आयु के प्रमाण का सम्बन्ध है, अब यह किया जा रहा है कि इसकी जांच पालिसी स्वीकार करने से पहले ही कर ली जाती है। जहां तक परिणाम के बारे में पूछा गया है, मशीनें आदि लगाए जाने के बाद, बहुत ही रोचक बात सामने आई है कि दावों के निपटान के बारे में की गई कार्यवाही के स्तर की, भारत की, राष्ट्रीयकरण किए जाने से पहले की बहुत सी प्रमुख कंपनियों तथा कुछ प्रमुख अमरीकी बीमा कंपनियों के मुकाबले, समिति द्वारा प्रशंसा की गई है। जबकि प्रमुख बीमा कम्पनियों के अनिर्णीत दावों का अनुपात 36.48 से 74.70 था, आज, यह केवल 17.72 है और दिए गए दावों के मामले में यह संख्या 15.15% है। इस सीमा तक हम इसे कम कर सके हैं।

गुजरात में ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

***768. श्री छीतू भाई गामित :**

क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में छठी पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामीण बैंक खोले जाने हैं;

(ख) सूरत एवं बलसाड के किन-किन स्थानों पर ये ग्रामीण बैंक खोले जायेंगे;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान किन-किन स्थानों पर ग्रामीण बैंक खोले जायेंगे; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों से उपलब्ध होने वाली विशेष सुविधाओं के ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क), (ख), (ग) और (घ) : एक विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : इस समय गुजरात राज्य में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं, अर्थात् जामनगर ग्रामीण बैंक, जिसमें जामनगर जिला व्याप्त है और कच्छ ग्रामीण बैंक जिसमें कच्छ जिला व्याप्त है। दिसम्बर, 1980 में गुजरात सरकार ने मेहसाणा जिलों में एक क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव किया था। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, इस विषय में निर्णय करेगी और यह दूसरा बैंक 1981-82 में खुल जाने की आशा है। छठी योजना की बची हुई अवधि के वर्षों में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए जिलों का निर्धारण करना अभी बाकी है। सूरत और बलसाड़ जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय आधार और ग्रामीण उन्मुखता वाली एक विशेष प्रकार की बैंकिंग संस्थाएं हैं। यह भारत सरकार, राज्य सरकार और किसी एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की संयुक्त भागीदारी में स्थापित किये जाते हैं। इन बैंकों की स्थापना कमजोर वर्गों अर्थात् छोटे और सीमांतिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य अल्प साधन वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के लिए की जाती है। ये बैंक उक्त क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थागत अभिकरणों अर्थात् सहकारिताओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सब वाणिज्यिक बैंकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। किन्तु वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल कमजोर वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही होते हैं।

वाणिज्यिक बैंक भी अपने सामान्य बैंकिंग परिचालनों के एक अंश के रूप में ग्रामीण ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें दी हैं कि 1985 तक उनके द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों का अंश उनके कुल ऋणों के 16 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 1983 के अंत तक उनके कृषि ऋणों का 50 प्रतिशत भाग छोटे और सीमांतिक किसानों और कृषि मजदूरों को मिलने लगे।

श्री छीतूभाई गामित : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बताया है कि गुजरात में सिर्फ दो जगहों पर ग्रामीण बैंक खोला गया है और एक अन्य जगह पर खोलना विचाराधीन है। गुजरात में 18 डिस्टिक्ट्स हैं और 18 हजार देहात हैं—इस तरह से जो तीन जगहों पर ग्रामीण बैंक खोलने का निश्चय किया गया है, यह बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि 1978 से 1980 तक गुजरात सरकार ने गुजरात में किन-किन जगहों पर ग्रामीण बैंक खोलने के लिए प्रपोजल्ज भेजी थी तथा प्रपोजल्ज का क्या हुआ ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि साउथ गुजरात में जहां पर ज्यादातर आदिवासी और कमजोर वर्ग की आबादी है, जैसे सूरत और बलसाड़ जिले—खास तौर से इन जिलों में ग्रामीण बैंक खोलने के लिये भारत सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है ?

श्री मगन भाई बरोट : जहां तक गुजरात सरकार की माँग का सवाल है, उनकी जो पहली मांग आई वह दिसम्बर, 1980 में थी। 1978 से नवम्बर, 1980 तक कोई मांग नहीं आई। जहां तक बलसाड़ डिस्टिक्ट का सवाल है ऐसी कोई प्रस्तावना गुजरात सरकार की ओर से नहीं आई है।

श्री छीतू भाई गामित : जहाँ तक ग्रामीण बैंकों का प्रश्न है, ग्रामीण बैंकों द्वारा कमजोर

वर्ग के लोगों को ज्यादा लोन देने का उद्देश्य है। लेकिन जो व्यापारी बैंक हैं क्या उन बैंकों में भी कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण देने की कोई नीति है ? दोनों की ऋण देने की नीति में क्या अन्तर है ? क्या रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को कोई सुझाव दिया गया है, यदि दिया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : महोदय, ग्रामीण बैंक सीमान्तक और छोटे किसानों को सहायता देते हैं। वाणिज्यिक बैंक सभी प्रकार के किसानों को सहायता देते हैं ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों में यह अन्तर हैं। जहां तक गुजरात राज्य का तथा विशेष रूप से उन दो जिलों, जिनका उसने जिक्र किया है संबंध है मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि समस्त भारत में, औसतन 17,000 की आबादी पर इस बैंक की एक शाखा खोली गई है जबकि गुजरात में 11000 की जनसंख्या के लिए इसकी एक शाखा खोली गई है तथा सूरत जिले में······वाणिज्यिक बैंकों की 178 शाखाएं हैं तथा बलसार जिले में यह संख्या 159 है। गुजरात राज्य में सहकारी समितियों की भी कमी नहीं है। इन दो जिलों में प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या इस प्रकार है—सूरत में 1475 तथा बलसार में 969। इन दो जिलों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का हमारे द्वारा काफी ध्यान रखा गया है।

पैरा फैनटाइडीन का आयात

*769 { **प्रो० के० तिवारी**
श्री जनार्दन पुजारी

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अलाइन्स आफ यंग एन्टरप्रीनियर्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह वास्तविक उपभोक्ताओं को पैरा फैनटाइडीन का नियंत्रित आधार पर आयात करने की अनुमति दे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) जी हां।

(ख) सुझाव स्वीकार नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, पैरा फैनटाइडीन, फैनटाइडीन नामक दवाई के निर्माण में कच्चे माल के रूप में काम आती है। इस दवाई का देश भर में विभिन्न रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है तथा आई. डी. पी. एल. इस कच्चे माल के एकमात्र उत्पादक हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि देश में इस कच्चे माल की कुल आवश्यकता कितनी है तथा इस एजेंसी द्वारा इस दवाई का किस मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : आई. डी. पी. एल. द्वारा उत्पादित फैनटाइडीन के विषय में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में, मैं तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष

1977-78 में इसका उत्पादन 188.335 मीट्रिक टन था तथा वास्तविक बिक्री 83.95 मीट्रिक टन थी। वर्ष 1978-79 में उत्पादन 103.01 मीट्रिक टन था तथा वास्तविक बिक्री 79.01 मीट्रिक टन था। वर्ष 1979-80 में उत्पादन 92.20 मीट्रिक टन था और वास्तविक बिक्री 112.257 मीट्रिक टन थी। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की आज्ञा नहीं देते हैं। हम पहले देश में हो रहे उत्पादन को देखते हैं और यदि हमें यह पता लगता है कि देश में हुए उत्पादन से हम आवश्यकता पूरी कर सकते हैं तो हम ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की आज्ञा नहीं देते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, इस कच्चे माल के मूल्यों में अचानक काफी वृद्धि हुई है इससे कमी पैदा हो गई है और मूल्य भी बढ़े हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताई गई एजेंसी कुल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है तथा मूल्य बढ़ रहे हैं, क्या वह वास्तविक उपभोक्ताओं को सीमित आधार पर इसके आयात में ढील देंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इन मामलों पर हमें निर्देश सामान्यतया प्रशासनिक मंत्रालय से मिलते हैं। जब निर्यात की नई नीति के बारे में विचार किया गया था तब इस विशेष मद पर भी विचार किया गया था कि इसका क्या स्थान होगा। जब हमने पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के साथ इस पर विचार किया तो उन्होंने हमें यह बताया कि देश के उपभोक्ताओं, उद्योगों को आई. डी. पी. एल. सामग्री प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास पिछले वर्ष का भी स्टाक पड़ा है जिसका अभी निपटान नहीं हो पाया है। इसलिए, उन्हें इस बीच के उत्पाद का निर्यात भी करना पड़ा। इसके अलावा वास्तविक प्रयोक्ता स्वतः मिलने वाली लाइसेंस योजना के अन्तर्गत इसका आयात कर सकते हैं। इसलिए इस विशेष मद पर कीमत का दस प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, पाने के हकदार हैं।

श्री जनार्दन पुजारी :—'यंग एन्टरप्रिनियर्स' को आशा थी कि उत्तर हां में दिया जाएगा परन्तु दुर्भाग्यवश उत्तर नकारात्मक दिया गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह 'यंग एन्टरप्रिनियर्स' की एक बैठक बुलायेंगे जिसमें उन्हें यह संतोष दिलाया जा सके कि क्या मंत्रालय इन कमियों को दूर करने की स्थिति में होगी।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं किसी के साथ भी इस पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूं। इसलिए इन 'यंग एन्टरप्रिनियर्स' से विचार विमर्श करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। परन्तु मैंने यह स्पष्ट किया था कि देश में जिस चीज की आवश्यकता पूरी हो सकती है वहां हम आयात को बढ़ावा नहीं देंगे। कभी-कभी आयात सस्ता भी पड़ सकता है। निर्यात को बढ़ावा न देने की सरकार की सजग नीति है।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, मंत्रालय दो बातों को एक साथ कैसे कह सकता है कि इन दो वस्तुओं की कम सप्लाई है तथा साथ ही सम्बद्ध मंत्रालय यह कहता है कि अधिक उत्पादन हुआ है और स्टाक जमा हो रहा है तथा आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आयातित सामग्री के मुकाबले देश में निर्मित उत्पाद की लागत अधिक हो जाती है क्योंकि यह कार्य अभी नया ही शुरू किया गया है।

बिहार में फीडर सेवा

***770. प्रो० के० के० तिवारी** :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार राज्य में पर्यटक रुचि के स्थलों को "फीडर"–सेवाओं द्वारा जोड़ने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्दुलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) : वायुदूत सेवाओं का विस्तार करके उनका बिहार तथा देश के अन्य राज्यों में भी परिचालन आरंभ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर न देने का यह एक क्लासिक उदाहरण है । 28 नवम्बर, 1980 के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यही उत्तर दिया था कि यह विचाराधीन है । गिडवानी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से तीसरे-स्तर की वायु-सेवा चलाने का विचार सामने आया । उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि देश के जनसंख्या वाले पचास केन्द्रों से वायु सेवा जोड़ी जानी चाहिए तथा इसे एक साधारण-सा प्रयास माना गया । मंत्रालय ने एक साल बिता दिया और अभी भी वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं । यह तथ्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह वायु सेवा आर्थिक प्रगति, जनसंख्या और देश की जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी । बिहार में जहां कई महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थल तथा आर्थिक महत्व के केन्द्र हैं वहां कितने केन्द्र बनाने का विचार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : महोदय, गिडवानी समिति ने बिहार में तीन केन्द्रों गया, मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर के बारे में कहा था । बाद में एक समिति वर्तमान समिति, का गठन किया गया जो ब्रेगेंजा समिति कहलाती है । इस समिति ने बिहार में चार केन्द्रों जैसे गया, मजफ्फरपुर जमशेदपुर और पूर्णिया के बारे में कहा था । यह सही है कि देश के बाकी के हिस्सों में फीडर सेवा का विस्तार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तस्करी के लिए पनडुब्बी का उपयोग

*766. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1981 के "ब्लिट्ज" साप्ताहिक में मुख्य पृष्ठ पर "एण्ड नाऊ......स्मगलिंग बाई सब्स" शीर्षक की से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने दोनों आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से पनडुब्बी परिचालन के बारे में जांच पड़ताल के आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख), से (घ) : सरकार को मिली रिपोर्टों से, दिसम्बर 1980 में बम्बई के समीप एक पनडुब्बी द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य के माल की तस्करी किये जाने के आरोप की पुष्टि नहीं होती ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन

*771. श्री कृष्ण कुमार गोयल :
श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हाल ही में आयोजित सेमीनार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी निर्धन लोगों के लिए विशिष्ट बैंकों और विशिष्ट आवश्कताओं को पूरा करने के लिए फंकशनल बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) और (ख) : 17 और 18 मार्च, 1981 को बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय के तत्वावधान में बड़ोदरा में बैंकिंग विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था । यह कहना सही नहीं है कि इस संगोष्ठी में भाग का आयोजन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दिया था । बैंकों के वरिष्ठ कार्य-पालकों ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया था और निबन्ध प्रस्तुत किये थे । विभिन्न निबन्धों में दिये गए सुझावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव भी थे कि अन्य वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के वित्त पोषण के लिए बैंकों को प्रयोजनमूलक आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए । इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने वहां उठाये गए मुद्दों पर विभिन्न मत व्यक्त किये, मगर कोई सिफारिश करते हुऐ, कोई संकल्प पारित नहीं किये गए ।

वाणिज्यिक बैंकों से ग्रामीण ऋणों के और विस्तार की आवश्यकता पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर विचार किया जाता है और समय-समय पर इस दिशा में उपाय किये जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम को तेज करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है और 1980-81 में इस प्रकार के 35 बैंक स्थापित किये गए। छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान 70 और ऐसे बैंकों की स्थापना हो जाने की आशा है। एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय भी दिया जा चुका है जो ग्रामीण ऋण के वास्ते एक शीर्षस्थ संस्था होगा। कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं। कृषि अग्रिमों के मामले में बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि क्रमशः कमजोर वर्गों को इस प्रकार के अग्रिमों का 50 प्रतिशत भाग मिलने लगे और छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र के कमजोर वर्गों के मामले में यह लक्ष्य छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए कुल अग्रिमों का 12.5 प्रतिशत होगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों पर बकाया कर

***772 श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में उन कम्पनियों का नाम और ब्यौरा क्या है जिन पर कर की बकाया राशि के रूप में दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक रुपये थे (पिछले वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किये जायें);

(ख) उपरोक्त कम्पनियों में प्रत्येक कम्पनी पर कर की कुल कितनी राशि (रुपयों में) बकाया थी ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) तथा (ख) : गैर-सरकारी क्षेत्र की उन 168 कम्पनियों की विवरण के रूप में एक सूची संलग्न है जिनमें से प्रत्येक की ओर 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार कर की 10 लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया थी। इससे, उस तारीख की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी की ओर कर की बकाया की रकम, वसूली के लिए देय नहीं बने कर और कुल बकाया मांग का भी पता चलता है।

(ग) : प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, बकाया मांगों की वसूली। घटौती के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपयुक्त किए जाते हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विचाराधीन पड़ी अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से निवेदन करना, आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के अधीन गार्निशी नोटिस

जारी करना, आयकर अधिनियम की धारा 222 के अधीन कर-वसूली अधिकारियों के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना और जहां कहीं उचित हो, आयकर अधिनियम की धारा 179 के अधीन कार्यवाही आरम्भ करना शामिल है।

विवरण

क्रम० सं०	कम्पनी का नाम	31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार कम्पनियों की ओर कर की बकाया का ब्यौरा		
		बकाया कर	कर जो वसूली के लिए देय नहीं बना	कुल
1	2	3	4	5
		(लाख रुपयों में)		
1.	मेसर्स लाल आयल एण्ड जनरल मिल्स (प्रा०) लि०	15.97	6.95	22.92
2.	मेसर्स टिम्बर प्रा० लि०	27.26	—	27.26
3.	मेसर्स इंटिग्रेटेड इन्वेस्टमेंट कं० चिट फंड्स (प्रा०) लि०	14.46	—	14.46
4.	मेसर्स त्रिपुरा रोड ट्रान्सपोर्ट	13.47	—	13.47
5.	मेसर्स बी० आर० सन्स लि० (समापनाधीन)	38.98	—	38.98
6.	मेसर्स अडवानी आर्लिकान प्रा० लि०	14.95	—	14.95
7.	केपको प्रा० लि०	12.60	5.47	18.07
8.	मेसर्स एडवर्ड टेक्सटाइल्स लि०	28.81	—	28.81
9.	मेसर्स के० एस० बी० पम्प्स लि०	12.44	—	12.44
10.	मेसर्स अमर डाई कैम लि०	11.07	—	11.07
11.	मेसर्स चुन्नीलाल मेहता एण्ड कं० प्रा० लि० (समापनाधीन)	12.69	—	12.69
12.	मेसर्स इण्डियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०	84.89	—	84.89
13.	मेसर्स जुगोस्लावंसका लिंजिस्का प्लोविधा, मार्फत जे० पी० शाह एण्ड कं०	24.62	1.50	26.12
14.	रेनविक एण्ड कं० (प्रा०) लि०	16.77	—	16.77
15.	आर्थर लेवीबोट सर्विस आई० एन० सी०	16.45	—	16.45
16.	मेसर्स एसोसिएटेड फिल्म एण्ड प्रा० लि०	13.33	19.35	32.68
17.	मेसर्स ई० मर्क० (आई०) (प्रा०) लि०	18.20	—	18.20

1	2	3	4	5
18.	मेसर्स मेडिकेम लैब प्रा० लि०	12.59	—	12.59
19.	मेसर्स मालाबार स्टीमशिप कं० लि०	19.63	14.68	34.31
20.	मेसर्स नवकेतन इण्टरनेशनल फिल्म्स प्रा० लि०	20.27	—	10.27
21.	मेसर्स रेमन सार्वेसेज प्रा० लि०	11.65	—	11.65
22.	मेसर्स वेस्टर्न स्टार लाइन्स प्रा० लि०	31.44	0.96	32.40
23.	मेसर्स प्रीमियर टायर्स लि०	18.74	—	18.74
24.	मेसर्स श्री निर्मल कर्मशियल प्रा० लि०	27.58	19.62	47.30
25.	मेसर्स एचणे इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	ब्यौरा नहीं दिया गया		22.20
26.	मेसर्स फिट टाइटनट्स एण्ड बोल्ट्स लि०	-यथोपरि-		22.37
27.	मेसर्स हिन्दुस्तान अर्थमूवर्स (प्रा०) लि०	-यथोपरि-		20.99
28.	मेसर्स मे एण्ड बेकर (आई०) प्रा० लि०	-यथोपरि-		61.44
29.	मेसर्स शान्ता ब्रदर्स कं० (प्रा०) लि०	-यथोपरि-		31.84
30.	मेसर्स ट्राश्योर (इ०) लि०	-यथोपरि-		43.29
31.	मेसर्स इण्डियन इन्जीनियरिंग एण्ड कमर्शियल कार्पोरेशन प्रा० लि०	11.30	2.02	13.32
32.	मेसर्स लेण्डेड इस्टेट्स लि०	16.06	—	16.06
33.	मेसर्स महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कं० लि०	16.14	—	16.14
34.	मेसर्स यूनिवर्सल फेरो एण्ड एलाइड कैमिकल्स लि०	20.99	—	20.99
35.	मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०	42.80	—	42.80
36.	मेसर्स महल पिक्चर्स (प्रा०) लि०	25.63	10.94	36.57
37.	मेसर्स मैकेन्जीज लि०	11.05	—	11.05
38.	मेसर्स नारंग होटल्स (प्रा०) लि०	28.19	—	28.19
39.	मेसर्स अवध शूगर मिल्स लि०	37.07	—	37.07
40.	मेसर्स कपाडिया कंस्ट्रक्शन कं० प्रा० लि०	39.35	5.62	44.97
41.	मेसर्स कमानी मैटलिक आक्साइड्स प्रा० लि०	11.90	1.93	13.83
42.	मेसर्स कमानी ब्रादर्स (प्रा०) लि०	13.00	0.96	13.96
43.	मेसर्स कमानी मेटल्स एण्ड अल्वायज लि०	12.20	1.46	13.66
44.	मेसर्स मगन लाल छगन लाल प्रा० लि०	70.45	2.47	72.92
45.	मेसर्स स्ट्रैंचलान प्रा० लि०	11.22	—	11.22
46.	मेसर्स आनन्द कुमार मिल्स लि०	13.15	—	13.15

1	2	3	4	5
47.	मेमट्टुपलायम कुन्नूर सर्विसेज	11.07	—	11.07
48.	मेसर्स एलेनवेरी एण्ड कं० (प्रा०) लि०	209.67	—	209.67
49.	मेसर्स आलोक उद्योग सर्विसेज लि०	43.93	4.75	48.68
50.	मेसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लि०	67.35	3.22	70.57
51.	मेसर्स भारत यूनियन एजेंसीज (प्रा०) लि०	44.76	—	44.76
52.	मेसर्स डालमिया जैन एयरवेज लि०	78.33	—	78.33
53.	मेसर्स पर्ल साइकल इन्डस्ट्रीज कं० लि०	83.69	8.86	92.55
54.	मेसर्स पर्ल प्रिंटर्स हाउस (प्रा०) लि०	11.49	0.51	12.00
55.	मेसर्स पी० एन० बी० फाइनेंस लि०	50.17	—	50.17
56.	मेसर्स स्वयंवर लाल मोटर सर्विसेज (प्रा०) लि०	10.80	—	10.80
57.	मेसर्स ए० बी० सी० फाइनेंस (प्रा०) लि०	27.84	—	27.84
58.	मेसर्स नरुला फाइनेंस (प्रा०) लि०	18.93	—	18.93
59.	मेसर्स बंशीलाल गुलजारी मल (प्रा०) लि०	23.27	—	23.27
60.	मेसर्स नेशनल केमिकल इंड (प्रा०) लि०	20.44	—	20.44
61.	मेसर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स कार्पोरेशन	27.95	—	27.95
62.	मेसर्स चमन इस्टेट्स (प्रा०) लि०	26.90	0.49	27.39
63.	मेसर्स मोदीपोन लि०	38.01	303.12	341.13
64.	मेसर्स स्टील (1957) प्रा० लि०	36.15	—	36.15
65.	मेसर्स रेनबो रिफैक्ट्रीज (प्रा०) लि०	54.08	—	54.08
66.	मेसर्स रेनबो स्टील लि०	42.01	70.46	112.47
67.	मेसर्स आर० के० मशीन टूल्स (प्रा०) लि०	11.73	0.09	11.82
68.	मेसर्स राठी इस्पात लि०	21.51	—	21.51
69.	मेसर्स बस्ती शूगर मिल्स कं० लि०	29.57	3.31	32.88
70.	मेसर्स गुड ईयर इंडिया लि०	45.03	—	45.03
71.	मेसर्स मारूति लि०	21.04	23.95	44.99
72.	मेसर्स नवाबांज शूगर मिल्स कं० लि०	23.24	36 92	60.16
73.	मेसर्स सिकोइया कंस्ट्रक्शन्स (प्रा०) लि०	11.61	—	11.61
74.	सयाजी मिल्स लि०	27.37	0.73	28.10
75.	भावनगर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लि०	13.01	—	13.01
76.	पोली स्टील (इंडिया) लि०	46.29	—	46.29
77.	महाराना भूपाल इलेक्ट्रीक सप्लाई कं० प्रा० लि०	18.59	—	18.59
78.	मेसर्स ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि०	243.31	84.07	327.38

1	2	3	4	5
79.	मेसर्स चंपारन शूगर कं० लि०	13.01	59.78	72.79
80.	मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि०	12.35	5.41	17.76
81.	मेसर्स श्री फ्रेंड्स युनाइटेड इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०	16.97	2.03	19.00
82.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०	237.04	136.70	373.74
83.	न्यू कश्मीर ओरियंटल ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लि०	37.64	—	37.64
84.	मेसर्स प्रीमियर क्रैडिट एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०	14.00	—	14.00
85.	रामचंद एंड संस शूगर मिल्स	29.74	—	29.74
86.	मेसर्स बेदी एंड कं०	14.50	—	14.50
87.	मेसर्स वी० एस० डेंपो एंड कं० प्रा० लि०	28.17	—	28.17
88.	नवभारत एंटरप्राइजेज (प्रा०) लि०	17.32	—	17.32
89.	पुनालूर पेपर मिल्स लि०	71.48	—	71.48
90.	मेसर्स ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया (प्रा०) लि०	11.01	21.99	33.00
91.	दि छगन लाल टेक्सटाइल्स मिल्स लि०	19.41	—	19.41
92.	श्री सज्जन मिल्स लि०	14.93	7.07	22.00
93.	मेसर्स जसवंत शूगर मिल्स लि०	32.22	—	39.22
94.	मेसर्स न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स मिल्स लि०	15.56	—	15.56
95.	मेसर्स कुंदन शूगर मिल्स प्रा० लि०	33.23	8.50	41.73
96.	मेसर्स स्वरूप वेजिटेबल प्रोडक्टस इंडस्ट्रीज लि० मंसूरपुर	14.46	—	14.46
97.	मेसर्स एक्सप्रेस न्यूजपेपर लि०	43.35	—	43.35
98.	मेसर्स एम० एफ० सी० इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०	12.66	0.58	13.24
99.	मेसर्स शिवाजी फिल्म्स (प्रा०) लि०	10.86	35.52	46.38
100.	मेसर्स राजेन्द्र मिल्स लि०	14.39	0.81	15.20
101.	हिन्द मार्केन्टाइल कारपोरेशन प्रा० लि०	12.04	—	12.04
102.	मेसर्स एम० जी० आर० पिक्चर्स (प्रा०) लि०	17.83	2.81	20.64
103.	मेसर्स साऊथ इंडिया विस्कोस लि०	35.26	284.07	319.33
104.	मेसर्स श्री विसालान चिट फंड लि०	18.59	14.48	33.07
105.	मेसर्स बी० पी० माइन्स (प्रा०) लि०	25.12	—	25.12
106.	मेसर्स कलिंग ट्यूब्स लि०	10.37	15.95	16.32
107.	मेसर्स पानीपत वूलन एंड जनरल मिल्स क० लि०	35.72	—	35.72
108.	मेसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद (प्रा०) लि०	234.28	24.81	259.09

1	2	3	4	5
109.	मेसर्स भारतीय स्टील एंड इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लि०	19.79	—	19.79
110.	मेसर्स बर्न एंड कं० लि०	22.62	—	22.62
111.	मेसर्स जनरल इंडस्ट्रीज स्टोर्स सप्लाइंग कं० (प्रा०) लि०	11.42	9.59	21.01
112.	मेसर्स इंडो अमेरिकन इलैक्ट्रिकल्स लि०	13.76	—	13.76
113.	मेसर्स पार्टस सर्विस (इंडिया) (प्रा०) लि०	36.58	—	36.58
114.	मेसर्स अगरिंद फैब्रीकेशन (प्रा०) लि०	13.63	—	13.63
115.	मेसर्स अछरू राम कत्खोफ एंड कं० शैलक (प्रा०) लि०	12.59	—	12.59
116.	मेसर्स असम बंगाल सीमेंट कं० लि०	48.16	—	48.16
117.	मेसर्स ब्रह्मपुत्र टी कं० (इंडिया) लि०	14.05	—	14.05
118.	मेसर्स एफ एंड सी ओसलर (इंडिया) लि०	21.30	—	21.30
119.	मेसर्स जनरल डीलर्स (प्रा०) लि०	26.26	—	26.26
120.	मेसर्स हनुमान फाउंडरी लि०	13.22	—	13.22
121.	एम० बी० सरकार एंड संस लि०	25.98	—	25.98
122.	मेसर्स ओसलर इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्यु० लि०	19.01	—	19.01
123.	मेसर्स आर० एस० मुरे० लि०	31.08	—	31.08
124.	एस० बी० ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि० (परिसमापनाधीन)	38.44	—	38.44
125.	मेसर्स एस बी० इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि०	79.08	—	79.08
126.	मेसर्स कैरयू एण्ड कं० लि०	16.15	—	16.15
127.	मेसर्स डी० सी० धीमान एंड ब्रदर्स (प्रा०) लि०	11.24	—	11.24
128.	मेसर्स इण्डियन शूगर सिण्डिकेट लि० (परिसमापनाधीन)	18.28	—	18.28
129.	मेसर्स जगदम्बा लि०	26.87	—	26.87
130.	मेसर्स कलिमपोंग प्रापर्टीज लि०	44 54	—	44.54
131.	मेसर्स मनीन्द्र मिल्स लि०	10.80	—	10.80
132.	मेसर्स मनमोहन कारपोरेशन (इंडिया) प्रा० लि०	10.57	—	10.57
133.	मेसर्स नेशनल काटन मिल्स लि०	11.35	—	11.35
134.	मेसर्स न्यू इरा हिन्दुस्तान वूलन मिल्स लि०	14.82	—	14.82

1	2	3	4	5
135.	मेसर्स पद्मा लि०	31.66	—	31.66
136.	मेसर्स शिव बैनर्जी कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०	24.34	—	24.34
137.	मेसर्स स्काइस्क्रेपर लि०	27.04	—	27.04
138.	मेसर्स श्रीकृष्ण (प्रा०) लि०	20.52	—	20.52
139.	मेसर्स श्रीराम झबेरमल (कलिमपोंग) लि०	23.34	—	23.34
140.	मेसर्स असम सिल्लीमनाइट लि०	70.92	—	70.92
141.	मेसर्स ब्रह्मपुत्र टी कं० लि०	135.73	—	135.73
142.	मेसर्स कोल प्रोडक्टस (प्रा०) लि०	45.55	—	45.55
143.	मेसर्स झारखंड माइन्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	11.05	—	11.05
144.	मेसर्स लीडना कालियरी कं० (1920) लि०	44.37	—	44.37
145.	मेसर्स पतकोला टी कं० लि०	14.31	—	14.31
146.	मेसर्स स्नोवाइट फूड प्रोडक्टस कं० लि०	20.91	—	20.91
147.	मेसर्स तेलीअपारा टी० कं० लि०	17.58	—	17.58
148.	मेसर्स उत्कल प्रापर्टीज एण्ड फाइनेंस कं० (प्रा०) लि०	13.63	—	13.63
149.	मेसर्स भारत हैंडीक्राफ्ट्स (प्रा०) लि०	17.80	—	17.80
150.	मेसर्स छज्जर एण्ड कं० (प्रा०) लि०	27.89	—	27.89
151.	मेसर्स क्रिश्चियन माइका इण्डस्ट्रीज लि०	17.96	—	17.96
152.	मेसर्स ग्रेट लेक्स कारबन कारपोरेशन	17.42	—	17.42
153.	मेसर्स इण्डिया रबर मैन्यु० लि०	18.41	—	18.41
154.	मेसर्स इण्डिया फायल्स लि०	11.60	—	11.60
155.	मेसर्स नरसिंह एण्ड कं० लि०	16.28	—	16.28
156.	मेसर्स नार्थ बुक जूट कं० लि०	15.02	—	15.02
157.	मेसर्स एशियाटिक आक्सीजन लि०	40.32	4.04	44.36
158.	मेसर्स चांदपुर जूट कं० लि०	17.90	—	17.90
159.	मेसर्स देवेनपोर्ट एण्ड कं० (प्रा०) लि०	16.05	—	16,05
160.	मेसर्स हावड़ा ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि०	20.83	—	20.83
161.	मेसर्स कनौड़िया इण्डस्ट्रीज लि०	17.99	—	17.99
162.	मेसर्स नार्थ बंगाल शूगर मिल्स कं० (प्रा०) लि०	85.13	—	85.13
163.	मेसर्स दि मूर मिल्स लि०	24.45	—	24.45
164.	मेसर्स जीयाजीराव काटन मिल्स लि०	29.94	213.95	243.89
165.	मेसर्स टेक्समेको लि०	29.06	3.66	32.72

1	2	3	4	5
166.	मेसर्स चटर्जी पोलक (प्रा०) लि०	10.20	14.58	24.78
167.	मेसर्स जीवन लाल (1929) लि०	12.95	9.31	22.26
168	मेसर्स कनोडिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०	48.49	26.37	74.86

टिप्पणी :— इस विवरण-पत्र में बैंकिंग कम्पनियों के नाम शामिल नहीं हैं, जिनके संबंध में सूचना दिनांक 23-6-1985 की अधिसूचना सं० 2048 की शर्तों के अनुसार प्रकट नहीं की जाती है।

रेजर ब्लैडों का निर्यात

*773. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेजर ब्लेडों के निर्यात का है;

(ख) यदि हां, तो इसका किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा; और

(ग) कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने का विचार है, (अलग-अलग बताएं) ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : भारत से विभिन्न देशों को रेजर ब्लेड नियमित रूप से निर्यात किये जा रहे हैं। मुख्य बाजार हैं : मिस्र अरब गणराज्य, सूडान, इथोपिया, यूगोस्लाविया, ईरान, सिंगापुर आदि। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने 1981-82 के लिये रेजर ब्लेडों के निर्यात के लिए दो करोड़ रु० का लक्ष्य रखा है। अलग-अलग बाजारों को निर्यात की जाने वाली मात्राएं मिलने वाले आर्डरों पर निर्भर करेंगी।

आयकर विभाग द्वारा मद्रास की मैसर्स के० सी० पी० कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के घर पर छापे

*774. **डा० वी० कुलनदई वेलु :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स के० सी० पी० कम्पनी, मद्रास के प्रबन्ध निदेशक तथा उसके निकट सहयोगी के निवास कार्यालय पर आयकर विभाग (आसूचना विंग) द्वारा वर्ष 1979 में छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो उस तलाशी के दौरान कितने तथा कितने मूल्य के लेखा बाह्य जेवरात, नकद राशि और अभिशंसी दस्तावेज पकड़े गए;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त कम्पनी के प्रवन्ध निदेशक तथा निदेशक मण्डल के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) तलाशी के दौरान, प्रथम दृष्टया, निम्नलिखित लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं :

(एक) नकदी	8,40,000 रु०
(दो) जवाहिरात लगभग	60,000 रु०
(तीन) नियतकालिक जमा की रसीदें	1,46,000 रु०

इसके अतिरिक्त अपराध आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गये।

(ग) इन मामलों में आयकर अधिनियम और अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(घ) प्रबन्ध निदेशक और अन्य निदेशकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

१८-१-१९८१ की स्थिति के अनुसार, मेसर्स के० सी० पी० लिमिटेड के निदेशकों की सूची

1. श्री बोप्पाना रामलिंगेश्वर राव, पेडागोनरु एस० ओ० 521329, काईकालुरु तालुक, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश।	निदेशक
2. श्री दत्त वी० एल० नं० ४ फर्स्ट क्रीसेंट पार्क रोड, अड़यार मद्रास-20	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3. श्री सी० सी० गणपति, नं० 47 वसुधारा, 5वीं मंजिल, मूलाभाई देसाई रोड, बम्बई-21	निदेशक
4. श्री कृष्ण मचारी एम० ए०, 'श्रीनिवासम', 20 नौ क्रास रोड, मालेश्वरम, बंगलौर-560003	निदेशक
5. श्री पिन्नामानेनी कोटेश्वर राव, रूद्रापाका, वरास्ता पुडिवाडा 521301, कृष्णा जिला	निदेशक
6. श्री प्रभू आर० संसद सदस्य सी-4/4 वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057	निदेशक
7. श्री प्रसाद एस० आर० के०, जोति, 6/34 रेसकोर्स रोड, कोयम्बतूर-18	निदेशक

8. श्री रामकृष्णन, पी० आर०　　　　　　　　　　　　　　　　　निदेशक
'जोति', 6/34 रेसकोर्स रोड, कोयम्बतूर-18

9. श्री रेड्डी डी० एस०　　　　　　　　　　　　　　　　　　　निदेशक
सं० 2 रूटलैंड गेट 5वीं गली, मद्रास-6

10. श्री सत्यनारायण के०　　　　　　　　　　　　　　　　　　निदेशक
प्लाट नं० 19 "कृष्णपुरी", श्रीनिवास एवेन्यू, मद्रास-28

11. श्री वीरभद्रराव, वी०　　　　　　　　　　　　　　　　　　निदेशक
वुयुरू-521165 कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश

मध्य प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

***775. डा० वसन्त कुमार पंडित :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में हीरे, पन्ना, माणिक, नीलम तथा कम-मूल्यवान रंगीन पत्थरों जैसे कीमती पत्थरों के खनन के लिए अनेक स्थानों को चुना गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के जिला गुना में चेचोडा-बीनागंज के पुराने किले में क्वार्टज (स्फटिक) की खुदाई के लिए किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई खान में हाल ही में नीलम और कीमती रंगीन पत्थर मिले हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और/अथवा राज्य सरकार ने नई खोजों के लिए आगे अन्वेषण और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले और सरकार ने उसके लिए क्या योजनाएं तैयार की हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के फलस्वरूप मध्य प्रदेश की पन्ना पट्टी में हीराधारी क्षेत्रों की काफी पहले पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में कुछ कीमती और कम कीमती पत्थरों जैसे रंगीन कोरंडम; माणिक (स्पिनल) रक्तमणि (गारनेट), नीलमणि तथा गोमेद पाए जाने की सूचना मिली है, लेकिन ये यहुत कम मात्रा में हैं।

(ख) : राज्य सरकार के अनुसार, गुना जिले में स्फटिक पत्थर के खनन के लिए कोई पट्टा किसी को नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

विशेष धारक बांडों के माध्यम से धनराशि एकत्र किया जाना

***776. प्रो० मधु दण्डवते :**
श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में विशेष धारक बांडों के माध्यम से धनराशि एकत्र किए जाने का लक्ष्य 200 करोड़ रुपए था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी वास्तविक धनराशि एकत्र हुई है; और

(ग) यदि धनराशि लक्ष्य से कम इकट्ठी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1980-81 के लिये संशोधित अनुमानों में विशेष धारक बंधपत्रों की बिक्री से 200 करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है।

(ख) 8 अप्रैल 1981 तक 106.44 करोड़ रुपये मूल्य के बन्धपत्र बेचे जा चुके हैं। ये आंकड़े अन्तिम है।

(ग) ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। सामान्यतः यह आशा की जाती है कि योजना के अन्तर्गत वसूलियों में तेजी आयेगी और ये वसूलियां योजना के अन्तिम चरणों में ही अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत हमारा यह अनुभव रहा है। हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाओं के विचाराधीन पड़े होने से भी इन बंधपत्रों की बिक्री में बाधा आई हो।

राष्ट्रीय बचत योजना में पूंजी निवेश के लिए अनिवासी खाताधारियों को प्रोत्साहन

***777. श्री अमृत पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी खाताधारियों को राष्ट्रीय बचत योजना में अपनी बचतों में पूँजी-निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को विशाल नर्मदा परियोजना के वित्तपोषण के लिए विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाते और अनिवासी (विदेशी) खातों के अन्तर्गत पेट्रो-डालर पूँजी-निवेश को आय-कर मुक्त ब्याज की सुविधा देने के लिए इस बारे में गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) : गुजरात सरकार द्वारा नवम्बर 1980 में राष्ट्रीय बचत योजनाओं में अनिवासी खाता धारकों द्वारा किए गए निवेशों पर आय-कर मुक्त ब्याज की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और इसे स्वीकार्य नहीं समझा गया। कुछ ही दिनों पहले प्राप्त हुए एक पत्र में गुजरात सरकार

ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। यह कार्य यथावधि में कर दिया जाएगा।

(ख) : अनिवासी व्यक्तियों से इस प्रकार के निवेश के सम्बन्ध में आय-कर से छूट के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) : यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

"रैकेट इन एक्सपोर्टिग स्किन्स" शीर्षक समाचार

*778. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री विजय कुमार यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "रैकेट इन एक्सपोर्टिग एनीमल स्किन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी ने 1978 में भारत से टाइगर कैट्स की 10,053 खालों का आयात रिकार्ड किया था;

(ग) क्या यह सच है कि भारत ने निर्यात को रिकार्ड नहीं किया;

(घ) क्या यह भी सच है कि दूसरी ओर भारत ने अमरीका को 597 जीवित रीसस बन्दरों के निर्यात की सूचना दी परन्तु अन्य पशु व्यापार के अमरीकी आंकड़ों में इसका कोई उल्लेख नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : वन्य जीवजन्तु तथा वनस्पति की संकटग्रस्त किस्मों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय के सचिवालय, ग्लैण्ड, स्विटजरलैंड द्वारा परिचालित वर्ष 1978 की एक रिपोर्ट के अनुसार "फेलिस टिगरीना" की 10,053 चमड़ियां भारत से जर्मन संघीय गणराज्य को आयातित की गई दिखाई गई हैं। तथापि, यह विशेष किस्म भारत में नहीं पाई जाती।

(घ) तथा (ङ) : रीसस बन्दरों के निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते, 1978 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को निर्याती बन्दरों की कुल संख्या 2570 थी जिनका मूल्य 8.55 लाख रु० था। अब रीसस बन्दरों के निर्यात पर पूर्ण रोक है।

दक्षिण भारत के फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के घरों पर छापे

*780. **श्री वी० एस० विजयाराघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिण भारत के फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के घरों पर कई छापे मारे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन के क्या परिणाम रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ! 1 दिसम्बर 1980 से 39 मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान मद्रास स्थित आयकर विभाग के गुप्त सूचना पक्ष ने तीन सिने-कलाकारों तथा एक फिल्म मिर्माता के मामलों में तलाशियां लीं ।

(ख) उपर्युक्त व्यक्तियों से पकड़े गये दस्तावेजों की जांच से, प्रथमदृष्ट्या, उनके द्वारा किये गये कर अपवंचन का पता चलता है । उक्त मामलों की अभी जांच की जा रही है और कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही छिपायी गई आय की मात्रा का पता चलेगा ।

काजू का आयात

*789. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विदेशों से काजू का आयात करने के लिये केंद्र की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केंद्र ने क्या निर्णय दिया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां !

(ख) सरकार आयात के लिए अनुरोध को विना शर्तों के स्वीकार नहीं कर सकी ।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

*782. **श्री के० ए० राजन :** क्या वित्त मंत्री महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के यूनिटों के कार्यनिष्पादन में सुधारों के उपायों के बारे में 28 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए आगे कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए अनेक उपाय किये हैं । इनमें से निम्नलिखित उपाय विशेष उल्लेखनीय हैं :—

(1) अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में मंत्रिमण्डल समिति गठित की गई है और उसे अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों के कार्यनिष्पादन का परिवेक्षण करने और उनके कार्यचालन में सुधार लाने का कार्य सौंपा गया है ।

(2) संतोलक सुविधाओं और निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों में यथावश्यक अतिरिक्त पूंजीनिवेश करना ।

(3) मौजूदा बिजली संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग करना और

उसके फलस्वरूप और अधिक बिजली पैदा करना। जिन बिजली संयंत्रों का प्रचालन कार्य संतोषजनक नहीं है, उनसे और अधिक बिजली पैदा करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से कार्यदलों ने बिजली संयंत्रों का निरीक्षण किया है।

(4) अधिकाधिक उत्पादन और उत्पादकता के विषय में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को सिफारिशों के आधार पर 1980-81 की दूसरी छमाही में अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं की प्रगति के विषय में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक औपचारिक समन्वय समिति भी गठित की गई है।

(5) प्रत्येक उद्यम के कार्यनिष्पादन को समीक्षात्मक तिमाही बैठकों के माध्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित परिवीक्षण किया जाना।

(ख) : सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अभी तक कोयला और उर्वरक क्षेत्रों के बारे में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

क्षेत्र अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सवारी भत्ते में वृद्धि

***783. श्री डूंगर सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे क्षेत्र अधिकारियों और कर्मचारियों के जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी गाड़ी रखते हैं, सवारी भत्ते की दरों में ईंधन मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान रखकर उपयुक्त वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करती है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि के बाद सवारी भत्ते की दरों में वृद्धि न होने के कारण तकनीकी कर्मचारियों और अन्य कर्मचाारियों की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि पहले की दरें अलाभप्रद हो गई हैं;

(ग) क्या अब ऐसे भत्ते में वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने में कितना समय लगेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (घ) : ईंधन की कीमतों मे हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वाहन भत्ते की दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन दरों की समीक्षा करते समय दुर्लभ पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने की लगातार आवश्यकता और कार्यक्षमता के अनुरूप प्रशासनिक व्यय में किफायत करने की आवश्यकता जैसे अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वाहन भत्ते की दरों की हाल ही में समीक्षा की गयी और 6-2-81 से उनमें वृद्धि की गयी है।

मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेंतो और बोम्बेस्को इन्टरनेशनल वी० वी० हालैंड के बीच व्यापार संबंध

7131. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोम्बेस्को इंटरनेशनल वी० वी० हालैंड और मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो प्रा० इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बीच व्यापार संबंध क्या हैं जिसे मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इंडस्ट्रियल प्रा० लिमिटेड मैसर्स सूमीतोप कारपोरेशन के माध्यम से अमरीकी डालर में भारी धनराशि भेज रही थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड और बाम्बेस्को इंटरनेशनल वी० वी० हालैंड के बीच, सही व्यापारिक सम्बन्धों के पहलू सहित, जांच की जा रही है । इस समय, अधिक विवरण देना प्रभावी जांच के हित में ठीक नहीं है ।

रजनीश आश्रम, पुणे के निवासियों से निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

7132. **श्री नारायण चौबे :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजनीश आश्रम, पुणे के दो इटली निवासियों की सीमा शुल्क अधिकारियों ने नजरबन्द किया था और उनसे एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की निषिद्ध वस्तुऐं पकड़ी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?;

(ग) क्या यह भी सच है कि 28000 रुपये मूल्य का तस्करी का सामान पकड़े जाने के बाद आश्रम के एक भारतीय सन्यासी को भी नजरबन्द किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, पुणे के पुलिस अधिकारियों ने, 31-1-1980/1-2-1980 को, इटली के दो राष्ट्रिकों से, जो रजनीश आश्रम के निवासी थे, कोई 41,000 रु० मूल्य का लगभग 317.95 ग्राम सोना पकड़ा । यह मामला बाद में, पुणे स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया था । इन दोनों व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । परन्तु, सीमा शुल्क अधिकारियों ने, 1-3-1981 को, एक भारतीय राष्ट्रिक से, जो रजनीश आश्रम का निवासी था, कुल मिलाकर लगभग 33,000 रु० मूल्य की विदेशी वस्तुएं जैसे कैमरे, कलाई घड़ियां और इलेक्ट्रनीकीय वस्तुएं पकड़ीं । उसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार कियागया था ।

राजेन्द्र प्लेस (नई दिल्ली) स्थित ट्रेवल एजेंसी द्वारा आयकर का अपवंचन

7133. **श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 मार्च, 1981 के 'पेट्रियट' में इस आशय से प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि राजेन्द्र प्लेस (नई दिल्ली) स्थित एक ट्रेवल एजेंसी कई लाख रुपये के गैर कानूनी लेन-देन तथा आयकर अपवंचन में अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पूरी जांच के लिए और आगे कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : आयकर विभाग ने 6-2-1981 को, मेसर्स सेलेक्टिव पावर्स, पदमा टावर, नई दिल्ली के मालिक श्री मल्कीत मामरथ के मामलों में और उससे सम्बंधित मामलों में तलाशियाँ ली हैं । प्रारम्भिक जांच से, सऊदी अरब को श्रमिकों की सप्लाई से लगभग 23 लाख रु० के लेन-देनों का पता चला है । तलाशियों के दौरान लगभग 92,000 रु० की नकदी पकड़ी गई । आयकर विभाग द्वारा लगभग 16 लाख रु० मूल्य की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया । इस मामले में जांच की जा रही है तथा सम्बन्धित पार्टियों के खिलाफ, यथासमय कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जायगी ।

हिडको फार्मास्युटीकल्स को ऋण

7134. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवेदन किए जाने के बावजूद बैंकों द्वारा ऋण न दिए जाने के कारण बिहार के पटना जिले के खगौल दी हिडको फार्मास्युटीकल्स लेबोरेट्री बन्द पड़ी है ?;

(ख) क्या यह भी सच है कि धनाभाव के कारण यह लेबोरेट्री कच्चे माल की खरीद करने में असमर्थ है ?

(ग) यदि हां, तो इस लेबोरेट्री को ऋण दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) से (ग) : बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) तथा बकरों में प्रचलित वर्तमान प्रथा तथा रीति-रिवाजों के अनुसार बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (स्टाफ इन्सपैक्शन यूनिट) द्वारा किया गया कार्य सम्बन्धी अध्ययन

7135. **श्री रामायण राय :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा का कार्य सम्बन्धी अध्ययन किया है और सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?;

(ख) यदि हाँ, तो इस एकक द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी हां ! अध्ययन इस बात तक सीमित था कि आकाशवाणी के किसी वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र का कार्यभार स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे के किसी अधिकारी के पास होना चाहिए अथवा किसी सहायक स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे के अधिकारी के पास। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 22.8.1980 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी।

(ख) एकक की सिफारिश यह थी कि वाणिज्यिक प्रसारण क्रियाकलाप, सम्बन्ध मुख्य आकाशवाणी स्टेशन डायरेक्टर के सम्पूर्ण कार्यभार के अन्तर्गत किसी सहायक स्टेशन डायरेक्टर को सौंपा जाए।

(ग) अभी तक सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

तमिलनाडु में चीनी मिलों को ऋण दिया जाना

7136. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ महाराष्ट्र मद्रास ने तमिलनाडु में स्थित चीनी मिलों को कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मंजूर किए गए ऋण की राशि कितनी है, ऋण कितनी अवधि के लिए है और सम्बद्ध चीनी मिलों की ओर आज तक की बकाया राशियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट : (क) : जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छठी योजना के दौरान पर्यटन पर व्यय की जाने वाली राशि

7137. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान होटलों, परिवहन सुविधाओं, नये पर्यटन केन्द्रों के विकास की विभिन्न योजनाओं के विशेष सन्दर्भ में पर्यटन पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटन स्कीमों के लिए कुल 72.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। केन्द्रीय सेक्टर में अर्थात् पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा, छठी पंचवर्षीय योजना (1981-85) के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों के लिए प्रदान किए गए परिव्ययों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पंचवर्षीय योजना 1980-85 के परिव्यय

1. पर्यटन विभाग

	(लाख रुपयों में)
क. स्पिल ओवर स्कीमें	94.00
ख. नई स्कीमें/चालू स्कीमें	
1. आवास (पर्यटक गांव)/यूथ होस्टल)	149.00
2. परिवहन सुविधाएं जिसमें परिवहन प्रचालकों को ऋण देना शामिल है।	80.00
3. पर्वत और समुद्र तट विहार	600.00
4. सांस्कृतिक पर्यटन	300.00
5. वन्य जीव पर्यटन	150.00
6. प्रचार और संवर्धन	800.00
7. खेल-कूद पर्यटन/मेले और पर्व/ मनोरंजन/मीडिया रिलेशन/ अन्य विकास सम्बन्धी सुविधाएं/संगठन को मजबूत बनाना	196.00
8. प्रशिक्षण और पर्यटन संस्थान	105.00
9. मार्केट अनुसंधान सर्वेक्षण	25.00
10. वित्तीय संस्थानों को इन्टरेस्ट डिफरेंशल सब्सिडी	500.00
	2999.00
	(30 करोड़ रुपए)

2. भारत पर्यटन विकास निगम

	(लाख रुपयों में)
क. चालु स्कीमें	710.00
ख. नई स्कीमें (होटल)	2465.00
ग. विस्तार स्कीमें	100.00
घ. सुधार/विद्यमान होटलों में रद्दोबदल/यात्री गृह	350.00
ङ. भारत और विदेशों में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं में पूंजी निवेश	100.00
च. विविध स्कीमें	475.00
जोड़	4200.00
	(42 करोड़ रुपए)

प्रत्येक जोन में तीसरे स्तर की विमान सेवायें शुरू किया जाना

7138. **श्री माधव राव सिंधिया :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :—

(क) तीसरे स्तर की विमान सेवाएं शुरू करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रत्येक जोन में ऐसी सेवाएं कब तक शुरू की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) "वायुदूत" सेवाओं का परिचालन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 26 जनवरी, 1981 से किया जा रहा है।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है।

वित्तीय एजेंसियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एस० पी० आई० सी० में दिया गया निवेश

7139. **श्री ए० नीलालोहिथ दसन नाडार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मद्रास स्थित एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना एस० पी० आई० सी० में (एक) केन्द्रीय सरकार की वित्तीय एजेंसियों तथा (दो) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

(ख) इस समय इन संस्थानों के देय ब्याज की कुल राशि क्या है, और

(ग) इस राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) : एस० पी० आई० सी० में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय एजेंसियों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

	ईक्विटी शेयर (प्रदत्त पूंजी)	अधिमान शेयर (प्रदत्त पूंजी)
1. भातीय औद्योगिक विकास बैंक	114	11
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	36	23
3. भारतीय जीवन बीमा निगम	39	50
4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	20	—
5. भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियां	52	03

बैंकरों में प्रचलित प्रथा तथा रीति-रिवाजों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाले

विधानों के उपबन्धों के अनुसार, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट न सकती तथा इस प्रकार एस० पी० आई० सी० में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये गये ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) : 30-6-80 की स्थिति के अनुसार डिबेंचरों तथा जमानत खाते बैंकों/संस्थाओं को भुगतान के लिए देय ब्याज की राशि 30.91 करोड़ रुपये की ए पी० आई० सी० द्वारा सावधि ऋणों के पुर्नभुगतान तथा ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में संस्थाओं ने एकमुश्त सहायता/रियायतों का अनुमोदन किया है। तैयार की गई पुर्नभुगतान के अनुसार सावधि ऋणों के पुनर्भु गतान के सम्बन्ध में कम्पनी अपने दायित्वों का नियमि निर्वाह कर रही है। एकमुश्त सहायता के अधीन निधिकृत ब्याज की राशि 1986 से अवधि के दौरान बैंकों/संस्थाओं को सावधि ऋणों की समस्त राशि के पुनर्भु गतान देय होगी।

इटली के साथ करार

7140. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आयकर के अपवंचन की रोकथाम और दोहरे कर टालने की दृष्टि से भारत और इटली के बीच हाल ही में कोई करार किया गया है; औ

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : करों के सम्बन्ध में दोदरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लि सरकार तथा इटली सरकार के बीच एक करार पर 12 जनवरी, 1981 को सरकारों हस्ताक्षर किये गये। यह करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद ही जो होना है, लागू होगा। तब तक करार में अन्तर्निहित सामग्री को गोपनीय माना गया है।

चाय उद्योग को बैंकों द्वारा वित्त पोषण

7141. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग बैंकों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाई क कर रहा है जिससे चाय-निर्यात में घाटा हो रहा है; और

(ख) चाय निर्यातकों को समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिए क्या उ का प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) दत्त समिति की आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अधीन, बैंक, चाय उद्योग का वित्त पोषण कर रहे हैं उद्योग सामान्यतः इन मानदण्डों से सन्तुष्ट हैं। व्यक्तिगत मामलों में उत्पन्न कठिनाइयों आवश्यक हो, सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से दूर किया जाता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति इस समय चाय उद्योग के वित्त अध्ययन कर रही है तथा इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय में प्रशासन स्वच्छ बनाने हेतु उपाय

7142. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उनके मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ सेवानिवृत अधिकारी आयकर, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों और व्यापार गृहों के बीच सम्पर्क बनाये रखने का काम करते हैं और अधिकांशतः बिना रसीद के व्यापार गृहों से बड़ी धन-राशि लेते हैं;

(ख) क्या वे अपने तत्कालीन सहयोगियों से वे अपने मुवक्किलों के पक्ष में फैसला कराने में सफल हो जाते हैं;

(ग) क्या यह बुरी प्रथा पिछले दिनों लोक लेखा समिति की कटु आलोचना का विषय रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में इस कदाचार को दूर करने तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए उनका क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : सम्भव है कि कुछ अधिकारियों ने, अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्ष बाद वकालत आरम्भ कर दी हो। नियमों में ऐसा करने की अनुमति है। लेकिन, सरकार को इस बात को जानकारी नहीं है कि उनमें से कोई व्यक्ति व्यापारिक घरानों के पक्ष में विवरण तैयार करके जोरदार वकालत कर रहे हैं और उनसे बिना किसी रसीद के बड़ी-बड़ी धनराशियाँ प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) : ऐसा कोई उदाहरण सरकार के समक्ष नहीं आया है।

(ग) तथा (घ) : 1977-78 के लिए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों पर अपनी 8वीं रिपोर्ट के पैरा 6.59 में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि आयकर कानून की तरह ही सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानूनों में एक उपबन्ध जोड़कर सेवानिवृत होने वाले सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष तक की अवधि के लिए प्राइवेट पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने पर रोक लगा दी जाए। वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में संशोधन कर दिये गये हैं। ये संशोधन उनके अधिसूचित होने की तारीख से लागू होंगे। इन संशोधनों द्वारा भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारियों पर उनकी सेवा निवृत्ति अथवा उनके त्याग-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में किसी सीमा शुल्क अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी अथवा स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी के समक्ष पेश होने पर, प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। लेकित प्रस्तावित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने के सम्बन्ध में उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

बोइंग-737 के लिए हवाई पट्टियों का विकास

7143. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बोइंग-737 के लिये उपयुक्त हवाई-पट्टियां विकसित करने का है;

(ख) यदि हां तो बोइंग-737 के लिये देश के किन-किन स्थानों पर हवाई-पट्टियां विकसित की जायेंगी;

(ग) उन पर कितना व्यय होने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हां ।

(ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) : लगभग 17 करोड़ रुपये ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

		बोइंग-737 विमानों के लिए विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित हवाई अड्डे	विवरण (लागत लाख रुपयों में)
1.	**भावनगर :**	धावन-पथ, एप्रन और टैक्सी-पथ का विस्तार और मजबूत करना ।	136.75
2.	**राजकोट :**	पेवमैंट्स का विस्तार तथा मजबूत करना ।	145.60
3.	**जम्मू :**	धावन-पथ का विस्तार तथा मजबूत किया जाना ।	238.00
4.	**जामनगर :** (आई.ए.एफ.)	केवल एप्रन एवं टैक्सी-पथ का मजबूत तथा विस्तार किया जाना ।	30.75
5.	**अगरतला :**	पेवमैंट्स का विस्तार एवं मजबूत करना ।	275.00
6.	**रांची :**	एप्रन व टैक्सी-वे का मजबूत किया जाना ।	30.00
7.	**मंगलौर :**	नये धवन-पथ का निर्माण ।	350.00
8.	**जोरहाट :**	एप्रन को मजबूत करना ।	10.34
		टैक्सी-पथ को मजबूत करना ।	10.00
9.	**मोहनबाड़ी :**	धावन-पथ तथा सहायक पेवमैंट्स का एल.सी.एन. 40 तक विस्तार/मजबूत करना ।	217,65
10.	**कोचीन :**	एप्रन-पथ का विस्तार/मजबूत करना ।	50 00
11.	**लखनऊ :**	एप्रन तथा टैक्सी-वे को एल. सी. एन. 40 तक मजबूत करना ।	45.00
12.	**जयपुर :**	धावन-पथ व टैक्सी-ट्रेक की मरम्मत ।	10.00
13.	**पटना :**	धावन-पथ तथा सहायक पेवमैंट्स का एल. सी. एन. 40 तक मजबूत किया जाना ।	111.76
		धावन-पथ का विस्तार (भूमि के अधिग्रहण सहित)	40.00
			1700.85

अर्थात् 17 करोड़ रुपये

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोला जाना

7144. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्या नाम हैं जिनका विचार उड़ीसा में जिलेवार 1981-82 के दौरान शाखाएं खोलने का है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य के कोरापुट जिले में किन स्थानों का बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए चयन किया गया है;

(ग) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक-वार क्या नाम हैं जिनकी उस राज्य के आदिवासी सब-योजना क्षेत्र में शाखाएं हैं; और

(घ) आदिवासियों का उद्धार करने में इन बैंकों ने क्या भूमिका निभाई है और प्रत्येक बैंक द्वारा इस कार्य के लिए कौन-सी योजनाएं शुरू की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि को व्याप्त करती है। मार्च, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास विचाराधीन पड़े लाइसेंसों/आबंटन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना क्रमशः विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ग) : भारतीय रिजर्व बैंकों के शाखा जाल के सम्बन्ध में केवल जिला-वार सूचना दर्ज करता है। विवरण 1 दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के विभिन्न जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के लिए समूहवार जनसंख्या के आवंटन को दर्शाता है।

(घ) : खण्डवार तैयार की गई जिला ऋण आयोजनाओं में, सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रमुख आर्थिक कार्यकलापों की व्याप्ति वाली विभिन्न ऋण योजनाएं शामिल होती हैं। ये आयोजनाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को विशेष महत्व देती हैं। जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों में बैंकों के पास कृषि, बागवानी, डेयरी, बकरी, सुअर, बत्तख, मुर्गी पालन, रस्सी बंटना, टोकरी बनाना, बढ़ईगिरी, लोहार, चटाई बुनना, कांस्य शिल्पकारी, पत्थर तोड़ने आदि की व्याप्ति वाली योजनाएं होती हैं। सभी बैंक शाखाएं अपने परिचालन क्षेत्रों में उपयुक्त योजनएं अपनाकर ऋण आयोजना के कार्यान्वियन में भागीदार होती हैं।

विवरण—1

उड़ीसा में कार्यालय खोलने के लिए जिन वाणिज्यिक बैंक के पास लाइसेंस/प्राधिकार पत्र हैं उनके नामों को दर्शाने वाली सूची

जिले का नाम	बैंक का नाम	बैंक के पास विचाराधीन प्राधिकृत लाईसेंसों की संख्या
		7-4-1981 की स्थिति के अनुसार
बालासोर	1. यूनाईटेड कर्मशियल बैंक	4
	2. भारतीय स्टेट बैंक	2
	3. इण्डियन ओवरसीज बैंक	3
	4. बालासोर ग्राम्य बैंक	31
	5. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	6
बोलंगीर	1. भारतीय स्टेट बैंक	2
	2. बोलंगीर आंचालिक ग्राम्य बैंक	12
बोध कोंडमल्स	1. भारतीय स्टेट बैंक	7
कटक	1. बैंक आफ इण्डिया	2
	2. भारतीय स्टेट बैंक	3
	3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर राजस्थान एण्ड जयपुर	1
	4. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3
	5. कटक ग्राम्य बैंक	45
	6. यूनाइटेड कर्मशियल बैंक	4
	7. इण्डियन ओवरसीज बैंक	1
	8. न्यू बैंक आफ इण्डिया	1
	9. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड	1
धेनकनाल	1. यूनाइटेट कर्मशियल बैंक	6
	2. भारतीय स्टेट बैंक	3
	3. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3
	4. इण्डियन ओवरसीज बैंक	4
गजंम	1. आन्ध्र बैंक	3
	2. भारतीय स्टेट बैंक	5
	3. इण्डियन ओवरसीज बैंक	3
	4. बैंक आफ इण्डिया	3
	5. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	4
	6. इलाहाबाद बैंक	1
	7. ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक	4

जिले का नाम	बैंक का नाम	बैंक के पास विचाराधीन प्राधिकृत लाइसेंस की संख्या
कालाहाडी	1. भारतीय स्टेट बैंक	17
	2. बैंक आफ इण्डिया	3
	3. इण्डियन ओवरसीज बैंक	4
	4. यूनाइटेट कर्माशियल बैंक	2
	5. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3
	6. कालाहांडी आंचालिक ग्राम्य बैंक	4
क्योंझर	1. बैंक आफ इण्डिया	3
	2. भारतीय स्टेट बैंक	2
	3. बेतरणी ग्राम्य बैंक	18
कोरापुट	1. भारतीय स्टेट बैंक	10
	2. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	5
	3. आंध्र बैंक	2
	4. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	4
	5. इण्डियन ओवरसीज बैंक	3
मयूरभंज	1. बैंक आफ इण्डिया	1
	2. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	6
	3. भारतीय स्टेट बैंक	1
	4. बेतरणी ग्राम्य बैंक	27
पुरी	1. आंध्र बैंक	1
	2. पुरी ग्राम्य बैंक	18
	3. भारतीय स्टेट बैंक	2
	4. कारपोरेशन बैंक	1
	5. न्यू बैंक आफ इण्डिया	2
संबलपुर	1. बोलंगीर आंचालिक ग्राम्य बैंक	23
सुन्दरगढ़	1. भारतीय स्टेट बैंक	5
	2. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	2
	3. पंजाब नेशनल बैंक	1
	4. इण्डियन ओवरसीज बैंक	2
	5. बैंक आफ इण्डिया	1

विवरण-2

वाणिज्यिक बैंकों के पास उड़ीसा के कोरापुट जिले में कार्यालय खोलने के लिए विचाराधीन पड़े लाइसेंसों के सम्बन्ध में स्थानों के नाम को दर्शाने वाला विवरण ।

केन्द्र का नाम	लाइसेंसधारी बैंक का नाम
1. नवरंगपुर	भारतीय स्टेट बैंक
2. अगूलो	—तदेव—
3. धेपागुड़ा	—तदेव—
4. खुम्बीकोटा	—तदेव—
5. धामनिपंगा	—तदेव—
6. खेतगुड़ा	—तदेव—
7. मेकाया	—तदेव—
8. बेंजगीवड़ा	—तदेव—
9. दामनजेदी	—तदेव—
10. जेयपुर बाजार	—तदेव—
11. मोटू	कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
12. सिरिगुडा	—तदेव—
13. डूमरीपुट	—तदेव—
14. धोदरा	—तदेव—
15. सिकापल्ली	—तदेव—
16. पुट्टासिंधि	आंध्र बैंक
17. सुकंह	—तदेव—
18. सोनमसिनगन	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
19. हटबोरन्दी	—तदेव—
20. पदमागिरी	—तदेव—
21. सालिमि	—तदेव—
22. हटमुनिगुड़ा	इण्डियन ओवरसीज बैंक
23. देओगोलेडी	—तदेव—
24. रानीगुड़ा	—तदेव—

विवरण–3

दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के विभिन्न जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के लिए समूहवार जनसंख्या के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगर/ पत्तन शहर	जोड़
1. बालासोर	54	17	—	—	71
2. बोलंगीर	35	11	—	—	46
3. बोध कोण्डमल्स	21	2	—	—	23
4. कटक	112	11	35	6	164
5. धेनकनाल	32	15	—	—	47
6. गंजम	58	14	22	—	94
7. कालाहांडी	30	4	—	—	34
8. क्योंझर	22	9	—	—	31
9. कोरापुट	73	19	—	—	92
10. म्यूरभंज	32	9	—	—	41
11. पुरी	67	21	34	—	122
12. सम्बलपुर	49	35	—	—	84
13. सुन्दरगढ़	31	7	27	—	65
	616	174	118	6	914

1979 में किये गए अन्तर्राष्ट्रीय मानसून परीक्षण (मोनेक्स) में एकत्र किये गए आंकड़े

7145. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 में किये गए अन्तर्राष्ट्रीय मानसून परीक्षण (मोनेक्स) के दौरान एकत्र किये गये आँकड़ों के विश्लेषण के प्रारम्भिक परिणामों का मूल्यांकन हाल ही में राजधानी में हुई एक विचारगोष्ठी में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और 1979 में भारत में वर्षा बहुत कम होने के बारे में उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) अन्तरिक्ष मौसम-विज्ञान के युग में भारत को आगे बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य जांच-परिणाम तकनीकी प्रकार के थे। इन्होंने मानसून के विभिन्न पहलुओं जैसे (1) वायु अवपातों (depression) तथा निम्न दाब तन्त्रों (low pressure system) की संरचना, (2) मानसून हवाओं के प्रति अरब सागर तथा हिन्द महासागर की प्रतिक्रिया, (3) मौसम उपग्रहों की सहायता से ऊपरी हवाओं तथा वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प कणों के मापन, तथा (4) भू-वायुमंडलीय विकिरण संतुलन में अस्थिरता (घट-बढ़) की गहरी जानकारी प्रदान की।

वर्षा में कमी अन्य प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ मध्य-अगस्त से अचानक वर्षा की समाप्ति तथा सितम्बर के आरम्भ में ही मानसून के लोप हो जाने के कारण हुई।

(ग) अति सूक्ष्म विभेदन (very fine resolution) से मेघ आकड़े प्राप्त करने के लिये प्रथम भारतीय भू-स्थावर उपग्रह के 1982 में प्रचालित किये जाने की आशा है। देश के अगम्य क्षेत्रों के ऊपर 110 ड़ेटा संग्रहण प्लेटफार्मों के एक तंत्रजाल के क्रमिक चरणों में स्थापित करने की योजना है। ये नई दिल्ली स्थित मौसम डेटा प्रयोग केन्द्र को सूचना भेजेंगे। उपग्रह का भारतीय तट-रेखा के चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिये उष्णदेशीय चक्रवातों के बारे में शीघ्र चेतावनी देने के लिये भी उपयोग किया जायेगा।

सोवियत रूस व्यापार शिष्टमण्डल की भारत यात्रा

7146. **श्री डी० पी० जदेजा :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सोवियत रूस के एक व्यापार शिष्टमण्डल ने भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और दल में कितने सदस्य थे;

(ग) भारत के किन-किन अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की; और

(घ) भारत से खरीद के सम्बन्ध में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) सोवियत संघ के विदेश व्यापार के उपमन्त्री श्र बी० एस० गोरडीव ने प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षता की। इनके अलावा दल में दस सदस्य और थे।

(घ) प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव से भेंट की।

(घ) दोनों सरकारों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए। ऐसी जानकारी है कि प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न वस्तुओं, जिनमें शामिल हैं सूती वस्त्र, निटवियर, सिले-सिलाये परिधान तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री की खरीद के लिए भारतीय पार्टियों के साथ संविदाएं कीं।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पुष्पक विमान की दुर्घटना संबंधी जाँच रिपोर्ट

7147. **श्री निहाल सिंह :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1981 को "बलचर" से टकरा जाने के कारण दिल्ली फ्लाइंग क्लब का "पुष्पक" विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले और इस दुर्घटना के फलस्वरूप जान माल की कितनी क्षति हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की जांच वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत नियुक्त किए गये एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है। कोई जीवन हानि नहीं हुई। प्रशिक्षु विमान चालक तथा विमान पर सवार यात्री सकुशल बच गए। विमान को काफी क्षति पहुंची, परन्तु सम्पत्ति की और कोई हानि नहीं हुई।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बिक्री कार्यालय

7148. **श्री मोहन लाल पटेल :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के, राज्यवार, कितने बिक्री कार्यालय हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन कार्यालयों द्वारा, वर्षवार, कार्यालयवार, कितनी बिक्री की गई है; और

(ग) प्रत्येक कार्यालय में 28 फरवरी, 1981 को लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में क्या नियम थे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के 49 शाखा बिक्री कार्यालय हैं; इनमें इस्को के शाखा बिक्री कार्यालय भी शामिल हैं। उनके राज्यवार आंकड़े विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) इस्को की शाखाओं/स्टाकयार्डों के अलावा अपेक्षित जानकारी विवरण-2 में दी गई है। इस्को के शाखा कार्यालयों/स्टाकयार्डों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय सेल के इन शाखा बिक्री कार्यालयों में लोहे और इस्पात के वितरण के लिए अपनाई जा रही वितरण प्रणाली से है। यदि हां, तो वे संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा वितरण के मामले में घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं।

विवरण-1

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के शाखा बिक्री कार्यालयों के राज्यवार आंकड़े

राज्य	शाखा बिक्री कार्यालय
पश्चिम बंगाल	4
उड़ीसा	2
बिहार	3
उत्तर प्रदेश	4
असम	2
दिल्ली	2
हरियाणा	1
मध्य प्रदेश	4
पंजाब	4
चण्डीगढ़	1
जम्मू और कश्मीर	2
हिमाचल प्रदेश	1
महाराष्ट्र	5
गुजरात	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	4
केरल	1
आन्ध्र प्रदेश	3
कर्नाटक	2
कुल	49

विवरण-1

सेल के शाखा बिक्री कार्यालयों/स्टाकयार्डों द्वारा लोहे और इस्पात की बिक्री

(टन)

क्रम सं०	राज्य और शाखा	1980-81 (अस्थायी)	1979-80	1978-79	1977-78	1976-77
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल					
	कलकत्ता	122685	181106	258476	223976	450646
	हावड़ा	189567	128821	155569	188259	—
	दुर्गापुर	47325	24451	21603	3	—
	कुल	359577	334378	435648	412238	450646
2.	उड़ीसा					
	भुवनेश्वर	29067	20413	22358	21102	24237
	राउरकेला	22294	22492	22725	23429	20676
	कुल	51361	42905	45083	44531	44913
3.	बिहार					
	पटना	42264	26915	21391	21489	—
	धनबाद	8722	13615	10189	31424	68723
	बोकारो	50873	74144	35070	40897	14958
	कुल	101859	114674	66650	93810	63681
4.	उत्तर प्रदेश					
	कानपुर	59787	67936	85798	105582	91469
	इलाहाबाद	84259	59332	50159	40409	59931
	गाजियाबाद	181271	171706	150930	203742	132876
	आगरा	56415	62453	64503	83501	23309
	कुल	381732	361427	351390	433234	307585
5.	असम					
	गोहाटी/न्यू बोगाइगांव	46180	33283	39813	44051	46385
	तिनसुकिया	98	1000	2212	11705	7734
	कुल	46278	34283	42025	55956	53719

1	2	3	4	5	6	7
6.	**दिल्ली**					
	नई दिल्ली	161208	140554	128844	136736	133332
7.	**हरियाणा**					
	फरीदाबाद	156911	144440	134730	103931	102752
8.	**मध्यप्रदेश**					
	ग्वालियर	7393	10387	10945	2912	—
	भिलाई	70381	84883	90929	90850	72280
	इन्दौर	63526	42303	39318	51232	55243
	जबलपुर	—	—	—	—	—
	कुल	141300	137573	141192	144994	127523
9.	**पंजाब**					
	जालंधर/बटाला	92241	95324	84363	145176	149874
	लुधियाना	51597	60540	68499	57694	45378
	मंडी गोविंदगढ़	156150	210229	256461	358829	288812
	कुल	299988	366093	409323	561699	484064
10.	**चण्डीगढ़**					
	चण्डीगढ़	45268	20103	—	—	—
11.	**जम्मू श्रौर कश्मीर**					
	श्रीनगर	5581	7519	10188	7315	9557
	जम्मू	25514	22212	15276	6789	8604
	कुल	31095	29731	25464	14104	18161
12.	**हिमाचल प्रदेश**					
	परवानू	2874	—	—	—	—
13.	**महाराष्ट्र**					
	बम्बई	314179	290009	244113	502756	506853
	थाना	119266	110621	139231	78913	105030
	पुणे	63242	45063	50717	46009	37349
	नागपुर	43545	43460	54145	43804	15255
	कुल	540232	489153	668206	672382	664487

1	2	3	4	5	6	7
14.	गुजरात					
	अहमदाबाद	172663	82218	99169	129199	139242
	बड़ौदा	37310	56067	28571	32049	24432
	कुल	209973	138285	127740	161248	163670
15.	राजस्थान					
	जयपुर	69940	72122	58144	48624	26086
	कोटा	15431	12621	27897	12670	12531
	कुल	85371	84743	86041	61294	38617
16.	तमिलनाडु					
	मद्रास	114143	94659	128810	123060	116279
	कोयम्बटूर	62493	47448	64736	60007	51520
	त्रिची	39608	30749	34336	49689	31603
	कुल	216244	172856	211882	232756	199402
17.	केरल					
	कोचीन	46514	40897	47802	30962	34838
18.	आन्ध्र प्रदेश					
	सिकन्दराबाद	106546	109542	103699	97563	96645
	विजाग	46713	42390	32372	30503	21365
	विजयवाड़ा	12459	11907	21123	37529	15754
	कुल	165718	163839	157194	165595	133764
19.	कर्नाटक					
	बंगलौर	87954	70001	85172	74347	52936
	बेलगांव	10331	6442	3800	14390	2639
	कुल	98285	76443	88972	88737	55575
	कुल जोड़	3141788	2892477	3168186	3414207	3096733

सिक्किम की पर्यटन क्षमतायें

7149. **श्री रामचन्द्र रथ :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान सिक्किम की पर्यटन क्षमताओं का पता लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सिक्किम को भारत के तीसरी विमान सेवा के नक्शे में शामिल किए जाने के लिए कदम उठाएगी;

(ग) यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित होगा; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) जी हां, यह प्रस्ताव है कि सिक्किम में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं को समन्वित और एकीकृत ढंग से विकसित किया जाए।

(ख) से (घ) : इस समय सिक्किम में एयरपोर्ट की कोई सुविधाएं नही हैं और इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

सरटैक्स (लाभ) अग्रिम भुगतान के अन्तर्गत वसूली के प्रस्ताव

7150. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सरटैक्स (लाभ) अग्रिम भुगतान प्रस्ताव के अन्तर्गत इस वर्ष कितने धन की वसूली करेगी ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रस्ताव को समाप्त किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उप पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान अग्रिम अतिकर के कारण 44 करोड़ रु. की वसूली होने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) संसद के समक्ष वित्त विधेयक को खण्डवार विचार के लिए पेश किए जाने से पूर्व इन अध्यावेदनों की जांच की जागगी।

उड़ीसा में सुकिन्दा निकल परियोजना

7152. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या सी. एम-7/80-1000/- सी एम दिनांक 19 सितम्बर, 1980 में केन्द्रीय इस्पात और खान मंत्री से उड़ीसा में सकिन्दा निकल परियोजना पर आगे कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो इस मामले पर केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है, और परियोजना कब चालू होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि सुकिन्दा निकल खानों में 150 लाख टन से अधिक निकल

अयस्क के निक्षेप हैं; यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 10,000 टन निकल स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अब इस परियोजना के लिए 10,000 टन निकल स्वीकृत करने के लिए कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) से (ग) : जी हां, अयस्क की विशेषताओं के आधार पर उचित प्रौद्योगिकी चुनने और निकल प्रोजेक्ट की आर्थिक उपादेयता करने की आवश्यकता है। साध्यता-पूर्व अध्ययन शुरू करने का विचार है। प्रोजेक्ट के लिए प्रौद्योगिक आर्थिक साध्यता के प्रमाणित हो जाने के बाद ही पूंजी निवेश संबंधी निर्णय लेने के बारे में विचार किया जाएगा।

पंजाब नेशनल बैंक में कृषि अधिकारियों की भर्ती

7153. **श्री आर० आर० भोले :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक भर्ती बोर्ड, दिल्ली ने 22 नवम्बर, 1980 को एम्पलायमेंट न्यूज द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में कृषि अधिकारियों के 150 पदों का विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 23 नवम्बर, रविवार होने के कारण 24 नवम्बर, 1980 थी और उसके बाद भेजे गए आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गए; और

(ग) इतना कम समय दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने कई समाचार-पत्रों में पंजाब नेशनल बैंक में कृषि अधिकारियों के 150 पदों का विज्ञापन दिया था। यह विज्ञापन रोजगार समाचार में 22 नवम्बर, 1980 को ही प्रकाशित हुआ था।

(ख) : जी, हां।

(ग) : उपर्युक्त विज्ञापन जो कि बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर निकाला गया था, 23 तथा 28 अक्तूबर, 1980 के मध्य 12 समाचार-पत्रों में पहले ही छप चुका था। यद्यपि "एम्पलायमेंट न्यूज" में इसके देरी से प्रकाशित किये जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिर भी यह देखा जा सकता है कि बोर्ड ने आवेदनों को भेजने के लिए अन्यथा पर्याप्त प्रचार किया था और समय दिया था।

बिहार के तिरहुत, दरभंगा और कोसी डिवीजनों में करदाताओं की संख्या

7154. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के तिरहुत, दरभंगा और कोसी डिवीजनों में कितने लोग आयकर, सम्पदा शुल्क, धन कर, दान कर और मृत्यु कर देते हैं और उनकी ओर केन्द्रीय करों की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) धन उधार देने के व्यापार में कितने लोग लगे हैं और उनमें से कितनों को आयकर से छूट प्राप्त है और किन कारणों से; और

(ग) क्या ऋणदाताओं के पास गिरवी रखे गये आभूषणों और बर्तनों के मूल्य का हिसाब केन्द्रीय करों की दृष्टि से लगाया जा रहा है ताकि उनसे कर लिये जा सकें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) बिहार में तिरहुत, दरभंगा तथा कोसी डिविजनों में जिन व्यक्तियों को, आयकर, धन-कर तथा दानकर अथवा सम्पदा-शुल्क के लिये निर्धारण किया गया, उनकी संख्या तथा इनमें से अलग-अलग करके सम्बन्ध में उनकी तरह बकाया करों की कुल रकम के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ख) आयकर विभाग, धन उधार देने के कारोबार में लगे करदाताओं की अलग से सूची नहीं रखता और इसलिए उनकी संख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, आयकर उन सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो, धन उधार देने सहित सभी स्रोतों से, निर्धारित सीमा से अधिक आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, धन उधार देने के कारोबार में लगे किसी भी व्यक्ति को आय कर से छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऋणदाताओं के पास, बर्तन, गहने आदि ऋणों की प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे जाते हैं। इस प्रकार गिरवी रखा गया सामान उसकी आय अथवा धन का हिस्सा नहीं होता। तथापि, इन प्रतिभूतियों को जब ऋणदाताओं द्वारा या तो जब्त कर लिया जाता है अथवा अन्यथा अपना बना लिया जाता है तो इस स्थिति में आयकर प्राधिकारियों द्वारा उनकी आय/धन के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

पशुओं के मालिकों को बैंकों से ऋण

7155. **श्री ए० के राय :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के निर्धन मालिकों (ग्वालों) को बैंकों से ऋण दिलाये जाने के बारे में कोई व्यवस्था है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्वालों द्वारा धनबाद (बिहार) में बैंकों को सभी औपचारिकताएं पूरी करके आवेदन पत्र दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो धनबाद में पेश किये गये आवेदनों की संख्या कितनी है और उनको कितने समय तक लंबित रखा जाता है;

(घ) क्या सच है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य, दुधारू पशु खरीदने के लिए छोटे तथा सीमांतिक किसानों को बैंकों से उपलब्ध ऋण सुविधाओं से है। इस सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंक, डेरी विकास के लिए देसी तथा विदेशी/संकर पशुओं की खरीद के वास्ते प्रत्यक्षतः तथा कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत दोनों तरीकों से, ऋण मंजूर करते हैं। छोटे और सीमांतिक किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों की ऋण देने को रफतार तेज करने के लिए सरकार ने लघु किसान विकास एजेंसी/सूखा आशांकित क्षेत्र परियोजना/एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि जैसी विशेष योजनाएं प्रायोजित की हैं जिनमें देहाती इलाकों के कमजोर वर्गों द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद के लिए, बैंक ऋणों की अनुपूर्ति के लिए सुलभ आर्थिक राज-सहायता देना शामिल हैं।

(ख) से (ङ) बैंकों में आंकड़े सूचित करने की प्रणाली के अन्तर्गत सभी बैंक अग्रिमों का श्रेणी और प्रयोजनवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। अतः जिस रूप में सूचना मांगी गई है उस रूप में वह उपलब्ध नहीं है। शाखाओं द्वारा ऋण मंजूर करने में अनावश्यक विलम्ब के बारे में यदि कोई शिकायतें मिलती हैं तो बैंक उपयुक्त स्तरों पर उनकी जांच करते हैं।

तमिलनाडु में गत्ते से बनी माचिसों श्रौर लकड़ी से बनी माचिसों पर उत्पादन शुल्क विभाग की श्रनुमति

7156. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट द्वारा तमिलनाडु में पास की गई गत्ते से बनी माचिसों और लकड़ी से बनी माचिसों (लघु माचिस एककों के अलग-अलग) के आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट द्वारा तमिलनाडु में जिन गत्ते की माचिसों और लकड़ी की माचिसों को (मझौले क्षेत्र के माचिस उद्योग के अलग-अलग) पास किया गया, उनके आंकड़े क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में गत्ते की माचिसों के लिए लघु और मझौले क्षेत्र को अलग-अलग कितनी छूट दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

श्रफीम फैक्टरी गाजीपुर का विस्तार

7157. **श्री जैनल वशर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर अफीम फैक्टरी का विस्तार किया जाएगा ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय किया जाएगा; और

(घ) कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) : जी, नहीं। परन्तु, गाजीपुर (उ० प्र०) में विद्यमान पुराने संयंत्र के स्थान पर नया अफीम अल्कालायड संयंत्र लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) से (घ) : इस अवस्था में यह प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों द्वारा तमिलनाडु थियेटर कारपोरेशन लिमिटेड को दी गई वित्तीय सहायता

7158. **श्री एन० डेनिस :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) भारतीय रिजर्व बैंक, (दो) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत औद्योगिक विकास बैंकों द्वारा तमिलनाडु थियेटर कोरपोरेशन लिमिटेड को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अन्य राज्यों में इन निकायों द्वारा ऐसी ही अन्य संस्थाओं को ऋण अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तमिलनाडु थियेटर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा अन्य राज्यों में ऐसी किन्हीं संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु थियेटर कारपोरेशन ने पिछले समय में इण्डियन ओवरसीज बैंक से नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। सरकारी क्षेत्र के सिनेमा थियेटरों के निर्माण को निम्न प्राथमिकता देते हैं।

सरकारी उद्यम कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति

7159. **श्री केशोराव पारधी :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम कार्यालय, वित्त मंत्रालय में कुल कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा इस कार्यालय में किसी न किसी आधार पर अब भी कार्य कर रहे हैं ?

(ग) ऐसे लोगों की संख्या क्या है जो रेल मंत्रालय (विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे से) आये हैं; क्या सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद इन कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया है अथवा

प्रारम्भ में उनकी सेवाएं बहुत ही कम अवधि के लिए मांगी गई थीं और समय-समय पर उनकी सेवा अवधि बढ़ाई है तथा कोई औपचारिक आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किए गए हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों को उनके पिछले कार्यालयों में वापिस क्यों नहीं भेजा जाता जिससे कि अन्य लोगों को अवसर दिया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) सरकारी उद्यम कार्यालय, किसी अन्य सचिवालय कार्यालय की भाँति ही सरकारी उद्यमों के साथ-साथ अन्य विभागों और संगठनों से अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यावसायिकों की सेवाएं प्राप्त करता है। ऐसे उपनियुक्त व्यक्तियों की संख्या 38 है।

(ख) से (घ) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय इस कार्यालय के हिन्दी अधिकारी से है जिन्होंने उपनियुक्ति के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि जब तक केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन नहीं हो जाता, तब तक तदर्थ आधार पर उपनियुक्ति पर हिन्दी कार्य करने वाले व्यक्तियों को बने रहने दिया जाय। हिन्दी अधिकारी के सेवारत बने रहने को स्वीकृति संघ लोक सेवा आयोग ने भी दे दी है।

चीनी की तस्करी

7160. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
श्री सुभाष यादव :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हो रही चीनी की तस्करी के बारे में सरकार को सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चीनी की तस्करी की रोकथाम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि चीनी का बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को तस्कर-निर्यात किया जा रहा है।

(घ) भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल की सीमा से चीनी के भारत से तस्कर-निर्यात की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए चौकस कर दिया गया है।

मूंगफली का निर्यात

7161. **श्री वीरभद्र सिंह :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान कितनी मात्रा में मूंगफली का निर्यात किया गया; और

(ख) इसका किस दर पर निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : नैफेड की मारफत सीमित सीमा के भीतर हाथ से चुनी तथा छटी मूंगफली के निर्यात की अनुमति है। दिसम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान हाथ से चुनी तथा छटी मोटी किस्म की मूंगफली 55160 काउंट प्रति औंस तथा गैर-वर्गीकृत काउंट की 345772 मै० टन की कुल मात्रा का निर्यात किया गया। औसत एफ. ओ. बी. वसूली 9724.29 रु० प्रति मै० टन थी।

आयकर प्रतिष्ठानों पर व्यय

7162. **श्री राजेश पाइलट :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर प्रतिष्ठानों पर आवर्ती व्यय की प्रति वर्ष वृद्धि दर कितनी है; और

(ख) वास्तविक कर वसूली की वृद्धि दर क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क)

वित्तीय वर्ष	**वास्तविक व्यय**	**वृद्धि का प्रतिशत अनुपात**
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
1976-77	42.74	—
1977-78	45.08	5.73
1978-79	49.50	9.81
1979-80	51.61	2.97
1980-81	59.10*	14.52

*अन्तिम

(ख) :　　　　　　　　　　　　　　　　**(आंकड़े करोड़ रुपयों में)**

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष करों की वसूली का योग	पिछले वर्षों मुकाबले वृद्धि	वृद्धि का प्रतिशत अनुपात
1976-77	2327.74	—	—
1977-78	2404.94	77.20	3.32
1978-79	2527.73	122.79	5.11
1979-80	2817.57	289.84	11.47
1980-81	3161.75*	344.18*	12,22

*संशोधित अनुमान

रुपये का अवमूल्यन

7163. **श्री चतुर्भुज :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 15 मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक ने रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया है और अवमूल्यन के बाद इस समय रुपये का क्या मूल्य है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप हमारे विदेशी ऋणों या अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में कितनी वृद्धि हो जाएगी।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

(क) भारतीय रुपये की विनिमय दरें घटती-बढ़ती रहती हैं और सच कहा जाए तो अब 'अवमूल्यन' शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित पौण्ड-स्टर्लिंग रुपया-दर से है। 1 जनवरी, 1980 से 15 मार्च, 1981 तक की अवधि में पौण्ड स्टर्लिंग दर में ऊपर एवं नीचे की ओर 48 बार संशोधन किया गया है। रुपया-स्टर्लिंग की दरों में ये परिवर्तन सरकार द्वारा 28 सितम्बर, 1975 से अपनाई गई विनिमय दर की व्यवस्था के अनुसार किये जाते हैं; जिसके अन्तर्गत रुपये की विनिमय दर, उन विभिन्न देशों की मुद्राओं की समुचित डाली (बास्केट) की विनिमय दरों के दैनिक उतार-चढ़ाव के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जिसके साथ भारत का अधिकांश व्यापार होता है। 3 अप्रैल, 1981 को एक पौण्ड-स्टर्लिंग 18.35 रुपये के बराबर था।

(ख) : विदेशों से प्राप्त होने वाले ऋणों और वापसी अदायगियों की देनदारियों का निपटारा सम्बद्ध देश की मुद्रा में किया जाता है तथा उसका विनिमय मूल्य वापसी अदायगी की तारीख को प्रचलित दरों पर निर्भर करेगा। ऐसी व्यवस्था में जहां विनिमय दरें बदलती रहती हों, वहां मुद्राओं के मूल्य में हर रोज घटबढ़ होते रहना अनिवार्य है। परिणामतः विदेशी मुद्राओं के लेनदेनों के बराबर रुपया राशि में सम्बद्ध देश की मुद्रा की तुलना में रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के अनुरूप हर रोज परिवर्तन होता रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी विनिर्दिष्ट तारीख को ऋण परिशोधन की बकाया राशि पर रुपया-स्टर्लिंग दर के संशोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा, वह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उस तारीख को पौण्ड-स्टर्लिंग की तुलना में अन्य मुद्राओं के मूल्य में क्या परिवर्तन हुए हैं। फिर भी यह बता देना प्रासंगिक होगा कि देय तारीखों को किया जाने वाला ऋण परिशोधन सम्बद्ध विदेशी मुद्राओं में किया जाता है।

असोसिएट बैंकों के अधिकारियों द्वारा आन्दोलन

7164. **श्री बी० के० नायर :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असोसिएट बैंकों के अधिकारी हाल ही में आन्दोलन करते रहे हैं;

(ख) यदि हां तो उक्त आन्दोलन किन मामलों को लेकर किया गया; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसे अपने सहायक बैंकों के अधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे किसी आन्दोलन की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

"यू. एस. कट्स एण्ड टू इंडिया" शीर्षक से समाचार

7165. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1981 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड", समाचार में "यू. एस. कट्स एण्ड टू इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) : जी, हां।

(ख) : जहां तक भारत का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमरीका के राज्यकोषीय वर्ष, 1981 में 10 4 करोड़ डालर की संभावित अमरिकी सहायता के मुकाबले, अमेरिका के राजकोषीय वर्ष 1982 में 11 करोड़ डालर की सहायता मिलने की आशा है।

पश्चिम बंगाल सरकार को भुगतान की जाने वाली बकाया धनराशि

7166. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की ओर पश्चिम बंगाल सरकार की कोई देय धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) यदि हां तो इस धनराशि का पूरा-पूरा भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : केन्द्र से पश्चिम बंगाल को अधिकांश अन्तरण वित्त मन्त्रालय द्वारा किये जाते हैं और ये अंतरण करों के विभाज्य पूल, प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत अनुदानों, रेलवे यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदानों, राज्य की वार्षिक आयोजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिये विशेष सहायता और अल्प बचत संग्रहणों में राज्य के शेयर से पूरे किये जाते हैं। 31-3-81 की स्थिति यह है कि इनके सम्बन्ध में राज्य सरकार को देय सभी राशियों की अदायगी कर दी गयी है। केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिये निधियों की अदायगी अनेक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार से प्रत्येक योजना के व्यय

के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण के आधार पर की जाती है। ये अदायगियाँ मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर की जाती है।

तमिलनाडु में मध्यम क्षेत्र के माचिस उद्योग से उत्पादन शुल्क की वसूली

7167. **श्री के० टी० कोसल राम :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मध्यम क्षेत्र के माचिस उद्योग से गत तीन वर्षों के दौरान वसूल किये गए उत्पादन-शुल्क सहित माचिस की लकड़ी की डिब्बियों और गत्ते की डिब्बियों को पृथक्-पृथक् कुल कितनी डिब्बयों की स्वीकृति दी गई; और

(ख) तमिलनाडु के लघु क्षेत्र के माचिस उद्योग से गत तीन वर्षों के दौरान वसूल किये गए उत्पादन-शुल्क सहित माचिस की लकड़ी की डिब्बियों और गत्ते की डिब्बियों की पृथक्-पृथक् कुल कितनी डिब्बियों की स्वीकृति दी गई।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स एलन बेरी एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड में आयकर की बकाया राशि की वसूली

7168. **श्री एच० एन० गौडा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री धर्मदास शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स एलन बेरी एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड से भारी मात्रा में आयकर की बकाया राशि बाकी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनसे बकाया राशि की वसूली के लिये आयकर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) : 31 दिसम्बर 1980 की स्थिति के अनुसार मैसर्स एलन बेरी एण्ड कं० (प्रा०) लिमिटेड की तरफ बकाया 2.82 करोड़ रु० की सकल आयकर की माँगों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

कर-निर्धारण वर्ष	बकाया मांग रु०
1944-45	24,73,673.00
1948-49	29,61,444.00
1949-50	48,73,436.00
1950-51	28,17,990.00
1951-52	23,92,521.00
1951-52	2,69,158.00
1952-53	41.89,639.00
1953-54	33,27,491.00
1954-55	18,15,793.00
1955-56	22,66,026.00
1957-58	2,596.00
1975-76	44,030.00
1978-79	16,729.00
1980-81	14,977.00

(ख) से (घ) : निर्धारती एक ऐसी कम्पनी है जो समाप्त हो गई है और जिसने अपना कारोबार 1957-58 के प्रारम्भ में बन्द कर दिया था। कर वसूली अधिकारी ने, जिसको वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गए थे, प्रमाणित किया है कि कम्पनी के पास ऐसी कोई परिसम्पत्तियां नहीं हैं जिनसे बकाया करों को वसूल किया जा सके। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब सिंध बैंक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में की गई जालसाजी

7169. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सिंध बैंक, एच ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में 28 लाख रुपये की जालसाजी की गई;

(ख) क्या यह सच है कि उस फर्म से सम्बन्धित सभी दस्तावेज, जिसके खाते में जालसाजी की गई है, गायब हैं;

(ग) यदि हां, तो उस ब्रांच प्रमुख के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि तार द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से लखनऊ की ब्रांच से 3 लाख रुपये प्रेषित किये गए थे और उन्हें उस फर्म के खाते में जमा किया गया जिसका खाता केवल 100/- रुपये की संयुक्त राशि से खोला गया था;

(ङ) क्या यह सच है कि चालू खाता केवल 500/- रुपये की प्रारम्भिक राशि और उचित परिचय के पश्चात् खोला जा सकता है; और

(च) क्या यह सच है कि टी. टी. इन्द्राज की पुष्टि लखनऊ ब्रांच से 2 महीनों तक नहीं गई जबकि इन्द्राजों को सात दिनों के अन्दर पुष्टि करवाया जाना अपेक्षित है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब और सिंध बैंक ने सूचित किया है कि इस जालसाजी से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कागजात गायब हैं ।

(ग) पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की छानबीन की जा रही हैं। बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस संबंध में दो बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है । बैंक ने अपने चार कर्मचारियों को, जिनमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए दो कर्मचारी शामिल हैं, निलम्बित कर दिया है ।

(घ) बैंक के अनुसार इसकी लखनऊ स्थित शाखा से इसकी कनाट सर्कस, एच ब्लाक शाखा के एक चालू खाते में, 3 लाख रुपये की राशि को जाली तार अन्तरण द्वारा अन्तरिम करके जमा किया गया था । यह चालू खाता शुरू में एक सौ रुपये से खोला गया था ।

(ङ) और (च) : जी, हां । बैंक के अनुसार ऐसा लगता है कि इस मामले में इस प्रकार के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है ।

पाण्डियन ग्रामीक बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा

7170. **श्री एन. सुन्दरराजन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डियन ग्रामीण बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कोटे को भर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो, सरकार का इसके दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात और खान मंत्रालयों के विभागों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार

7171. **श्री भीखाभाई :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *क्या यह* सच है कि इस्पात और खान मंत्रालय के विभिन्न विभागों में सेवा की

विभिन्न "बी", "सी" और "डी" श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित अनेक पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान इस प्रकार से भरे गए पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या-क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के हित में आरक्षित पदों को सामान्य पदों में परिवर्तित करने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) जी, हाँ । लेकिन यही तभी किया जाता है जब उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं और ऐसा करते समय काफी बचाव किया जाता है ।

(ख) इनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं । आरक्षित पदों और सामान्य पदों की अदला-बदली नहीं की जाती है । जन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित की गई पद्धति का अनुसरण करने के पश्चात भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन रिक्तियों को अनारक्षित कर दिया जाता है और इन पर सामान्य उम्मीदवार रख लिये जाते हैं । लेकिन (1) ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" में चयन द्वारा पदोन्नति (2) ग्रुप "बी" में ही पदोन्नति (3) ग्रुप "बी" से ग्रुप "ए" की निम्नतम श्रेणी में पदोन्नति को छोड़कर सभी मामलों में आरक्षण अगले तीन भर्ती वर्षों के लिये आगे ले जाये जाते हैं । अपवाद के इन मामलों में आरक्षण आगे नहीं ले जाया जाता है परन्तु उसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अन्तर्-परिवर्तन किया जा सकता है । अन्य मामलों में केवल आगे लाये जाने वाले तीसरे तथा अन्तिम वर्ष के अन्त में ही आरक्षित रिक्तियों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में अन्तर्-परिवर्तन किया जा सकता है । इस प्रकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हितों की पूर्णरूप से रक्षा की जाती है और इस प्रकार किये गये अनारक्षण के द्वारा उनके आरक्षण समाप्त नहीं होते हैं क्योंकि ये रिक्तियां आगे ले जाई जाती हैं और अगले वर्षों में काफी लम्बी अवधि के लिए (नामत: चार वर्ष जिसमें आरम्भिक भर्ती वर्ष भी शामिल होता है) उन्हें उपलब्ध रहती हैं ।

विवरण

वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान विभिन्न ग्रुपों में अर्थात् बी० और सी० (ग्रुप बार) ग्रुपों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित लेकिन सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे गये पदों की संख्या के बारे में विवरण

इस्पात विभाग

पदों के ग्रुप	1978		1979		1980	
	अ०जा०	अ०जन०जा०	अ०जा०	अनु०जन०जा०	अ०जा०	अनु०जन०जा०
ग्रुप "बी"	1*	2**	—	—	—	1*
ग्रुप "सी"	1*	—	—	3*	—	1*
ग्रुप "डी"	—	—	—	—	1**	—

कारण

* यह पद कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित व्यक्ति से भरा गया था। ऐसे मामलों में अनारक्षण अखिल सचिवालय आधार पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है।

** भर्ती का पहला वर्ष होने के कारण, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार एक रिक्ति अनारक्षित मान ली गई थी।

खान विभाग

पदों के ग्रुप	1978		1979		1980		कारण
	अ०जा०	अ०जन०जा०	अ०जा०	अनु०जन०जा०	अ०जा०	अनु०जन०जा०	
ग्रुप "बी"	1	—	3	—	—	—	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध नहीं थे और इसलिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करना पड़ा और सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरना पड़ा ।
ग्रुप "सी"	—	1	—	—	1	1	
ग्रुप "डी"	1	—	—	—	—	—	

कैबरे नृत्य करने की अनुमति प्राप्त दिल्ली के रेस्टोरेन्ट

7172. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने रेस्टोरेन्ट हैं जिन्हें कैबरे नृत्य कराने के लिए परमिट/लायसेंस दिये गये हैं;

(ख) इन रेस्टोरेन्टों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है और उनकी ओर देय राजस्व की बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान उनसे कितनी राशि एकत्रित की गई;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि ऐसे रेस्टोरेन्ट स्थानीय/पुलिस का संरक्षण लेते हुए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करके अश्लील ढंग से कैबरे नृत्य कराते हैं; और

(घ) उन पर तथा ऐसे पुलिस कर्मियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ताकि देश के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आदर्शों की रक्षा की जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) दिल्ली में रेस्टोरेन्टों द्वारा कैबरे नृत्य कराने के लिए कोई परमिट/लायसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, सार्वजनिक मनोविनोद तथा मनोरंजन के स्थानों के बारे में हाल ही में विनियम तैयार किए गये हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रवेश-टिकटों पर 25 प्रतिशत की दर पर मनोरंजन कर लगाया जाता है। पिछले 5 वर्षों में मनोरंजन कर के रूप में एकत्रित राजस्व नीचे दिया गया है :—

1976-77	:	2,11,602.00 रुपए
1977-78	:	2,99,288.00 रुपए
1978-79	:	2,59,167.50 रुपए
1979-80	:	3,21,125.00 रुपए
1980-81 (2/81 तक)	:	3,22,984.00 रुपए

(ग) **और** (घ) : सार्वजनिक मनोविनोद तथा मनोरंजन के स्थानों के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन, ऐसी स्थापनाओं का लाइसेंस रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार प्राप्त किया गया है, जो निर्धारित शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन करती हैं। जहां तक दोषी सिपाहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का संबंध है, जब कभी कोई भूल-चूक संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाती हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

केरल की राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एक मिल के तुलन पत्र का खो जाना

7173. **श्री ई० बालानन्दन :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 17 जनवरी, 1981 के ब्लिट्ज में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि केरल के राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एक मिल का तुलनपत्र, जिसमें 65 लाख रुपये का लाभ दर्शाया गया था, उस समय खो गया, जब लेखा-परीक्षकों ने इसकी जांच की; और

(ख) यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और जो लोग दोषी पाए गये, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : हालांकि केरल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक मिल अर्थात पार्वती मिल क्विलोन में वर्ष 1979-80 के लिये अन्तिम रूप से 65 लाख रु० का लाभ हुआ फिर भी समायोजनों के पश्चात अन्तिम लेखा-परीक्षित आंकड़े 6.95 लाख रु० के हैं। कोई भी गबन नहीं देखा गया। तथापि, कर्मचारियों के आवश्यक परिवर्तन पहले ही किए जा चुके हैं ताकि भविष्य में उचित लेखे सुनिश्चित हो सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

7174. **श्री राम स्वरूप राम :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बिहार) के चेयरमैन के विरुद्ध गंभीर आरोप है और स्थानीय प्रेस द्वारा भी उन्हें प्रकाश में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की जांच की गई है, उसका निष्कर्ष क्या है और उस पर यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार) के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा भरती के मामले में जातिवाद के आरोपों की कतिपय शिकायतें सरकार को मिली थीं।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने इन आरोपों की जांच की है। प्रारम्भिक जांच के दौरान यह पता चला कि इसके अध्यक्ष की ख्याति अच्छी नहीं है और घूस मांगने तथा घूस लेने के बारे में उनके खिलाफ अनेक शिकायतें थीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव था और सरकार 4 मार्च, 1981 को एक दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर चुकी है। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने यह भी सूचित किया है कि वह उन अनियमितताओं के सम्बन्ध में, जो विभागीय जांच में सिद्ध हो जायेगी, उक्त अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करेगी।

मसालों का निर्यात

7175. **श्री जैवियर अराकल :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात किये गए मसालों की कुल मात्रा कितनी है और भारत के कौन-कौन से देश मसालों का आयात कर रहे हैं तथा चालू वर्ष के दौरान मसालों का निर्यात करके भारत ने कुल कितनी राशि अर्जित की थी; और

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात और किस्म में सुधार लाने तथा बेहतर मूल्य के लिये "मसाला विकास प्राधिकरण" बनाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 28 फरवरी, 1981 तक मसालों को, जिसमें इलायची भी शामिल है, 57,321 मैं० टन की कुल मात्रा का निर्यात किया गया है। वसूल किया गया कुल मूल्य 7891 मिलियन रु० है।* जिन देशों ने भारत से मसालों का आयात किया वे हैं :- ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलैंड, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, रुमानिया, बल्गारिया, हंगरी, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, स्वीडन, नार्वे, स्पेन, साइप्रस, यूनान, इथोपिया, यमन अरब गणराज्य, आबूधाबी, दुबई, मिस्र का अरब गणराज्य (मिस्र), ईरान, सऊदी अरब, बहरीन द्वीप समूह, सोमालिया, सूडान, कुवैत, कतार, सीरिया, मस्कत, ओमन, इजरायल, इराक, लेबनान, वाई. एम. एन., पी. डी. रिपब्लिक, जोर्डन, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, बंगलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलयेशिया, सिचीलीज, कीनिया, तंजाबिया गणराज्य, नाइजीरिया, मलावी, जाम्बिया; केनरी द्वीप, सियरा लियोन, आस्ट्रेलिया, फिजी द्वीप समूह, न्यूजीलैंड, सं० रा० अमरीका, कनाडा, त्रिनिदाद। *ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर में स्थिति सरकारी क्षेत्र के एककों को हुई हानि

7176. **श्री के० मालन्ना** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बंगलौर में स्थित सरकारी क्षेत्र के एककों में 77 दिन चली हड़ताल के कारण हुई कुल हानि के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के एककों में 77 दिन की हड़ताल के कारण हुई कुल हानि के बारे में विस्तृत मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है। किन्तु, बंगलौर स्थित 5 सरकारी उद्यमों में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपये की उत्पादन-हानि होने का अनुमान है।

लद्दाख की त्सोकर झील में पाए गए पोटाशियम और अन्य लवणों का खनन

7177. **श्री पी० नामग्याल** :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख की त्सोकर झील में कच्चे पोटाशियम और अन्य लवणों की बहुत बड़ी मात्रा पाई गई है;

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर सकारात्मक है तो, पोटाशियम और अन्य लवणों की अलग-अलग अमुमानतः कुल कितनी मात्रा पाई गई है, शुद्धता प्रतिशत और प्रत्येक लवण का कुल अनुमानतः मूल्य क्या है; और

(ग) इन लवणों के खनन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) लद्दाख की त्सोकर झील में कच्चा पोटाशियम तथा अन्य लवण पाए गए हैं। ये लवण झील के खारे पानी में, घोल के रूप में, झील की तली तथा झील के इर्द-गिर्द के रेह (फूली हुई रेत) क्षेत्र में तथा जमाव के रूप में मिलता है।

(ख) खारे पानी में घोल के रूप में विद्यमान कुल 0.78 मिलियन टन नमक की अनुमानित मात्रा में से 0.2 मिलियन टन पोटाशियम क्लोराइड, 0.38 मिलियन टन सोडियम सल्फेट, 0.10 मिलियन टन सोडियम क्लोराइड और 0.10 मिलियन टन मैग्नेशियम सल्फेट है। तली में जमे हुए नमक की लगभग 0.65 मिलियन टन अनुमानित मात्रा में से 0.1870 मिलियन टन पोटाशियम सल्फेट, 0.2175 मिलियन टन सोडियम सल्फेट, 0.345 मिलियन टन सोडियम क्लोराइड तथा शेष मैग्नेशियम और कैलशियम लवण होने का अनुमान है।

झील के चतुर्दिक रेह क्षेत्र में, लगभग 7.8 मिलियन टन लवण होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 2 मिलियन टन पोटाशियम लवण होगा।

भारतीय उर्वरक निगम ने 1976 के आस-पास खारे जल में मौजूद लवण का मूल्य 1,023 मिलियन रुपए आंका है, जिसमें 146 मि० रुपए का पोटाशियम क्लोराइड, 852 मिलियन रुपए का सोडियम सल्फेट तथा 25 मिलियन रुपए मूल्य का सोडियम क्लोराइड शामिल है।

भारतीय उर्वरक निगम ने जमे हुए लवण का मूल्य 709.53 मिलियन रुपए आंका है जिसमें 224.4 मिलियन रुपए का पोटाशियम सल्फेट, 476·63 मिलियन रुपए का सोडियम सल्फेट और 8.5 मिलियन रुपए का सोडियम क्लोराइड शामिल है।

(ग) झील स्थल तक विषम अवागमन समस्याओं, अत्यंत ऊंचे इलाके से लंबी दूरी तक लवण ढुलाई की कठिनाइयों तथा साल के दौरान सीमित खनन अवधि और प्रतिकूल मौसम के कारण इस झील से लवण निकालना किफायतपूर्ण नहीं समझा गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजना लागत में वृद्धि

7178. **डा० कृपासिंधु भोई :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति संबंधी निर्णय लेने और कार्यनिष्पादन में विलम्ब के कारण कुछ प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजना लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके कार्यनिष्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) भावी परियोजनाओं में परियोजना लागत में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : नियत समय के भीतर परियोजना कार्य पूरा होना और लागत अनुमान, अवस्थापना सम्बन्धी औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि के अलावा ऐसी अनेक बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे अवस्थापना संबंधी सुविधाओं, बिजली, परिवहन का सुलभ होना। परियोजना के लिए उपस्कर की पूर्ति पर भी इन बातों का असर पड़ता है। विलम्ब होने के कारण जिन कुछ प्रमुख परियोजनाओं की लागत काफी बढ़ गई है, वे हैं-भिलाई इस्पात संयंत्र (25 लाख टन से 40 लाख टन), कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना (प्रद्रावक एवं विनिर्माण), केरल अखबारी कागज परियोजना, नागालैण्ड लुगदी और कागज परियोजना, कोचीन रिफाइनरीज. लि०-द्वितोयक परिष्करण सुविधाएं और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में घाटगांव परियोजना।

(ग) परियोजनाओं को यथासमय पूरा करना और उनकी लागत अमुमानों के भीतर रखना, सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। इस विषय में किये गए कुछ प्रमुख उपाय हैं-व्यवहार्यता रिपोर्टों को वेहतर ढंग से तैयार करना, अवस्थापना सम्बन्धी बाधाएं दूर करना तथा आधुनिक प्रवन्ध तकनीकों का प्रयोग करना।

इस्पात घोटाले में संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात कार्यालय के अन्तर्गत होने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

7179. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस समय 100 करोड़ रु० के घोटाले में कलकत्ता के संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात कार्यालय के अन्तर्गत होने की जाँच करने में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जांच में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात कार्यालय के अधिकारी जाँच में रोड़े अटका रहे हैं; और

(घ) जांच शीघ्र पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल्यूमिनियम उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

7180. **श्री आर० के० महालगी :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एल्यूमिनियम उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है (विभिन्न संयंत्रों के आंकड़े दें) ;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्ष के दौरान कितना वास्तविक उत्पादन हुआ; वर्ष 1980-81 के दौरान एल्यूमिनियम की उपलब्धता में कितनी कमी हुई;

(ग) 1979-80 और 1980-81 के दो वर्षों के दौरान आयात किए गए एल्यूमिनियम की कीमत क्या थी, और इन दो वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) उद्योग की सामान्य उपयोग क्षमता कितनी है, बाल्को के सरकारी क्षेत्र के सबसे वड़े संयंत्र की उपयोग क्षमता क्या है;

(ङ) क्या 1979-80 के दौरान 'बाल्को' को नुकसान उठाना पड़ा; और 1980-81 के दौरान क्या स्थिति है; और

(च) अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग में क्या बाधाएं हैं, और स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) देश में अब तक स्थापित लाइसेंस क्षमता 321, 170 टन वार्षिक है, जिसका प्रद्रावक-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

स्थान			क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
1.	बालको	— कोरबा (मध्य प्रदेश)	100,000
2.	इंडाल	— (क) हीराकुड (उड़ीसा)	20,320
		(ख) अलवाए (केरल)	15,850
		(ग) देलगाम (कर्नाटक)	60,000
3.	हिंडालको	— रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)	100,000
4.	मालको	— मेटूर (तमिलनाडु)	25,000
		कुल :	321,170

(ख) 1980-81 का उत्पादन लक्ष्य 210,000 टन था; वास्तविक उत्पादन 199,000 टन हुआ। 1980-81 में एल्यूमिनियम की मांग 325,000 टन होने का अनुमान था। इस मांग और घरेलू उत्पादन के बीच अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाना था।

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा गत दो वर्षों में आयात किए गए एल्यूमिनियम की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :

	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1979-80	85,788	123.08
1980-81	127,611	189.489 (लगभग)

(घ) 1980-81 में एल्यूमिनियम उद्योग का क्षमता उपयोग लगभग 62% था; जबकि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बालको) का क्षमता उपयोग लगभग 29% था।

(ड.) बालको को 1979-80 में 16.17 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ तथा 1980-81 में लगभग 22 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है।

(च) स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाने में मुख्य बाधा पर्याप्त बिजली न मिलने की है। उदाहरण के लिए बालकों को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड में अपनी कुल जरूरत में से केवल लगभग 30% बिजली ही मिल रही है। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों से उच्चतम स्तर पर अनुरोध किया गया है कि वे एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को समुचित बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करें।

सरकारी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

7181. **श्री जगदीश टाईटलर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री एन. ए. पालकीवाला द्वारा हाल में दिये गए, इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि सरकारी नियुक्तियों पर पाँच वर्ष तक के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हां।

(ख) : सरकारी नियुक्तियों पर पाँच वर्ष की प्रस्तावित रोक का सुझाव सरकारी विभागों के व्यय में कटौती करने के उद्देश्य से दिया गया है। गैर-विकासात्मक सरकारी व्यय में किफायत करने और कटौती करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पहले ही जागरूक है। अतिरिक्त पदों के सृजन करने और यहाँ तक कि जो स्वीकृत पद छः महीने की अवधि से अधिक ममय से खाली रहे हैं उनके भरने पर भी पहले ही से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इस संबंध में सभी प्रस्तावों की व्यापक जाँच की जाती है और इन्हें अनिवार्य रूप से आवश्यक पाये जाने पर ही स्वीकृत किया जाता है। लेकिन, सरकार का यह विचार है कि सरकारी नियुक्तियों पर पाँच वर्ष की रोक लगाने सम्बन्धी सुझाव व्यावहारिक न हो।

श्रान्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के कार्य में लगी सहकारी समितियों की धोखाधड़ी

7182. **श्री के० ए० स्वामी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1979 में राज्य व्यापार निगम से यह कहा था कि वह आन्ध्र प्रदेश में सरकारी समितियों से फल्यूकर्ड वरजीनिया तम्बाकू की खरीद करे;

(ख) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद के बारे में विभिन्न सहकारी समितियों के आवंटन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के लिए आन्ध्र प्रदेश एम. ए. आर. के. एफ. ई. डी. को आदेश दिये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सहकारी समितियों को उनकी धोखाधड़ी तथा मुनाफाखोरी के लिये सरकार का किस प्रकार दण्ड देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में तम्बाकू खरीदने के लिये ऐसी समितियों से सम्बन्ध रखने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य व्यापार निगम और आन्ध्र प्रदेश एम. ए. आर. के. एफ. ई. डी. को कहा गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि केवल उपजकर्ताओं का वास्तविक तम्बाकू ही वास्तविक सहकारी समितियों से खरीदा जाए।

(घ) जब वर्जीनिया तम्बाकू के बारे में कीमत समर्थन कार्य आवश्यक हो जाएंगे तम्बाकू की खरीद के ढंग पर विचार किया जाएगा।

डैबोलिन, गोआ में अन्तर्राष्ट्रीय विमानों का उतरना

7183. श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानों को डैबोलिन, गोआ में उतरने की व्यवस्था की जाए ; और

(ख) यदि हां; तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क): जी, नहीं। परन्तु, एयर इंडिया को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें गल्फ तथा डैबोलिन (गोआ) के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं आरम्भ करनी चाहिए।

(ख) क्योंकि यातायात की मात्रा इतनी कम है कि वाणिज्यिक दृष्टि से ये परिचालन व्यवहार्य नहीं हो सकते इसलिए एयर इंडिया गल्फ तथा डैबोलिन के बीच उड़ानें परिचालित करने की स्थिति में नहीं है।

डैबोलिन का विमान क्षेत्र फिलहाल बी-737, डी. सी. 10 अथवा ट्रिस्टार जैसे विशालकार्य विमानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह केवल एयर बस के परिचालनों तथा यदाकदा बी-707 विमान के प्रयोग के लिए ही उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण उपक्रमों के मुख्यालय राज्य से बाहर होने के कारण बिहार के आयकर के हिस्से में घाटा

7184. श्रीमती कृष्णा साही :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई महत्वपूर्ण उपक्रमों के मुख्यालयों के राज्य से बाहर स्थित होने के कारण बिहार राज्य को आय-कर का हिस्सा बहुत कम मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आय-कर की वसूल की गई राशि के आधार पर आय-कर की राशि का राज्यों को वितरण सम्बन्धी सूत्र में आवश्यक परिवर्तन करने या सम्बन्धित उद्योगों को अपने मुख्यालय राज्य में लाने का, कहने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : जहाँ तक उपक्रम द्वारा कर देने का सम्बन्ध है; केन्द्र अथवा राज्यों के उपक्रमों या रजिस्टर्ड कम्पनियों के मुख्यालयों के स्थान का राज्य पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि निगम कर की निवल प्राप्तियां केन्द्र को देय होती हैं और संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार राज्यों में नहीं बांटी जातीं ।

जहां तक इन उपक्रमों और अन्य गैर-निगमित निकायों के कार्मिकों द्वारा अदा किये गये आय-कर का सम्बन्ध है, वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य के हिस्से की सिफारिश की जाती है। सामान्यत: वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों में एक बार की जाती है, जिसको प्रत्येक राज्य सरकार करों और शुल्कों के विभाजन के बारे में अपने मामले का उल्लेख करते हुए अपना ज्ञापन प्रस्तुत करती है। चालू फार्मूलों में, जो 1979-84 के लिए वैध है, राज्यों को आय कर की निवल प्राप्तियों के 85 प्रतिशत के विभाजन की व्यवस्था है, इसका 90 प्रतिशत प्रत्येक राज्य की जन-संख्या के आधार पर वितरित किया जाता है और 10 प्रतिशत निवल निर्धारणों के आधार पर।

विदेशी धन

7185. **श्री बी. एन. गाडगिल :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा किए गए 'बन्धुआ मजदूरों सम्बन्धी मामले' के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में विदेशी धन का उपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका स्रोत क्या था और कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी तथा भारत में यह धनराशि किसने प्राप्त की ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशों से अब भी धन प्राप्त किया जा रहा है, जबकि यह सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1978 में ही पूरा किया जा चुका था ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 'बंधुआ मजदूरों सम्बन्धी मामले' का राष्ट्रीय सर्वेक्षण गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था । यद्यपि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस सर्वेक्षण पर 11,795.30 रुपये की राशि खर्च की थी, लेकिन गांधी शांति प्रतिष्ठान ने सूचित किया है कि उन्हें वर्ष 1978 और 1979 में ब्रोट फ्यूर डाई वेल्ट डायकोनिशेस वर्क स्टाफ्लेन वर्ग एस. टी. आर. डी-700 स्टूटगार्ड, पश्चिम जर्मनी से 4.26 लाख रुपये प्राप्त हुए थे । यह धन

गांधीवादी अध्ययन अकादमी, (इकेडमी आफ गांधियन स्टडीज) हैदराबाद को प्राप्त हुआ था जिसने यह परियोजना गांधी शांति प्रतिष्ठान को दे दी थी।

(ग) गांधी शांति प्रतिष्ठान ने बताया है को चूंकि अन्तिम रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस कार्यक्रम को विदेशी एजेंसियों से लगातार सहायता मिल रही है।

जोधपुर होकर दिल्ली-बम्बई विमान-सेवा को नियमित किया जाना

7186. **श्री अशोक गहलोत :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार जोधपुर होकर दिल्ली और बम्बई के बीच सप्ताह में तीन दिन चल रही विमान-सेवा को कब तक नियमित करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) और **(ख)** : इंडियन एयरलाइंस बम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली मार्ग पर फिलहाल सप्ताह में तीन एच. एस-748 सेवाएं परिचालित करती है। वर्तमान यातायात की मांग की पूर्ण रूप से पूर्ति हो रही है और इसीलिए इंडियन एयरलाइंस ग्रीष्मकाल में भी इसी आधार पर परिचालन जारी रखेगी। तथापि, इस मार्ग पर यातायात वृद्धि का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है और जब कभी भी यातायात से सेवाओं में वृद्धि का औचित्य सिद्ध होगा उनकी संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी।

शहडोल जिले में बंधोगढ़ नेशनल पार्क को पर्यटन मानचित्र में शामिल करना

7187. **श्री दलबीर सिंह :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहडोल जिले में बंधोगढ़ नेशनल पार्क को इस बीच पर्यटन मानचित्र में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे पर्यटन मानचित्र में कब तक शामिल किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (ग) : जी, हां। मध्य प्रदेश में राज्य और केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विकास हेतु प्रारम्भ किए जाने वाले यात्रा परिपथों में से एक के अन्तर्गत बांधवगढ़ वन्य जीव विहार को शामिल करने का निश्चय किया है। एक बार इस यात्रा परिपथ के साथ-साथ पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए तो पर्याप्त मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसका व्यापक रूप से संवर्धन किया जायेगा।

निर्यात को बढ़ावा

7188. **श्री प्रताप भानु शर्मा :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है 1984-85 के अन्त तक निर्यात से होने वाली कुल आय 9,878 करोड़ रु० होने की आशा है, जबकि हमारे आर्थिक विशेषज्ञों ने उस समय तक मुख्य रूप से कच्चे तेल और पेट्रोलियम मूल्यों के कारण आयात 15,000 करोड़ रु० की कुल राशि का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) 1984-85 (1979-80 कीमतों पर) निर्यातों तथा आयातों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अनुमान क्रमश: 9878 करोड़ रु० तथा 13850 करोड़ रु० लगाये गये हैं।

(ख) सरकार बढ़ते हुए व्यापार घाटे की समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरुक है। निर्यात संवर्धन को सर्वोत्तम राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। निर्यात बढ़ाने तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात प्रतिस्थापन करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। पहले ही किये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्यात संवर्धन उपायों में निम्नांकत शामिल हैं :

(1) लाइसेंस क्षमता तथा 'प्रधानता' के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना।

(2) उस मामले में निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहां उस वस्तु में परिवर्तन किया जाना है और किसी औद्योगिक इकाई को उसके विनिर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है।

(3) ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आयातों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एकमुश्त भुगतान अन्तर्गस्त हो।

(4) सभी शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाईयों को मुक्त व्यापार जौन जैसा ही व्यवहार प्रदान करना।

(5) निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वतः विस्तार करने की अनुमति देना।

(6) महानगरीय शहरों में नये औद्योगिक उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ऐसे एककों को जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हैं चयनात्मक आधार पर छूट देना।

(7) 11.85 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर लदानपूर्व ऋण 180 दिन की अवधि के लिए कई इन्जीनियरी और अन्य अभिमुख उद्योगों को दिया गया है। जो एंक्जिम बैंक शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है, उससे निर्यात वित्त की व्यवस्था में विस्तार की आशा है।

इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की संभावना का भी पता लगा रहा है।

शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब के मामलों को कम करने तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। काफी तथा अर्ध-साधित चमड़े पर से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है और हैसियन पटसन से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है तथा यथासंभव आगामी उपाय किये जाएंगे।

निर्यात संवर्धन को राजकोषीय समर्थन देने के लिए 1981-82 के बजट में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई हैं :—

(1) निर्यात अभिमुख उद्योगों के 14 समूहों को उन उद्योगों के क्षेत्राधिकार में लाया गया है जिनको निवेश भत्ता अथवा करावकाश उपलब्ध है।

(2) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यात अभिमुख उद्योगों को अन्य राजकोषीय रियायतों के बदले में शुरू के पांच वर्षों के लिए पूर्ण करावकाश देने की अनुमति दी गई है।

(3) आयकर अधिनियम की धारा 35 ख, के अन्तर्गत जो कर योग्य लाभों की गणना में भारित छूट देता है, कार्यकलापों के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

(4) इलैक्ट्रानिक्स के सम्बन्ध में, जो कि श्रम प्रधान उद्योग भी है और निर्यातोन्मुख उद्योग भी है, इलैक्ट्रानिक संघटकों के उत्पादन में पूरी तरह से लगी हुई भारतीय कम्पनी से घरेलू कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश पूरी तरह से आयकर से मुक्त है।

हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गई 1981-82 की निर्यात-आयात नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है : (1) उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने तथा उपलब्ध क्षमताओं का पूर्णतर उपयोग कर सकने के लिये आवश्यक अन्तानीवृष्ट साधनों की व्यवस्था करना। (2) आयातों पर निर्भरता को और कम करना। (3) निर्यातों को अधिक प्रोत्साहन देना और (4) प्रक्रियाओं को और सरल करना तथा सुकर बनाना।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिये आवेदनपत्रों पर विचार करने हेतु विशेष बोर्ड

7189. **श्री कमल नाथ :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्री ट्रेड जौन आदि को बचाने के लिये देश के किसी भी भाग में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिये आवेदनपत्रों पर विचार करने के लिये एक विशेष बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक नये उद्यमियों से कितने आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके हैं; और

(ग) क्या कच्चे माल अथवा राज-सहायता अथवा रियायती दरों पर बिजली आदि की

सप्लाई करने के लिये आये आवेदनपत्रों पर शीघ्रता से विचार करके ऐसे एककों को कुछ अतिरिक्त रियायतें देने का वायदा भी किया गया है ?

वारिणज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) जी हां, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं० 10135180-एल. पी., दिनांक 13 जनवरी, 1981 के अनुसार वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक 45 आवेदनपत्र पंजीकृत किये गये हैं।

(ग) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एककों को प्राप्त रियायतें सरकारी संकल्प दिनांक 31-12-1980 में बताई गई हैं जिसकी एक प्रति लोक सभा में 20 फरवरी, 1981 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 79 के उत्तर में सभा पटल पर रखी जा चुकी है। इसके अलावा, सरकार ने सिद्धान्त रूप में निश्चय किया है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को की गई सप्लाई निर्यातों के रूप में मानी जाए। ऐसे मामलों में आयात प्रतिपूर्ति तथा नकद सहायता के रूप में उपलब्ध किये जा सकने वाले लाभों के ब्यौरे तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

होटलों में परोसे गये खाद्य पदार्थों और पेयों पर बिक्री कर

7190. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री आर० के० महालगी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 19 सितम्बर, 1980 के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि होटलों आदि में परोसे गए खाद्य पदार्थों और पेयों पर बिक्री-कर लगाया जाना गैर-कानूनी है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलों तथा अन्य खान-पान विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य कराधान का विषय है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का प्रशासन भी कानून द्वारा राज्य प्राधिकारियों को सौंपा गया है। 19 सितम्बर 1980 के निर्णय की एक प्रतिलिपि आंध्र प्रदेश सरकार से मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि उसने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया है और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को, निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार आगे आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

राज्य सरकार ने यह भी बताया था कि इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने, राज्य में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चलायी जा रही खान-पान सेवाओं द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई भी अनुदेश जारी नहीं किये हैं। रेल मन्त्रालय ने बताया है कि इस मामले में क्षेत्रीय रेलवे जांच कर रही हैं।

पुणे से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान

7191. **श्री एस. बी. पाटिल :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मराठा चैम्बर आफ कामर्स' पुणे ने नागर विमानन मन्त्रालय को पुणे से दिल्ली तथा वापसी के लिये सीधी उड़ान आरम्भ करने हेतु एक अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) 'मराठा चेम्बर आफ कामर्स' ने इंडियन एयर लाइंस को दो प्रतिवेदन भेजे थे जिनमें उसने दिल्ली तथा पुणे के बीच एक सीधी विमान-सेवा चालू करने का अनुरोध किया था।

(ख) इण्डियन एयर लाइंस अपने विमान-बेड़े में और बोइंग-737 विमान सम्मिलित हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। फिलहाल, हारपोरेशन के सभी बोईंग विमान पूर्ण रूप से परिचालन-रत है।

जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन के अन्तर्गत कम्पनियों के वेतनमानों तथा अन्य नियमों में असमानता

7192. **श्री राम अवध :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, बम्बई के अन्तर्गत दूसरी कम्पनियों में हिन्दी कर्मचारियों के संबंध में वेतनमानों, शैक्षणिक अर्हताओं तथा भर्ती नियमों में बहुत असमानताएं है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि गत तीन वर्षों से कम्पनियां/निगम और वित्त मंत्रालय का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया जाता रहा है, इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

लकड़ी के फर्नीचर का निर्यात

7193. **श्री भरावदन के० गधावी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी के फर्नीचर का भारत से निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो गत दो वर्षों के दौरान (अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 तक तथा अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 तक) कितना-कितना कुर्सियों, पलंगों, केबिनेटवेयर और अन्य किस्म के किस-किस फर्नीचर का निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) लकड़ी का फर्नीचर मुख्यत: जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कुवैत, मस्कत बेहरीन, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड को निर्यात किया जा रहा है।

(ग) 1978-79 और 1979-80 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान कुर्सियों, बैडस्टेडों, केबिनेटवेयर आदि के निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(मात्रा : अदद में)
(मूल्य लाख रु० में)

वस्तु	निर्यात			
	1978-79		1979-80(अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुर्सियां	19935	14.12	43669	18.35
बैडस्टेड	786	2.39	191	0.77
कैबिनेटवेयर	939	4.81	481	3.51
अन्य फर्नीचर	60255	94.81	49057	71.25

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम

7194. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें से कितने मामलों पर कार्यवाही की गई;

(ख) उसके परिणाम स्वरूप कितनी मात्रा में सोना पकड़ा गया और

(ग) क्या सोने के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सोने की अनधिकृत जमाखोरी की रोक-थाम के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही तेज कर दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : किसी प्रकार का वह सोना स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत

अभिग्रहण योग्य है जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया हो, किया जा रहा हो, अथवा किये जाने का प्रयास किया गया हो। ऐसे उल्लंघनों का पता, जिनमें सोना पकड़ा जाता है, मुखबिरों, जन साधारण और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना/शिकायतों के आधार पर और स्वर्ण नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा सामान्य और अकस्मात् जांचों के दौरान भी लगाया जाता है।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहण के मामलों की संख्या और उनमें पकड़े गये सोने के मूल्य संबंधी सूचना नीचे दी गयी है:—

वर्ष	अधिग्रहण के मामलों की संख्या	पकड़े गये सोने की मात्रा (कि० ग्रा० में)
1978	1005	435.078
1979	1061	302.424
1980 (जनवरी से अगस्त)	668	205.397

इस आशय की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है कि प्राप्त शिकायतों के परिणामत: अभिग्रहण के उपर्युक्त मामलों में से कितने मामलों का पता लगाया गया। अभिग्रहण के मामलों की संख्या अधिक होने के कारण, यह सूचना एकत्र करना कठिन सिद्ध होगा।

(ग) विभाग की प्रवर्तन एजेंसियां, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 का उल्लंघन करके सोना रखने, आदि के मामले में सतत निगरानी रखे हुए हैं। जहां कहीं ऐसे मामलों का पता लगता हैं, तो उनमें कानून उचित कार्यवाही की जाती है।

सीमलैस ट्यूबों का आयात

7195. **श्री अर्जुन सेठी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि सीमलैस ट्यूबों के आयात के सम्बन्ध में सरकार की उदार नीति से न केवल देश में उद्योगों को गम्भीर धक्का पहुंचा है अपितु इससे जापानी और स्पेनिश कम्पनियों द्वारा इस तरह के ट्यूबों को भारी मात्रा में जमा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापानी और स्पेनिश कम्पनियों के जमा किये ट्यूबों की कीमतें इस तरह की हैं कि वे इस्पात के कच्चे माल की कीमतों को भी पूरा करने में पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की संशोधित नीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (ग) : ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने के उपाय

के रूप में सीमलैस ट्यूबों के आयातों पर और प्रतिबन्ध लगाने के सुझाव दिये गये हैं। ऐसा बताया गया है कि स्वदेशी उद्योग देश में बने सीमलैस स्टील ट्यूबों के विद्यमान कीमत स्तर से कम कीमतों पर आयातों से विशेषकर स्पेन से आयातों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इन अभ्यावेदनों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में विदेशी सहयोग वाले सरकारी होटल

7196. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर सरकार द्वारा कितने होटल शुरू किये गये हैं;

(ख) क्या इन उद्यमों में विदेशी सहयोग भी लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक;

(घ) क्या इन होटलों की स्थापना की जा चुकी है; और

(ङ) क्या अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर और अधिक होटल बनाने की योजनाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) फिलहाल, भारत पर्यटन विकास निगम उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित होटलों, यात्री गृहों, यात्री रेस्तरांओं और एयरपोर्ट रेस्तराओं का परिचालन कर रहा है:—

यूनिट का नाम	स्थापना/चालू होने की तारीख	क्षमता	
		कमरे	बैड्स
1. होटल वाराणसी अशोक	14.9.73	50	100
2. होटल मुमताज अशोक, आगरा	1.2.79	40	80
3. कुशी नगर में यात्री गृह	सितम्बर, 58	8	22
4. ताज, आगरा में यात्री रेस्तरां	दिसम्बर, 66	—	—
5. आगरा में एयरपोर्ट रेस्तरां	फरवरी, 75	—	—
6. वाराणसी में एयरपोर्ट रेस्तरां	जुलाई, 77	—	—

(ख) जी, नहीं।

(ग), (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में छोटे होटलों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान शामिल है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से नैनीताल में राज्य सरकार से परामर्श करते हुए एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना की संभावना की जांच की जा रही है। कुशीनगर में एक यात्री गृह सहित विद्यमान कुछ यात्री गृहों के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन के संतोषजनक होने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

छोटी धन राशि के कागज के नोटों का मूल्य

7197. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में छोटी धनराशि के कागज नोट कुल कितने मूल्य के हैं;

(ख) इस समय परिचलन में एक रुपए के सिक्कों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में बड़ी धनराशि के कोई अन्य सिक्के शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) और (ख) : मूल्य वर्ग-वार ब्यौरे से संबंधित अद्यतन सूचना अगस्त, 1980 तक उपलब्ध है और वह नीचे दी गई है :

मूल्य-वर्ग	करोड़ रुपयों में मूल्य
(1) 1 रुपए के सिक्के	132.89
(2) 1 रुपए के नोट	205.71
(3) 2 रुपए के नोट	241.03
(4) 5 रुपए के नोट	610.49
(5) 10 रुपये के नोट	1851.44
जोड़	3041.56

(ग) इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी ये विचार के प्रारम्भिक दौर में हैं।

भारतीय पटसन निगम द्वारा गैर-सरकारी और राज्य के स्वामित्वाधीन मिलों को सप्लाई किए गए कच्चे पटसन की बकाया राशि

7198. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम द्वारा गैर-सरकारी तथा राज्य के स्वामित्वाधीन मिलों को सप्लाई किए गए कच्चे पटसन के मूल्य की मिल-वार बकाया राशि कितनी है ; और

(ख) बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 15-2-1981 तक 2208.651 लाख रु० ।

(ख) प्रबन्ध अधिग्रहण से पूर्व की अवधि के लिए एन० जे० एम० सी० मिलों का 667.48 लाख रु० की देनदारी राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के अधीन केवल भुगतान आयुक्त द्वारा किए गये निर्णय के माध्यम से ही वसूल की जा सकेगी । गैर-सरकारी मिलों पर 896.57 लाख रु० की देनदारी है परन्तु इन मामलों पर मुकदमा चल रहा है । गैर-सरकारी मिलों से कुछ अन्य देनदारी के दावों को निपटाने के लिए माध्यस्थम की मार्फत प्रयास किया जा रहा है । राष्ट्रीयकृत और साथ ही गैर-सरकारी मिलों पर 535.81 लाख रु० की देनदारी है परन्तु यह गारण्टीशुदा भुगतान शर्तों के अन्तर्गत आता है ।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के मामले

7199. **श्री रास बिहारी बहेरा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कराधान का प्रभाव शहरी जन सामान्य की तुलना में ग्रामीण जन सामान्य पर अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न आय समूहों के लिए कराधान के मामलों के तुलनात्मक आकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार की दोषपूर्ण स्थिति बनाए रखने के क्या विस्तृत कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हवाई अड्डों पर रात को विमान उतारने की सुविधाएं

7200. **श्री एन० ई० होरो :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटना हवाई अड्डे पर रात को इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को उतारने की सुविधाएं प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) देश में सभी हवाई अड्डों पर उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करायी जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) जी, हां । पटना हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए "एब्रिजूड विजुअल स्लोप इडिकेटर सिस्टम" और मध्यम श्रेणी की धावनपथ प्रकाश व्यवस्था स्थापित की चुकी है ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा तैयार की गई भावी परियोजनाओं तथा निधियों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए हवाई अड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधाओं की क्रमिक चरणों में व्यवस्था की जा रही है।

राज्यों में ग्रामीण विकास बैंक

7201. **श्री मोहम्मद असगर अहमद :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली बार जब से ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, तब से आज तक प्रत्येक राज्य में कितने-कितने ग्रामीण विकास बैंक खोले गए हैं और राज्यों में इन बैंकों के खोले जाने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या-क्या हैं ;

(ख) ग्रामीण बैंक लोगों के सन्दर्भ में इन बैंकों का क्या प्रयोजन है;

(ग) अब तक सरकार ओर जमाकर्त्ताओं ने इस बैंक में कितनी धनराशि का निवेश किया है और गरीब किसानों को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ;

(घ) इन बैंकों से प्रत्येक राज्य में (जिलेवार) कितने-कितने किसानों को लाभ पहुँचा है ; और

(ङ) आगामी दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में (जिले-वार) इन बैंकों को कितनो-कितनी शाखाओं के खोले जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अधीन स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आज तक की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए जिलों का निर्धारण, वाणिज्यक बैंकों के शाखा प्रसार, छोटे सीमांतिक किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण की कमी तथा सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, कमजोर वर्गों, अर्थात् छोटे सीमांतक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा अन्य ग्रामीण निर्धनों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के प्रयोजन से की गई है। इनकी व्यवस्था अन्य संस्थागत अभिकरणों अर्थात् क्षेत्र में सहकारी तथा वाणिज्यक बैंकों को बढ़ावा देने के अभिप्राय से की जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार 25 लाख रुपए की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत का अभिदान करती है। आज तक की स्थिति के अनुसार 100 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो चुकी है तथा इनमें सरकार ने 12.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। 30-6-80 की स्थिति के अनुसार 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में अभिदान द्वारा कुल 163.67 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उस तारीख तक ऋणों तथा अग्रिमों की राशि के रूप में 118.00 करोड़ रुपये दिए गए थे।

(घ) और (ङ) : लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के सम्बन्ध में आकड़े उपलब्ध नहीं हैं; एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र सामान्यतः एक अथवा दो जिले होते हैं। राज्यों के सभी जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्याप्त नहीं होते। तथापि, कृषि प्रयोजनों के वास्ते ऋण खातों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबन्ध में देखा जा सकता है। जून 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा तथा साथ ही उनके पास अनिष्पादित पड़ें लाइसेंसों की संख्या भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण (राशि लाख रुपयों में)

राज्य	30-3-81 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	30-6-1980 की स्थिति के अनुसार शाखाओं की संख्या	विचाराधीन लाइसेंस	जमा राशियां	कुल ऋण खातों की संख्या	कृषि की बकाया राशि राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	5	276	60	1971.21	152782 (331849)	1747.78 (2991.56)
2. असम	3	45	43	217.05	6547 (10818)	108.01 (143.89)
3. बिहार	17	471	459	2129.08	94387 (147794)	1009.68 (1503.88)
4. गुजरात	2	39	18	72.35	1072 (2077)	17.27 (28.42)
5. हरियाणा	2	70	6	401.08	18628 (24607)	339.36 (422.67)
6. हिमाचल प्रदेश	1	31	26	252.00	4614 (7640)	60.00 (133.00)
7. जम्मू तथा कश्मीर	2	56	28	307.48	10435 (11681)	149.84 (173.84)
8. कर्नाटक	4	210	79	925.03	81571 (142317)	1174.31 (1600.45)
9. केरल	2	151	34	840.83	133743 (226239)	1002.91 (1760.21)
10. मध्य प्रदेश	12	201	205	774.67	39689 (73731)	527.64 (872.38)

1	2	3	4	5	6	7
11. महाराष्ट्र	1	70	66	349.70	6425 (10400)	213.14 (281.43)
12. उड़ीसा	8	191	130	1328.36	228844 (365468)	1539.18 (2290.61)
13. राजस्थान	5	212	26	963.80	46853 (72156)	982.67 (1341.31)
14. तमिलनाडु	1	75	24	385-26	38342 (81590)	433.38 (881.96)
15. त्रिपुरा	1	31	28	309.44	23531 (34137)	185.66 (358.83)
16. उत्तर प्रदेश	27	461	216	4326.68	195958 (256765)	1744.79 (2583.50)
17. पश्चिम बंगाल	7	145	167	813.05	30217 (47575)	559.71 (747.99)
	100	2735	1615	16367.06	1113638 (1846844)	11800.33 (18115.93)

टिप्पणी : कोष्टक में दी गई संख्याएं कुल बकाया राशि के ऋणों तथा अग्रिमों अर्थात् सभी प्रयोजनों के लिए ऋणों को दर्शाती हैं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता का उपयोग

7202. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्य उनको दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सके;

(ख) कौन-कौन से राज्य केन्द्र सहायता का पूरा उपयोग नहीं कर सके और गत चार वर्षों के लिए वर्ष-वार उस राशि के आंकड़े क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय सहायता का उपयोग न करने के मुख्य कारण क्या हैं और केन्द्रीय सहायता किन शीर्षों के अन्तर्गत दी गई थी तथा जिसका पूरा उपयोग नहीं किया गया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार जो राज्य पहले केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सके उन राज्यों को फिर से केन्द्रीय सहायता देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी विशिष्ट परियोजना अथवा स्कीम अथवा कार्यक्रम से इसका सम्बन्ध नहीं होता।

किन्तु यदि वर्ष के अन्त में राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर योजना आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तिम आयोजनागत परिव्ययों की तुलना में कुल व्यय में कमी होती है अथवा निर्दिष्ट स्कीमों अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में कोई कमी होती है तो उनमें आनुपातिक कटौती की जाती है जिसका विकास के किसी विशेष शीर्ष से सम्बन्ध नहीं होता है।

(घ) जी, नहीं।

1977-78 से 1980-81 के दौरान अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की राज्य-वार मात्रा का विवरण-पत्र

(लाख रुपये)

		1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.38	—	189.00	—
2.	असम	—	—	69.00	32 00
3.	बिहार	—	1.53	60.00	27.00
4.	गुजरात	37.00	—	94.00	—
5.	हरियाणा	28.42	127.00	62.41	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	8.00	32.08
7.	जम्मू और कश्मीर	18.44	11.24	73.00	2.50
8.	कर्नाटक	—	79.00	380.00	—
9.	केरल	—	40.00	—	—
10.	मध्य प्रदेश	—	—	35.00	—
11.	महाराष्ट्र	39.13	—	2.00	—
12.	मणिपुर	—	83.73	40.00	—
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैंड	12.00	45.00	55.00	206.00
15.	उड़ीसा	2.55	—	29.00	—
16.	पंजाब	—	—	41.47	2.00
17.	राजस्थान	3.08	—	458.48	44.00
18.	सिक्किम	—	15.81	—	2.90
19.	तमिल नाडु	—	5.00	—	—
20.	त्रिपुरा	56.00	32.00	10.00	22.00
21.	उत्तर प्रदेश	—	163.00	—	2011.00
22.	पश्चिम बंगाल	31.88	283.00	161.00	—
जोड़ सभी राज्य		250.00	886.31	1687.36	2381.48

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ और बेनेजुएला के बीच कराकस में वार्ता

7203. **श्रीमती संयोगिता राणे :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ और वैनेजुएला के बीच कराकस में हुई हाल की वार्ता के दौरान दोनों देशों को लाभप्रद सहयोग और घनिष्ठ सहभागिता के लिए निर्णय लिया गया था ;

(ख) क्या व्यापार, उद्योग और टैक्नोलोजी के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्ससम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बेनेजुएला विशिष्ट उद्योगों में धन लगाने के लिये सहमत हो गया था; और

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(ग) से (ख) : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बेनेजुला में कराकस में अभी हाल में हुई वार्ताओं के दौरान दोनों देशों के बीच और अधिक सहकार तथा सहयोग की संभाव्यताओं के बारे में बातचीत की गई। भारतीय तकनीकी जानकारी, परामर्शी सेवाओं तथा संयुक्त उद्यमों के लिए चीनी, वस्त्र तथा सीमेंट तथा सीमेंट उद्योगों को सम्भव क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया। मशीनी औजार, स्कूटर, मशीनरी तथा इंजीनियरी माल आदि के विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में भारत के सहयोग व सहकार पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

(घ) तथा (ड.) : वार्ताओं में, तीसरे देशों में, संयुक्त उद्यमों तथा परियोजनाओं में निवेश के बारे में भी विचार किया गया। इस विषय पर सामान्य तौर पर बातचीत की गई और किसी विशिष्ट उद्योग का उल्लेख नहीं किया गया।

पर्यटन विकास के लिए धार्मिक स्थानों को शामिल किया जाना

7204. **श्री बी० आर० नाहटा :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों तथा उन स्थानों की संख्या कितनी है जिनके सम्बन्ध में उनके नये पर्यटन स्थलों के रूप में विकास के लिए योजनाओं पर विचार किया जा रहा है और विकास किए जाने के लिए प्रस्तावित इस तरह के अतिरिक्त स्थलों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या इन पर्यटन स्थलों में मध्य प्रदेश के एक धार्मिक स्थान पशुपतिनाथ को शामिल किए जाने की भी माँग की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थलों के नामों की कोई सूची

तैयार नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :—

खजुराहो, सांची, माण्डू, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और कान्हा नेशनल पार्क।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करने का निर्णय किया गया है ताकि योजना अवधि 1980-85 के दौरान केन्द्रीय राज्य और निजि सेक्टरों के सभी उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए पर्यटन का विकास करने हेतु इन यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का गहन विकास किया जा सके। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यात्रा परिपथ निम्नलिखित हैं :—

(1) ग्वालियर-शिवपुरी/दतिया-ओरछा-खजुराहो-बांधवगढ़-जबलपुर/खजुराहो।

(3) भोपाल-सांची-विदिशा-उदयगिरि-भोपाल (भीम बेटका, भोजपुर)-उज्जैन-इन्दौर, माण्डु-महेश्वर-मण्डलेश्वर-ओंकारेश्वर-इन्दौर

(3) जबलपुर-भेड़ाघाट-चेराई डोंगरी (गर्म पानी के चश्मे)-माण्डला-कान्हा नेशनल पार्क-भोरामदेव-जबलपुर/रायपुर।

(ख) जी, नहीं।

पकड़े गये तस्करों की संख्या

7205. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान कितने तस्कर पकड़े गये;

(ख) उससे राज-कोष को कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) न्यायालयों में कितने तस्करों के विरुद्ध मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) क्या उन तस्करों के नाम तथा इस बारे में राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और **(ख)** : सीमा शुल्क अधिकारियों ने, वर्ष 1979 और 1980 के दौरान, जिन व्यक्तियों को तस्करी में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार किया, उनकी संख्या, और तस्करी का जो माल पकड़ा, उसका मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़े गये माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1979	1788	40.42
1980	1854*	52.84

(*आंकड़े अन्तिम)

(ग) जिन व्यक्तियों के खिलाफ, विभिन्न अदालतों में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत इस्तगासे की कार्यवाही चल रही थी, उनकी 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार संख्या 1572 थी।

(घ) मामलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए विस्तृत सूचना एकत्र करके संकलित करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। माननीय सदस्य जिस मामले (मामलों) के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना चाहते हों, उसका विवरण बता दिए जाने पर सूचना एकत्र करके पेश कर दी जाएगी।

रुई की खरीद की दर

7206. **श्री नरसिंह मकवाना :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय किस दर पर रुई की खरीद की जा रही है और पिछले वर्ष इसकी दर क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

भारतीय रुई निगम द्वारा विभिन्न कपास उपजाने वाले राज्यों में चालू कपास मौसम 1980-81 (सितम्बर-अगस्त) के दौरान मार्च 1981 तक और साथ ही गत वर्ष की इसी अवधि में कपास की खरीद के लिए अदा की गई महीने/वार औसत दरें निम्नांक्त प्रकार हैं : कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े गत वर्ष के लिए हैं)।

(कीमत रु० में प्रति क्विंटल)

राज्य	किस्म	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
पंजाब	जे-34	367	388	440	453	472	527
		(353)	(355)	(378)	(361)	(362)	(359)
	देशी	310	299	312	331	368	391
		(315)	(309)	(205)	(293)	(263)	(275)
	एफ-414	—	415	450	470	476	554
		(—)	(390)	(396)	(375)	(371)	(381)
हरियाणा	जे-34	359	376	420	447	456	508
		(363)	(340)	(372)	(345)	(353)	(368)
	देशी	296	302	341	348	373	418
		(339)	(311)	(303)	(287)	(275)	(291)
	एच-777	—	—	—	486	—	—
		(—)	(—)	(330)	(—)	(—)	(—)
राजस्थान	जे-34	409	404	455	461	478	546
		(357)	(359)	(361)	(353)	(362)	(378)
	देशी	311	—	332	338	—	417
		(350)	(354)	(341)	(299)	(305)	(306)

राज्य	किस्म	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
	अगाती	—	—	490	406	550	581
		(—)	(387)	(357)	(379)	(378)	(368)
गुजरात	सी. एल-73	462	441	439	467	—	—
		(—)	(355)	(343)	(325)	(355)	(358)
	एस-4	545	548	576	599	607	586
		(—)	(493)	(470)	(490)	(489)	(479)
	को-2	—	—	510	540	554	551
		(—)	(—)	(—)	(325)	(400)	(381)
	दिग्विजय	—	—	528	548	556	569
		(—)	(—)	(—)	(416)	(486)	(418)
	बी-797	—	—	—	—	534	578
		(—)	(—)	(—)	(—)	(399)	(373)
मध्य प्रदेश	ए-51/9	455	456	507	498	487	534
		(—)	(392)	(352)	(357)	(365)	(396)
	वाई-1	437	444	471	504	531	546
		(—)	(—)	(380)	(381)	(379)	(387)
	एच-4	504	498	435	571	553	564
		(—)	(470)	(431)	(419)	(447)	(480)
	197/3	451	415	464	494	478	557
		(—)	350	(323)	(329)	(339)	(363)
	1007	—	—	529	553	565	551
		(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
आंध्र प्रदेश	एच-4	511	516	555	566	577	—
		(—)	(448)	(421)	(421)	(411)	(437)
	एम. सी. यू-5	—	477	519	563	556	575
		(—)	(—)	(435)	(441)	(478)	(438)
	1007	—	469	516	539	531	—
		(—)	(418)	(385)	(374)	(386)	(405)
	वरलक्ष्मी	—	—	—	—	523	570
		(—)	(—)	(—)	(—)	(525)	(492)
	सुर्वान	—	—	—	—	—	832
		(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

राज्य	किस्म	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
कर्नाटक	वरलक्ष्मी	—	435	430	552	557	570
		(—)	(—)	(481)	(515)	(501)	(540)
	लक्ष्मी	—	350	—	—	445	479
		(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(313)
	जयघर	—	—	—	—	432	439
		(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(341)
तमिलनाडु	वरलक्ष्म	—	—	—	557	1551	550
		(—)	(—)	(—)	(458)	(475)	(528)
	एम. सी. यू.-5	—	—	—	560	537	557
		(—)	(—)	(—)	(—)	(426)	(463)

भूमि के बेनामी सौदे

7२07. **श्री मूलचन्द डागा :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आय कर अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का बेनामी सौदा करने के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे बेनामी सौदों की राज्यवार संख्या कितनी है और ये मामले किन वर्षों के हैं तथा उनका ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया):

(क) से (ग) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। प्रश्न में माँगी गई सूचना को प्रस्तुत करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा क्योंकि बहुत से मामलों के रिकार्ड की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए अपेक्षित समय और श्रम, वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य, किसी मामले विशेष के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते हों, तो वह सूचना प्रस्तुत कर जाएगी।

पश्चिम बंगाल में काम कर रहे बैंकों में जमा राशि

7208. **श्री अमर राय प्रधान :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में काम कर रहे बैंकों में से प्रत्येक में कुल जमा राशि कितनी है और उन्होंने गत तीन वर्षों अर्थात् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः कितने ऋण दिए हैं; और

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य में विशेषकर कूच, बिहार और जलपाई-गुड़ी जिलों में कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम तथा बड़े उद्योगों, थोक तथा खुदरा व्यापार के लिए अलग अलग दिये गए ऋणों का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों तथा स्वीकृति के अनुसार सकल बैंक के ऋण के बैंक समूहवार वितरण के आंकड़े नीचे दिये गए हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

अवधि जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक		14-राष्ट्रीयकृत बैंक		अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		*निवेश
	जमा राशियां	अग्रिम	जमा राशियां	अग्रिम	जमा राशियां	अग्रिम	जमा राशियां	अग्रिम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1977	626.93	430.35	1254.83	825.07	424.39	268.61	2306.15	1524.03	205.08
1978	751.49	483.67	1529.89	949.23	465.33	331.30	2746.71	1764.20	232.43
1979	967.47	548.90	1842.34	1122.04	538.06	358.82	3347.87	2029.76	261.49

*राज्य सरकारों तथा इनके सहायक निकायों की प्रतिभूतियों के आँकड़े मार्च के अन्त से सम्बन्धित हैं।

(ख) आंकड़े जिस रूप में मांगे गये हैं वे सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होते। पश्चिम बंगाल राज्य में तथा इसके कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रवार संवितरण की बकाया राशि के ऋण से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य तथा इसके कूचबिहार एवं जलपाईगुड़ी जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों* का राज्यवार/जिलावार/व्यवसायवार वर्गीकरण।

(जून 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(राशि लाख रुपयों में)

	पश्चिमी बंगाल	कूच बिहार	जलपाईगुड़ी
1. कुल ऋण जिसमें से	175360.32**	494.13	4441.91
लघु उद्योग	17244,88	27.32	106.53
2. कृषि जिसमें से	16170.79	277.45	2862.37
(क) प्रत्यक्ष वित्त	14451.03	260.33	2851.13
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	1719.76	17.12	11.24
3. उद्योग	116094.26	47.73	1287.90
4. व्यापार जिसमें से	19712.62	47.35	83.54
(क) थोक व्यापार	15842.93	16.01	32.37
(ख) फुटकर व्यापार	3869.69	32.34	51.17
5. अन्य सभी	23382.65	120.65	208.10

*उपयोग के अनुसार

**पश्चिम बंगाल में उपयोग किए गए 93.34 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण का क्षेत्रीय वर्गीकगण उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल में उपयोग किये गये कुल ऋण 184694 लाख रुपये के थे।

वर्ष 1981-82 के दौरान रबड़ का आयात

7209. **श्री सुधीर गिरि :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान रबड़ की कुल कितनी मात्रा के आयात किए जाने का विचार है; और

(ख) आयातित रबड़ और देशी रबड़ के मूल्यों में यदि कोई अन्तर है तो कितना अन्तर है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) रबड़ की मांग तथा सप्लाई की स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा करके रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है। मांग एवं सप्लाई के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक रबड़ के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(ख) फरवरी, 1981 के दौरान कोट्टायम बाजार में देशी रबड़ की विभिन्न ग्रेडों की औसत कीमत तथा आयातित रबड़ की विभिन्न ग्रेडों की चालू बिक्री कीमत निम्नोक्त प्रकार हैं:—

(रु० मै० टन में)

(I) ग्रेड	कोट्टायम बाजार में देशी रबड़
आर० एम० ए० 1	14020
आर० एम० ए० 2	13900
आर० एम० ए० 3	13750
आर० एम० ए० 4	13570
आर० एम० ए० 5	13320
(II) ग्रेड	**आयातित बाजार में देशी रबड़**
आर० एस० एस० 1	13,596
आर० एस० एस० 3	12,900
आर० एस० एस० 4	13,600
एस० एम० आर० 10	12,800
एस० एम० आर० 20	12,600

काफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट

7210. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 40,000 रुपये से कम होकर 17,000 रुपये हो गया है जो अगले वर्ष और कम हो सकता है ;

(ख) क्या 1980-81 की काफी की फसल 1979-80 की फसल से बहुत कम है ;

(ग) क्या काफी उत्पादकों को अपनी 1980-81 की फसल के मौसम के लिए कम मूल्य मिल रहा हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि खाद के मूल्यों, कीटनाशी दवाइयों, श्रमिक मजदूरी और ब्याज दर में वृद्धि के कारण काफी की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है ;

(ङ) क्या लगभग 10 वर्षों में काफी का उत्पादन 2 लाख मी० टन तक पहुँचने का सरकार का विचार सम्भव है यदि उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन मूल्य न मिलें ; और

(च) उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य देने और प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ करने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ताकि उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा आय में बाधा न पड़े ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) काफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत कम होती रही है जिसके परिणामस्वरूप एकक मूल्य वसूली, जो 1977-78 में में 39,000 रु० प्रति मै० टन थी, कम होकर 1980-81 में 23,900 रु० प्रति मै० टन रह गई। यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि क्या 1981-82 के दौरान कीमतें और कम होंगी। अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन इस समय कोटा पद्धति चला रहा है जिससे प्रति पौंड 115 से 155 अमरीकी सैंट्स स्तरों पर कीमतें स्थिर होने की संभावना है ;

(ख) 1980-81 में लगभग 1,20,000 मैं० टन फसल होने का अनुमान है जबकि 1979-80 में लगभग 1,50,000 मैं० टन की फसल हुई।

(ग) 1980-81 की फसल के लिए उपजकर्ताओं को मिलने वाला अन्तिम मूल्य आन्तरिक बाजार में प्राप्त कीमत और निर्यात वसूलियों पर निर्भर होगा।

(घ) जी हां।

(ङ) काफी विकास सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य योजना में 2,000 ई० तक काफी के 2 लाख मैं० टन के उत्पादन लक्ष्य की व्यवस्था है। आशा है कि कीमतों के वर्तमान स्तर पर ही इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होगा।

(च) काफी विपणन की मूल पद्धति में उपजकर्ताओं को मिलने वाला मूल्य उत्पादन लागत, उपज, कीमतों की प्रवृति, विश्वव्यापी मांग एवं सप्लाई के स्तरों आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। आई० सी० ओ० द्वारा निर्यात कोटे का प्रचलन करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने आन्तरिक बाजार में काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत में 16 प्रतिशत की तदार्थ वृद्धि करने की अनुमति दी है। काफी बोर्ड द्वारा गवेषणा, विस्तार, ऋण और विपणन सेवाएं तथा साथ ही उत्पादन प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। काफी बोर्ड विभिन्न विकास ऋण स्कीमों के अन्तर्गत काफी उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं से ऋण सुविधायें भी उपलब्ध हैं। काफी पर निर्यात शुल्क उतरोत्तर कम किया गया है। यह जून, 1980 में प्रति क्विंटल 700 रु० था जो कम करके दिसम्बर, 1980 से प्रति क्विंटल 150 रु० कर दिया गया है।

मणिपुर सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय

7211. **श्री अजय विश्वास :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार का मंहगाई भत्ते का सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ विलय करने के प्रश्न पर विचार करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) मणिपुर सरकार द्वारा जिस अधिकारी को दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की जांच करने सम्बन्धी कार्य सौंपा गया था उसने 1 सितम्बर, 1978 से पहले स्वीकार्य मंहगाई भत्ते/अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की विद्यमान दरों को मिलाकर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन मानों के संशोधन की सिफारिश की है। इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक से ब्याज मुक्त ऋण

7212. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान कुल कितनी राशि के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की सम्भावना है ;

(ख) विभिन्न विभागों में इस राशि से किन-किन परियोजनाओं के शुरू किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

(क), से (ग) : छठी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सम्भावित ब्याज मुक्त ऋणों की कुल राशि के सम्बन्ध में इस समय कोई संकेत देना कठिन है। क्योंकि बैंक द्वारा किसी परियोजना की स्वीकृति दिए जाने से पहले इसे परियोजना चक्र के कई चरणों से गुजरना पड़ता है अर्थात् परियोजना का निर्धारण, परियोजना की तैयारी, उसका मूल्यांकन, बातचीत, कार्यकारी बोर्ड के सामने प्रस्तुतीकरण और बैंक तथा ऋणकर्ता सदस्य देश के बीच करार पर हस्ताक्षर । इस समय कई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में परियोजनाओं के स्वरूप अथवा लागत, आकार और कार्य-क्षेत्र जैसे ब्यौरे के सम्बन्ध में बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इन सब बातों को बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाता है ।

विद्युत कर्घा लगाने के लिए परमिट

7213. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

*क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) मिल क्षेत्र के अतिरिक्त राज्यवार विद्युत कर्घा की स्थापना के कितने परमिट (एक) गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए ; और (दो) वास्तव में कितने विद्युत कर्घों की स्थापना की गई ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन तथ्यों को देखते हुए कि (एक) 250 सें० मी० पने से अधिक के हथकरघे इसकी भारी शटल की चाल के कारण आम प्रयोग में नहीं है ; और

(ग) निर्यात बाजार में पर्दों और बिस्तर की चादरों के लिए चौड़े पने के कपड़े की मांग में सतत वृद्धि हो रही है; बड़े पने के कर्घों के लिए चयन आधार पर नए परमिट जारी करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) अनधिकृत बिजली कर्घों के नियमन के जरिये गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए परमिटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं । उन परमिटों के ब्यौरे, जिन्हें गत तीन वर्ष के दौरान राज्य सरकारों संघ क्षेत्रों द्वारा जारी किए जाने की सम्भावना है, एकत्र किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ;

विवरण

राज्य सरकार/संघ क्षेत्र का नाम	संस्थापित कर्घों की संख्या
आंध्र प्रदेश	157
बिहार	319
गुजरात	16,812
हरियाणा	161
कर्नाटक	1,074
मध्य प्रदेश	2,265
महाराष्ट्र	34,457
पंजाब	1,620
राजस्थान	2,213
तमिलनाडु	48,163
उत्तर प्रदेश	4,785
प० बंगाल	37
दिल्ली	14
	1,12,077

तस्करों का गिरोह

7214. **श्री अजीत कुमार मेहता :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री बी० डी० सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1981 के "पैट्रियट" में प्रकाशित उस प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली-बैंकाक और दिल्ली-हांगकांग मार्गों पर दिल्ली से काम करने वाले तस्करों के कारनामें के बारे में बताया गया है, जो प्रति सप्ताह भारी मुनाफा कमा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या उपाय किये हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) सरकार को मिली रिपोटों के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल ही के दिनों बैंकाक और हांगकांग से आने वाले यात्रियों से कुछ मामलों में तस्करी का माल पकड़ा है। परन्तु, इन रिपोर्टों से, दिल्ली हवाई अड्डे से होकर दिल्ली-बैंकाक और दिल्ली-हांगकांग हवाई मार्गों पर चलने वाले वाहकों द्वारा संगठित रूप में माल की तस्करी किए जाने का संकेत नहीं मिलता है, जैसा कि उक्त खबर में कहा गया है।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों को चौकस कर दिया गया है, जिससे हवाई अड्डे से तस्करी के किसी भी प्रयास को रोका जा सके।

दिल्ली में तैनात सीमा-शुल्क अधिकारी नगर के प्रमुख बाजारों में सावधिक छापे मारते रहते हैं ताकि तस्करी के माल के सरे-आम प्रदर्शन और बिक्री को रोका जा सके।

कपास की खरीद में कमी करने का प्रस्ताव

7215. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री नरसिंह मकवाना :
श्री वी० डी० सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चालू वर्ष की कपास की खरीद में काफी कमी करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कपास की खरीद में कमी करने के क्या कारण हैं;

(ग) इससे कपास उत्पादनों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और सरकार के विचार के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कपास उत्पादकों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार का कपास के फालतू भंडार का निपटान करने का विचार है, तो कैसे निपटान करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ-उत्तरकाशी मार्ग पर होटल

7216. **श्री टी० एस० नेगी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश-बद्रीनाथ और ऋषिकेश-उत्तरकाशी मार्ग पर बने होटल सेवा स्तर और सुविधा दोनों ही दृष्टि से इन स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के स्तर के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इस प्रकार के होटल खोले जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची के अन्तर्गत ऋषिकेश-बद्रीनाथ और ऋषिकेश-उत्तरकाशी मार्ग पर कोई

होटल नहीं है । तथापि, राज्य सरकार ने इन स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अच्छे स्तर की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिये इन मार्गों पर कुछ यूनिट स्थापित किए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"स्टील इन्गोट्स इंडिया ग्रोफर्स
1 लाख टन्स टू यू० एस० एस० आर०"

7217. **श्री सूरजभान :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 के "इकानामिक टाइम्स" में "स्टील इन्गोट्स इंडिया ओफर्स 1 लाख टन्स टू यू० एस० एस० आर० शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सोवियत रूस के जिस शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की थी उसके नेता और सदस्यों के नाम तथा दर्जा क्या हैं, वे कितनी अवधि तक ठहरे, वे किन-किन अतिविशिष्ट व्यक्तियों से मिले, अपने भारतीय समकक्ष व्यक्तियों के साथ क्या-क्या विचार-विमर्श, किया, उनका क्या परिणाम निकला ।

(ग) क्या पूर्वी यूरोप के देशों को इस्पात के पिंडों के निर्यात के लिये प्रयास किये जा रहे हैं; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस्पात के पिंड ऐसे मूल्य पर निर्यात किए जा रहे हैं । जिससे भारत को हानि होती है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद ग्रालम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा पता चला है कि भारत से विशेष रूप से इस्पात पिंडों की खरीददारी के लिए, कोई सोवियत प्रतिनिधिमंडल भारत नहीं आया ।

(ग) तथा (घ) : कतिपय पूर्व यूरोपीय देशों को इस्पात पिंडों का निर्यात करने के लिये प्रयास किये गए थे लेकिन कोई संविदा नहीं की गई ।

चूंकि, पिंडों के स्टाक काफी कम हो गए हैं, इसलिये इस्पात पिंडों के निर्यात के लिये और आगे प्रयास नहीं किये जा रहे हैं । इसलिये इस्पात पिंडों के निर्यात के बेचने पर भारत को घाटा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

लाल इमली के बन्द होने की ग्राशंका

7218. **श्री निरेन घोष :**

श्री दयाराम शाक्य :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन के लाल इमली मिल के बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कच्चे माल की खरीद में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सच हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन की लाल इमली मिल का घाटा बढ़ रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊनी उत्पादों के सम्बन्ध में बराबर कम मांग के कारण हानियां हुई हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में स्टाक जमा हो गया परन्तु मांग में वृद्धि के कारण सर्दी के चालू मौसम में इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण कर लिया गया है।

(ङ) तथा (च) : सरकारी गारंटियों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता सुरक्षित कर दी गई है, सरकार द्वारा उत्पाद विविधीकरण की अनुमति दिये जाने से एकक को ऊन पर अधिक निर्भर न रहने में मदद मिली है और संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण और साथ ही बाजार मांग स्थिति में परिवर्तन आने से एकक को संकटमय दशा से बच जाने में सहायता मिलने की संभावना है।

हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलना

7219. **श्री श्री० टी० दामोदर रेड्डी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य संगठन से उन अनुरोध के रूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी, हां मामले पर गौर किया जा रहा है।

शुल्क वापसी की दरों और दावों के भुगतान के निर्धारण के लिये वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाना

7220. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुल्क वापसी की दरों और दावों के भुगतान के निर्धारण के लिये वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न की जांच करने हेतु गठित समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और उन पर कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विवरण

समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(1) शुल्क वापसी की दरें निर्धारित करने तथा शुल्क वापसी की राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में और अधिक तेजी तथा कार्य कुशलता लाई जानी चाहिए;

(2) शुल्क वापसी की सर्व उद्योग दर में कतिपय कमियों को दूर किया जाना चाहिए;

(3) सतर्कता तथा तेजी के साथ नई मदों का पता लगाकर सर्व उद्योग शुल्क वापसी दर का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। निर्यात उत्पादों के अन्तर्निविष्ट अंश को ध्यान में रख कर शुल्क वापसी की सर्व उद्योग दरें निश्चित की जानी चाहिए;

(4) जिन कच्चे माल के सम्बन्ध में भारत निवल आयातक है, उनका पता लगाने का काम प्रशासनिक मंत्रालय तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक के साथ परामर्श करके करना चाहिए ताकि उन्हें शुल्क वापसी का हिसाब लगाने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 (1) (क) के अन्तर्गत आयातित सामग्री के रूप में घोषित किया जा सके;

(5) शुल्क वापसी की सर्व उद्योग दरें निकालने के लिए अन्तर्निविष्ट वस्तुओं के अनुपात के मानदण्डों तथा छीजन के मानदण्डों को उन एककों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से निर्धारित किया जाना चाहिए जिन्हें उद्योग का वास्तविक प्रतिनिधि कहा जा सकता हो;

(6) सर्व उद्योग शुल्क की दरें, बजाय इसके कि विशेष उत्पाद के लिए विशिष्ट दर निर्धारित की जाये, निर्यात उत्पाद के अन्तर्निविष्ट अंश को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए;

(7) शुल्क वापसी के दावों के निपटान के लिए सभी सरकारी प्रयोगशालाओं के जांच निष्कर्षों को स्वीकार किया जाये। इसके अलावा ऐसी कतिपय गैर सरकारी प्रयोगशालाओं के निष्कर्षों को भी स्वीकार किया जाये जिन्हें राजस्व विभाग ने जांचों की क्वालिटी; जांच सुविधाओं

तथा ऐसे अन्य तथ्यों के बारे में, जिन्हें वे आवश्यक समझें, अपनी सन्तुष्टि के बाद मान्यता प्रदान कर दी हो;

(8) ब्रांड दरों के निर्धारण के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए जाने के वास्ते निर्यात कर दिए जाने के बाद 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। निर्यातकों द्वारा उचित व पर्याप्त कारणों के दिए जाने के आधार पर ही सीमा शुल्क वापसी निदेशालय द्वारा पूर्वोवत समय-सीमा में छूट दी जाए। ऐसे अनुपूरक दावों की दर्ज कराने के लिए भी इसी प्रकार की एक समय सीमा निर्धारित की जाए जो शुल्क वापसी दरों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करने के फलस्वरूप उत्पन्न हों;

(9) ऐसी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के लिए, जो मुख्यत: ऐसे निर्यात माल के विनिर्माण में लगी हुई हों, जिनमें उत्पादन की जटिल प्रणाली अन्तर्ग्रस्त न हो, शुल्क वापसी दरों के स्वनिर्धारण पर आधारित एक लेखा प्रणाली लागू की जाए जिसमें उपयुक्त सुरक्षा उपायों तथा विल्ट-इन-चैकों की व्यवस्था हो।

(10) शुल्क वापसी कार्यक्षेत्र से कम दरों वाली मदों (जिनमें एफ० ओ० बी० मूल्य के 2 प्रतिशत तक शुल्क वापसी दर हो) को प्रतिबद्ध कर दिया जाए। जिन निर्यातकों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उन्हें नकद मुआवजा सहायता द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाए। ऐसे निर्यात माल को शुल्क वापसी के लिए पात्र माना जाता रहे जो नकद मुआवजा सहायता के हकदार न हों।

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 76 को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि जिस न्यूनतम से नीचे शुल्क वापसी का भुगतान नहीं किया जाएगा उसे बढ़ाकर डाक द्वारा के अलावा निर्यातों के लिए 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) प्रति शिपिंग बिल और डाक द्वारा निर्यातों के लिए 50 रु० किया जा सके।

(12) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में शब्द निर्यात' की परिभाषा को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि जहां निर्यात प्रयोजनों के लिए लादे गए माल के लिए लदान पत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और जहां ऐसा माल वापस नहीं लिया गया है, उन्हें शुल्क वापसी के प्रयोजनार्थ निर्यातित हुआ माना जा सके;

(13) प्रायोगिक उपाए के रूप में, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों का सहयोग कतिपय चुनिन्दा वस्तुओं के लिए शुल्क वापसी की दरों के निर्धारण के लिए (और साथ ही शुल्क वापसी के अन्तर्गत शामिल करों के अंश के निर्धारण के लिए ताकि नकद प्रतिपूर्ति सहायता में उनके अंश का ठीक-ठीक निर्धारण किया जा सके) लिया जा सकता है।

(14) समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए कार्यभार का निष्पादन करने के लिए शुल्क वापसी निदेशालय का बम्बई में एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जा सकता है।

कनाडा से कोकिंग कोयले का आयात

7221. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और कनाडा के मध्य कोकिंग कोयले के आयात हेतु बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) ने दस लाख टन कोककर कोयला खरीदने के लिए अगस्त, 1980 में विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित की थीं। प्राप्त हुई निविदाओं के आधार पर सेल ने वर्ष 1981-82 में कनाडा से 2,00,000 टन कोककर कोयला खरीदने के लिए 6 अप्रैल, 1981 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

राज्य व्यापार निगम की निर्यात से होने वाली आय में कमी

7222. **श्री रशीद मसूद :**
श्री वी० डी० सिंह :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम की निर्यात से होने वाली आय में तेजी से कमी होने का पूर्वानुमान है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम को निर्यात से होने वाली आय में कितनी प्रत्याशित हानि होगी और उसके प्रमुख कारण क्या हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम के निर्यात अनन्तिम रूप से 461 करोड़ रु० के होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 636 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारण हैं : चीनी तथा सीरे जैसी कुछ निर्यात मदों की सीमित उपलब्धता और काफी, अरंडी के तेल तथा अर्ध-साधित चमड़े जैसी अन्य मदों के लिए मंद बाजार परिस्थितियाँ। राज्य व्यापार निगम ने 1981-82 के दौरान निर्यातों के लिए 568 करोड़ रु० का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए राज्य व्यापार निगम गैर-सरणीबद्ध निर्यात मदों, विशेष रूप से विनिर्मित उत्पादकों के निर्यात बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए राज्य व्यापार निगम का विचार है कि वह चमड़ा उत्पादों, फलों, मांस तथा मछली उत्पादों तथा हल्के इंजीनियरी उत्पादों जैसे कुछ चुने हुए उत्पादों के सम्बन्ध में क्षमता सृजन परियोजनाएं आरंभ करे।

नीलगिरी और कोडईकनाल से साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड को लुगदी बनाने की लकड़ी के परिवहन में राजस्व का अपवंचन

7223. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरी और कोडई कनाल से साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड को लुगदी बनाने की लकड़ी के परिवहन में राजस्व अपवंचन के किसी मामले का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का अपवंचन सूचित किया गया है ; और

(ग) इस मामले में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड के मामले में, वनों से कारखाने को लुगदी बनाने की लकड़ी भेजने से सम्बन्धित मामले की आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) **और** (ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये माल की मात्रा और राशि

7224. **श्री सतीश अग्रवाल .**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम और ग़ैर-सरकारी कम्पनियों तथा 'फेरा' कम्पनियों द्वारा गत दो वर्षों, 1979-80, 1980-81 में सीधे अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितनी मात्रा में कितने मूल्य का माल निर्यात किया गया;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अथवा सीधे कौन से, कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में माल का निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए इनमें से प्रत्येक कम्पनी तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1981-81 के लिये अनुमानतः कितना निर्यात किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : 1979-80-तथा 1980-81 (अनन्तिम) के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातित वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 636.3 करोड़ रु० तथा 461 करोड़ रु० है।

निर्यात की गई वस्तुओं की मात्रा बताना कठिन है क्योंकि मिश्रित वस्तुओं के निर्यात किए जा रहे हैं। उपरोक्त निर्यातों में राज्य व्यापार निगम की मार्फत निजी कम्पनियों तथा एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों के निर्यात का भाग निम्नलिखित है:—

(करोड़ रु०)

	1979-80	1980-81 (अनन्तिम)
निजी कम्पनियां	295.8	257.7
एफ० ई० आर० ए० कम्पनियां	1.0	0.8

निर्यात की गई वस्तुएं निम्नलिखित वर्गों में आती हैं:—

—कृषि संबंधी वस्तुएं

—उपभोक्ता वस्तुएं तथा आर्मी साफ्टवेयर मदें
—निर्माण सामग्री
—इन्जीनियरी उत्पाद
—ताजी तथा संसाधित वस्तुएं
—चमड़े की वस्तुएं
—मांस तथा समुद्री उत्पाद
—अरण्डी का तेल
—चीनी तथा सीरा
—वस्त्र तथा कयर उत्पाद ।

(ग) 1981-82 के दौरान अस्थायी रूप से राज्य व्यापार निगम के निर्यातों का मूल्य 568 करोड़ रु० आंका गया है। निजी कम्पनियों तथा एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों द्वारा राज्य व्यापार निगम की मार्फत सप्लाई की जाने वाली मात्राएं उनकी प्रतियोगिता क्षमता पर निर्भर करेंगी और इस समय उनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

बैंककारी सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली द्वारा संयुक्त परीक्षा का आयोजन

7225. **श्री चित्त बसु :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंककारी सेवा शर्तों भर्ती बोर्ड दिल्ली ने 1980 में टंकक एवं लिपिक तथा खजांची एवं लिपिक की संयुक्त परीक्षा आयोजित की थी और क्या विज्ञापन में प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग पदों की संख्या नहीं दर्शायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन व्यक्तियों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में 50 प्रतिशत से कम अंक लिए थे; उन्हें टंकक एवं क्लर्क के पदों के लिए बुलाया गया है जबकि जिन लोगों ने खजांची एवं लिपिक के पदों के लिए, आवेदन किया था, उन्हें लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार में 70 प्रतिशत से भी अधिक अंक प्राप्त करने पर भी नियुक्त नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विज्ञापन में अलग-अलग पदों की संख्या क्यों नहीं दर्शायी गई थी जिससे आवेदक आवेदन देते समय पदों की संख्या के आधार पर अपनी नियुक्ति के अवसरों का अनुमान नहीं लगा पाए।

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली ने वर्ष 1980 में लिपिक वर्गीय काडर में लिपिकों, टंककों तथा अन्य पदों के लिए एक सम्मिलित परीक्षा ली थी। बोर्ड ने विज्ञापन में प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों का अलग-अलग उल्लेख किया था।

(ख) इस बोर्ड के अनुसार, टंककों के पदों के लिए, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कुशलता (स्किल) परीक्षा के लिए बुलाया गया था और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए केवल उन्हीं का साक्षात्कार किया गया था। परन्तु लिपिकों के मामले में, लिखित परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को काफी ऊंचे अंक प्राप्त हुए थे, उनको साक्षात्कार

के लिए बुलाया गया था। कुशलता (स्किल) की परीक्षा केवल टंककों के पदों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ली जाती है जबकि लिपिकों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिर्फ लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार होता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बम्बई के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा रियायती दर पर एल-बेस की स्वीकृति

7226. **श्री पीयूष तिरकी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई का सीमा-शुल्क विभाग सार्वजनिक अधिसूचना संख्या 64/79 के संदर्भ में रियायती शुल्क दर पर एल-बेस की स्वीकृति दे रहा है तथा निर्माताओं से "बांड स्वीकार कर रहा है कि इसका प्रयोग औषधियों के निर्माण में किया जाएगा;

(ख) क्या उन्होंने वास्तविक प्रयोक्ताओं से "बांड" स्वीकार करने के बजाय अधिकार-पत्र धारकों से "बांड" स्वीकार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या अधिकार-पत्र धारक "एन्डयूज" प्रमाण-पत्र देने में सक्षम हैं और यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में गैर-निर्माताओं से "बांड"स्वीकार करने की अपनी कार्यवाही को कानून के किन उपबन्धों के अन्तर्गत उचित ठहराती है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : अधिसूचना सं० 64/79, दिनांक 6 मार्च, 1979 में, अन्य द्रव्यों के साथ-साथ एल-बेस को उसका विदेशों से आयात किये जाने पर सीमा-शुल्क से आंशिक छूट की व्यवस्था है। उक्त छूट इस शर्त के अधीन दी जाती है कि सीमा-शुल्क विभाग के समाधानार्थ यह साबित करने के लिये कि आयातित माल का इस्तेमाल औषधियों के विनिर्माण में किया गया है, उक्त माल का आयातकर्ता एक बन्धपत्र निष्पादित करके अपने आपको वचनबद्ध करे। जिन मामलों में उक्त माल का आयात, प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा किया जाता है, उनमें उसे ही आयातकर्ता के रूप में बन्ध-पत्र का निष्पादन करना होता है, न कि उक्त रसायन के वास्तविक प्रयोक्ता को। तदनुसार, बम्बई सीमा-शुल्क गृह ऐसेमामलों में प्राधिकार-पत्र धारकों द्वारा निष्पादित बन्ध-पत्र स्वीकार करता रहा है।

(ग) बन्ध-पत्र के अनुसार, प्राधिकार-पत्र धारकों को आयातित रसायनों के उपयोग विषयक साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है, जो औषधि नियंत्रक, उद्योग निदेशक आदि जैसे प्राधिकारी द्वारा द्वारा जारी किये गये अन्त्य प्रयोग प्रमाण-पत्रों के स्वरूप का हो सकता है। यदि अन्त्य प्रयोग के बारे में सीमा-शुल्क विभाग का समाधान नहीं होता है, तो प्राधिकार-पघ धारक के खिलाफ बन्धपत्र को प्रवर्तित किया जा सकता है।

छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए प्रावधान

7227. **श्री मार्तण्ड सिंह :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान, मध्य प्रदेश में, पर्यटन-स्थलों के विकास के लिए क्या प्रावधान रखा गया है;

(ख) नये पर्यटन-स्थलों का विकास करने की संभाव्यताओं को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने छठी योजना में, मध्य प्रदेश स्थित बान्धोगढ़ को एक पर्यटक-केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रावधान करने के एक प्रस्ताव को विचार में रखा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) पर्यटन के विकास के लिए राज्य-वार आधार पर राशि प्रदान नहीं की जाती, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने की केन्द्रों की संभाव्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। तदनुसार ऐसे केन्द्रों पर विकास के लिए प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों के आधार पर धन-राशि प्रदान की जाती है।

(ख) मध्य प्रदेश में विकास हेतु प्रारम्भ किए जाने वाले यात्रा परिपथों में से एक के अन्तर्गत बांधवगढ़ वन्य जीव विहार को शामिल कर लिया गया है। इसके विकास के लिए जुटायी जाने वाली धन-राशि की मात्रा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के प्रकार और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए धन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वित्त मन्त्रालय के लेखा-नियंत्रक के कार्यालय में रिक्तियां

7228. **श्री एम० अरुणाचलम :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

19 मार्च, 1981 को वित्त मन्त्रालय के लेखा-नियंत्रक के कार्यालय में प्रत्येक काडर अर्थात कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन तथा लेखा अधिकारी (पे एण्ड अकाउंट्स आफिसर) आदि की रिक्तियों की स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

19 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार वित्त मन्त्रालय के लेखा-नियंत्रक के कार्यालय में प्रत्येक संवर्ग के सम्बन्ध में रिक्ति की स्थिति निम्न प्रकार है:—

संवर्ग	रिक्ति की स्थिति
लेखा नियंत्रक	शून्य
उप लेखा नियंत्रक	शून्य
वेतन तथा लेखा अधिकारी	शून्य
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1
वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखाकार	12
आशुलिपिक	—
लिपिक	1
समूह 'घ'	शून्य

विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध कोच तथा कारों की किस्म

7229. **श्री गुफरान आजम :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ उपलब्ध कोच तथा कारों की किस्म से संतुष्ट है;

(ख) सड़क परिवहन में सुधार करने के बारे में ट्रैवल एजेण्ट्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दिए गये ज्ञापन पर उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय देश में निर्यात तथा पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यापार निगमों की विक्रय योग्य कारों पर आयात शुल्क में कमी करने और रिआयतें देने जैसे प्रोत्साहनों पर विचार कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

(क) विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर उपलब्ध टूरिस्ट कोचों और टैक्सियों का स्तर समान रूप से अपेक्षित स्तर का नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करते हुए पर्यटकों के लिए सड़क परिवहन के स्तर में सुधार लाने संबंधी साधनों की जांच कर रहा है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा सैकिंड हैंड आयतित कारें एक विशेष रियायत के नाम पर पर्यटक संवर्धन कोटा के अधीन आरक्षित कीमत पर पर्यटक लोगों के प्रयोग के लिए अर्पित की जाती हैं । इन कारों पर आयात शुल्क नहीं लिया जाता ।

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने वाले पर्यटक

7230. **श्री शिव कुमार सिंह :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करने वाले पर्यटकों को रहने की उचित सुविधायें न मिलने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिये कितने होटल खोले गये और वे कहां-कहां पर हैं; और

(घ) विश्राम-गृहों तथा होटलों का निर्माण करने वाले संगठनों तथा व्यक्तियों को किन शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) केंद्रीय सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि सभी प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर पर्याप्त आवास उपलब्ध है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खजुराहो, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, भोपाल और सांची में अच्छे स्तर के होटल हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भी ग्वालियर, खजुराहो; माण्डु, ओरछा पचमढ़ी, शिवपूरी, कान्हा-किसली, जबलपुर, बांधवगढ़, उज्जैन, भोपाल और सतना में आवास यूनिटों का प्रबन्ध करता है। केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों में यूनिटों की कुल संख्या 15 है। भोपाल में युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक यूथ होस्टल भी है।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अनुमोदित होटल परियोजनाओं को दिए गए 75 लाख रुपए तक के ऋण पर एक प्रतिशत डिफरेंशल सब्सिडी देता है, बशर्ते कि संबंधित होटल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के साथ की गई वचन-बद्धताओं की पूर्ति में कोई चूक न करे। मध्य प्रदेश वित्त निगम परियोजना की अचल परिसम्पत्ति का 55 प्रतिशत तक होटल और लाँजों के निर्माण के लिए ऋण देता है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम द्वारा 14-1/4 प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाता है, साथ ही समय पर ऋण अदा करने पर एक रिवेट दिया जाता है।

राजस्थान में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले जाना

7231. **श्री जय नारायण रोट :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले जाएंगे और आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि में किन स्थानों पर खोले जाएंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ बैंक राजस्थान के आदिवासी लोगों के लाभ के लिए उस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) से (ग) : इस समय राजस्थान में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर० आर० बी०) कार्यरत हैं जिनकी व्याप्ति 8 जिलों में हैं। इस प्रकार के दो और बैंकों के शीघ्र खोले जाने की सम्भावना है जिनकी व्याप्ति के अन्तर्गत 4 और जिले आ जाएंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उनके स्थानों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निर्णय किया जाता है। अतः निश्चित रूप से उन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं हैं। जहां छठी आयोजना की अवधि में इस प्रकार के बैंक खोले जाएंगे।

अलबत्ता, राजस्थान सरकार ने एक ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक की स्थापना के लिए सिफारिश की है जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले आए। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कतिपय आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि इस क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक की स्थापना के बारे में निर्णय दिया जा सके। राज्य सरकार से आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

7232. **श्री चित्त महाटा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से नोटिस प्राप्त हुआ है कि श्रेणी III और IV के कर्मचारी 2 अप्रैल, 1981 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की मांग के बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) और (ख) : जीवन बीमा निगम की तीसरी और चौथी श्रेणी के अधिकांश कर्मचारी 2 अप्रैल, 1981 से हड़ताल पर चले गये हैं। उनकी मांगे ये हैं :

(1) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 को वापस लिया जाए;

(2) सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में प्रचलित प्रथा के अनुसार बोनस और महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा लागू करने वाली 2 फरवरी, 1981 की अधिसूचना रद्द की जाए; और

(3) 1974 के समझौते के अनुसार, जो 1977 में समाप्त हो गया था, बोनस की अदायगी की जाए।

चूंकि कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं और मामले की सुनवाई जारी है, अतः यह न्यायालय के विचाराधीन है।

बैंक नोट प्रेस, देवास में दूसरी पारी

7233. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश में दूसरी पारी आरम्भ करने का प्रस्ताव वर्ष 1977-78 से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की गई है और दूसरी पारी आरम्भ करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) वह कब तक आरम्भ कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : पहली पारी के दौरान इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने के प्रश्न सहित प्रस्ताव के विभिन्न प्रभावों के संबंध में अध्ययन किया जा रहा था। फैसले किये जाने में कुछ समय लगने की संभावना है।

इंडियन वूलन निटविअर्स द्वारा भाड़े में राज सहायता की मांग

7234. **श्री भीकू राम जैन :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी माल के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से इंडियन वूलन निटविअर्स द्वारा दूरी के कारण भाड़े में 50 प्रतिशत राजसहायता तथा अतिरिक्त राहत की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ के मलंगटोली में निक्षेप

7235. **श्री के० पी० सिंह देव :**

क्या **इस्पात और खानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले की मलंगटोली पहाड़ियों समृद्ध लोहे एवं मैंगनीज अयस्क के समृद्ध निक्षेप मिले हैं;

(ख) यदि हां तो कितने और इन निक्षेपों की किस्म क्या है; और

(ग) इन निक्षेपों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों के मलंगटोली खंड में सभी ग्रेड के लोह अयस्क के कुल 608.7 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान लगाया है। इसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बी० एफ० और जी० खंडों में आकलित 63% औसत ग्रेड के 340 मिलियन टन अयस्क के प्रमाणित भंडार शामिल हैं।

(ग) इन अयस्कों की देशी खपत या निर्यात हेतु मांग के अभाव में इन भंडारों का विकास शुरू नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम के अधीन होटलों का उद्योग के रूप में वर्गीकरण

7236. **श्री तारिक अनवर :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध रिआयतों के लिए 'उद्योग' के रूप में माना जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के विशेष कारण क्या हैं;

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली अन्य गतिविधियों के समान भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले होटल (3 से 5 सितारे वाले) को उद्योग के रूप में ने मानने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सरकार का विचार पूंजी प्रधान अन्य उद्योगों की तरह नये होटलों की स्थापना के लिए अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) क्या सरकार स्वीकृत होटलों की विदेशी मुद्रा आय को विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बद्ध करने के किसी फार्मूले पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ङ) : आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन, होटलों को निम्नलिखित विशिष्ट कर रियायतें प्राप्त हैं, अर्थात्:—

(1) आयकर अधिनियम की धारा 32 (I) (V) के अन्तर्गत, किसी कम्पनी के स्वामित्व वाले अनुमोदित होटल की इमारत की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की प्रारम्भिक मूल्यह्रास छूट की, कर लगने योग्य लाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 80 ज ज के अन्तर्गत, कोई कर-निर्धारिती, पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किसी होटल के कारोबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों के संबंध में प्रारम्भिक दस कर-निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों अथवा अभिलाभों के 20 प्रतिशत की कटौती पाने का हकदार है।

(3) आयकर अधिनियम की धारा 80 झ के अन्तर्गत, कोई कर-निर्धारिती जो एक ऐसी कम्पनी हो जिसका कोई अनुमोदित होटल है, प्रारम्भिक आठ कर-निर्धारण वर्षों के लिए अपनी कर लगने योग्य आय की संगणना में लाभों तथा अभिलाभों के 25 प्रतिशत की कटौती का हकदार है।

(4) कर-निर्धारिती, संगत पिछले वर्ष के दौरान एक अनुमोदित होटल में लगायी गई मशीनरी अथवा संयंत्र पर सामान्य छूट के 50 प्रतिशत की अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट पाने का हकदार है।

(5) कर-निर्धारिती, किसी होटल में प्रयुक्त फर्नीचर तथा फिटिंग पर, अन्य मामलों में 10 प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत की उच्चतर दर पर, मूल्यह्रास छूट पाने का हकदार है।

होटलों के मामले में पहले से उपलब्ध कर रियायतों की अधिक संख्या को देखते हुए, जिनमें से कुछ रियायतें उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिये दी गई हैं, होटलों के मामले में और कोई कर रियायत देने के सम्बन्ध में फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, होटल उद्योग में अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश के संबंध में मल्होत्रा समिति ने कुछ सिफारिशें की है। इस समिति की रिपोर्ट पर सरकार अभी विचार कर रही है।

1980 के लिये नई निर्यात नीति

7237. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दशक के लिये नई निर्यात नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) विशिष्ट फालतू निर्यात बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक तथा गैर-आर्थिक प्रोत्साहन बिना किसी अनिवार्य निर्यात देयताओं के ऐसे फालतू निर्यात की गारंटी देने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान नीतियों में क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (घ) : निर्यात संवर्धन को, जिसे एक सर्वोत्तम राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है, ये उपाय करके प्राप्त करने की कोशिश की जाती है : निर्यातों के लिए उत्पादन पर घरेलू रुकावटों को दूर करना, अद्यतन प्रौद्योगिकी के उदारतापूर्वक आयात, निर्यातों के लिए कच्चा माल तथा संघटक, निर्यातों के लिए वित्त व्यवस्था में विस्तार क्रियाविधियों का सरलीकरण, निर्यातों की प्रतियोगिता शक्ति में सुधार, नये उत्पादों का प्रचन तथा नये बाजारों का पता लगाना आदि ।

पहले ही किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों में निम्नोक्त शामिल हैं :—

(1) "लाइसेंस क्षमता" तथा "प्रधानता" के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना ।

(2) उस मामले में निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहां उस वस्तु में परिवर्तन किया जाना है और किसी औद्योगिक इकाई को उसके विनिर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है ।

(3) ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आयातों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एकमुश्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो ।

(4) सभी शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाईयों को मुक्त व्यापार जोन जैसा ही व्यवहार प्रदान करना ।

(5) निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वतः विस्तार करने की अनुमति देना ।

(6) महानगरीय शहरों में नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ऐसे एककों को जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हैं चयनात्मक आधार पर छूट देना ।

(7) 11.85 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर लदानपूर्व ऋण 180 दिन की अवधि के लिए कई इन्जीनियरी और अन्य अभिमुख उद्योगों को दिया गया है । जो एक्जिम बैंक शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है, उससे निर्यात वित्त की व्यवस्था में विस्तार की आशा है ।

इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की संभावना का भी पता लगा रहा है ।

शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब के मामलों को कम करने तथा क्रियाविधियों का

सरलीकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। काफी तथा अर्धसाधित चमड़े पर से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है और हेसियन पटसन से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

निर्यात संवर्धन को राजकोषीय समर्थन देने के लिए 1981-82 के बजट में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है :—

(1) निर्यात अभिमुख उद्योगों के 14 समूहों को उन उद्योगों के क्षेत्राधिकार में लाया गया है जिनको निवेश भत्ता अथवा करावकाश उपलब्ध है।

(2) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यात अभिमुख उद्योगों को अन्य राजकोषीय रियायतों के बदले में शुरू के 5 वर्षो के लिए पूर्ण करावकाश देने की अनुमति दी गई है।

(3) आयकर अधिनियम की धारा 35 ख, के अन्तर्गत, जो कर योग्य लाभों की गणना में भारित छूट देता है, कार्यकलापों के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

(4) इलैक्ट्रानिक्स के सम्बन्ध में, जो कि श्रम प्रधान उद्योग भी है और निर्यात अभिमुख उद्योग भी है, इलैक्ट्रानिक संघटकों के उत्पादन में पूरी तरह से लगी हुई भारतीय कम्पनी से घरेलू कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश पूरी तरह से आयकर से मुक्त है।

हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गई 1981-82 की निर्यात-आयात नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है : (1) उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने तथा उपलब्ध क्षमताओं का पूर्णतर उपयोग कर सकने के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था करना। (2) आयातों पर निर्भरता को और कम करना। (3) निर्यातों को अधिक प्रोत्साहन देना और (4) प्रक्रियाओं को और सरल करना तथा सुकर बनाना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानों को तीसरी विमान सेवा से जोड़ना

7238. **श्री डूमर लाल बैठा :**
श्री सन्तोष मोहन देव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तीसरी विमान सेवा चालू की है ;

(ख) क्या यह सच है कि विमान सुविधाओं की दृष्टि से देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत अधिक उपेक्षित है; यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों को अर्थात् पूर्णिया, फारबेसगंज, बागडोगरा आदि को, जोड़ने के प्रश्न पर विचार करेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्णिया में परित्यक्त सैनिक हवाई अड्डे, फारबेसगंज स्थित हवाई पट्टी और बागडोगरा में वर्तमान हवाई अड्डे का उन पर अधिक धनराशि खर्च किये बिना, तीसरी विमान सेवा द्वारा लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि इस बात को देखते हुये कि सुरक्षा तथा

सामरीक दृष्टि से ये सीमावर्ती शहर महत्वपूर्ण हैं. इन स्थानों के जोड़े जाने पर विचार किया जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) जी, हां। तीसरी वायु सेवा "वायुदूत" ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 26 जनवरी, 1981 से परिचालन आरम्भ कर दिये हैं।

(ख) और (घ) : वायुदूत ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आठ स्टेशनों अर्थात् कैलाशहर, कमालपुर, अगरतला, तेजू, गोहाटी, रूपसी, बारापानी तथा डिब्रूगढ़ को विमान सेवा से जोड़ा है। वायुदूत सेवाओं को अन्य स्टेशनों तक बढ़ाने का कार्य अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) पूर्णिया उन स्टेशनों में से एक है जिन्हें ब्रेगेंजा समिति ने तीसरी वायु सेवा द्वारा विमान सेवा से जोड़ने की सिफारिश की है। पूर्णिया स्थित रक्षा मंत्रालय का विमान क्षेत्र वायुदूत द्वारा इस समय परिचालित एफ-27 विमान के लिए उपयुक्त नहीं है। जब कभी भी छोटे विमान प्राप्त कर लिए जाएंगे, पूर्णिया को वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़ने पर विचार किया जाएगा। फारबेसगंज हवाई पट्टी तीसरी वायु सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, ब्रेगेंजा समिति ने भी इसकी सिफारिश नहीं की है। इंडियन एयरलाइंस बागडोगरा के लिए तथा से पहले ही परिचालन कर रही है।

वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शासी निकायों में किसानों का भाग लेना

7239. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्षज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले प्रत्येक राज्य के किसानों को स्टेट बैंक, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य ऐसी वित्तीय संस्थाओं, जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि-औद्योगिक विकास के साधन जुटाने में कार्यरत हैं, वे शासी निकायों में शामिल करने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं, जिससे उन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित वित्त का ठीक-ठीक आकलन सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) से (ग) : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 (क) में अपेक्षित है कि किसी बैंकिंग कम्पनी के निदेशक मण्डल के कुल सदस्यों में से कम से कम 51 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होने चाहिएं जिन्हें निम्नलिखित विशिष्ट विषयों में से एक या अनेक का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो अर्थात् लेखाकार्य, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, छोटे पैमाने के उद्योग और कोई अन्य विषय जो रिजर्व बैंक के विचार से बैंकिंग कम्पनी के लिए उपयोगी हो सकता हो। इसके अलावा निदेशकों की उपर्युक्त संख्या में से

कम से कम दो व्यक्ति ऐसे होने आवश्यक हैं जिन्हें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता या छोटे पैमाने के उद्योग के विषय में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में भी भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से कम से कम दो और अधिक से अधिक 6 ऐसे निदेशक सांविधिक रूप से नामित किये जाना अपेक्षित है जो सहकारी संस्थाओं के काम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान अथवा वाणिज्यिक, उद्योग, बैंकिंग या वित्त का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से हो। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में भी राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 की धारा (3) (ङ) में भी प्रत्येक बैंक में किसानों में से एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति का उपबंध है जो किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो। इस प्रकार सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के वाणिज्यिक बैंकों से सांविधिक रूप से यह अपेक्षा है कि वे अपने निदेशक मण्डलों में ऐसे व्यक्तियों को रखें जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। विभिन्न संस्थाओं के निदेशक मण्डलों में नियुक्तियां करते समय इन सांविधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है।

आयकर अधिकारियों द्वारा विदिशा में बहुमूल्य वस्तुयें बरामद किया जाना

7240. **श्री के० लकप्पा :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आय कर अधिकारियों ने हाल ही में, विदिशा जिला मुख्यालय के भोपाल के निकट एक आभूषण विक्रेता के यहाँ लगभग 20 लाख रुपये के मूल्य में हीरे, स्वर्ण, चांदी तथा नकदराशि बरामद किये हैं; जैसा कि 29 जनवरी, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : जी, हां। आयकर विभाग ने 22 तथा 23 जनवरी, 1981 को विदिशा में मेसर्स रामचन्द पूरनचन्द के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों तथा उनसे सम्बद्ध मामलों में तलाशियाँ ली हैं। इन तलाशियों के दौरान 7.994 कि० ग्राम वजन के रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण, चांदी बुलियन, चांदी के गहने, 142.386 कि० ग्रा० वजन के चांदी के बर्तन, 3341 चांदी के सिक्के तथा 27,230 रु० की नकदी पकड़ी गयी। उपर्युक्त परिसम्पत्तियों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। इन मामलों में जांच जारी है। जांच पूरी होते ही, चूककर्त्ताओं/कर-अपवंचकों के विरुद्ध कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उड़ीसा के नागरिक पूर्ति विभाग को वित्त दिया जाना

7241. **श्री हरिहर सोरन :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा नागरिक पूर्ति निगम को कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान किन्हीं अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उड़ीसा के नागरिक पूर्ति निगम को धन दिया गया है; और

(ग) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) विश्व बैंक द्वारा 1980-81 के दौरान उड़ीसा सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई ।

(ख) और (ग) : निगम ने स्वयं अपनी अल्पावधि जमा राशियों के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक से अल्पावधि के लिए ओवरड्राफ्ट सीमा का लाभ उठाया था । यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा सरकार को खाद्यान्न की वसूली के लिए उपलब्ध कराये गए ऋण के हिस्से का उपयोग कर रहा है । भारतीय स्टेट बैंक, सिद्धान्त रूप में, निगम के वित्तपोषण के लिये सहमत हो गया है तथा एक निश्चित प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अवहेलना

7242. **श्री हीरालाल आर० परगार :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा सामान्य उम्मीदवारों की पदोन्नति करते समय अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के नामों की अवहेलना की है जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी पदोन्नति के पात्र थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा अगली बार उनके नामों पर विचार किया जाएगा; और

(घ) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने इस विषय पर गृह मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

(ग) जी, नहीं ।

स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड में पदोन्नतियां

7243. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० में पदोन्नति के मामले में यहां तक कि कभी-कभी किसी विशेष पद के लिए तकनीकी अर्हता में छूट देकर कोई भेदभाव बरता जाता है तथा;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पदोन्नति किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) से (ग) : सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के निगम-कार्यालय से है । उस कार्यालय में पदोन्नतियों के मामले में कोई भेद-भाव नहीं बरता जा रहा है ।

भारत और युगोस्लाविया के बीच घटता व्यापार

7244. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एस० बी० सिदनाल :-

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत और युगोस्लाविया वे घटते व्यापार पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विचार दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों ने व्यक्त किया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई उपाय शुरू किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, इन दो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : 16 से 19 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में भारत युगोस्लावयाई आर्थिक सहयोग, संयुक्त समिति के 13 वें अधिवेशन के दौरान भारत-युगोस्लावयाई विदेश व्यापार मन्त्री और भारतीय वाणिज्य मंत्री ने दोनों देशों के बीच गिरते हुए व्यापार परिमाण पर चिन्ता व्यक्त की, जो 1977 में 196 मिलियन डालर से गिरकर 1979 में 105 मिलियन डालर हो गया। 1980 में कुल व्यवसाय लगभग 114 मिलियन डालर था जो कि 1979 की तुलना में अधिक रहा।

(ग) तथा (घ) : गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से और दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों ने विभिन्न उपाय अपनाने पर सहमति व्यक्त की जैसे कि अपने अपने व्यापारिक सगठनों के बीच दीर्घकालिक संविदागत प्रबंधों को प्रोत्साहन देना, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, एक दूसरे के बाजार में नई वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों, पूंजीगत माल और इन्जीनियरी मदों को शामिल करके व्यापार पद्धति का विविधीकरण करना। दोनों पक्षों ने मात्राओं सहित उन वस्तुओं की सूचियों का भी आदान-प्रदान किया है जिन्हें एक देश द्वारा दूसरे को 1981 से 1985 तक की दीर्घकालिक अवधि में सप्लाई किया जा सकता है।

देवालयों को भेंट स्वरूप स्वर्ण आभूषणों को उत्पादक कार्यों में उपयोग करने की योजना

7245. **श्री पी० के० कोडियन :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देवालयों में भक्तों की ओर से भेंट स्वरूप चढ़ाये गये काफी स्वर्ण आभूषण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देवालयों से यह अनुरोध करने का है कि उनका उपयोग उत्पादक कार्यों के लिये किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के उपबंधों के अन्तर्गत सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के पास 13-12-1979 की स्थिति के अनुसार 9430 किलोग्राम सोना था जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। इस मात्रा में ऐसा सोना सम्मिलित नहीं है, जिसे सार्वजनिक धार्मिक संस्थाएं 2 किलो ग्राम की छूट की सीमा के अन्दर रख सकती हैं और जिसके लिए कोई घोषणा नहीं करनी होती है।

इस सोने का उपयोग उत्पादक कार्यों में करने के लिए देवालयों से अनुरोध करने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कम्पनियों द्वारा पूँजी जुटाना और बोनस शेयर जारी करना

7246. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम वाली कम्पनियों के मामले में पूँजी जुटाने और बोनस शेयर जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के आधार क्या हैं;

(ख) कितने मामलों में पूँजी में वृद्धि करने और बोनस के मामलों के लिए स्वीकृति दी गई है और इन दोनों वर्गों में ऐसी कम्पनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) किन-किन कम्पनियों के और कितनी राशि बढ़ाए जाने के आवेदन-पत्र सरकार के पास निर्णय हेतु विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

(क) भारतीय तथा "फेरा" कम्पनियों के मामले में पूंजी जुटाने तथा बोनस शेयर जारी करने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभिस्वीकृति तभी दी जाती है जब कि प्रस्ताव, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947 तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है (ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-2335/81)।

(ग) तथा (घ) ऐसी सभी कम्पनियों के नाम बताना संभव नहीं है जिनके आवेदन-पत्र सरकार के पास निर्णय के लिए विचारधीन है और न ही प्रत्येक मामले में विलम्ब के कारण बताना संभव है। परन्तु यदि किसी एक विनिर्दिष्ट कम्पनी के बारे में सूचना मांगी जाए तो उसके सम्बन्ध में सूचना दी जा सकती है।

प्रवर्तन विभाग द्वारा मैसर्स सूमीतोमो कारपोरेशन की जांच किया जाना

7247. **श्री आनन्द पाठक :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन विभाग की जांच में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उपरोक्त विभाग ने जापानी व्यापारिक फर्म, मैसर्स सूमीतोमो कारपोरेशन, जिसका कार्यालय बम्बई में है, का जांच कार्य पूरा कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय अभी जांच कर रहा है। इस समय ब्यौरा देने से प्रभावी जांच में रुकावट आएगी।

मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो और जापान की व्यापारिक फर्मों के बीच सम्बन्ध

7548. **श्री आनन्द पाठक :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड और जापान की व्यापारिक फर्मों, जो कम राशि के बिल बनाकर भारत से बाहर धनराशि भेज रही हैं, के बीच सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिये कोई सामग्री मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

मामले की जांच की जा रही है ?

मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड और जापान की कम्पनियों के बीच हस्ताक्षरित करार

7249. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग को मैसर्स सोसीदोदे-द-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड और जापान की कम्पनियों के बीच हस्ताक्षर किये गये करार के दो सैट मिले हैं; और

(ख) उनके खिलाफ आयकर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : मैसर्स सोसीदीदे-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्रा० लि० के मामले की अभी जांच की जा रही है। पकड़े गये दस्तावेजों के स्वरूप और विषय वस्तु का इस समय उल्लेख करने से प्रभावी जांच में बाधा आयेगी।

वर्ष 1969-70 के दौरान जारी किये गए भारतीय रिजर्व बैंक के इस्तेमाल शुदा चैकों के बन्डल का पाया जाना

7250. **श्री के० ए० राजन :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में क्विलोन से प्रकाशित होने वाले दिनांक 27 फरवरी, 1981 के मलयालम दैनिक 'जनयुगम' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1969-70 की अवधि के दौरान जारी किये गये भारतीय रिजर्व बैंक के इस्तेमाल शुदा चैकों का एक बन्डल एक छोटे से दुकानदार के पास पाया गया है, जो उसके पास रद्दी के रूप में आया था,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भुगताए गए चैकों को सम्बन्धित बैंक मैनेजर कम से कम 15 वर्ष तक अपने अधिकार में गुप्त रखता है और इस अवधि के समाप्त होने के बाद भी इन्हें जलाकर नष्ट कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित समयाविधि से पहले पाए गए इन चैकों के मामले में कोई जांच पड़ताल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) जी, हां ।

(ख) समाचार के अनुसार, भुगतान किये गये चैक, वे चैक थे जो केरल राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 1969-70 में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम काटे गए थे । भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में यह सूचित किया है कि उन वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक मेनुअल में दिए गए हैं, "जून और दिसम्बर में समाप्त होने वाली प्रत्येक छमाही में, खाताधारियों से उस दिन उनकी शेष जमा रकमों के बारे में पुष्टि प्राप्त होने पर "पेड करेंट एकाउंट चैक" यथाशीघ्र उन्हें लौटा दिए जायेंगे ।" भारतीय रिजर्व बैंक ने यह पुष्टि की है कि केरल राज्य सहकारी बैंक द्वारा 1969-70 की अवधि से सम्बन्धित जारी किए गए प्रदत्त चैक उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार, उसे लौटा दिए गए हैं । जब प्रदत्त चैक एक बार खाताधारी को लौटा दिया जाता है तो यह उसका दायित्व होता है कि तब चैकों को और आगे की अवधि के लिए सुरक्षित रखे अथवा अपने मार्गदर्शी निर्देशों तथा अपनी कार्य प्रणालियों के अनुसार किसी भी रूप में उनका निपटान करें ।

(ग) चूंकि केरल राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं है, इसलिए किसी जांच के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सुविधायें

7251. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या मानक और पद्धति अपनाई गई है; और

(ख) उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करने हेतु वर्तमान पद्धति एवं नियमों को सरल बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) और (ख) : हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में कोई अलग से मानदण्ड या प्रक्रिया विहित नहीं की गयी है ।

बैंकों से कहा गया है कि वे सभी राज्यों में कार्यकारी पूंजी और सावधिक ऋण अपेक्षाओं, दोनों, के लिए एक ही मानदण्ड लागू करें और सम्बद्ध उद्योग और क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं (जैसे पिछड़ापन) के लिए उपयुक्त समंजन/ढील की व्यवस्था करें । जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग को ऋण का संबंध है, बैंकों को, इस क्षेत्र को अपने ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के विषय में, उपाय करने की समय-समय पर हिदायतें दी गयीं हैं । जो उपाय किये जाने हैं वे हरियाणा समेत देश के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं और नीचे दिये गये हैं:—

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को, जिनका एक महत्वपूर्ण भाग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, उनके अग्रिम 1985 तक उनके कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक पहुंच जाए । साथ ही बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि 25 हजार रुपये तक की ऋण सुविधाओं वाले छोटे पैमाने के एककों को उनके अग्रिम, छोटे पैमाने के उद्योग को दिये गये उनके कुल अग्रिमों के 12.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएं ।

(2) जिन छोटे पैमाने के औद्योगिक ऋणकर्ताओं की ऋण सुविधा विषयक आवश्यकताएं 2 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं उनके बारे में बैंकों को सरलीकृत आवेदन और साक्षात्कार-एवं-मूल्यांकन फार्मों के एक से सैट काम में लाने हैं ।

(3) इन्हें मार्जिन की अपेक्षाओं के संबंध में लचीला रवैया अपनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई अर्थक्षम प्रस्ताव केवल मार्जिन की व्यवस्था के अभाव के कारण अस्वीकृत न कर दिया जाए ।

(4) इन्हें मुख्यतः परियोजनाओं की अर्थ क्षमता का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें केवल दस्तूरी तौर पर स्थायी सम्पत्ति या तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में संपार्श्विक जमानत पर जोर नहीं देना चाहिए । उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समुचित प्रस्ताव केवल संपार्श्विक जमानत/गारन्टी के अभाव में अस्वीकार न किया जाए ।

(5) सावधिक ऋणों के संबंध में उन्हें वापसी अदायगी का कार्यक्रम केवल तदर्थ तरीके से तय नहीं कर देना चाहिए बल्कि इसे हानि-लाभ बराबर हो जाने के बिन्दु और अतिरिक्त लाभ उत्पन्न करने की क्षमता के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए ।

(6) अलग-अलग शिल्पकारों या ग्रामीण/कुटीर इकाइयों को 25 हजार रुपये तक के उपस्कर वित्त या कार्यकारी पूंजी या दोनों के लिए 25 हजार रुपये तक की ऋण सुविधाएं, 7 से 10 वर्ष या इससे भी अधिक की वापसी अदायगी की अवधि वाले सम्मिश्र सावधिक ऋण के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए और इसके लिए सम्मिश्र जमानत/गारन्टी कर्त्ता मार्जिन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(7) बैंकों को शिल्पकारों, ग्रामीण/कुटीर एककों और अत्यंत लघु (टाइनी) क्षेत्र को दिये गये ऋणों के संबंध में दण्डात्मक ब्याज दर नहीं वसूल करनी चाहिए।

(8) शाखा प्रबंधकों में पर्याप्त विवेकाधिकार शक्तियां निहित कर दी जानी चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण विषयक 60 से 80% निर्णय शाखा स्तर पर ही हो जाएं उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि 25 हजार रुपये तक की सीमाओं वाले ऋण प्रस्ताव 4 सप्ताहों के भीतर और 25 हजार रुपये से ऊपर और 2 लाख रुपये तक के प्रस्ताव 8 से 9 सप्ताहों के भीतर निपटा दिये जाएं।

(9) छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ब्याज की रियायती दरें निश्चित की गयी हैं और 2 मार्च, 1981 से वे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

25 हजार रुपये तक के सम्मिश्र ऋण		
(शिल्पकारों, ग्रामीण/कुटीर इकाइयों को)		
पिछड़े क्षेत्र		10.25 प्रतिशत
अन्य क्षेत्र		12.50 प्रतिशत
सावधिक ऋण		
पिछड़े क्षेत्र		12.50 प्रतिशत
अन्य क्षेत्र		13.50 प्रतिशत
अल्पावधि अग्रिम		
2 लाख रुपये तक	अधिक-से-अधिक	15 प्रतिशत
2 लाख रुपये से ऊपर और 25 लाख रुपये तक	अधिक-से-अधिक	17.50 प्रतिशत
25 लाख रुपये से ऊपर	अधिक-से-अधिक	19.50 प्रतिशत

जीवन बीमा निगम द्वारा आवास परियोजनाओं में किया गया निवेश

7252. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं में राज्यवार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान आवास परियोजनाओं के लिए राज्यवार कुल कितना धन दिया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) और (ख) : जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों और शीर्ष सरकारी आवास वित्त समितियों को आवास के लिए धन दिया जाता है। 1980-81 के लिए नियतन/स्वीकृति निम्नलिखित प्रकार से है :—

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकारें	शीर्ष सरकारी आवास वित्त समितियां
आन्ध्र प्रदेश	271.60	250.00
असम	122.80	—
बिहार	269.20	300.00
गुजरात	245.00	1800.00
हरियाणा	73.00	100.00
हिमाचल प्रदेश	51.00	—
जम्मू तथा कश्मीर	72.00	—
कर्नाटक	203.00	300.00
केरल	251.20	500.00
मध्य प्रदेश	181.00	300.00
महाराष्ट्र	145.20	1000.00
मणिपुर	19.60	—
मेघालय	12.60	—
नागालैंड	15.00	—
उड़ीसा	264.00	50.00
पंजाब	125.00	200.00
राजस्थान	175.50	200.00
सिक्कम	12 00	—
तमिलनाडु	340.00	800.00
त्रिपुरा	70.00	—
उत्तर प्रदेश	1038.30	200.00
पश्चिम बंगाल	443.00	500.00
गोआ दमन और देव	—	50.00
कुल	4400.00	6550 00

भिवानी में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि

7253. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के भिवानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष *1980* के दौरान औद्योगिक विकास के लिये कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) :

भारतीय रिजर्व बैंक की "मूल सांख्यिकीय विवरणियों" में निहित ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून, 1979 के अन्त की स्थिति के मुताबिक हरियाणा के भिवानी जिले में उद्योग की ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के, 364 खातों में कुल 10.19 करोड़ रुपये के अग्रिम बकाया थे ।

आयकर वसूली की लागत

7254. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1981 को आय-कर के "सौ रुपये" की वसूली की लागत क्या है;

(ख) क्या आय-कर की वसूली की प्रक्रिया को सुचारु बनाने, कर-अपवंचकों से आय-कर वसूलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कोई कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) 31 मार्च 1980 को समाप्त हुए वर्ष की निगम कर और निगम कर से भिन्न आयकर की वसूली की लागत प्रति एक सौ रुपये क्रमशः लगभग 43 पैसे और तीन रुपये रही । 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष की वसूली की लागत को अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) : कर-अपवंचकों से आयकर वसूल करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने और कार्यविधि को सरल बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले विधायी और प्रशासनिक दोनों ही तरह के उपाय किये जाते हैं ।

पर्यटन मौसम के दौरान अग्रिम आरक्षण लेने वाले यात्रियों को रियायतें देने सम्बन्धी एयर इंडिया की पेशकश

7255. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया विश्व के विभिन्न भागों में पर्यटन मौसम में अग्रिम आरक्षण लेने वाले यात्रियों को किराए में कोई रियायतें देने की पेशकश करती है जैसा कि विश्व की अन्य एयरलाइनें करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दी जाने वाली रियायतों की किस्म क्या है और ये रियायतें किन-किन स्थानों/देशों के लिये दी जाती हैं तथा प्रत्येक मामले में अग्रिम आरक्षण की अवधि कितनी होती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में खनिजों का उत्खनन

7256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित खनिजों के उत्खनन के लिए सरकार ने कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तरह के उपाय किए गए हैं और इस प्रयोजन हेतु चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और अब तक उत्खनन कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केवल खनिज की खोज और सर्वेक्षण का काम करता है, उनके विदोहन का नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को गत कुछ वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्थिक महत्व के किसी खनिज निक्षेप का पता नहीं चला है, तथापि राज्य में बैराइट्स, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना-पत्थर, स्लेट, चूने आदि का कुछ मात्रा में उत्पादन होता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्रमबद्ध मानचित्रण और खोज का काम बराबर जारी रखे हुए है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने संबंधी मानदण्ड

7257. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में एक राष्ट्रीयकृत और दो गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के बारे में जनसंख्या तथा परस्पर दूरी के हिसाब से वर्तमान मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या उन पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त शाखायें खोलते समय इन मानदण्डों में कोई छूट दी जाती है जहां जनसंख्या बिखरे रूप में है और भौगोलिक दृष्टि से भू-प्रदेश दुर्गम हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की छूट दी जाती है और जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या सात पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितने बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति में, राज्य सरकारों के परामर्श से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि 1979-81 के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों का शाखा विस्तार ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों के उन कमी वाले जिलों में किया जाए जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्धशहरी व्यक्ति के वास्ते एक बैंक शाखा से कम हो। शाखा विस्तार के मामले में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में कोई अन्तर नहीं किया जाता।

फिर भी, नीति में यह व्यवस्था है कि लाइसेंस देते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र में तथा लीड बैंकों को, लीड जिलों में, प्राथमिकता दी जाए। वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति को क्रियान्वित करते समय, रिजर्व बैंक द्वारा, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बैंकिंग सुविधाओं की पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए अन्य क्षेत्रों में सामान्यतया अपनाया जाने वाला जनसंख्या तथा दुरुह भू-भाग के कारण नहीं अपनाया जाता। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकताओं तथा इन स्थानों पर मौजूद बैंक कार्यालयों की निकटता आदि का ध्यान रखते हुए, रिजर्व बैंक, उदार स्तर पर, बैंकों को कार्यालय खोलने की अनुमति देता रहा है। जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को शामिल करने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार से संबधित उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला	30-6-80 की स्थिति के अनुसार कार्यालयों की संख्या	30-6-80 की स्थिति के अनुसार बकाया लाइसेंस/आवंटन
1. जम्मू तथा कश्मीर	394	53
2. हिमाचल प्रदेश	324	41
3 **उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले**		
अल्मोड़ा	32	6
चमोली	17	5
देहरादून	80	5
गढ़वाल	27	13
नैनीताल	72	4
टिहरी गढ़वाल	18	13
पिथोरागढ़	17	3
उत्तर काशी	12	3
4. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को शामिल करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**		
असम	466	188
मणिपुर	35	20
मेघालय	55	24
नागालैंड	35	14
त्रिपुरा	77	33
अरुणाचल प्रदेश	19	36
मिजोरम	12	16

मछुवों को दिये गये ऋणों की राशि

7258. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मछुवों को अपनी देशीय नौकाओं को मशीनचालित नौकाओं में परिवर्तित करने के लिए, गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितनी राशि के ऋण दिये;

(ख) उक्त ऋणों की कितनी राशि अभी वसूल होनी बाकी है; और

(ग) क्या उक्त ऋणों की वसूली के लिए अदालतों में कोई मामले चलाये गये हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) तथा (ख) : मछली पकड़ने की देसी नौकाओं को यंत्रीकृत नौकाओं में बदलने के लिए मछुओं को दिये गये ऋणों के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, वर्ष 1980 के दौरान, कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम ने, मछली पकड़ने की नौकाओं में इंजन लगाने की तीन विशिष्ट योजनाएं स्वीकृत की हैं। ये स्कीमें निगम द्वारा पहली बार हाथ में ली गई हैं तथा इन्हें गुजरात में स्वीकृत किया गया है और अब तक, कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम द्वारा बैंकों को 2.70 लाख रुपए की उस राशि का वित्त पोषण किया गया है जो कि बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए ऋणकर्ताओं को प्रदान की गई थी।

सितम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, "मछली उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत अभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों की बाकाया राशि 4206.07 लाख रुपये थी। बैंकों को ऋणकर्ताओं के अतिदेयों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि बैंक अग्रिमों के अतिदेयों की स्थिति की श्रेणीवार सूचना अलग से नहीं दी जाती।

(ग) ऐसे प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों की वसूली के लिए न्यायालय में दायर किये गये किन्हीं मुकदमों की जानकारी सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं है।

विदेशी कम्पनियों का होटल उद्योग में प्रवेश

7259. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में होटल उद्योग में विदेशी कम्पनियों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो होटल उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) होटल उद्योग को उनके शिकंजे से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) जी, नहीं! केन्द्रीय पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में शामिल कुल 355 होटलों में से केवल 8 होटल विदेशी सहयोग से चल रहे हैं।

(ख) भारत में होटल उद्योग के अन्तर्गत विदेशी कम्पनी द्वारा पूंजी निवेश का केवल एक ही मामला है। मैसर्स शेराटन इंटरनेशनल इंकार्पोरेटेड, यू. एस. ए., के ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड नामक भारतीय होटल कंपनी के बम्बई में ओबेराय टावर्स नामक होटल के बारे में 6.25 लाख रुपए प्रेफरेन्स शेयर के रूप में और 52.50 लाख रुपए इक्विटी शेयर के रूप में हैं। यह भागीदारी एक सहयोग करार के अन्तर्गत है।

(ग) भारत के होटल उद्योग में विदेशी सहयोग और पूंजी-निवेश की अनुमति जिन स्पष्ट मार्ग-निर्देशों के आधार पर दी जाती है, वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अतः भारतीय होटल उद्योग का विदेशी सहयोगियों के शिकंजे में होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर में नीचे के अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील के मामले

7260. **डा० ए० यू० आजमी :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान चेयरमैन केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क), उनके मंत्रालय के विशेष सचिव (अपील) और अन्य सचिवों के स्तर पर निपटाए जा रहे पहले पांच औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों में नीचे के अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ की गई अपीलों के मामलों के विवरण क्या हैं;

(ख) इस तरह के मामलों में अपील करने पर वापस की गई, छोड़ी गई अथवा कम की गई राशि कितनी है;

(ग) उन मामलों के विवरण क्या हैं जो अब भी अपील में सुनवाई के लिए विचाराधीन है; और

(घ) किन मामलों में उनके मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी इन व्यापारिक गृहों की ओर से स्वतन्त्रता से पेश हुए अथवा उन्होंने उनके वकीलों की सहायता की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई अपील, वित्त सचिव, विशेष सचिव (राजस्व) और अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास नहीं है। हां केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास, सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलें अवश्य हैं। इनका निपटान साधारणतया सदस्य (न्यायिक) करते हैं। और उपर्युक्त अधिनियमों के अन्तर्गत विशेष सचिव (पुनरीक्षण याचिका) पुनरीक्षण याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य करते रहे हैं।

5 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध सभी उपक्रमों से सम्बन्धित अपीलों अथवा पुनरीक्षण याचिकाओं का विवरण एकत्र करने में अत्यधिक श्रम लगेगा। फिर भी, माननीय सदस्य यदि किसी मामले विशेष का उल्लेख करें तो उसका विवरण एकत्र करके उन्हें भेज दिया जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई अपील, वित्त सचिव, विशेष सचिव (राजस्व) अथवा अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास नहीं है।

विदेशों में होटल स्थापित करने के लिए अनुमति-प्राप्त होटल मालिक/फर्म

7261. **डा० ए० यू० आजमी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन होटल उद्योग-पतियों/फर्मों को विदेशों में विदेशी सरकार के गैर-सरकारी सहयोग से या वहां कमाये अपने धन से होटल खोलने की अनुमति 1980-81 में दी गई;

(ख) क्या उनमें से किसी ने दी गई तकनीकी जानकारी या भारत से लिए गए उपकरणों के रूप में अपना लाभ या रायल्टी की राशि स्वदेश भेजी है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेश में उनके द्वारा कमाई गई राशि के एक भाग को स्वदेश भेजने के मामले में सरकार का यदि उन पर कोई नियन्त्रण है तो वह क्या है; और

(घ) क्या व्यापार यात्राओं के नाम पर भारतीयों सहयोगकर्ता या उनके प्रशासनिक अधिकारी विदेशों की यात्राएं जितनी बार चाहें कर सकते हैं या विदेशी यात्राओं पर इस प्रकार से अपने संसाधन बर्बाद करने पर कोई नियन्त्रण किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों का रख-रखाव सम्बन्धी व्यय

7262. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में हवाई अड्डों के रख-रखाब पर तथा उन्हें आधुनिकतम मशीनों से सज्जित करने पर कितना खर्च किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का खोला जाना

7263. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में स्टेट बैंक प्रशासन का पुनर्गठन करने संबंधी नीति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने, राज्यवार, कितने-कितने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं;

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के क्या-क्या नाम हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालय उन स्थानों पर खोले गए हैं जहां भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये स्थान और राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ङ) आदिवासी जिलों और क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के राज्यवार वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय जिनमें पुनर्गठन से पूर्व के कार्यालय भी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं :

राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या
पश्चिम बंगाल	3
महाराष्ट्र	4
तमिलनाडु	2
कर्नाटक	1
केरल	1
मध्य प्रदेश	3
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	1
उत्तर प्रदेश	7
राजस्थान	1
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	2
जम्मू तथा कश्मीर	1
हिमाचल प्रदेश	1
बिहार	4
उड़ीसा	2
आंध्र प्रदेश	4
गुजरात	2
मेघालय	1
असम	1

उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में से, पश्चिम बंगाल में तीन, महाराष्ट्र में तीन तथा गुजरात में दो क्षेत्रीय कार्यालय अभी खोले जाने हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची तथा उनका परिचालन क्षेत्र विवरण-1 में संलग्न है।

(ग) तथा (घ) : निम्न स्थानों पर जहां भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय स्थापित हैं, इस बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं/खोलने का प्रस्ताव है :

बम्बई (महाराष्ट्र)
मद्रास (तमिलनाडु)
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली)
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
अहमदाबाद (गुजरात)
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
भोपाल (मध्य प्रदेश)
पटना (बिहार)
भुवनेश्वर (उड़ीसा)
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा पंजाब और हरियाणा राज्य)।

भारतीय स्टेट बैंक का प्रस्ताव, गोहाटी (असम) में, जहां एक क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही है, एक स्थानीय प्रधान कार्यालय स्थापित करने का है।

स्थानीय प्रधान कार्यालयों की भूमिका में अब परिवर्तन हो गया है और इन्हें परिचालन नियंत्रणों की अपेक्षा प्रबन्ध नियंत्रण कार्य करने होते हैं। परिचालन नियंत्रण के कार्यों के दायित्व क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप दिये गए हैं। इस प्रकार, स्टेट बैंक को, क्षेत्रीय कार्यालय के आस-पास के स्थानों में कार्य कर रहीं, बड़े कारबार करने वाली शाखाओं पर परिचालन नियंत्रण केन्द्र का कार्य करना होता है।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले जाने वाले उन/खोले गए/प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयों के नामों की सूची, जो जनजातीय जिलों को व्याप्त करेंगे संलग्न है (विवरण-2)।

विवरण–1

भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान/प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची तथा उनका परिचालन क्षेत्र

सर्किल का नाम	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	इनके अधीन वर्णित जिलों में स्थित सभी शाखाएं
(1)	(2)	(3)
बंगाल	(क) कलकत्ता	कलकत्ता, हावड़ा, 24-परगना (दक्षिण) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
	(ख) कलकत्ता (साल्ट लेक सिटी)	कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नदिया, 24-परगना (उत्तरी) और सिक्किम राज्य।

(1)	(2)	(3)
	(ग) बर्दवान	बर्दवान, बांकुडा, वीरभूम, हुगली, मिदनापुर, पुरूलिया ।
बम्बई	(क) बम्बई	वृह्‌तर बम्बई, थाना, कोलावा, रत्नागिरि दादरा और नागर हवेली, गोआ संघ राज्य क्षेत्र
	(ख) पुणे	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, अहमदनगर, घुले, नासिक ।
	(ग) नागौर	
	(ग) औरंगाबाद	जलगांव, औरंगाबाद, प्रभनी, नांदेड, बीड, सोलापुर, उस्मानाबाद ।
	(घ) नागपुर	अकोला, बुलढाना, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, भंडरा, चन्द्रपुर, नागपुर ।
मद्रास	(क) मद्रास सिटी	मद्रास सिटी, चिंगलपेट, संघ राज्य क्षेत्र उत्तरी आर्कोट, सलैम, कायंबटूर, नीलगिरि, धर्मपुरी ।
	(ख) मदुरै	मदुरै, चिरुचिरापल्ली, चिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, दक्षिणी आर्कोट, तंजावूर, पाडुकोट्टि ।
	(ग) बंगलौर	कर्नाटक राज्य में स्थित सभी शाखाएं ।
	(घ) त्रिवेंद्रम	केरल राज्य में स्थित सभी शाखाएं ।
भोपाल	(क) भोपाल	भोपाल, होशंगाबाद, बेतवा, बेतुल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सिहोर, रायसेन, मंदसोर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, झबुआ, धार, इन्दौर, देवास, खरगोन (प० निमार) खंडवा, (पू० निमार) ।
	(ख) जबलपुर	जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सियोन, बालघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, सागोर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी शाहडोल ।
	(ग) रायपुर	बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, राजनांदगांव ।

1	(2)	(3)
दिल्ली	(क) दिल्ली	दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव ।
	(ख) आगरा	आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मैनपुरी ।
	(ग) मेरठ	मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ।
	(घ) देहरादून	देहरादून, उत्तर काशी, टिहरी, पौडी, चम्बोली ।
	(ङ) जयपुर	राजस्थान राज्य में स्थित सभी शाखाएं ।
चंडीगढ़	(क) चंडीगढ़ (पंजाब की शाखाओं के लिए)	पंजाब राज्य में स्थित सभी शाखाएं ।
	(ख) चंडीगढ़ (हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की शाखाओं के लिए)	अम्बाला, कुरुक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, करनाल, सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़, जींद ।
	(ग) शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सभी शाखाएं ।
	(घ) श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर राज्य में स्थित सभी शाखाएं ।
पटना	(क) पटना	पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगसराय ।
	(ख) रांची	रांची, सिंधभूम, पलामू, हजारीबाग, गिरडीह, धनबाद ।
	(ग) मुज्जफ्फरपुर	सीतामढी, मुज्जफ्फरपुर, वैशाली, सारन, सिवान, पू० चंपारन, प० चंपारन, गोपालगंज ।
	(घ) भागलपुर	भागलपुर, मुंगेर, संथाल परगना, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार ।
भुवनेश्वर	(क) भुवनेश्वर,	बालसोड़, मयूर भंज, पुरी, कटक, फुलबनी, गंजाम, कोरापुट ।
	(ख) संबलपुर	सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, धेनकनाल, बोलंगीर, कालाहांडी ।

(1)	(2)	(3)
हैदराबाद	(क) सिकंदराबाद	हैदराबाद, के० वी० रंगरेडिड्, कुर्नूल, महबूबनगर, मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्माम, नलगोंडा ।
	(ख) विजयवाड़ा	गुंटूर, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी ।
	(ग) तिरुपति	नेल्लोर, परदसन, अनंतपुर, कुडप्पा, चित्तूर ।
	(घ) विशाखापटनम	विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी ।
अहमदाबाद	(क) अहमदाबाद	अहमदाबाद, बनासकांठा, सांबरकांठा, कच्छ, गांधीनगर, मेहसाणा, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ ।
	(ख) बड़ौदा	पंचमहल, कैरा, बड़ौदा, भडोंच, सूरत, बलसाड़, दमन ।
कानपुर	(क) बरेली	बरेली, नैनीताल, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, रामपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पीलीभीत ।
	(ख) कानपुर	झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, इलाहाबाद, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर ।
	(ग) लखनऊ	लखनऊ, लखीमपुर (खीरी), हरदोई, सीतापुर, फेजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, रायबरेली, उन्नाव, बस्ती, गोंडा ।
	(घ) वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर ।
उत्तर-पूर्वी सर्किल, गोहाटी (प्रस्तावित)	(क) शिलांग	मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित शाखाएं ।
	(ख) गोहाटी	असम राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की शाखाएं ।

विवरण–2

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये उन क्षेत्रीय कार्यालयों/खोलने के लिए प्रस्तावित नामों की सूची जो जनजातीय जिलों को व्याप्त करेंगे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिले	क्षेत्रीय कार्यालय
पश्चिम बंगाल	साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता
	बर्दवान
अंडमान तथा निकोबार	कलकत्ता
महाराष्ट्र	पुणे
	बंबई
	नागपुर
कर्नाटक	बंगलौर
मध्य प्रदेश	भोपाल
	रायपुर
	जबलपुर
राजस्थान	जयपुर
उत्तर प्रदेश	देहरादून
हिमाचल प्रदेश	शिमला
बिहार	रांची
	भागलपुर
उड़ीसा	भुवनेश्वर
	संबलपुर
आंध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद
	विशाखापटनम
	तिरुपति
गुजरात	बड़ौदा
	अहमदाबाद
असम	गोहाटी
मेघालय	शिलांग
नागालैंड	शिलांग
मणिपुर	शिलांग
त्रिपुरा	शिलांग
संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश	गोहाटी
संघ राज्य क्षेत्र दादरा तथा नागर हवेली	बंबई
संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव	बड़ौदा

उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में से, जबलपुर, रायपुर, जयपुर, रांची, संबलपुर, विशाखापटनम, बड़ौदा तथा शिलांग के क्षेत्रीय कार्यालय उन जिलों में स्थित हैं जो जनजातीय जिलों में आते हैं।

उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत करने में, भारतीय स्टेट बैंक ने, "भारत के मुख्य जनजातीय जिलों 1971" (मेजर ट्राइबल डिस्ट्रिक्टस आफ इण्डिया) का सहारा लिया है जो कि सेंटर फार मानिटरिंग इण्डियन इकोनोमी, नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित, भारतीय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित मुख्य आंकड़ों की सारणी 17-9-1 में दिए गए हैं। इस सारणी में दी गई टिप्पणी में यह स्पष्ट किया गया है जनजातीय जिले वे जिले हैं जिनकी जनजातीय जनसंख्या 6.9 प्रतिशत (देश का औसत) या उससे अधिक है।

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाना

7264. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के लिए अन्य मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) उस राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि यह बेहतर सुविधाओं और स्टेट बैंक प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण के लिए हैं तो भावनगर में जहाँ पर बैंक का मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय कैसे खोला गया है;

(घ) किन कारणों से और किस आधार पर बरहामपुर में खोले जाने वाले क्षेत्रीय कार्यालय को स्थगित कर दिया गया है; और

(ङ) क्या भुवनेश्वर में वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग के आदिवासी भाग के आदिवासी जिले इस क्षेत्रीय कार्यायल के अधीन आते हैं; यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) तथा (ख) : उड़ीसा में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कार्य, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की सहायता से, भारतीय स्टेट बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के बारे में की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप उसके द्वारा अपनाई गई, अखिल भारतीय नीति के अनुरूप है। इस नीति के अनुसरण में, 150 से 200 कार्यालयों को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को एक समूह के रूप "सर्किलस" को संगठित करने का निर्णय किया गया था। शाखाओं का परिचालन विषयक नियंत्रण, क्षेत्रीय कार्यालयों के सुपुर्द कर दिया गया उड़ीसा में अपनाया गया मानदण्ड (जो कि सारे देश में लागू है) के अंग ये हैं: कार्यालयों की वर्तमान संख्या, अनुमानित शाखा विस्तार कार्यक्रम, लीड बैंक उत्तरदायित्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विद्यमानता, शाखाओं द्वारा किए जाने वाले कारोबार का स्वरूप आदि।

(ग) अब एक स्थानीय प्रधान कार्यालय को शाखाओं पर परिचालन नियंत्रण करने के

बजाए प्रवन्ध नियंत्रण कार्य करने होते हैं। इसलिए, इस प्रयोजन के वास्ते, उसे उसी क्षेत्र में अब स्थित करना होता है जिस क्षेत्र में मुख्य कार्यालय स्थित हो।

(घ) बरहामपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कभी नहीं किया गया।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक का यह मत है कि उसीसा का दक्षिणी भाग, उसके भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समुचित रूप से व्याप्त होगा। कोरापुट जिले को छोड़कर, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले सभी अन्य जिले 300 कि० मी० की सीमा में है। जहाँ तक कोरापुट जिले का सम्बन्ध है, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय में, विशेषत: कोरापुट जिले की शाखाओं की देखभाल करने के लिए, एक क्षेत्रीय प्रबन्धक तैनात किया गया है।

उड़ीसा में खनिज निक्षेप

7265. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एम० ई० सी० और उड़ीसा सरकार के राज्य खनन विभाग द्वारा छठी योजना अवधि में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए जिलों का सर्वेक्षण तथा जांच करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंसियों द्वारा कितने क्षेत्रों में यह कार्य किया गया है तथा जिलावार पाई जाने वाली खनिजों तथा धातुओं के नाम क्या हैं, और इसकी मात्रा क्या है; और

(ग) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में सर्वेक्षण कार्य हेतु इन एजेंसियों द्वारा कितनी राशि दी गई है;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूसर्वेक्षण (जी० एस० आई०) के अनुसार खोज के फलस्वरूप छठी योजना के शुरू में खनिज भंडारों के लिये किए गए आकलन में निम्नलिखित का समावेश है—धेनकलाल और संबंलपुर जिलों में 190 मिलियन टन से अधिक कोयला; क्योंझर और कटक जिलों में 86.74 मिलियन टन क्रोमाइट तथा क्योंझर जिले की बोनाई-क्योंझर पट्टी में 11.68 मिलियन मैंगनीज। कोरापुट जिले के कोटामेटा-गुप्तेश्वर क्षेत्र में 400 से 1000 मीटर लम्बाई और 50 से 100 मीटर चौड़ाई में 2 से 15 मीटर मोटाई की नई चूना-पत्थर पट्टी पाई गई है। सम्बलपुर जिले के बैरागढ़ क्षेत्र में 2.25 किलोमीटर की गहराई में 3 से 10 मीटर मोटाई की चूना-पत्थर पट्टी होने का पता चला है। कोरापुट और कालाहांडी जिलों में 4 बार छिद्रों में बाक्साइट पाया गया है, जिसकी मोटाई 5.20 से 27.10 मीटर के बीच है। इसके अलावा अप्रैल, 1980 से फरवरी, 1980 के दौरान उड़ीसा राज्य के लगभग 4752 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मान-चित्रण में शामिल किया गया है।

(ग) खनिज गवेषण निगम, जी० एस० आई० तथा उड़ीसा सरकार के राज्य खनन और भूतत्व विभाग के लिए वर्ष 1980-81 में क्रमशः 84 लाख रुपए, 64 लाख रुपए और 82.40

लाख रुपए तथा वर्ष 1981-82 में क्रमशः 88 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और 82.45 लाख रुपए की राशि रखी गई है।

"आई० टी० डी० सी० चीफ्स पावर्स क्लिप्ड" शीर्षक समाचार

7266. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 मार्च, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली में प्रकाशित "आई० टी० डी० सी० चीफ्स पावर्स क्लिप्ड" शीर्ष समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मामलों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर मन्त्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन अथवा उसके सम्वर्धन के नाम में विदेशों में किये जा रहे खर्च पर उनके मन्त्रालय द्वारा क्या नियन्त्रण रखा जा रहा है; और

(घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान अपने अधिकारियों (चेयरमैन सहित) को विदेश भेजने पर खर्च की गई भारतीय तथा विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) और (ख) : जी, हां। समाचार-पत्र की रिपोर्ट और उसका शीर्षक कुछ भ्रामक है। बचत और साथ ही विदेशी मुद्रा के रक्षण को ध्यान में रखते हुए, इस मन्त्रालय की अधीनस्थ निगमों के एक्जीक्यूटिवज द्वारा विदेशों की यात्राओं के बारे में अनुदेश जारी किए गए हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उक्त समाचार में संदर्भित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या को भी सीमित रखा गया था। भारत पर्यटन विकास निगम में 2,000/- रुपये और इससे अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति के बारे में अनुदेश भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठन के लम्बित प्रश्न को ध्यान में रख कर जारी किए गए थे, जो सरकार के विचाराधीन है। मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रभागीय प्रबन्धक (कार्मिक) और प्रभागीय प्रबन्धक (परिवहन) के पद पर नियुक्ति की गई है।

(ग) पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय के बीच स्वीकृत नियमों के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) से औपचारिक आवेदन प्राप्त होने पर आई० टी० डी० सी० को विदेशी मुद्रा रिलीज की जाती है। इसी प्रकार निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा करने पर भी नियंत्रण रखा जाता है।

(घ) 45,305 डालर और 6.78 लाख रुपए।

रबड़ का आयात

7267. **श्री एस० बी० सिदनाल:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ की कितनी मात्रा का आयात और वितरण किया गया ;

(ख) क्या बड़ी मात्रा में रबड़ का आयात किए जाने का विचार है, तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद खान) :

(क) 1 जनवरी—31 मार्च, 1981 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ की 8, 250 मै० टन की मात्रा आयात की गई थी और वास्तविक प्रयोक्ताओं को आवंटित की गई थी।

(ख) तथा (ग) : सप्लाइयों में सुधार लाने तथा कीमतें ठीक करने की दृष्टि से रबड़ की माँग एवं सप्लाई स्थिति सुविचारित समीक्षा के आधार पर रबड़ का आयात करने की अनुमति दी जाती है।

कुद्रेमुख कान्सट्रेट का दक्षिण कोरिया द्वारा क्रय

7268. **श्री एम० एस० कृष्ण :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया कोरिया ने कुद्रेमुख कान्सट्रेट को परीक्षण के आधार पर खरीदने की इच्छा व्यक्त की है; यदि हां तो उनके कितनी मात्रा खरीदने की संभावना है;

(ख) रूमानिया द्वारा पहले खरीदी गई मात्रा का क्या परिणाम रहा और उन्होंने भारी मात्रा खरीदने का कोई क्रयादेश दिया है ; और

(ग) कुद्रेमुख पिल्लेट के विदेशी खरीदारों और उसका देश में ही इस्तेमाल किए जाने की संभावना का पता लगाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व दक्षिणी कोरिया की एक फर्म को सांद्रण के नमूने भेजे गए थे। परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी ने इस पार्टी को पांच वर्षों की अवधि में 135 लाख टन सांद्रण सप्लाई करने की पेशकश की है। इस पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

(ख) रूमानिया को परीक्षण के लिए 50,000 टन सांद्रण की खेप का पोत-लदान अप्रैल मई, 1981 में किया जाना है। अभी तक कोई पोत-लदान नहीं हुआ है। रूमानिया से आगे कोई और आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) मिडल-ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, आदि में भी संभावित बाजारों का पता लगाया जा रहा है। भारत में स्पंज लोहे के कारखाने में पलेटों का इस्तेमाल करने की सम्भावना का भी पता लगाया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के एककों के पास इस्पात के भण्डार का जमा होना

7269. रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के पास इस्पात का भण्डार जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां तो 1 मार्च, 1981 के दिन बिक्री योग्य इस्पात का कितना भण्डार जमा था ; और

(ग) सरकार का किस प्रकार से स्थिति का सामना करने और इन भण्डारों का निपटान करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) से (ग) : 1-3-1981 को सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का स्टाक 333,000 टन था। कारखानों से तैयार उत्पादों के प्रेषणों में सुधार करने के लिए सेल विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिए रेल के डिब्बों की सप्लाई और आवंटन में सुधार करने हेतु उच्चतम स्तर पर रेलवे के साथ सतत् सम्पर्क बनाए हुए है। इस मामले पर इस्पात विभाग द्वारा भी रेलवे और मंत्रिमण्डल सचिवालय से लिखा-पढ़ी की जाती है और मंत्रिमण्डल की औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी समिति की सामयिक बैठकों में भी इस पर विचार किया जाता है।

पंजाब में विद्युत परियोजना के लिए विदेशी सहातता

7270. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र से विदेशी सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं क्या हैं तथा इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने थीन बांध परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र से विशेष वित्तीय व्यवस्था का भी अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या सहायता दी जा रही है जिसकी लागत इसकी तैयारी में हुए असाधारण विलम्ब के कारण बहुत अधिक बढ़ चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार ने केन्द्र से थीन बांध परियोजना को पूरा करने के प्रयोजन से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया था। पंजाब सरकार को सूचित किया गया है कि विदेशी सहायता के लिये अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब अन्तर्राज्जीय मामलों

का समाधान जो जाए और योजना आयोग आदि से परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली जाए।

(ग) और (घ) : पंजाब सरकार ने थीन बांध परियोजना के कार्य को तेज करने के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था का भी अनुरोध किया है। भारत सरकार इस बात से परिचित है कि राज्य सरकार इस परियोजना को कितना महत्व देती है। लेकिन, यह अनुभव किया जा रहा है कि राज्य की दूसरी परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और यदि उनके लिए पर्याप्त सहायता की राशि प्रदान की जाए तो उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए केन्द्र ने पंजाब सरकार को यह सलाह दी है कि वह उपलब्ध साधनों को थोड़ा-थोड़ा करके कई परियोजनाओं में न लगाए।

बड़े किसानों पर कर लगाना

7271. **श्री निहालसिंह :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि अगले वर्ष के दौरान बड़े किसानों पर कर लगाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कर लगाने से पहले विभिन्न तरह की कृषि भूमि से होने वाली उपज का अध्ययन करने के प्रश्न पर विचार करने का है और यदि नहीं, तो कर निर्धारण कैसे किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने, 1980-81 के लिए राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में किये गये अपने वार्षिक अध्ययन में, जो सितम्बर 1980 के इसके बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था, 1981-82 के दौरान राज्य द्वारा अपनायी जाने वाली वित्तीय नीति के संबंध में सुझाव दिये हैं। इनमें से एक कृषि क्षेत्र में उच्चतर आय समूहों के कराधान के क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में है। यह ऐसा मामला है जिस पर अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है।

व्यक्तियों का विभिन्न बीमा योजनाओं के अधीन बीमा

7272. **श्री निहालसिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं के अधीन अब तक कितने व्यक्तियों का बीमा किया जा चुका है; और

(ख) 5000/- रुपये की राशि तक कितने व्यक्तियों का बीमा किया गया है और 25,000/ रुपये से अधिक की राशि का बीमा कितने व्यक्तियों का किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) जीवन बीमा निगम व्यक्तिगत बीमा कारबार के मामले में पालिसियों की संख्या के रूप में आंकड़े संकलित करता है न कि बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के रूप में। 31 मार्च, 1980

को चालू व्यक्तिगत बीमों की कुल संख्या 220.94 लाख थी। तथापि सामूहिक बीमा स्कीमों में जीवन कवच प्राप्त लोगों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध है। 31 मार्च, 1980 को चालू सामूहिक बीमा स्कीमों के अन्तर्गत 56.55 लाख लोगों को जीवन बीमा कवच प्राप्त था।

(ख) जीवन बीमा निगम, मोटे तौर पर बीमाकृत राशि समूहों में वर्गीकृत वर्ष भर में जारी की गई नई पालिसियों के आंकड़े संकलित करता है, किन्तु चालू कारोबार के ऐसे आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता। वर्ष 1979-80 के दौरान जीवन बीमा निगम ने भारत में 20.96 लाख नई पालिसियाँ जारी की थीं जिनमें से कुल का 38.8 प्रतिशत, लगभग 8.12 लाख पालिसियां 5,000/-रुपए अथवा इससे कम बीमाकृत राशि की थीं तथा कुल का 7.9 प्रतिशत, लगभग 1.66 लाख पालिसियां 25,000/- रुपए से अधिक राशि के लिए थीं।

सिंगापुर में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ किए गए करार

7273. **श्री रामचन्द्र रथ :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने फरवरी; 1981 में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ एक करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) करार के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) से (ग) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने 350 लाख अमेरिकी डालर के लिए सिंगापुर स्थित एशियाई डालर बाजार में परक्राम्य मुक्त दर पर जमा प्रमाणपत्र जारी किए थे। इस निगम का प्रबन्ध क्रेडिट ल्योन्नायस, सिंगापुर के नेतृत्व में चार अन्य बैंकों अर्थात् ड्यूटश बैंक (एशिया क्रेडिट) लिमिटेड, ग्रिंडलेस एशिया लि०, लायड्स बैंक इन्टरनेशनल लि० तथा सिंगापुर नोमुरा मर्चेन्ट बैंकिंग लि० द्वारा किया गया था। इन प्रमाण-पत्रों के निर्गम के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक, सिंगापुर ने 17 फरवरी, 1981 को उपर्युक्त 5 विदेशी बैंकों के साथ करार पर हस्ताक्षर किये थे।

सोवियत रूस के साथ व्यापार करार

7274. **श्री रामचन्द्र रथ :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरिंग सामान और कागज के निर्यात और आयात के लिये भारत और सोवियत रूस द्वारा किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा कुल कितना सामान निर्यात और आयात करने का विचार है; और

(ग) भारत-सोवियत रूस निर्यात और आयात कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये निर्धारित की गई समय सीमा का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (ग) : सोवियत संघ को 1981 के दौरान निर्यात करने तथा वहां से आयात करने हेतु एक व्यापार सलेख फरवरी, 1981 में सम्पन्न किया गया था। व्यापार सलेख में अन्य बातों के साथ-साथ; सोवियत संघ के अखबारी कागज का आयात करने तथा सोवियत संघ को इन्जीनियरी माल का निर्यात करने की व्यवस्था है।

व्यापार सलेख के प्रावधान निर्देषात्मक स्वरूप के है तथा आयात व निर्यात सम्वन्धित देश की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार होंगे एव उनके आयात व निर्यात नियन्त्रण विनियमों के अध्यधीन होंगे।

व्यापार सलेख दिसम्बर, 1981 तक वैद्य हैं।

मंगलौर हवाई अड्डे पर नई उड़ान पट्टी के लिये सर्वेक्षण

7275. **श्री जनार्दन पुजारी :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में वर्तमान हवाई अड्डे पर एक नई उड़ान-पट्टी के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने नई उड़ान-पट्टी के निर्माण के लिये आवश्यक निधि आबंटित की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि आबंटित की गई है और इस पर कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (ग) : एक विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण करने के लिए 2.89 लाख रुपये के प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मंगलौर विमानन क्षेत्र पर बोइंग-737 परिचालनों के लिये उपयुक्त एक नये धावनपथ के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने के लिए छठी योजना में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

कर्नाटक के लिये वायुदूत सेवा

7276. **श्री जनार्दन पुजारी :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई वायुदूत सेवा से कर्नाटक राज्य में जोन क्षेत्रों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (ग) : वायूदूत द्वारा फीडर सेवाओं का विस्तार करके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से इतर

क्षेत्रों में भी उनका परिचालन प्रारम्भ करने के सामान्य प्रश्न की सरकार जांच कर रही है और जैसे ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया जाता है, कर्नाटक के जिन स्थानों को विमान सेवा द्वारा जोड़ा जाएगा उनके बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा। इस समय कोई ऐसी समयाविधि बता सकना सम्भव नहीं हैं जिसके अन्दर-अन्दर कर्नाटक में ऐसी फीडर सेवाओं का परिचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

रुपये का मूल्य

7277. **श्री जनार्दन पुजारी :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये का मूल्य निरन्तर गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान रुपये का महीने-वार मूल्य क्या था; और

(ग) इस निरन्तर ह्रास के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री श्री आर. वेंकटरामन : (क) तथा (ख) : रुपये के मूल्य में कमी और कीमतों में वृद्धि एक दूसरे के पर्याय हैं। एक **विवरण** संलग्न है जिसमें फरवरी 1981 को समाप्त हुए 12 महीनों के संबंध में (जिसके अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं) रुपये का महीनेवार मूल्य दिखाया गया है जिसे औद्योगिक श्रमिकों में अखिल भारतीय कीमत सूचकांक (1960 = 100) के व्युत्क्रम में मापा गया है।

(ग) : मुद्रास्फीतिकारी दवाबों के मूल्य में जो तत्व सक्रिय हैं उनकी चर्चा 1980-81 की आर्थिक समीक्षा में की गई है और उनमें तेल और तेल उत्पादों की बढ़ी हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें, प्रशासित कीमतों में वृद्धिकारी समायोजन, 1979-80 के सूखे के कारण कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दालों और तिलहनों के उत्पादन में कमी और व्यवस्था में नकदी का अतिरेक शामिल है।

विवरण

	(पैसों में)
मार्च, 1980	26.81
अप्रैल, 1980	26.67
मई, 1980	26.18
जून, 1980	25.91
जुलाई, 1980	25.38
अगस्त, 1980	25.19
सितम्बर, 1980	24.88
अक्टूबर, 1980	24.63
नवम्बर, 1980	24.63
दिसम्बर, 1980	24.33
जनवरी, 1981	24 33
फरवरी, 1981	23.92

टिप्पणी : औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचक अंक (1960 = 100) के व्युत्क्रम में मापा गया।

स्टेट बैंक हैदराबाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त चले आ रहे पदों की संख्या

7278. **श्री आर० आर० भोले :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में सभी श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षित पद बड़ी संख्या में रिक्त चले आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग कितने-कितने पद रिक्त चले आ रहे हैं;

(ग) रिक्त चले आ रहे उक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों का ध्यान रखने के लिये, नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार उनके लिये एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त न करने तथा इन जातियों/जनजातियों हेतु एक विशेष सेल गठित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) और (ख) : स्टेट बैंक आफ हैदराबाद ने सूचित किया है कि 31.12.1980 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित पदों के संबंध में बाकी बची हुई रिक्तियां नीचे लिखे अनुसार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	शून्य	8
लिपिक	76	106
अधीनस्थ कर्मचारी	6	17

(ग) बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे इस प्रकार की रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिये विशेष भर्त्ती परीक्षाओं का आयोजन करें। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली तथा मद्रास क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड इस प्रकार विशेष परीक्षायें आयोजित करने के लिये प्रबन्ध शुरू कर चुके हैं। अन्य क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों को भी सलाह दी गई है कि वे इसी तरह की कार्रवाई करें।

(घ) बैंक के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की शिकायतों की जाँच करने का काम इसके कार्मिक प्रशासन विभाग के के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जा चुका है।

तस्कर, रुपया लगाने वाले तथा विदेशी मुद्रा गिरोह का रिकार्ड

7279. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तस्करों, रुपया लगाने वाले तथा विदेशी मुद्रा के गिरोहों का अद्यतन रिकार्ड रख रही है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से ऐसे लोगों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) और (ख) : जी हां; मांगी गई सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

सीमा शुल्क विभाग, मद्रास द्वारा सामान का पकड़ा जाना

7280. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग, मद्रास द्वारा 1979-80 और 1980-81 के वर्षों में सीमाशुल्क का उल्लंघन करके वायु, समुद्र और अन्य मार्गों से आयात किये गए सामान में कितने मामले पकड़े गए;

(ख) जिन व्यक्तियों से सामान पकड़ा गया, उनके नाम और अन्य विवरण क्या हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) मद्रास सीमा-शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1979, 1980 और 1981 (मार्च, 1981 तक) के दौरान तस्करी के माल के जो मामले पकड़े उनकी संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	पकड़े गए मामलों की संख्या
1979	2446
1980	1756
1981 (मार्च तक)	431

(ख) और (ग) : उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों से माल पकड़ा गया था, उसकी संख्या बहुत अधिक होने से उनके नाम संकलित करने तथा ब्यौरेवार सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य ऐसे (मामलों) के विवरण बता दें जिनके बारे में वे विस्तृत सूचना चाहते हों तो वह एकत्र करके पेश कर दी जायेगी।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि के कारण इस्पात की खपत पर प्रभाव

7281. **प्रो० मधु दण्डवते :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्य में हाल की वृद्धि ने इस्पात की खपत को प्रभावित किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में खपत प्रभावित हुई है ?

वाणिज्य, इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : अभी तक इस प्रकार के कोई सकेत नहीं मिले हैं कि इस्पात के मूल्यों में हुई वृद्धि से किसी क्षेत्र में इस्पात की खपत पर कोई खास प्रभाव पड़ा है।

सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज हायर परचेज सोसायटी की स्थापना

7282. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों ने 'सैन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज हायर परचेज सोसायटी' स्थापित की है, जिसका प्रधान कार्यालय नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में है और यह कब से काम कर रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त सोसायटी की प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की सामान्य अवधि समाप्त हो चुकी है और यह सोसायटी के संविधान के उपबन्धों के विपरीत कार्य कर रही है;

(ग) क्या इस सोसायटी के संवैधानिक कार्य और इसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए अन्य कदाचारों तथा अनियमितताओं के बारे में मंत्रालय और दिल्ली में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अनेक शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) यह एक ऐसा मामला है जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन, गवर्नमेंन्ट इम्प्लाइज सैन्ट्रल हायर परचेज कोओपरेटिव सोसाइटी लि० के नाम से पंजीकृत एक फैडरल कोओपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा पंजीकृत की गई है, जिसकी प्राईमरी हायर परचेज सोसाइटियां भी सदस्य हैं। यह फैडरल सोसाइटी 29-12-1967 को पंजीकृत की गई थी।

(ख) सोसाइटी के उपनियमों में यह व्यवस्था है कि प्रबन्ध समिति के 1/3 सदस्य एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात चुने जायेंगे। सोसाइटी ने प्रबन्ध समिति का पिछला चुनाव मई, 12-1-1978 को किया और अगला चुनाव मई, 1981 के महीने में करने का प्रस्ताव है।

(ग) सोसाइटी के कदाचारों के विरोध में तथा सोसाइटी के एक पदधारी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ङ) : इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में रजिस्ट्रार सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों में रबड़ की खेती

7283. **श्री संतोष मोहन देव :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए पता लगाये गये क्षेत्रों में क्या प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

रबड़ बोर्ड समेकित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका नाम "रबड़ बागान विकास योजना" है जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व प्रदेश के क्षेत्रों सहित देश में रबड़ की खेती का बड़े पैमाने पर विस्तार करना है। इस योजना के अन्तर्गत दिए गए प्रोत्साहन ये हैं :

(1) जिन उपजकर्ताओं के पास 20 हैक्टार तक रबड़ बागान हैं उन्हें 5000 रु० प्रति हैक्टार तथा जिन उपजकर्ताओं के पास 20 हैक्टार से अधिक भूमि है उन्हें 3000 रु. प्रति हैक्टार नकद उपदान।

(2) उन रबड़ उपजकर्ताओं को जिनके पास 6 हेक्टार से कम क्षेत्र है अन्तर्निविष्ट साधन उपदान, तथा उर्वरकों की आधी लागत, पौध सामग्री की पूरी लागत की वापसी तथा मिट्टी संरक्षण के लिए 150 रु. प्रति हेक्टार की दर पर सहायता।

(3) इस योजना के अन्तर्गत रबड़ का पौध रोपण करने वाले उपजकर्ता कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से 15.000 रु० प्रति हेक्टार तक दीर्घावधि ऋण भी ले सकते हैं। रबड़ बोर्ड, पुनरोपण करने वाले बड़े उपजकर्ताओं को छोड़कर, सभी श्रेणियों के उपजकर्ताओं को दिए गए ऐसे ऋणों पर रोपण के दसवें वर्ष तक 3 प्रतिशत ब्याज की पूर्ति करेगा।

(4) पौध रोपण तथा अनुरक्षण की सभी अवस्थाओं में रबड़ उपजकर्ताओं को मुफ्त परामर्श तथा विस्तार सेवा।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपजकर्ताओं के लिए परामर्शों तथा विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए गोहाटी तथा अगरतल्ला में रबड़ बोर्ड के दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। बोर्ड उच्च उपज वाली पौध सामग्री सप्लाई करने के अलावा कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देकर, कुशल कर्मचारी सप्लाई करके तथा हुनर वाले कार्यों में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि देकर भी इस क्षेत्र में राज्य सरकारों को सहायता देता रहा है।

पचास रुपये के नोटों की नई सीरीज जारी किया जाना

7284. **श्री भीखा भाई :**

श्री हीरा लाल आर० परमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पचास रुपये के करेंसी नोटों की नई सीरीज जारी करने का निर्णय किया है जिनके ऊपर संसद भवन दिखाया जाएगा और पृष्ठभाग पर राष्ट्रीय ध्वज होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किंचित परिवर्तन के साथ नये पचास रुपये के करेंसी नोट के पृष्ठ के भाग पर बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर का चित्र और पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय ध्वज के साथ संसद भवन का चित्र, 6 दिसम्बर, 1981 को उनके 25वीं पुण्य तिथि के अवसर पर, छापने का विचार है ?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके इन्कार किये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : 50 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग में संसद भवन से राष्ट्रीय ध्वज के लोप होने की भूल में सुधार करने के लिए संसद को दिये गये आश्वासन के अनुपालन में उसका डिजाइन फिर से बनाया गया है । उसमें किसी राष्ट्रीय नेता के चित्र प्रतिमा को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

(घ) स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने केवल महात्मा गांधी के चित्र रहित नोट जारी किये हैं । तथापि केवल दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आकृति सहित दो स्मारक सिक्के अर्थात् 1964 में नेहरू सिक्के और 1969 में गांधी सिक्के जारी किये थे । उसके पश्चात् समय-समय पर अभ्यावेदन किये जाने पर भी सरकार इस निश्चय पर स्थिर रही है कि सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों या उनसे संबंधित किसी भी घटना के चित्र सहित नोट या सिक्के जारी नहीं किये जाने चाहिये क्योंकि यदि सरकार उपर्युक्त अपवादों से आगे बढ़ी तो एक सीमा रेखा खींचना और विभिन्न स्रोतों तथा समुदायों द्वारा की जाने वाली इसी प्रकार की मांग का प्रतिरोध करना कठिन हो जाएगा ।

उड़ीसा की लोहे तथा इस्पात की आवश्यकताएं

7285. **श्री चिन्तामणि जैना :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को लोहे तथा इस्पात की कम सप्लाई करने के कारण राज्य लघु उद्योगों तथा उद्यमियों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य की 1978 से 1981 के दौरान लोहे तथा इस्पात की आवश्यकताएं क्या थीं और प्रत्येक वर्ष की मांग की तुलना में कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य की मांग के अनुसार इन वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) से (ग) : लोहा और इस्पात सामग्री के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। इनका वितरण अब संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहा और इस्पात सामग्री के वितरण के बारे में घोषित किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न तो राज्य-वार आवटन की व्यवस्था है और न ही राज्यवार मांग का पता लगाने की कोई व्यवस्था है । जहां तक लघु इकाइयों का सम्बन्ध है, तार बनाने वाली इकाइयां, पुनर्वेलकों, ब्राइट बार इकाइयां, ट्यूब निर्माता आदि जैसी इकाइयां कम्पेक्ट ग्रुप के उद्योगों के अन्तर्गत आती हैं और ऐसी इकाइयां जिन्होंने भूत में माल की न्यूनतम निर्धारित मात्रा खरीदी है और जिनके पास अनि-

वार्यता प्रमाण-पत्र हैं वे मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माल खरीद सकती हैं। अन्य लघु इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित लघु उद्योग निगमों से करनी होती है। वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा लघु उद्योग निगम की मांग, उनको किया गया आवंटन और वास्तविक सप्लाई इस प्रकार है :—

(टन)

वर्ष	मांग	आवंटन	सप्लाई
1978-79	25200	12071	7121
1979-80	21941	15000	11015
1980-81	22685	16050	9914

(अप्रैल, 80 से फरवरी, 81 तक)

आवंटन के मुकाबले में कमी मुख्यत: बिजली और कोयले की उपलब्धि में आई कठिनाइयों के कारण देशीय उत्पादन की कमी के कारण हुई है। इस्पात कारखानों से थोड़ी संख्या में रेल के डिब्बों के परिवहन से भी कठिनाई होती है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कमी उपलब्ध सामग्री नहीं भेजी जा सकती है। हम इस बारे में रेलवे से सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(घ) जैसाकि ऊपर बताया गया है राज्यवार मांग का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, परन्तु सप्लाई और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात के मामले में काफी उदार नीति अपनायी गई है। माध्यम अभिकरणों द्वारा मदों के आयात के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में विदेशी-मुद्रा उपलब्ध कराने के अलावा वास्तविक उपयोक्ताओं को "प्रतिबन्धित सूची" के अन्तर्गत कुछ मदों का सीधे आयात करने और खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कुछ अन्य मदों के आयात के लिए अनुमति प्रदान की गई है। आशा है कि इन सभी सुविधाओं से बड़े और लघु क्षेत्र के इंजीनियरी उद्योग की इस्पात की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो जायेगी। मांग और सप्लाई की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सप्लाई और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

लद्दाख की जंसकार घाटी में तांबे और नीलम के लिए सर्वेक्षण

7286. **श्री पी० नामग्याल :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख की जंसकार घाटी में प्राकृतिक तांबा और नीलम की खानों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत ऊंचाई और सहन शक्ति की कमी के कारण अब तक ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या धातु अन्वेषकों की सहायता से वैसी ही परिस्थितियों के अन्तर्गत वैसा ही सर्वेक्षण कार्य करने हेतु स्थानीय लोगों की की भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का सरकार का विचार है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) जंसकार में तांबा और अन्य आर्थिक खनिजों के स्रोत का पता लगाने के लिए 1969-73 में और पुन: 1975-76 में सर्वेक्षण किया गया था। केवल घुट-पुट भंडार मिले हैं और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा सर्वेक्षण जारी है। जंसकार घाटी में अभी तक कोई नीलम नहीं मिला है।

(ख) और (ग) : स्थान की ऊंचाई के कारण पेश आ रही बाधाओं को देखते हुए जी० एस० आई० द्वारा उन्नत भू-भौतिकी तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में भी काम लिया जा रहा है।

बुनकरों को पोलिएस्टर फिलामेंट धागे का वितरण

7287. **श्री निहाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश म पहली बार हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को पोलिएस्टर फिलामेंट धागा वितरित किया गया है, जिससे कि वे 1 सिनथेटिक कपड़े का उत्पादन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं या किये जाने का विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों को पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न उचित मूल्यों पर प्राप्त होता है और यह धागा बुनकरों को अब तक किस ढंग से वितरित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रबन्ध मैसर्स पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव्स लिमिटेड द्वारा किये गये हैं जो कि राज्य शीर्ष समितियों के माध्यम से, जिनकी कि विभिन्न प्राथमिक स्तरीय सहकारी समितियां सदस्य हैं, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के वितरण के लिए भारत सरकार और सहकारी समितियों का एक संयुक्त उद्यम है। सहकारी समितियों को अपनी खरीदारियों पर विशेष रिबेट दिया जाता है।

पंजीकृत निर्यातकों को नकद प्रोत्साहन दिया जाना

7288. **श्री निहाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई के कार्यालय द्वारा पंजीकृत निर्यातकों को नकद प्रोत्साहन देने तथा लाइसेंस जारी करने की प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन में किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया है और दिए गए सुझावों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई ने ऐसे क्षेत्रों का

जहां नकद प्रतिपूर्ति सहायता और पंजीकृत निर्यातक को लाइसेंस मंजूर करने के लिए आवेदन-पत्रों के तेजी से निपटान के लिए आगे सुधार किये जा सकते हैं, पता लगाने के उद्देश्य से अपने कार्यालय का एक अध्ययन किया था। परिणामस्वरूप, आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने में संचालनों की संख्या कम की गई।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण एक सतत क्रम है। 1 नवम्बर, 1980 से आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने अखिल भारतीय आधार पर लाइसेंसों की कतिपय श्रेणियों के संबंध में आयात आवेदन-पत्रों के निर्यातकों के आवेदन-पत्रों की संवीक्षा में उनकी सहायता के लिए लाइसेंसिंग कार्यालयों में काउण्टर भी स्थापित किये गये हैं।

हथकरघा उद्योग के लिये धागे की अपर्याप्त सप्लाई

7239. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा उद्योग की मुख्य कठिनाई धागे की अपर्याप्त सप्लाई का होना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि धागे की कमी के कारण देश में चालीस लाख हथकरघों और पचास लाख विद्युत चालित करघों का केवल आंशिक उपयोग ही हो रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि 160 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क के बावजूद आयातित धागा स्वदेशी धागे से सस्ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य देशों को निर्यात करने की बात छोड़कर देश के बाजार में ही कपड़े की माँग की पूर्ति करना संभव होगा;

(ङ) यदि यहीं, तो क्या सरकार का विचार मिल-क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : यार्न की अपर्याप्त सप्लाई अथवा यार्न की कमी के करण बहुत कम इस्तेमाल करने की कोई सूचना नहीं हैं; वस्तुतः हाल में यार्न के उत्पादन एवं सप्लाइयों में सुधार हुआ है और रुई की कीमतों में तीव्र वृद्धि के बावजूद यार्न की कीमतों में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। नई वस्त्र नीति में सीमित विस्तार विशेष रूप से निर्यातों के लिये व्यवस्था की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर का बन्द होना

7290. **श्री ए० के० राय :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मैसर्स जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड कानपुर, जो सामान्यतया कैलाश मिल के नाम से जानी जाती है, तीन वर्ष से अधिक समय से बन्द पड़ी हुई है जिससे इसके 2500 श्रमिक बेकार हो गये हैं और अब वे भूखों मर रहे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारखाने को स्क्रैप के रूप में बेचने के लिए प्रस्ताव है हालांकि इसमें उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इस कारखाने को अपने हाथ में लेने, जैसा स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के मामले में किया गया था, और इसके श्रमिकों तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिए इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चलाने का है, और हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (ग) : मैसर्स जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लि० कानपुर (कैलाश मिल्स) वित्तीय कठिनाईयों के कारण 1 अक्तूबर, 1976 से बन्द पड़ी है। मुकदमेबाजी के फलस्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गये रसीवर को चाहिए कि वह नीलामी में बेची गई मशीनरी को बिक्री की राशि प्राप्त करने के बाद नीलाम खरीदार को सुपुर्द कर दे और इस राशि को तब तक रखे जब तक न्यायालय आगामी आदेश न दे दे। न्यायालय ने निदेश दिया है कि बिक्री की राशि को बैंक में रखा जाये जिससे ब्याज मिले और भूमि तथा भवन की बिक्री तब तक स्थगित रहेगी जब तक आगामी आदेश न हो जाये। बैंक तथा कामगारों दोनों ने न्यायालय में पुर्नविलोकन आवेदनपत्र दायर किये हैं। इस एकक का उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण करना उचित नहीं समझा जाता, विशेषकर क्योंकि यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का उत्पादन

7291. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में हाल के दिनों में आन्दोलनों के कारण अहमदाबाद क्षेत्र में कपड़ा मिलों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि मिल अपने उत्पादन सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम को बनाये रख सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) अहमदाबाद की वस्त्र मिलों में होने वाले उत्पादन पर 20 फरवरी 1981 से 25 फरवरी 1981 के दौरान उस क्षेत्र में हाल में हुए आन्दोलन के कारण प्रभाव पड़ा। अहमदाबाद की वस्त्र मिलें 26 फरवरी, 1981 से सामान्य तौर पर कार्य कर रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास के विकल्प के रूप में 'माडल फाइबर'

7292. **श्री जगदीश टाईटलर :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के विकल्प के रूप में देश में अपने यहां ही 'माडल फाइबर' का उत्पादन किये जाने की कोई सम्भावना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) जी, हां। पालिनासिक/एच० डब्ल्यू० एम० रेशे की, जिसमें रुई से मिलती-जुलती विशेषताओं का होना बताया गया है, की समिति क्षमताओं को देश में रुई के अनुपूरक के रूप में न कि उसके विस्थापन के रूप में अनुमोदित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) मैसर्स इटली विस्कोस ईस्टर्न ट्रेडिंग, एस० पी० ए० (मिलान) इटली के सहयोग में 7,000 मै० टन पोलिनासिक रेशे के विनिर्माण के लिए दि० साउथ इण्डिया विस्कोस लि० कोयम्बटूर।

(2) मैसर्स मित्सुबिशी रेयन कम्पनी, जापान के सहयोग में 10,000 मै० टन एच० डब्ल्यू० एम० रेशे के विनिर्माण के लिए दि तुंगभद्रा फाइबर्स लि०, कर्नाटक।

(3) कैमटेक्स/अमरीकन एन्वस, अमरीका के सहयोग में 7,000 मै० टन एच० डब्ल्यू० एम० रेशे के विनिर्माण के लिये आंध्र प्रदेश रेयन्स लि०।

वाणिज्यिक ट्रकों के साथ जुड़े ट्रेलरों तथा कंटेनरों पर उत्पादन शुल्क

7293. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रक चलाने के कार्य में लगे छोटे उद्योगपतियों ने यह मांग की है कि सरकार को वाणिज्यिक ट्रकों के साथ जुड़ने वाले ट्रेलरों कंटेनरों आदि पर 5 प्रतिशत से अधिक उत्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र में रखने का है अथवा सरकारी क्षेत्र में;

(घ) यदि इसे सरकारी क्षेत्र में रखने का विचार है तो यह कब तक कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार फिलहाल ट्रेलरों और कंटेनरों पर शुल्क दर में कोई फेर-बदल करने के पक्ष में नहीं हैं, जिसमें काफी राजस्व की हानि ग्रस्त होगी।

(ग) से (ङ) : ट्रक परिचालन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

7294. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तार्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में धन की कमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य देशों द्वारा धन एकत्र करने अथवा विश्व वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ग) क्या समृद्ध तेल उत्पादक देशों से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निवेश करने के लिए सिफारिश की गई है, यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में भारत की अपनी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटारामन) :

(क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूरक वित्तपोषण सुविधा के लिए उधार लेने की व्यवस्था के सम्बन्ध में वचनबद्धताएं अब पूरी होने को हैं। बहुत से सदस्य देशों के भुगतान शेषों के भारी असन्तुलन और अनिश्चित सम्भावनाओं को देखते हुए कोष से की जाने वाली भारी मांगों को पूरा करने के लिए कोष ने हाल में ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिनके परिणामस्वरूप सदस्य देश कोष के साधनों से अधिक राशियां ले सकें। इन अधिक राशियों की आवश्यकयाओं को पूरा करने के लिए अपने सामान्य साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से कोष का अधिक अधिशेष वाले सदस्य देशों, केन्द्रीय बैंकों और गैर-सरकारी बाजारों से द्विपक्षीय आधार पर उधार लेने का विचार है। इस सम्बन्ध में कोष के प्रबन्ध निदेशक सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा बातचीत चल रही है। हाल में कोष के प्रबन्ध निदेशक ने कोष और सऊदी अरब मुद्रा एजेंसी के बीच सिद्धान्ततः सम्पन्न एक उधार करार की घोषणा की थी। सऊदी अरब मुद्रा एजेंसी कोष को करार के पहले वर्ष में 4 अरब एस० डी० आर० तथा दूसरे वर्ष में और 4 अरब एस० डी० आर० का उधार देने का वचन देगी। सऊदी प्राधिकारियों ने, यदि उनके भुगतान शेष और प्रारशित निधि में गुंजाइश हुई, तो तीसरे वर्ष के लिए और वचन देने की भी इच्छा व्यक्त की है।

(घ) भारत सदस्य देशों की आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए कोष की पहले

से बड़ी भुमिका का स्वागत करता है। लेकिन, चूंकि कोष द्वारा उधार ली गई रकमें आमतौर से अलग-अलग देशों को लगभग उन बाजार दरों पर उपलब्ध की जाती हैं, जो गरीब विकासशील देशों की दृष्टि में बहुत ऊंची होती हैं। भारत कम आय वाले देशों को, आर्थिक सहायता के साथ साथ इन साधनों की रियायती शर्तों पर व्यवस्था किए जाने की वकालत करता रहा है।

राज्यों को आर्थिक मार्गदर्शन

7295. **श्री० बी० वी० देसाई :**

श्री० एस० एम० कृष्ण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वे इस आशा से योजना न बनायें अथवा कोई खर्च न करें कि केन्द्रीय सरकार उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायया देगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई आर्थिक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने राज्यों को यह भी निदेश दिया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ओवर-ड्राफ्टिग कम किया जाये;

(घ) यदि हां, तो 1981-82 बजट के दौरान कितने राज्यों के घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी की है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने मार्च, 1981 के महीने में तथा आगे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे इस धारणा पर कोई आयोजना न बनाये अथवा कोई खर्च न करें कि केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर देगी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग 20 राज्यों के सम्न्वध में जो सूचना हमारे पास है उनमें से दस राज्यों के बजटों से यह देखने में आता है कि वे 1981-82 के लेन-देनों के सम्बन्ध में घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

(ङ) मार्च, 1981 के दौरान 14 राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट ले रखा था।

पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार

7296. **श्री बी० वी० देसाई :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के संरक्षणवाद से पीछे हटने का औद्योगिक देशों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि यह भारत जैसे विकासशील देश को नुकसान पहुंचायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1981 में पश्चिम जर्मनी के उपप्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार से वार्ता की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (ग) : मार्च, 1981 में जर्मन संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री के भारत के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं उठाई गई और इस प्रकार इस सम्बन्ध में कोई करार करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विचार विमर्श के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री ने संरक्षणवाद के मामले का उल्लेख किया जिससे, उनके विचार से, आगे चलकर विकसित देशों को हानि होने की सम्भावना है। उनके अनुसार जर्मन संघीय गणराज्य हमेशा बाजार खोलने के पक्ष में है।

एयर इंडिया द्वारा ग्रीष्मकालीन समय सारणी में उड़ानों को कम किया जाना

7297. **श्री बी० वी देसाई :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने अपने ग्रीष्मकालीन समय सारणी में अपनी उड़ानों में और कमी करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहली कमी नवम्बर 1980 में की गई थी;

(ग) यदि हां, तो अगली कमी कब की जायेगी;

(घ) इनके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या इससे यात्रियों की भीड़ से निपटने में बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) और (ख) : जी, नहीं। एयर इण्डिया की चार उड़ानों को पहली फरवरी, 1981 से निलम्बित कर दिया गया था।

(ग) उड़ानों में और कटौती करने की एयर इण्डिया की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं।

(घ) एयर इण्डिया द्वारा फरवरी/मार्च, 1981 के दौरान उड़ानों में कटौती अपनी उड़ानों पर लोड में वृद्धि करने और घाटे में कमी करने के उद्देश्य से की गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

नीदरलैंड की भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों में रुचि

7298. **श्री बी० वी देसाई :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नीदरलैंडस की तीसरे देशों में, विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों की स्थापना में रुचि का स्वागत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने बताया है कि सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं को आरम्भ करने में भारतीय इंजीनियरिंग आयोग द्वारा पर्याप्त विशेषज्ञता का विकास कर लिया है और यह देश उक्त क्षेत्रों में कुल 'पैकेज' की पेशकश कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या युवराज कलाउज की 23 फरवरी, 1981 की यात्रा के दौरान उसकी अध्यक्षता में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई अन्तिम समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (घ) : फरवरी, 1981 में नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल तथा नीदरलैण्ड के महामहिम प्रिंस क्लाज की अध्यक्षता में नीदरलैण्ड के प्रतिनिधि मण्डल के बीच हुई वार्ताओं के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि तीसरे देश में संयुक्त उद्यमों तथा अन्य विकास परियोजनाओं में सहयोग की गुंजाइश है। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सिविल इंजीनियरिंग निर्माण क्षेत्र सहित इस देश में विकसित क्षमताओं तथा विशेषज्ञता पर बल दिया। दोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने महसूस किया कि तीसरे देशों में औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए दोनों देशों की प्रौद्योगिकी तथा वित्त को और साथ ही मात तथा सेवाओं को उपयुक्त रूप से मिलाया जा सकता है। सहयोग के कतिपय व्यापक क्षेत्र भी अभिज्ञात किये गए। चूंकि ये वार्ताएं अन्वेषणात्मक थीं, अतः डच प्रतिनिधि मण्डल की यात्रा के दौरान कोई विशिष्ट करार सम्पन्न नहीं किया गया।

फिल्मी सितारों की ओर आयकर की बकाया राशि

7299. **श्री छीतूभाई गामित :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देवानन्द, जीनत अमान, प्राण, राखी, गुलजार, रेखा, परबीन बाबी, राजेश खन्ना, धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, शशि कपूर और नीतू सिंह जैसे फिल्मी सितारों की ओर आयकर की कितनी-कितनी धनराशि बकाया रही है; और

(ख) उपरोक्त नामों वाले फिल्मी-सितारों की ओर इस समय कितनी-कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

रबड़ का उत्पादन, मांग और आयात

7300. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री सुधीर गिरि :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में रबड़ की मांग की तुलना में उसका उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) वर्ष 1980-81 में कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया और कितनी मात्रा में बेची गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) 1980-81 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन और उपयोग क्रमशः लगभग 1,52,600 मै० टन तथा लगभग 1,73,200 मे. टन है।

(ख) 1980-81 के दौरान आयात की गई रबड़ की कुल मात्रा 9,250 मे० टन थी। 1980-81 के दौरान वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेची गई मात्रा 17,926 मे० टन थी जिसमें गत वर्ष का 10,960 मे० टन का स्टाक भी शामिल है।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया द्वारा निःशुल्क पास जारी किया जाना

7301. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने के लिये जिन व्यक्तियों को निःशुल्क पास दिये गए हैं उनके नाम, पदनाम तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि प्रत्येक मामले में निःशुल्क पास जारी किये गए हैं; और

(ग) 1977 से 1980 तक, महीनेवार, निःशुल्क पास जारी करने के कारण राजस्व की कुल कितनी मासिक हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात के कोटे का दुरुपयोग किया जाना

7302. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम तथा विवरण क्या हैं। (संबद्ध फर्मों के दिदेशक मंडल की संरचना का विवरण देते हुए) जिन पर वर्ष 1979 और 1980 के दौरान इस्पात के कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) प्रत्येक फर्म के खिलाफ विशेष आरोप क्या हैं, प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि अन्तर्विष्ट है; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ग) : अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि के बारे में ब्यौरे नहीं रखता है क्योंकि इकाइयों/पार्टियों को केवल यही सिद्ध करना होता है कि सामग्री उचित ढंग से इस्तेमाल की गई है और दुरुपयोग के कारण वसूल की गई राशि; यदि कोई हो, के बारे में जानकारी रिकार्ड में नहीं है।

लखनऊ में सीमा शुल्क विभाग के खुदरा बिक्री काउंटरों से बेची गई जब्त विदेशी वस्तुओं के मूल्य

7303. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में सीमा शुल्क विभाग के निपटान एककों के खुदरा बिक्री काउंटरों से बेची जाने वाली निपटान योग्य जब्त विदेशी वस्तुओं के मूल्यों को विभागीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा मूल्य सूचियों में "खराब", "क्षतिग्रस्त", "दूषित", "वाष्पित", "टूटा-फूटा" आदि लिखकर जानबूझकर बहुत कम रखा जाता है ताकि वे उच्च विभागीय अधिकारियों अथवा अपने मित्रों और संबंधियों को लाभान्वित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

निर्यात पर नकद राज सहायता

7304. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में वर्षवार निर्यात कर्ताओं को निर्यात के लिये दी गई नकद राज सहायता का वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राज सहायता कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) एक **विवरण** संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-2336/81)।

(ख) से (घ) : नकद मुआवजा सहायता पर होने वाले व्यय को निर्यातों पर उपदान के

रूप में नहीं समझा जाता है क्योंकि नकद मुआवजा सहायता अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों जो शुल्क वापसी के बाद गैर-वापसशुदा रह जाते हैं, निर्यात उत्पादन में सभी कार्यशील पूंजी पर भारत में लगने वाले ब्याज की ऊंची दरों, निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त स्वदेशी पूँजी उपस्कर की ऊंची लागत, विभेदकारी भड़ा दरों आदि के रूप में भारतीय निर्यातकों द्वारा अवभव की जाने वाली हानियों पर उनके सामने आन वाली बाधाओं की क्षतिपूर्ति करने या उनको विष्प्रभावी करने के लिये दी जाती है।

इसे देखते हुए निर्यातों के लिये नकद मुआवजा सहायता को वापिस लेने अथवा कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, जहाँ कहीं आवश्यक होता है, अलग-अलग मदों की दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें संशोधित किया जाता है अथवा वापिस लिया जाता है।

पर्यटकों द्वारा बड़खल भील, सोहना भरना तथा पिंजोर गार्डन का भ्रमण करने का आकर्षण

7305. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत के पर्यटन केन्द्रों में हरियाणा में बडखल झील सोहेना झरना तथा पिंजोर गार्डन सबसे अच्छे पर्यटन केन्द्र हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सस्ते होटल, परिवहन सुविधाओं तथा इन स्थानों को सुन्दर बनाने जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का हरियाणा राज्य सरकार को पर्याप्त धन का आबंटन करके विदेश तथा देश के पर्यटकों के लिए इन स्थानों को और आकर्षित बनाने का कोई ठोस प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को मालूम है कि हरियाणा में बडखल झील, सोहना झरना, पिंजोर गार्डन उन पर्यटक केन्द्रों में से हैं जिनकी पर्यटक, प्रधानतः स्वदेशी पर्यटक, बार-बार यात्रा करते हैं। पिछली योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग के बडखल झील पर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर 2.35 लाख रुपए खर्च किए थे। इसी प्रकार पिंजोर में सुविधाओं की व्यवस्था करने पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आवास सुविधाएं भी जुटाई गयी हैं।

(ख) पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती क्योंकि पर्यटन सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें चौथी पंचवर्षीय योजना से समाप्त कर दी गई थीं। अतः पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में या राज्य सेक्टर में शुरू की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में चुने हुए यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सर-

कारों/संघ शासित क्षेत्रों से यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था। हरियाणा सहित, राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य पर्यटक अधिकारियों के साथ मार्च-अप्रैल, 1981 के दौरान होने वाली बैठकों की श्रृंखला में विचार-विमर्श किया जा रहा है। हरियाणा में प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों के ब्यौरे, उनके लिए धनराशि जुटाने और साथ ही इन्हें कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों के बारे में बैठक में राज्य सरकार के पर्यटक अधिकारियों से परामर्श करते हुए विचार-विमर्श किया जाएगा।

आम, आम के रस या गूदे का निर्यात

7306. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 में कुल कितने मूल्य का कितना-कितना (एक) आम और (दो) आम का रस या गूदा विदेशों को निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय आम के रस का सोवियत रूस को निर्यात करने के बारे में करार किया है;

(ग) यदि हां, तो सोवियत रूस को कितना और किस किस्म का आम और आम का रस निर्यात किया जाएगा और क्या यह करार भुगतान के आधार पर है या माल की अदला-बदली के आधार पर ;

(घ) क्या अमरीका और अन्य देशों के साथ ऐसे करार किये गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) 1982 के मौसम में कितने मूल्य के कितने आम और आम के रस या गूदे का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) निर्यात आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

मात्रा : मे० टन
मूल्य : लाख रु०

	1979		1980		**जनवरी, 1981**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
ताजा आम	4605	501.89	4151	436.75	4	0.47
आम का रस	5405	346.88	6082	343.08	469	27.13
आम का गूदा	2507	174.81	5312	408.93	1110	104.81

(ख) 1981 के लिए सोवियत संघ के साथ किए गये व्यापार सलेख में फलों के रस निर्यात की व्यवस्था की गई है।

(ग) राज्य व्यापार निगम के भुगतान आधार पर सोवियत संघ को अन्य फल उत्पादों के

आलावा 4000 मे० टन आम रस और 500 मे० टन आम का गूदा निर्यात करने के लिए जनवरी 81 में दो संविदाएं तय की हैं ।

(घ) चैकोस्लोवाकिया और जर्मनी लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ व्यापार सलेख में ताजा फलों तथा रसों के निर्यात के लिए रूमानिया के साथ व्यापार सलेख में रसों के निर्यात के लिए व्यवस्थाए की गई हैं । पोलैंड के साथ व्यापार सलेख में भी फलों के निर्यात के लिये व्यवस्था की गई है ।

(ङ) 1982 सीजन के दौरान आमों, आम के रस अथवा गूदे के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

स्वरोजगार के लिए गृहणियों को ऋण

7307. **डा० वन्सत कुमार पण्डित :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी ने गृहणियों को स्वरोजगार के लिए ऋण मंजूर करके कोई व्यापक ऋण योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस बैंक ने गृहणियों को ऐसे ऋण दिये हैं; कुल कितनी राशि के ऋण दिए गये और यह ऋण कितनी गृहणियों को मिला और 1980-81 में यह योजना किस क्षेत्र में लागू की गई ; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सलाह दी है कि गृहणियों को ऋण देने की योजनाए बड़े नगरों की बजाए पिछड़े जिलों में शुरु की जाये ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल एक राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक ने, स्व-नियोजन के वास्ते, किशेष रूप से गृहणियों को ऋण प्रदान करने के लिए, एक बृहत् ऋण शिविर आयोजित किया था । अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की अपनी स्कीमें हैं, जिनके अन्तर्गत वे गृहणियों, युद्धकाल में हुई विधवाओं तथा अन्य महिला शिल्पकारों को, सिलाई मशीनों तथा बुनाई मशीनों की खरीद, पापड़, वड़ी तथा आलू के चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने जिल्दसाजी टोकरी बनाने, कैंटीनों को चलाने; रेशम के कीड़े पालने, हथकरघा बुनाई आदि जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिये ऋण प्रदान करते हैं । लगभग 6000 महिलाओं को रोजगार देने वाली एक संस्था, महिला गृह उद्योग (लिज्जत पापड़) को भी, जिसकी शाखाएं पूना, कलकत्ता, हैदराबाद जबलपुर तथा गुजरात के विभिन्न स्थानों पर है, ऋण स्वीकृत किये गये हैं । किंतु, वर्तमान सूचना प्रणाली में, गृहणियों को स्वीकृत ऋणों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं प्राप्त होते ।

बैंक, पिछड़े सभी क्षेत्रों में पैमाने पर ऋण देने के वास्ते ऋण कैंपों/मेलों का आयोजन करते हैं तथा गृहणियों समेत श्रेणियों के ऋणकर्ता, अपनी उचित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इनका लाभ उठा सकते हैं ।

बम्बई स्टाक एक्सचेंज द्वारा गैर-कानूनी सट्टे के खिलाफ शिकायत

7308. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक निवेशकर्ता ने बम्बई स्टाक एक्सचेंज द्वारा सरकारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन में गैर-कानूनी सट्टे के खिलाफ बम्बई न्यायालय में एक शिकायत दायर की है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 1980 के 'करेंट' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्टाक एक्सचेंजों में गैर-कानूनी 'बदला' सौदे और अन्य विभिन्न चोरी छिपे सौदों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) सरकार ऐसे मामलों में, जिनमें नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन होगा, मुनासिब कार्रवाई करेगी।

मूंगफली, बिनौले की खली और मूंगफली की खली का निर्यात कोटा

7309. **श्री हरिनाथ मिश्र :**
श्री भीकू राम जैन :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए मूंगफली, बिनौले की खली और मूंगफली की खली के कितने निर्यात कोटे का निर्णय लिया गया है; और

(ख) देश में खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी लाने के लिए इन वस्तुओं के निर्यात कोटे को कम करने अथवा स्थगित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) 1981-82 के लिए एच. पी. एस. मूंगफलियों, बिनौला, विस्सारणों तथा मूंगफली निस्सारणों के निर्यात कोटों के बारे में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) एच०पी०एस० मूंगफलियों का निर्यात इस तरह से विनियमित किया जाता है जिससे उससे घरेलू खपत के लिए खाद्य तेलों की प्राप्यता अथवा कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े। निस्सारणों के निर्यात से घुलनशील निस्सारित तेलों के और अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलेगी।

चाय उत्पादन में वृद्धि के लिए योजना

7310. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू चाय के उत्पादन की विकास दर, मांग की विकास दर से कम रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चाय उद्योग का निर्यात योग्य अधिशेष का कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बढ़ रही घरेलू मांग और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए चाय उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : लगभग पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान चाय के उत्पादन की अनुमानित वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 3.3% रही है जबकि चाय की घरेलू खपत की वृद्धि दर 5.3% थी। फिलहाल बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के बाद निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में चाय उपलब्ध है।

(ग) तथा (घ) : बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तथा पर्याप्त निर्यात योग्य देशी माल तैयार करने के लिए गहन फसल कार्यक्रमों के द्वारा तथा विस्तृत रोपण द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। चाय बोर्ड इस उद्देश्य के लिए चाय बागानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चलाता है। यह भी प्रस्ताव है कि गैर परम्परागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चाय की खेती के अन्तर्गत नये क्षेत्र लायें जाएं। पुनरोपण तथा विस्तार के लिए यथोचित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पुनरोपण उपदान की दरों को बढ़ा कर मैदानी क्षेत्रों के लिए 10,400 रु० प्रति हेक्टार, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 12.400 रु० प्रति हेक्टार तथा दार्जिलिंग क्षेत्रों के लिए 15,000 रु० प्रति हेक्टार कर दिया गया है; विकास भत्ता के लिए योग्य बनने की व्यय की सीमा को बढ़ाकर दार्जिलिंग जिले के लिए 40,000 रु० प्रति हेक्टार, अन्य पहाडी क्षेत्रों के संबंध में 35,000 रु० प्रति हेक्टार, अन्य मैदान क्षेत्रों के लिए 30,000 रु० प्रति हेक्टार कर दिया गया है।

चपड़ा का निर्यात बढ़ाने के लिये योजना

7311. **सी एन० राम गोपाल रेड्डी :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चपड़ा का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई नई योजना तैयार की है ;

(ख) क्या मध्य पूर्व, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा सोवियत रूस जैसे देशों ने इस वस्तु में रुचि दिखाई है ;

(ग) क्या चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने बिक्री में बढ़ोतरी करने के उपाय के रूप में लाख पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क समाप्त करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त (क) भाग का ब्यौरा क्या है और भाग (ग) के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (घ) सरकार लाख के सम्बन्ध में वृद्धि उन्मुख नीति क्रियान्वित कर रही है

जिसके फलस्वरुप निर्यात आय में वृद्धि हो गई है, 1977-78 में 6.34 करोड़ रु० की आय हुई थी जो बढ़कर 1979-80 में 11.13 करोड़ रु० हो गई। अप्रैल-दिसम्बर, 1980 के दौरान चपड़े के निर्यात 8.35 करोड़ रु० के रहे जबकि 1979 की उसी अवधि के दौरान 5.12 करोड़ रु० के निर्यात हुये थे। इसके निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सारणीबद्ध है। सभी ग्रेडों की लाख के लिये न्यूनतम निर्यात कीमत हैं जो उपकर्त्ताओं के लिये स्टिक लाख की न्यूनतम समर्थन कीमत के साथ संबद्ध है। चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद को निर्यात योग्य सभी माल की कीमत तथा क्वालिटी नियंत्रण को क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया है। विज्ञापन देकर, उनके अनेक भाषाओं में पैम्पलेटों का बड़ी संख्या में वितरण करके, बाजार सर्वेक्षण आदि करके परिषद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक रूप से प्रचार करती है।

चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने लाख पर विद्यमान 8 प्रतिशत उत्पादन शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) सोवियत संघ भारतीय चपड़े के सबसे बड़े खरीददारों में एक है। दक्षिणी एशिया तथा मध्य पूर्व के कुछ देशों में भी चपड़ा खरीदना शुरू कर दिया है। इन बाजारों का विस्तार हो रहा है।

फिल्म अभिनेताओं और निदेशकों के नाम जिनके विरुद्ध आयकर के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है

7312. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण के उन फिल्म अभिनेताओं, उत्पादकों और निदेशकों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा आयकर के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक की ओर बकाया आयकर की राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) तथा (ख) : आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में इस तरह के जिन व्यक्तियों का कर निर्धारण किया गया है। उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

संयुक्त उद्योगों के लिये संयुक्त कम्पनियों द्वारा भारत में लगाई गई विदेशी मुद्रा

7313. **श्रीमती कृष्णा साही :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय संयुक्त उद्योग खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा की तुलना में बहुत ही कम विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भारत में इस प्रकार की कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है और भारत सरकार द्वारा 1976-77 के दौरान घोषित उदार आयात नीति से लेकर अब तक उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा उनके द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा की तुलना में कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (ग) : माननीय सदस्य का संकेत संभवत: विदेशों में स्थापित भारतीय उपायों की ओर है।

विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में भागीदारी की अनुमति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन दी जाती है और ऐसी अनुमति देने के साथ सरकार की आयात नीति को नहीं जोड़ा जाता।

विदेशों में कार्यरत 115 भारतीय संयुक्त उद्यमों में से 19 एकक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में 50 लाख रु० अथवा अधिक की भारतीय इक्विटी है। इन 19 संयुक्त उद्यम एककों में भारतीय सहभागियों का कुल इक्विटी अंशदान 25.2 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

इन 19 बड़े भारतीय संयुक्त उद्यमों में इक्विटी भागीदारी मुख्यत: पूंजी उप कर तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात के माध्यम से और कुछ ही सीमा तक भारत से विदेशी मुद्रा के प्रेषण द्वारा की गई है, इन मामलों में स्वीकृत नकद प्रेषण की राशि केवल 2.7 करोड़ रु० है।

इक्विटी शेयर पूंजी में अंशदान के लिए स्वीकृत राशि के अलावा, विदेशों में स्थापित संयुक्त उपाय एककों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा का कोई आवर्तक प्रवाह नहीं है, दूसरी ओर, संयुक्त उद्यमों से होने वाले लाभ आवर्तक आधार पर है। 19 संयुक्त उपायों के मामले में लाभांशों, तकनीकी जानकारी शुल्क आदि तथा इक्विटी के अतिरिक्त अतिरिक्त निर्यातों के जरिये होने वाले ऐसे लाभ भी नीचे दिये जाते हैं:—

लाख रु० में

वर्ष	लाभांश	तकनीकी जानकारी शुल्क आदि।	अतिरिक्त निर्यात
1975-76	3.4	67·1	271.0
1976-77	10.3	82.4	412.9
1977-78	26.3	102.2	742.6
1978-79	11.8	93.4	754.5
1979-80	61.8	17.3	953.8
योग (पिछले वर्षों के आंकड़ों सहित)	117.4	390.0	3443.0

टिप्पणी:—1979-80 के आंकड़े अपूर्ण हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र में विस्फोट

7314. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री विजय कुमार यादव :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 11 मार्च को बोकारो इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में 9 व्यक्ति मारे गए और 23 घायल हुए;

(ख) क्या सरकार ने विस्फोट के कारणों की जांच कराने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ग) यदि हाँ तो क्या इस नीति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सरकार ने मृतक व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को कोई सुविधा प्रदान की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) : जी, हां।

(ग) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

(च) मृत व्यक्तियों तथा घायल व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई सुविधाएं नीचे दी गई हैं (9 मृतकों में से 6 व्यक्ति बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी थे तथा शेष 3 व्यक्ति ठेकेदारों के कर्मचारी थे):—

1. बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी

(1) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन एक कर्मचारी के मामले में देय राशि 27,000/-रुपये होगी और अन्य 5 कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक कर्मचारी को देय राशि 30,000/- रुपये होगी। बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा यह राशि 14 मार्च, 1981 तक कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा करा दी गई थी।

(2) कर्मचारी लाभ योजना जो कारखाने के कर्मचारियों की एक ऐच्छिक योजना है, के अनुसार कारखाने के मृत 6 कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी का पात्र आश्रित 36,000 रुपये की राशि का हकदार होगा।

(3) कारखाने की जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत 6 कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी के आश्रित को 11,000/- रुपये देय होंगे ।

(4) मृत्यु के कारण उपर्युक्त भुगतान के अलावा कम्पनी के नियमानुसार कर्मचारियों के आश्रितों को भविष्य निधि तथा उपदान भी मिलेगा जिसका भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

2. ठेकेदारों के कर्मचारी

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन ठेकेदारों के कर्मचारी भुगतान के पात्र हैं और प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह राशि लगभग 18,000/- रुपये होगी । यह राशि भी कर्मकार प्रतिकर प्राधिकारियों के पास जमा करा दी गई है ।

इस्पात कारखाना प्रत्येक मृत कर्मचारी के एक आश्रित को नौकरी भी देगा । जो घायल व्यक्ति अभी अस्पताल में हैं उनका इलाज किया जा रहा है और उनकी उचित डाक्टरी चिकित्सा हेतु हर सम्भव उपाय किए गए हैं जिससे वे शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाएं ।

खानों से अवैध रूप से निकाले गए अभ्रक का गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर गैर कानूनी ढंग से किया जा रहा निर्यात

7315. **श्री राम अवतार शास्त्री :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवैध रूप से खानों से निकाले गये अभ्रक का गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

(ग) क्या यह भी सच है कि अभ्रक के उपयोग को दृष्टि में रखते हुये सरकार अभ्रक की निर्यात सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : अभ्रक के निर्यात घोषित उत्पादन से अधिक है अत: कम विवरण देने तथा अवैध खनन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । तथापि, अभ्रक के निर्यातों के लिए निम्नतम कीमतें निर्धारित की गई हैं । इसके अलावा, सरणीकरण अभिकरण समय-समय पर ऐसी निर्यात कीमतों को निम्नतम कीमतों से ऊपर बढ़ा सकते हैं । मिटको द्वारा घोषित वर्तमान निर्यात कीमतें निम्नतम कीमतों से ऊपर हैं ।

(ग) तथा (घ) : भारत सरकार से अभ्रक उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये श्री सी० एस० स्वामीनाथन, सचिव, खान विभाग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट 31-3-1981 को प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स, लिमिटेड के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

7316. **श्री एच० एन० गौडा :**
श्री धर्मदास शास्त्री :
श्री के० लकप्पा :
श्री सतीश प्रसाद सिंह :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स जे० के० सिन्थैटिक्स लिमिटेड की ओर आयकर की भारी राशियां बकाया हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त राशि को उनसे वसूल करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) 31 मार्च 1981 तक की स्थिति के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 271 (i) (ग) के अन्तर्गत पारित आदेशों के कारण मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लिमिटेड की ओर कर निर्धारण वर्ष 1971-72 के सम्बन्ध में सकल मांग के रूप में 50.91 लाख रु० बकाया थे। इस आदेश के खिलाफ अपील की गई है और उक्त अपील आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन है।

(ख) से (घ) : कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 और 1968-69 के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत कर-निर्धारिती द्वारा भूलसुधार के लिए पेश की गई दरख्वास्तें विचाराधीन पड़ी हैं। कर निर्धारण वर्ष 1976-77 के सम्बन्ध में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित भूलसुधार आदेश पर कार्यवाही विचाराधीन है। जबरदस्ती वसूली करने की कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की गई है कि मांग स्वयं ही विवादग्रस्त है और इसके अलावा इन दो विचाराधीन कार्यवाहियों के कार्यान्वियन के परिणामतः हो सकता है कि वापस अदायगियां करके बकाया मांगों को समायोजित करना पड़े।

कर अपवंचन

7317. **श्री एच० एन० गौडा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इण्डियन एक्सप्रेस' दिनांक 12 मार्च, 1981 में "स्पीज 1 मिलिलन टैक्स एवेजन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) आयकर अधिकारियों द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : जी, हां। आयकर विभाग ने 28-11-1980 को, दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कन्नानूर में वस्त्रों के निर्यातकर्ता मैसर्स जे० बी० एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०, समूह के मामलों के रिहायशी तथा व्यापारिक परिसरों की तलाशियां लीं। इन मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। छिपाई गई आय की मात्रा का पता, जांच-पड़ताल पूरी होने तथा कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही चलेगा। सम्बन्धित पार्टियों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत यथोपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के एक्सचेंन्ज परमिट का समाप्त किया जाना

7318. **श्री समर मुखर्जी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विनिमय नियन्त्रण उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिसें 'ब्लैंकेट एक्सचेंज परमिट' को अभी तक रद्द करने/समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो-इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के मामले की जांच की रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर खुले परमिट की सुविधा को वापस लेने के सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा।

मैसर्स सोसिदीदे-द-फोमेन्तो इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जांच पड़ताल

7319. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स सोसीदीदे-द-फोमेन्तो इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जांच-पड़ताल कहां तक हो चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : अभी जांच की जा रही है। इस समय अधिक ब्यौरा देने से प्रभावी जांच में रुकावट आएगी।

सूमितोमो कारपोरेशन को दिया गया कमीशन

7320. **श्री आनन्द पाठक :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय विभाग द्वारा श्री मोडु टिम्बलों के बड़े पुत्र श्री औडुल टिम्बलों के निजी लेखे संख्या 933 युस्कूंचों बैंक आफ टोक्यो, जापान में जमा की जा रही राशि जो 1969 से निर्यात किये गए प्रतिटन पर 15-20 सैंट की दर से सूमीतोमों कारपोरेशन को दिये गए कमीशन के रूप में जमा की गई राशि भारत में लाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : प्रश्न में उल्लिखित पहलुओं समेत जांच कार्य जारी है। जांच-परिणामों के आधार पर मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। इस समय अतिरिक्त ब्यौरा देना प्रभावी जांच के हित में समयोचित नहीं होगा।

हवाई जहाज के अतिरिक्त पुर्जों की देश में तस्करी

7321. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 मार्च, 1981 के "पेट्रियट" में छपे इस समाचार को देखा है कि एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली एक योगी के देश में तस्करी करके हवाई जहाज के अतिरिक्त पुर्जे लाने के प्रयास विफल कर दिये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सम्बद्ध सीमा-शुल्क अधिकारी को धमकियों एवं राजनैतिक प्रभाव में न आने के लिये विशेष ईनाम देने के प्रश्न पर विचार करेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) जी हां, 12 मार्च, 1981 के "पैट्रियट" में छपी रिपोर्ट में जिस व्यक्ति का उल्लेख है उसके सही-सही ब्यौरे के अभाव में धारणा यह है कि उक्त रिपोर्ट मैसर्स अपर्णा आश्रम, नई दिल्ली द्वारा की गई हवाई जहाज के कुछेक पुर्जों की निकासी के बारे में है। उक्त आश्रम ने 24 फरवरी, 1981 को 92,566.66 रु० के शुल्क की अदायगी करके और उक्त फालतू पुर्जों के लिये सीमा शुल्क निकासी परमिट पेश करने के बाद हवाई जहाज के पुर्जों की निकासी करवाई थी। ऐसी कोई बात सरकार की जानकारी में नहीं आई है कि योगी द्वारा हवाई जहाज के फालतू पुर्जों का देश में तस्कर-आयात किया गया है, जैसा कि मानकर "पैट्रियट" के समाचार में उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) : ऊपर (क) में जो कहा गया है उसे देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

विडियो सेटों की तस्करी

7322. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1981 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक केन्द्रीय मन्त्री की पत्नी को देश में दो विडियों सेटों की तस्करी करने दी गई।

(ख) क्या उन्होंने संबंधित मंत्री की पत्नी से सीमा-शुल्क वसूल करने के लिए कोई कार्यवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : **(क)** प्रश्न के इस भाग में

उल्लिखित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। परन्तु यह बात सही नहीं है कि एक केन्द्रीय मन्त्री की पत्नी को देश में दो वीडियों सेटों का तस्कर-आयात करने दिया गया।

(ख) तथा (ग) : ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा भर्ती/पदोन्नति के नियमों को अधिसूचित किया जाना

7323. **श्री सी० चिन्नास्वामी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने इसकी स्थापना की एक दशाब्दी के पश्चात् भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों को अधिसूचित नहीं किया है;

(ख) क्या ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें पदोन्नति, चयन, नियुक्ति, स्थानान्तरण के नियमों में अधिकारियों की सुविधा और इच्छा के अनुरूप परिवर्तन कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भर्ती, चयन, नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि संबंधी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इस नीति में निहित दोषों को दूर करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के मैनेजमेंट द्वारा 31.3.1973 को निगम के कर्मचारियों के लिये स्टाफ विनियम अनुमोदित किये गए थे जिसमें भर्ती और पदोन्नति नियम भी शामिल थे। स्टाफ विनियम अभी तक अधिसूचित नहीं किये गए हैं क्योंकि इण्डस्ट्रियल एम्पलायमैंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) एक्ट 1946 के अधीन श्रमिकों की सेवाओं की शर्तों को समाहित करने वाले ड्राफ्ट स्टैंडिंग आडर्स, जो इन विनियमों का एक हिस्सा है, सर्टिफाइंग आफीसर, श्रम आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी प्रमाणित किये जाने हैं। तथापि स्टाफ विनियमों से पृथक, निगम के भर्ती और पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और ट्रेड यूनियनों तथा आफीसर्स एसोसिएशन के साथ परामर्श करते हुए उन्हें अधिसूचित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग) जी नहीं। सभी स्तरों पर पदोन्नतियाँ, चयन और नियुक्तियाँ विधिवत रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्डों के माध्यम से की जाती हैं। यद्यपि स्थानान्तरण के आदेश देते समय निगम के कार्य के महत्व को सबसे अधिक तरजीह दी जाती है, किन्तु साथ ही यदि कर्मचारियों की कोई कठिनाइयाँ और दिक्कतें हों, तो उन पर भी यथोचित विचार किया जाता है।

आयकर अधिनियम के अन्तर्तत संशोधन के लिये विचाराधीन मामले

7324. **श्री जी० वाई कृष्णन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी वेतन सर्किल में आयकर अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधन के लिये कुछ मामले विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि जानबूझ कर गलत गणना की गई है, तो ऐसे मामलों में सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा ऋण-पत्रों का जारी किया जाना

7325. **डा० ए० यू० आजमी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बड़े औद्योगिक गृहों की, ऋण-पत्र जारी करके जनता से धनराशि इकट्ठी करने की प्रवृत्ति हो गई है;

(ख) क्या इन सब ऋण-पत्रों को जारी करने से पहले उनके मंत्रालय की अनुमति प्राप्त की जाती है; और

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान किन-किन औद्योगिक गृहों को ऐसे ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी और उनका मूल्य क्या था ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत एक वर्ष में 50 लाख से ऊपर एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार तथा प्रथा वाली सभी कम्पनियों द्वारा तथा अन्य पब्लिक कम्पनियों द्वारा ऋण-पत्र जारी करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

(ग) एक **विवरण** संलग्न है ।

विवरण

उन गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम जिन्हें 1980-81 में ऋण पत्र जारी करने के लिए स्वीकृतियां दी गई हैं ।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	रकम (लाख रुपये)
1.	कैडबरी इण्डिया लि० .	100.00
2.	अजीत मिल्स लि०	25.00
3.	स्वान मिल्स लि०	50.00
4.	राज बहादुर मोतीलाल पूना मिल्स लि०	50.00
5.	नेशनल रेयर कारपोरेशन लि०	225.00
6.	एंग्लो इण्डियन जूट मिल्स कम्पनी लि०	75.00
7.	एशियन केबल कारपोरेशन लि०	50.00

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	रकम (लाख रुपये)
8.	क्राम्पटन ग्रीब्ज लि०	75.00
9.	देवीदयाल इलेक्ट्रानिक्स एण्ड वायर्स लि०	25.00
10.	एस० डी० फायल्स केमिकल्स प्रा० लि०	30.00
11.	साउथ इण्डियन विसकोस लि०	250 00
12.	विम्को लि०	125.00
13.	महिन्द्रा मिल्स लि०	75.00
14.	ओरियन्ट कारपेट मैन्युफेक्चरिंग इण्डिया	74.00
15.	वाल्टास लि०	30.00
16.	के० जी० खोसला कम्प्रेसर्स लि०	50.00
17.	रिलायनेंस टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि०	1080.00
18.	गलेकुसो लेलोरेट्रीज (इण्डिया) लि०	250.00
19.	रेमन्ड वूलन मिल्स लि०	480.00
20.	फस्ट लीजिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि०	50.00
21.	नवीन होटल्स लि०	20.00
22.	इलेल होटलस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स	150.00
23.	इण्डियन रेयन कोरपोरेशन लि०	1000.00
24.	कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	125.00
25.	भारत फोरज कम्पनी लि०	200.90
26.	पंजाब ट्रेक्टर्स लि०	150.00
27.	हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	150.00
28.	कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्टस लि०	100.00
29.	पालीकेम लि०	50.00
30.	साइमन्स इण्डिया लि०	500.00
31.	शेवियट कम्पनी लि०	75.00
32.	किरलोसकर आयल इन्जन लि०	200.00
33.	भवन केमिकल्स लि०	20.00
34.	मदुरा कोट्स लि०	350.00
35.	बोल्टास लि०	500.00
36.	इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	1045.00
37.	मेकनेल एण्ड मागार लि०	3000.00
38.	मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्कस लि०	100.00

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों में पकड़े गये लेखा बाह्य

7326. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **आयकर अधिकारियों द्वारा** 1980 से अब तक मारे गये छापों में कितनी कीमत के आभूषण, जवाहारात, सोना, चांदी, हीरे आदि पकड़े गये हैं जिन्हें हिसाब किताब में नहीं दर्शाया गया है; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(**क**) 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1981 के दौरार आयकर विभाग द्वारा ली गई 3746 तलाशियों में लगभग 1926 लाख रु० मूल्य की ऐसी परिसम्पत्तियां पकड़ी गई जिनमें नकदी, सोना-चांदी, जवाहिरात तथा अन्य वस्तुएं/वस्तुएं चीजें शामिल हैं।

(**ख**) इन मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

दामोदर जीवराज हेमराज जीवराज न्यास, बम्बई

7327. **श्री राम सिंह शाक्य :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गम्देबी पुलिस थाना, बम्बई-2 के निकट दामोदर जीवराज हेमराज जीवराज न्यास की स्थापना कब की गई थी और इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसके न्यास में कितनी धन राशि लगाई गई है और निवेश की तारीख क्या है;

(क) क्या सरकार ने न्यास के लिये कोई आचार संहिता बनाई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उल्लिखित न्यास में न्यासियों की संख्या कितनी है और इन न्यासियों की ड्यूटियाँ और कार्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन न्यासियों द्वारा अपनी प्रत्येक गतिविधि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उक्त कथ कथित न्यास के न्यासी न्यास की पूंजी को अपने व्यापार में लगा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो किस नियम के अन्तर्गत न्यासियों के न्यास की पूंजी को अपने व्यापार में लगाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(**क**) **से** (**ग**) : दामोदर जीवराज हेमराज जीवराज न्यास नामक कोई न्यास नहीं है। की गयी पूछताछ से पता चलता है कि कामन में धर्मशाला नाम से एक न्यास है और अन्य धर्मार्थ न्यासों का कार्यालय जे० के० बिल्डिग, गामदेवी, बम्बई-7 में है। इस न्यास के रिकार्डों से पता चलता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, न्यास के पास दामोदर जीवराज हेमराज जीवराज

निधि के नाम से एक निधि है। न्यास के रिकार्डों से पता चलता है कि यह न्यास 23 मार्च 1942 को नकद 65,854 रु० के प्रारम्भिक पूंजी-निवेश से अस्तित्व में आया था। आयकर-विवरणियां, केवल कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 से ही दाखिल की गई है। निकाय/केवल में 25 अप्रैल, 1942 से 30 अक्तूबर 1970 तक कुल वृद्धियां 2,36,128 रु० की गयी। वृद्धियों के बारे में कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

नवीनतम रिकार्डों से उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इसमें तीन न्यासी हैं। न्यासियों के कर्तव्य और कार्य न्यास-निधि रखना और निधि की जमा रकमों को मूलजी जेठा मार्केट, बम्बई के मेसर्स बालजी श्यामजी एण्ड कम्पनी अथवा अन्य फर्म अथवा इसकी अनुवर्ती फर्मों अथवा किसी बैंक में रखना, किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों अथवा ऋण-पत्रों अथवा अचल सम्पत्ति की खरीद का ब्यौरा रखना है। न्यास के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

(1) कामन स्थित हिंदू धर्मशाला का रख रखाव।

(2) अंकोट में महाप्रभुजी देवता की बैठक।

(3) बोरीविली स्थित हिन्दुओं के आरोग्य धाम का रख रखाव।

(4) गोकुल में गायों आदि को खुराक उपलब्ध कराना।

कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 तथा 1980-81 के खर्च का विवरण निम्न प्रकार है:

	1978-79	1980-81
बोरीविली आरोग्यधाम	57,944	86,441
कामन स्थित धर्मशाला	7,803	11,356
कामन स्थित साधुओं की भोजन व्यवस्था	200	200
गाय की खुराक	100	—
	66,047	97,997

वर्ष 1979-80 का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, परन्तु कुल खर्च की रकम 70,300 रु० है।

न्यास के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि न्यास ने अपनी पूंजी कारोबार अथवा न्यासियों के व्यापार में लगायी है।

(ख) धारा 11 के अधीन आयकर से छूट की मांग करने वाले न्यासों को आयकर कानून के उपबन्धों का पालन करना होता है। न्यासों के लिए अलग से कोई आचार-संहिता नहीं बनाई गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा अधिकारियों को मासिक सवारी भत्ते की अदायगी

7328. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा आयकर नियमों का उल्लंघन करके और अपने अधिकारियों को मासिक भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्टाक कारों के कुछ गैराज अपने अधिकारियों के निवास स्थानों पर मासिक किराए के आधार पर हैं ;

(ग) क्या निवास स्थान गैरीजों में खड़ी कारें अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहती है ;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कुछ अधिकारी "पिक अप" सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और मासिक सवारी भत्ता भी ले रहे हैं ;

(ङ) क्या 'पिक अप" के रूप में उपयोग में लाई जा रही कुछ कारें दिन भर एक विशेष अधिकारी के अधिकार में रहती हैं ; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ शहरों में स्थित कार्यालयों में गैराज के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण कुछ स्टाक कार उन भवनों के गैराजों में रखी जाती हैं जिनमें अधिकारियों का मकान भी होता है। कभी-कभी मकान मालिक को कर्मचारियों के मकान के किराए के साथ ही गैराज का किराया भी दिया जाता है। यद्यपि जहां कर्मचारी को मकान का किराया दिया जाता है, किराये के लिये उसकी पात्रता कम्पनी के नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है और उसमें निर्धारित सीमा तक गैराज का किराया जोड़ा जाता है जो दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 150 रु० मासिक है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठाता।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा अरुणा शूगर मिल्स पर छापे

7329. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, पांडिचेरी के अधिकारियों ने 4 फरवरी, 1981 को अरूणा चीनी मिल्स पर छापा मारा था और लेखा बाह्य रूप से भूमिगत रखी गई शीरे की मात्रा का पता लगाया था ;

(ख) क्या वृद्धाचलम के उप-समाहर्ता ने बाद में उस स्थान का दौरा किया था ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। राज्य के राजस्व अधिकारियों ने भी बाद में उक्त स्थान का दौरा किया था।

(ग) राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई जांच कार्यवाहियों के बारे में कोई जान-

कारी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान 350 मीट्रिक टन लेखा बाह्य सीरा पकड़ा गया था। पकडे गए सीरे के नमूने लेकर, रसायन परीक्षक को, उनकी जांच करने और इस बारे में अपनी राय देने के लिए भेजे गए थे। रसायन परीक्षक की राय प्राप्त हो गई है और अब केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। जिला राजस्व अधिकारियों को भी रिकार्ड सौंपने के लिए कहा गया है ताकि और आगे कार्यवाही की जा सके।

सुराणा आयोग के निष्कर्ष

7330. **श्री समर मुखर्जी :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुराणा आयोग जिसका गठन 5 अप्रैल, 1978 को बेलाडिला गोली कांड के बाद किया गया था,, के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ख) न्यायालय में मुकदमा चलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) : सुराणा आयोग का गठन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। अभी इस आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने बाकी हैं। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से यह मालूम नहीं हुआ है कि क्या निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिये गए हैं।

ध्यानाकर्षण आदि के बारे में

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : दिल्ली राझरा रेल लाईन पर काम करने वाले 7 हजार जनजातीय मजदूरों को काम पर से हटा दिया गया है तथा वे भूख से मर रहे हैं। कृपया उनके लिए कुछ करिए— **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हरिकेश बहादुर को नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति दी है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : दिल्ली-राझरा रेल लाईन का मामला नियम 377 के अधीन वक्तव्य दिये जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खान मंत्री ने.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही नियम 377 के अधीन वक्तव्य की अनुमति दे दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किये गये विधेयक को अस्वीकार कर दिया है… (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं दी है। आप इसे पुनः नहीं उठा सकते।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले एक लड़के की दिल्ली में हत्या की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य दिये जाने की अनुमति दे दी है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने एक ध्नानाकर्षक प्रस्ताव की सूचना दी है…

उपाध्यक्ष महोदय : यहां उस पर विचार नहीं किया जायेगा। मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिलिये।

(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले एक लड़के की हत्या कर दी गई है। माननीय मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये।

* **उपाध्यक्ष महोदय** : वह मामला विचाराधीन है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एल० आई० सी० वालों को बोनस… (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हमने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया है कि दिल्ली में एक लड़के को पुलिस ने मार दिया है… (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

श्री ए० के० राय।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, आठ हजार लौह-खनिज मजदूरों को रोजगार से हटा दिया गया है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था…

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निगम 377 के अधीन एक वक्तव्य की अनुमति दे दी है।

एक माननीय सदस्य : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है…

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में कृपया मुझसे मेरे कक्ष में आकर बात करें।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आज के अखबार में है—उत्तर प्रदेश के वकीलों ने बेंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन को तेज करने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के बारे में आगरा में 23 जिलों के लायर्स की मीटिंग हुई है, यह आन्दोलन और बढ़ेगा···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को इस प्रकार नहीं उठा सकते। कार्यवाही वृत्तान्त में इसे सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें। श्री महालगी।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : चीनी के मूल्य···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब विपक्ष के किसी सदस्य से बोलने के लिये कहा जाता है, तो आप सबको चुप रहना चाहिये। मैं इस शोर में कुछ सुन नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री आर० के० महालगी : चीनी के मूल्य बढ़ रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पता है। अब श्री राय, आप अपनी बात कहेंगे।

श्री बापू साहिब परूलेकर : खड़ें हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है। यह मामला विचाराधीन है, आप क्यों खड़ें हैं ? अब श्री राय बोलेंगे।

श्री ए० के० राय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने निगम 377 के अधीन इसे अनुमति दी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए कृपया मुझसे मेरे कक्ष में मिलें।

(व्यवधान)** नहीं, नहीं ! मैं किसी को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)** नहीं, नहीं। मैं किसी को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)** अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री ए० पी० शर्मा।

(व्यवधान)** कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1979-80 के लिए एयर इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा सरकार द्वारा की गई समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एयर इंडिया की सहायक कम्पनियों अर्थात होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और चार्टर्स लिमिटेड के प्रतिवेदन ।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एयर इंडिया के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों अर्थात होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (1) (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 2318/81)

वर्ष 1981-82 के लिये कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के अनुमोदनों का ब्यौराबार मांगें

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं वर्ष 1981-82 के लिए सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रन्थालय में रखे गए-देखिए संख्या एल० टी० 2319/81)

टैक्सटाइल समिति, बंबई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति बंबई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी० 2320/81)

वर्ष 1981-82 के लिए गृह मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरावार मांगें

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) मैं वर्ष 1981-82 के लिये गृह मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी० 2321/81)

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1981

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं बंगाल कैमीकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बंगाल कैमीकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 4 मार्च, 1981 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 143 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी० 2322/81)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सा० सां० नि० 272 (ङ) जो दिनांक, 3 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 318 (ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं जिससे कि निर्यात उत्पादन के लिये अग्रिम लायसेंसों पर निःशुल्क आयात किये जाने वाले माल की सूची का विस्तार किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 273 (ङ) जो दिनांक, 3 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो आयात पुनः पूर्ति लायसेंसों के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लिखित कच्चे माल पर समस्त सीमा-शुल्क से छूट के सम्बन्ध में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 274 (ङ) जो दिनांक, 3 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा "हाथ से कसीदा किये हुए" अथवा "हस्तचालित मशीन द्वारा कसीदा किये हुये" फैब्रिकों के निर्यात के बदले जारी किये गये आयात पुनःपूर्ति लायसेंसों के अन्तर्गत भारत में

आयात करते समय नायलोन फिलामेंट सूत और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत को उपलब्ध छूट देने सम्बन्धी दिनांक 19 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 120-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 275 (ङ) जो दिनांक, 3 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक, 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 46—सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि दिनांक, 3 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 106/81 के अन्तर्गत आने वाले सामान को उपसंगी सीमा-शुल्क से आयात पुनःपूर्ति लायसेंसों के अन्तर्गत आयात करते समय छूट दी जा सके।

(ग्रन्थालय में रखे गये—देखिये संख्या एल. टी. 2323/81)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नई और विस्तार परियोजना चीनी कारखानों को उत्पादन शुल्क संबंधी रियायत के बारे में सा० सां० नि० 277 (ङ) जो दिनांक 3 अप्रैल 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 278 (ङ.) जो दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा किसी भी डिब्बे में पैक की गई निर्जलित मटर और निर्जलित सब्जियों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी दिनांक 1 मार्च, 1970 की अधिसूचना संख्या 17/70-सीई में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गए-देखिये संख्या एल० टी० 2324/81)

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सां० आ० 1009, 1011 से 1016 और 1021 से 1039 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 28 मार्च; 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 10(23ग) (चार) के अंतर्गत कतिपय संगठनों को छूट देने के सम्बन्ध में है।

ग्रन्थालय में रखे गये-देखिये संख्या एल० टी० 2325/81)

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रजीत यादव। उपस्थित नहीं। श्री पी० एन० गाड़गिल—उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 9 पर विचार किया जायेगा? श्री हरिकेश बहादुर।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिकेश बहादुर : खड़े हुये ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़िये । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। आप अपने मित्रों से चुप होने को कहें । ये सब आपके अभिन्न मित्र हैं । आपके भाषण के दौरान ये आपको नहीं रोकेंगे । माननीय सदस्य । कृपया श्री हरिकेश बहादुर जी की बात सुनें ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं भारतीय राज्य लिमिटेड द्वारा चमड़े और चमड़े के माल के निर्यात के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी (छठी लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण होता है । जो कुछ चल रहा है उसका मुझे बहुत खेद है ।

(व्यवधान)** यह सही प्रक्रिया नहीं । वह पूरा हो चुका है । नहीं; अब और कुछ नहीं होगा । नियम के विरुद्ध है । मैं सबको बता चुका हूं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)** अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । मुझे खेद है । श्री अब बाजूबन रियान । ये विपक्ष से हैं ।

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्त्व की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपुरा में खाद्यान्नों की भारी कमी का समाचार

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : मैं कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। "खाद्यान्न की भारी कमी का समाचार.........

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को वक्तव्य पढ़ने दीजिये.........

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : सरकार की यह चेष्टा रही कि यह सुनिश्चित......

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप अपनी बात जारी रखिये।

(व्यवधान)** इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

कुमारी कमला कुमारी : बोलने के लिये खड़ी हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखिये।

(व्यवधान)** यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)** मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। यह सही संसदीय प्रक्रिया नहीं है। आप सबको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि संसद में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)** कृपया बोलिए मत, पहले अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइये। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)**

मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दे रहा। (व्यवधान)

क्या आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कहेंगे ? (व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। आप में से एक बोल सकता है। (व्यवधान)

बाकी बैठ जाइये। श्री राकेश आप क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : इलाहाबाद मेडीकल कालेज......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में पहले ही कह चुका हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलिए। (व्यवधान) में पहले ही कह चुका हूं कि अनुमति नहीं दी जायेगी। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। (व्यवधान) मुझे आपकी हिन्दी समझ में नहीं आती मगर कुछ हिन्दी तो आती है। (व्यवधान) में पहले ही मना कर चुका हूं। कृपया बैठ जाइये। आप मुझसे चैम्बर में आकर मिलिएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे चैम्बर में आकर मिलिएगा। हम एक चाय के प्याले के साथ इस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप कुछ नहीं कह सकते। (व्यवधान) आपकी व्यववस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : कार्यसूची के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री बाजूबन रियान के नाम से है। जब तक कि उन्हें नहीं कहा जाता और वे मंत्री का ध्यान आकर्षित नहीं करते तब तक मंत्री महोदय कोई वक्तव्य नहीं दे सकतीं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं और तभी मन्त्री महोदया ने उत्तर दिया है। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं; आप उनसे पूछ लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनसे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। वे पहले ही मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। मैं उनसे फिर से कहता हूं। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह प्रक्रिया चलाने का तरीका नहीं है। जब तक कि सम्बन्धित सदस्य माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित नहीं करता तब तक मन्त्री वक्तव्य नहीं दे सकतीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। उनके द्वारा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने पर ही वे खड़ी हुई थीं। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : कार्यवाही वृत्तान्त में जो कुछ शामिल कर लिया गया है उसे निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहता हूं कि वे फिर से मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करें। अब आप सब कृपया बैठ जाइये। **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता द-क्षिण) : उससे पहले मैं कानूनी प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण है। आप कम से कम दो मिनट तो दे ही सकते हैं। मेरा निवेदन यह है। विधान द्वारा सर्वसम्मति से पारित विधेयक को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)** श्री बाजूबन रियान आप कृपया मन्त्री का ध्यान पुन: आकर्षित कीजिए। कृपया बैठ जाइये, नहीं, नहीं, इनमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)** श्री अग्रवाल मैं श्री बाजूबन रियान को बुला रहा हूं। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा—मद संख्या 10 **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये। आप इस पर चैम्बर में चर्चा

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कीजिएगा। (व्यवधान) में आपको इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : (व्ययधान)** नहीं, नहीं, यह तरीका नहीं होता। क्या विपक्ष का सदस्य इसे उठायेगा ? नहीं, नहीं।

(व्यवधान)**

श्री बाजूबन रियान : मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा त्रिपुरा को 15,000 टन खाद्यान्न न भेजने से उस राज्य में खाद्यान्न की भारी कमी होने और उसके परिणामस्वरूप राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उत्पन्न खतरे का समाचार।

(व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जायेगा।

(व्यवधान)** केवल मंत्री का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा।

(तत्पश्चात् श्री रशीद मसूद, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री जगपाल सिंह, श्री रघुनाथ सिंह वर्मा चौधरी मुलतान सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य उठकर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं ? मैं अनुमति नहीं दूगा। में सभा की कार्य-बाही रोक दूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)** मैं चाहूंगा कि इस सभा में कुछ गंभीरता से व्यवहार किया जाए। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। मुझ सहित हम सबको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिम्मेदार ढंग से व्यवहार करना चाहिए। हमारे व्यवहार पर पूरे भारत की नजर लगी हुई है।

(व्यवधान)** हां, मेरे आचरण सहित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित संसद सस्दयों के आचरण पर पूरे भारत की नजर है कृपया याद रखिए। कृपया याद रखिए।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री : सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की जरुरतों को यथा सम्भव अधि-कतम हद तक पूरा किया जा सके।

2. पिछले तीन महीनों के दौरान महीने के शुरु में भारतीय खाद्य निगम के पास त्रिपुरा में पड़े स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :—

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(आंकड़े मीटरी टन में)

	जोड़
1.1.1981	13.494
1.2.1981	12.930
1.3.1981	10.509

पहली अप्रैल को भारतीय खाद्य निगम के पास 7,750 मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था। इसके अलावा, राज्य सरकार मे प्राप्त सूचनानुसार उनके पास 7 अप्रैल, 1981 को 5,175 मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था। अतः त्रिपुरा में उनकी तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त स्टाक था।

3. फरवरी के दौरान त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कुल निकासी 2454 मीटरी टन और मार्च में 2829 मीटरी टन हुई थी। मौसम के इस भाग के दौरान चावल की अमन किस्म की फिसल जिसकी कटाई नवम्बर और दिसम्बर में की जाती है, भी बाजार में आ जाती है और इस लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता पर्याप्त है।

4. हालांकि भारतीय खाद्य निगम के त्रिपुरा में स्थित गोदामों में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है, लेकिन राज्य सनकार के कुछेक बोरों में पपड़ी होने के कारण चावल के कुछेक स्टाक को स्वीकार नहीं किया है। पपड़ीयुक्त चावल के बोरों को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। इस स्टाक की ओर भरपाई करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान मास के दौरान त्रिपुरा को उत्तरी जोन से 12,000 मीटरी टन चावल भेजने की योजना बनाई है। इसमें से 2,100 मीटरी टन चावल से लदा एक रैक 5-4-1981 को पहले ही भेजा जा चुका है और आशा है कि लगभग 6,500 मीटरी टन चावल से लदे चार रैंक इस महीने की 15 तारीख तक भेज दिए जाएगें। शेष मात्रा को अप्रैल, 1981 के दूसरे पखवाड़े में भेज दिया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के गोहाटी में तैनात वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक को निदेश दिए गए हैं कि वे असम में केन्द्रीयकृत बुकिंग प्रणाली के अधीन प्राप्त स्टाक से गेहूं की आवश्यकताओं को पूरा करें।

श्री बाजूबन रियान : यहां जो स्थिति बताई गई है वह वास्तव में त्रिपुरा की खाद्य सम्बन्धी स्थिति नहीं है। जैसा कि मुझे मालूम है वहां खाद्य स्थिति इससे बहुत भिन्न है। मैं त्रिपुरा की वास्तविक खाद्य स्थिति बताने की कोशिश करूंगा। कुछ महीनों पहले 14 हजार मीटरी टन का भंडार था परन्तु यह सारा भंडार त्रिपुरा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह आदमी के खाने लायक नहीं। शिलांग में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक के सामने यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और यह मामला दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के सामने भी स्पष्ट कर दिया गया था। उन्होंने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि भंडार के खराब किस्म के चावल को साफ करके राज्य सरकार को दिया जाये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। चूंकि त्रिपुरा के लोगों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसलिए त्रिपुरा सरकार इसमें से जो हिस्सा आदमी के खाने लायक है उसे ले रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जो भंडार शेष है उसे खरीदने के लिए त्रिपुरा के लोग तैयार नहीं हैं। उसे पहले साफ किया जाना

चाहिए और फिर त्रिपुरा में और दिल्ली में दिया जाना चाहिए। मगर मुझे यहां यह बताते हुए खेद होता है कि भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारी त्रिपुरा सरकार को यही चावल लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अन्त में जब एक गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारी त्रिपुरा गया और उसने सिफारिश की कि चावल का कुछ हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए तो उन्होंने बेहतर किस्म के चावल की बोरियों को अलग करना शुरू कर दिया। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अलग करने का काम चल रहा है। मगर मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वह काम चलता जा रहा है। यह कुछ महीने पहले शुरू किया गया था और अभी तक चल रहा है। त्रिपुरा में अच्छी किस्म के चावल का कोई नया भंडार नहीं भेजा गया। जो भंडार वहां है वह बिना साफ की हुई हालत में त्रिपुरा सरकार को स्वीकार्य नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए मैं मंत्री महोदया से एक सीधा प्रश्न करता हूं कि क्या वे सभा को ये आश्वासन देंगी कि भविष्य में त्रिपुरा भेजे जाने वाला चावल गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से जांच दिये जाने के बाद ही भेजा जायेगा। ताकि वहां जो चावल पहुंचे उसे लोग खुशी से लेने के लिए तैयार हों।

त्रिपुरा बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां रेलें भी नहीं हैं और इसका अधिकांश भाग सड़कों से भी नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर केवल जीपें ही जा सकती हैं। त्रिपुरा सरकार को चावलों का भडार अपने राज्य के आंतरिक भाग से एकत्र करना पड़ता है और वहां उनके कुछ चावलों के गोदाम भी है जिससे कि वर्षा के मौसम में लोगों को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था कि वह वर्षा आरम्भ होने के पहले त्रिपुरा को चावल उपलब्ध करा दे। केन्द्रीय सरकार भी इससे सहमत हो गई थी और राज्य सरकार के लिए चावल भी जारी कर दिया गया था तथा केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया था कि वह शीघ्र ही इनके पास पहुंच जाएगा। किन्तु मुझे यह जानकर खेद है कि अभी भी कुछ मात्रा में चावल रास्ते में ही है। स्वाभाविक है कि इसको वहां पहुंचने में महीनों लग जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आसाम की समस्या के कारण तथा अन्य समस्याओं के कारण वहां परिवहन की कठिनाईयां हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन दें कि त्रिपुरा को भेजी जाने वाली चावल की पूरी खेप अप्रैल के महीने में पहुंच जाएगी।

श्री राव विरेंद्र सिंह : मेरे सहयोगी ने त्रिपुरा में खाद्यान्न भंडार के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी है माननीय सदस्य ने यह कहा है कि भविष्य में त्रिपुरा को अच्छी किस्म का चावल भेजा जाना चाहिए। त्रिपुरा को भेजा जाने वाला चावल सदा ही अच्छी किस्म का होता है। त्रिपुरा में उबला हुआ चावल प्रयोग में लाया जाता है पर कुछ समय की अवधि के अन्दर यदि चावल वर्षा ऋतु में स्टाक करके रखा गया होता है तो इस क्षेत्र में जलवायु में नमी होने के कारण ये चावल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। किन्तु इसकी किस्म खराब नहीं होती है। यदि लोगों को बाजार में अच्छा चावल मिल रहा हो तो उन्हें यह चावल अच्छा नहीं लगेगा। किन्तु उसी चावल को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकार करते थे। अब [illegible]

बाजार में आ गई है और त्रिपुरा में यह चावल पर्याप्त माना में उपलब्ध है और वहां के लोग इसमें चुनाव करने लगे हैं। इसीलिए इस चावल को स्वीकार नहीं किया जाता है। हमने इसको छांटने का कार्य आरम्भ कर दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि कल 10 हजार टन मात्रा में से 5 हजार टन को छांटा जा चुका है और लगभग 4 हजार टन को राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्वीकार कर लिया है।

जहां तक वर्षा ऋतु से पहले चावल को स्टाक करने का सम्बन्ध है हम इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से जानते हैं कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्षा ऋतु में पर्याप्त स्टाक रखा जाना चाहिए। किन्तु जहां तक त्रिपुरा का सम्बन्ध है इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि त्रिपुरा में कुछ रेल हैड भी हैं। कुछ अन्य राज्यों के सम्बन्ध में यह कठिनाई हो सकती है। इसलिये सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये हम पर्याप्त स्टाक रखने की योजना बना रहे हैं जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई अव्यवस्था न हो। त्रिपुरा सरकार के अपने निजि गोदाम में भी 5000 टन से भी अधिक चावल का स्टाक रखा है। यदि राज्य सरकार को किसी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो इसका पूर्ण उपयोग कर सकते थे जिससे कि बाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरा कर दिया जाता। इसलिए यह कहना गलत है कि जनता को इससे कठिनाई हुई थी अथवा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की कमी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अव्यवस्था हो गई थी।

श्री अजीतश्र कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल दो प्रश्न रखूंगा इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इसका स्पष्ट उत्तर दें। त्रिपुरा एक छोटा-सा राज्य है। यहां खाद्यान्न की कमी रहती है और इसलिये इसे सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि त्रिपुरा को कुछ चावल भेजा गया था जो चूरा बन गया था और त्रिपुरा सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर उसको अलग किया जा रहा है। यह एक गम्भीर मामला है कि चावल जो कि मानव खपत के लिये योग्य नहीं रह गया था उसे त्रिपुरा भेजा गया। इससे विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्र की प्रवृति का स्पष्ट रूप से पता चलता है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये यह जांच की जाती है कि मानव खपत के लिये अयोग्य चावल को राज्यों के पास न भेजा जाए और यदि हां तो यह मामला कैसे हुआ। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गत एक वर्ष के दौरान ऐसा चावल किसी अन्य राज्य को भी भेजा गया था। दूसरा प्रश्न यह है कि वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि त्रिपुरा में चावल तथा गेहूं की मासिक अथवा वार्षिक खपत कितनी है तथा क्या इसको पूरा किया जाता है अथवा नहीं क्योंकि त्रिपुरा चारों ओर से भूमि द्वारा घिरा हुआ राज्य है इसकी समस्याओं की अन्य राज्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

यह सुनिश्चित करने के लिये भूमि से घिरे राज्य में खाद्यान्न की सप्लाई में कोई अव्यवस्था न हो, यह आवश्यक है कि गोहाटी के अलावा त्रिपुरा के समीप जैसे सिलचर में एक अथवा एक से

अधिक गोदाम बनाये जायें जिससे उसका सुरक्षित भंडार रखा जा सके और कमी के समय में वहां से चावल का परिवहन किया जा सके ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : यह कहना गलत है कि त्रिपुरा को भेजा गया चावल मानव खपत के योग्य नहीं था । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि त्रिपुरा को भेजा गया चावल अच्छी किस्म का था किंतु जलवायु में नमी होने के कारण चावल का रंग कुछ बदल गया और जिससे कि वह चूरा हो गया । यह उबला हुआ चावल अभी भी मानव खपत के योग्य है किंतु इसके रंग में कुछ परिवर्तन हो जाने के कारण, उपभोक्ता इसे स्वीकार नहीं करते हैं । त्रिपुरा के अलावा अन्य सभी राज्य कच्चा चावल चाहते हैं और यह कोई समस्या नहीं है । इस क्षेत्र में त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जो उबले हुए चावल को चाहता है और जो वातावरण में नमी होने के कारण कुछ समय के अन्दर गोदाम में चूरा हो जाता है । त्रिपुरा की आवश्यकता बहुत थोड़ी मात्रा की है वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं की खपत 500 टन है और इसके अलावा उसकी खपत 500 टन मिल के आटे की भी है । त्रिपुरा के लिये प्रतिमास चावल का नियतन 5,000 टन है किंतु वे उस पूरी मात्रा को नहीं उठाते हैं । जनवरी में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जो त्रिपुरा में स्थित है, चावल नहीं लिया गया था इसकी मात्रा बिल्कुल शून्य थी । फरवरी के महीने में इसकी मात्रा केवल 14,000 टन थी । इसकी तुलना में प्रतिमास इसके गोदाम में 10,000 टन से 12,000 टन तक का स्टाक रखा जाता है जो कि राज्य की 2 मास की आवश्यकता से भी अधिक है और राज्य सरकार के पास अपने स्टाक में 5,000 टन से भी अधिक चावल उपलब्ध है । इसलिये इसकी कोई समस्या नहीं है । और यह केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाने का व्यर्थ का प्रयास है कि वे त्रिपुरा के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा है कि त्रिपुरा की जनता अथवा सरकार इस चावल को काम के बदले अनाज के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकार करने को तैयार थी । और अब वह चावलों की किस्म में चुनाव करने लगे हैं और वे उसको स्वीकार नहीं करते । हमारे माननीय मंत्री महोदय जो कि बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं ऐसी बात कहते हैं जो कि एक राज्य जो कि केन्द्र की सहायता पर निर्भर करता है उसे अच्छे बुरे किस्म के चावल में भेदभाव करने का अधिकार नहीं है । मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं ।

आप किसी राज्य को शर्तें लगाकर चावल स्वीकार करने के लिये बाध्य कर सकते हैं···

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : हमने बाध्य नहीं किया है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपके कहने का यही अर्थ था । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह स्थिति बहुत गम्भीर है । आप जानते हैं कि यह आपकी सरकार का दायित्व है कि राज्य की जनता के लिए चावल उपलब्ध कराए जायें और मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में आपको लिखा था क्योंकि कोई भी उत्तरदायी सरकार चुप नहीं बैठ सकती यदि उसे पता चलता है कि उसका खाद्यान्न का स्टाक खत्म होता जा रहा है और केन्द्रीय सरकार सहायता प्रदान नहीं कर रही है और यदि वह सहायता प्रदान करती भी है तो ऐसा किस्म का चावल भेज रही है जो कि मानव खपत के योग्य

नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस किस्म का चावल अन्य राज्यों को भेजें और सब राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया देखें और वहां के लोगों की प्रतिक्रिया देखें। इसलिये अब आपने यदि दो गोदाम सौंप दिए हैं......

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य राज्य उबले हुए चावल पसन्द नहीं करते हैं। उन्होंने अभी ऐसा कहा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जो कुछ भी हो। उस किस्म का गेहूं मानव खपत के योग्य नहीं है।

अब उनके वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे माननीय मंत्री जो कि निःसंदेह अपना उत्तरदायित्व समझने वाले मंत्री हैं। इस बात से संतुष्ट हैं...

उपायध्क्ष महोदय : प्रत्येक मंत्री अपना उत्तरदायित्व समझता है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : प्रत्येक सदस्य भी अपने उत्तरदायित्व को समझता है। कोई भी सदस्य किसी भी दिन मंत्री बन सकता है।

वे इस बात से संतुष्ट हैं कि स्टाक की स्थिति अच्छी है किंतु राज्य सरकार का अनुमान है। ऐसी बात क्यों है कि मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार से कुछ और करने का आग्रह कर रही है। मैं केवल अपने माननीय मन्त्री महोदय को याद दिला देना चाहता हूं कि त्रिपुरा सरकार ने जब केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि त्रिपुरा में क्या हुआ है। "आप आइये और हमारी सहायता कीजिये। त्रिपुरा में कुछ बातें हो रही हैं। आपने इसका उत्तर नहीं दिया। मेरा तात्पर्य यह है कि वहां काफी व्यापक दंगे हुए हैं।

अब फिर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रही है कि वे उनके पास और चावल भेजे। अब हम इस बारे में ज्यादा उत्सुक नहीं हैं कि चावल जारी किया जाए। परन्तु प्रश्न यह है कि उनको उस मात्रा में वास्तव में मिल पाता है अथवा नहीं तथा उन्हें वह खाद्य निगम के गोदाम से प्राप्त हो पाता है। या नहीं। तथा क्या वह चावल मानव खपत के योग्य है। जब आप यह कहते हैं "हम चावल भेज रहे हैं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनको प्राप्त हो रहा है। भेजने में और वास्तव में प्राप्त करने में अन्तर होता है और कभी-कभी इसमें काफी समय लग जाता है और इसको पूरा करने के लिये क्या घटनाएं हो जाती हैं। राज्य बड़ी अनिश्चित स्थिति में पड़ जाता है क्योंकि वह अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है तथा स्टाक के खत्म होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी नहीं रख पाता तो इसके लिये केन्द्र को दोषी नहीं माना जाना चाहिये। आपकी पहले ही आलोचना हो रही है। अब आपकी और आलोचना करने से क्या लाभ। आपने पश्चिमी बंगाल के लोगों को इससे वंचित कर दिया है। यह बात अनेक बार सिद्ध हो चुकी है किंतु अब ऐसी बात नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार से यह एक प्रकार की अपील है कि वह अपने दायित्व को पूरा करे।

श्री अनन्तः रामलु मल्लु : महोदय, वे प्रश्न कर रहे हैं अथवा भाषण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न के रूप में भाषण दे रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक अच्छा प्रश्न करने के लिये लम्बी भूमिका आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है। उपाध्यक्ष महोदय, वे एक प्रोफेसर हैं। वे नियम को जानते हैं। मैं भी जानता हूं कि उसका उल्लंघन कैसे किया जाय।

(**व्यवधान**) मैं यहाँ हरेक को शिक्षा देना नहीं चाहता। यहाँ कुछ कांग्रेस आई के सदस्य हैं जिनको कुछ भी सिखाना कठिन है। मैं उनको कुछ नहीं सिखाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं।

प्रो० चक्रवर्ती (उपाध्यक्ष महोदय) : वे भी आपके पास शिक्षा ग्रहण करने नहीं आयेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं ऐसे को अपना विद्यार्थी भी नहीं बनाता हूं। यह सरकार को क्षमा करना है। यह उसे छोटा दिखाना नहीं है। क्या आपके मूल्यांकन तथा राज्य सरकार के मूल्यांकन में कोई अन्तर है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के पास पर्याप्त भण्डार है, आप क्या कदम उठा रहे हैं, जिससे कि वितरण प्रणाली को बनाया रखा जा सके? तीसरी बात यह है कि मौनसून आ रही है। कोई भी सरकार चुप नहीं बैठ सकती जब उसे मालूम हो कि भण्डार घटता जा रहा है। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं? चावल की जो मांग मानव उपभोग के योग्य नहीं है, उसे बदलने के लिए तथा कुल मांग को त्रिपुरा राज्य को भेजने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

मुझे उस समिति का नाम ठीक-ठीक याद नहीं है जिसने त्रिपुरा को 25,000 मीटरी टन भेजने की सिफारिश की थी। क्या आप उस सिफारिश को स्वीकार कर रहे हैं और उस मांग को आवंटन के रूप में त्रिपुरा राज्य को दे रहे हैं?

श्री राव विरेन्द्र सिंह : मैंने यह बार-बार कहा है और यदि माननीय सदस्यों को इससे संतोष होता है तो मैं इसे एक हजार बार दोहराऊंगा कि त्रिपुरा को भेजा गया अनाज मानव उपभोग के योग्य था। यह कहना गलत है कि त्रिपुरा को भेजा गया चावल उपभोग के योग्य नहीं था। कृपया इसे समझें।

त्रिपुरा की जरूरतें......

श्री अटल विहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : शिकायत किस प्रकार की थी?

राव वीरेन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने कहा है, गोदामों में पार-बायल्ड चावलों पर पपड़ी आ गई थी। जलवायु में अत्यधिक नमी के कारण उनका रंग कुछ खराब हो गया था। यही कारण था कि उन्हें उपभोग के योग्य स्वीकार नहीं किया गया लेकिन हटा दिया है और अलग कर दिया गया है। लगभग आधी मांग पहले ही अलग-अलग की जा चुकी है। 5000 टन में से 4000 टन राज्य सरकार को अब तक जारी किए जा चुके हैं और उसे स्वीकार कर लिया गया है। उसे उपभोग के योग्य पाया गया है। बाकी मात्रा को भी इसी प्रकार साफ कर दिया जाएगा।

जैसा कि मैंने बताया है, हम लगभग दो महीने की जरूरत के लिए भण्डार रख रहे हैं। पहली जनवरी को भारतीय खाद्य निगम के पास 13,494 टन का कुल भण्डार था। पहली फरवरी को भण्डार 12930 टन था तथा पहली मार्च को यह भण्डार 10,509 टन का था। इसके अतिरिक्त, पहली अप्रैल को, अर्थात् इस महीने, राज्य सरकार के पास 5175 टन अनाज

चावल और गेहूं है जबकि भारतीय खाद्य निगम के भण्डार में से त्रिपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आबंटन और उपभोग केवल 5,000 टन के लगभग है। हमने बताया है कि हमने 12,000 टन अनाज तत्काल भेजने का निर्णय किया है। उसमें से एक 'रेक' में 2,100 टन पहले ही भेजा जा चुका है और उस महीने की 15 तारीख से पहले 6,000 टन से भी अधिक भेजा जाएगा। बाकी मांग भी वहां भेज दी जाएगी। अतः वहाँ पर्याप्त भण्डार हो जाएगा और हम प्रयत्न करेंगे कि यह भण्डार मानसून के मौसम में इकट्ठा कर लिया जाए। इसके बारे में हमने पहले ही आपका आश्वासन दे दिया है। मुझे आशा है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में अनावश्यक आशंका नहीं होनी चाहिए।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा) : मन्त्री जी ने यहां हमें जो बताया है वह वास्तविक तथ्य नहीं है। आपको मालूम है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो वायलिन बजा रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई भारतीय उदाहरण क्यों नहीं देते ?

श्री अजय विश्वास : यदि आप विवरण को देखें, तो वहां यह बताया गया है कि "वे 12,000 टन चावल की ढुलाई के लिए योजना बना रहे हैं"।

वे अब योजना बना रहे हैं और हम त्रिपुरा में दुखी हो रहे हैं।

श्री राव विरेन्द्र सिंह : आगे पढ़िए, कितनी मात्रा पहले ही भेजी जा चुकी है।

श्री अजय विश्वास : अपने वक्तव्य में आपने बताया है कि आप योजना बना रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या हैं ? मैं त्रिपुरा का हूं। मैं बेहतर जानता हूं। विवरण के अनुसार, त्रिपुरा में भण्डार की स्थिति यह है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 7,750 टन भण्डार है और उसमें से राज्य सरकार को केवल 4000 टन मात्रा स्वीकार्य है। राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम, दोनों ने यह निर्णय किया था कि वे सभी भण्डार को अलग-अलग करेंगे। लेकिन बाकी के भण्डार को अलग-अलग नहीं किया है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : यह किया जाने वाला है।

श्री अजय विश्वास : 7,750 टन के जिस भण्डार का आपने विवरण में उल्लेख किया है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं है। 5,000 टन के जिस भण्डार को अलग-अलग किया गया है और जो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में है, वह किसी एक स्थान पर नहीं है। वह सम्पूर्ण राज्य में बिखरा पड़ा है। राज्य सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस सारे चावल को एकत्र करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करे।

दूसरा मुद्दा यह है कि उसका कुछ हिस्सा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च किया गया। उसका वितरण, आपसे चावल मिलने के बाद ही किया जायेगा। क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि मुख्य मंत्री ने प्रधान मन्त्री को एक टेलेक्स संदेश 4 अप्रैल को तथा दूसरा 9 अप्रैल को भेजा है ? मुख्य मंत्री ने इस संबंध में आपसे कई बार सम्पर्क किया है। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री ने यह भी बताया है कि त्रिपुरा में चावल का भण्डार नहीं है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाए। वास्तव में, त्रिपुरा में,

राज्य सरकार ने चावल का वितरण बन्द कर दिया है। चावल का वहां कोई भण्डार नहीं है। मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को क्या टेलेक्स संदेश भेजा है ? क्या आप उसको यहां रख सकते हैं ?

अत: मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि आपको तत्काल त्रिपुरा को चावल भेजने हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप गोहाटी गोदाम से त्रिपुरा को 2 अथवा 3 दिन के भीतर चावल भेजेंगे जिससे कि अनाज संबंधी वर्तमान संकट को दूर किया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री ने प्रधान मंत्री को दो तारें भेजी हैं, और यदि हां, तो उन तारों में क्या लिखा है ? क्या आप उसे यहां बता सकते हैं।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : भारत सरकार, त्रिपुरा तथा अन्य राज्यों के प्रति अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक है और, जैसा कि मैंने बताया है, हम प्रतिमास त्रिपुरा में अनाज का न्यायत: पर्याप्त भण्डार रख रहे हैं। वहां उपलब्ध 10,000 टन में से, 5,500 टन मात्रा को अलग-अलग किया गया था तथा छाना गया था तथा उसमें से 4,000 टन मात्रा स्वीकार्य थी। वह मात्रा वितरण के के लिए उचित पाई गई थी। बाकी मात्रा को अभी भी अलग-अलग किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास भी अनाज का काफी बड़ा भण्डार है। अत. वहां कमी नहीं है। उस मात्रा को भी सार्वजनिक वितरण के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। 2000 टन से भी अधिक मात्रा पहले ही त्रिपुरा के रास्ते में है। 6,000 टन से भी अधिक मात्रा 15 अप्रैल से पहले भेजी जानी है। यह भी हमने पहले ही बता दिया है। इस संबंध में चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य मंत्री तारें भेजे अथवा न भेजे। केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि त्रिपुरा के लिये खाद्यान्न की सप्लाई में कटौती न हो। त्रिपुरा के लोगों को मानसून के मौसम में भी खाद्यान्न प्राप्त करने के मामले में किसी कठिनाई का सामना करने की जरूरत नहीं। वहां पर्याप्त मात्रा में भण्डार रखा जाता है।

आप टेलेक्स तथा तार संदेश भेजने में खर्च किये जा रहे अपने धन को बचा सकते हैं।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने यह बताया है कि इस समय त्रिपुरा में अनाज संबंधी कोई संकट नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, त्रिपुरा में पिछले 4 अथवा 5 महीनों से गेहूं का भण्डार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, आटा मिलें तथा चक्कियां बन्द हो गई हैं और चाय के बागों में काम करने वाले मजदूर दुखी हैं क्योंकि गेहूं ही उनका भोजन है।

मैं यह जानना चाहूंगा हूं कि गेहूं की कमी के कारण क्या आटा मिलों में कर्मचारियों की कोई छंटनी हुई है अथवा नहीं। इस समस्या के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? इस समस्या के समाधान के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां अनाज की कमी है। यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये त्रिपुरा सरकार ने अनाज की कितनी मात्रा की मांग की है ? सरकार ने वास्तव में कितना आबंटन किया है ? पिछले छह

महीनों के दौरान बिक्री के लिये वास्तव में कितना अनाज दिया गया है ? यही मेरे विशिष्ट प्रश्न हैं।

क्या यह सत्य नहीं है कि त्रिपुरा में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम को धक्का लगा है क्योंकि खाद्यान्नों का भण्डार घटता जा रहा है ?

भण्डारण क्षमता के संबंध में, मैं यह जानना चाहूंगा कि त्रिपुरा में खाद्यान्नों के भण्डार के लिए इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास कितनी भण्डारण क्षमता उपलब्ध है ? त्रिपुरा में भंडारण क्षमता के बारे में भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों ?

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपेक्षित भण्डार गृहों का निर्माण करने के काम को तेज करने की सरकार की कोई योजना है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि मंत्री ने अपने विवरण में यह बताया है कि त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों में 7,715 टन अनाज का भण्डार है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कितनी मात्रा मानक नियंत्रण कार्यालय द्वारा घटिया किस्म की तथा मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त मानी गई है। इस प्रकार के अनाज के निपटान के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की सामान्य प्रथा क्या है ?

मेरे ये प्रश्न हैं क्योंकि त्रिपुरा की लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर जंगल हैं।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : जहां तक मेरी जानकारी, यह सारा अनाज मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। मैंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि इसकी कुछ मात्रा का रंग खराब हो गया था और उपभोक्ताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया था; लेकिन उसे अलग किया जा रहा है; केवल अच्छे रंग वाला चावल दिये जाने के लिए अलग किया जा रहा है। पिछले चार महीनों के दौरान, इसका उपयोग इस प्रकार रहा, त्रिपुरा सरकार ने दिसम्बर में केवल 800 टन अनाज उठाया; जनवरी में बिल्कुल नहीं उठाया— राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से एक भी किलो अनाज नहीं लिया...।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : : इसकी किस्म के कारण।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : नहीं; आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि त्रिपुरा स्वयं लगभग तीन लाख टन चावल का उत्पादन करता है : आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं।

फरवरी में, 1400 टन मात्रा उठाई गई। यदि वह उपभोग के लिए उचित नहीं थी, जैसा कि आप कहते हैं, तो 1400 टन मात्रा नहीं उठाई गई होती।

मार्च के सम्बन्ध में हमारे पास उठाई गई मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि त्रिपुरा सरकार ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने कितनी मात्रा उठाई है।

अतः, पिछले चार महीनों के सम्बन्ध में यह स्थिति है...।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि अनाज न मिलने की तुलना में घटिया अनाज मिलना ही बेहतर है ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : नहीं । यदि कमी होती तो वे 5,000 टन की उस मात्रा का उपयोग कर सकते थे जो उनके अपने स्टाक में थी; वे उसका उपयोग तब तक करने के पात्र हैं जब तक कि भारतीय खाद्य निगम उसके बदले में उन्हें और मात्रा नहीं दे देता । लेकिन उन्हें अब तक अपने स्टाक को छूने की आवश्यकता तक नहीं पड़ी है । इसका अभिप्राय यह है कि भण्डार की स्थिति अच्छी है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उन्होंने अपना भण्डार काम के बदले अनाज कार्यक्रम में पहले ही समाप्त कर लिया है ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : नहीं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए हमने त्रिपुरा को पिछले एक वर्ष के दौरान 11,35,000 टन अनाज मुफ्त दिया है...।

प्रो० मधु दण्डवते : अब हमें मालूम हुआ कि महाराष्ट्र को यह अनाज क्यों नहीं मिला ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा होगा यदि आप अपने आंकड़ों की जांच करें ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह 11 लाख है अथवा 11 हजार ?

अब मुझे समझ आया कि क्यों आपके आंकड़े हमेशा गलत होते हैं ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : मेरे कागजों में 11 लाख टन दिखाया गया है । मैं इसकी जांच करूंगा । यह 11 हजार ही होगा : यह कागजों में गलत दिखाया गया है...।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इससे यह पता चलता है कि आपके लोग आपको कैसे गुमराह करते हैं ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : यह विभाग ने गलत दर्शाया है । मुझे आशंका थी, लेकिन इसमें "...टन लाखों में" बताया गया है । यह गलत है । यह 11,035 ही होगा । (**व्यवधान**)

जो भी हो, अत्यधिक सूखा के दिनों में भी त्रिपुरा में अनाज की कमी नहीं थी—हमने त्रिपुरा में बहुत बुरे दिन देखे हैं, अत्यधिक कठिनाई के दिन 1979-80 में सूखा के बाद...(व्यवधान)

श्री अजय विश्वास : आपकी समिति ने 25,000 टन की सिफारिश की थी लेकिन आपने केवल 11,000 टन अनाज भेजा...(व्यवधान) ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : विभाग द्वारा मुझे बताए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 14,777 टन अनाज काम के बदले अनाज तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए दिया गया है; इसके अतिरिक्त, मुझे याद है, 10,000 टन अनाज गृह मन्त्रालय से प्राप्त अनुदेशों से अतिरिक्त कैम्पों में शरणार्थियों के लिए दिया गया था; वह भी—10,000 टन—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान था जो कि कुछ महीने पहले दिया गया था । इस प्रकार, हम त्रिपुरा के लोगों की सहायता के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, वह कर सब कुछ कर रहे हैं, ताकि उनकी कठिनाईयां दूर हों ।

श्री मुकन्द मण्डल : भण्डारण की क्या स्थिति है ?

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : भण्डार आवश्यकता से अधिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन····

(**व्यवधान**) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने पहले ही अगली मद को शुरू कर दिया है।

लोक लेखा समिति

तीसरा तथा बीसवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (श्राजमगढ़) : महोदय मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं—

(1) रेलवे की भूमि हर अनधिकृत कब्जे के बारे में लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) के 86वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन ।

(2) रेल व्यय के बारे में लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) के 136वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन ।

समिति के लिये निर्वाचन

चाय बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद श्रालम खान) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं—

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, चार्य बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने से दो सदस्य निर्वाचित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, चार्य बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुश्रा ।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

डा० के० एस० भोई।

(एक) महानदी के बेसिन में तेल की खोज का कार्य पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, नियम 377 के अधीन जनहित का अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

हाल ही में किसी समाचार-पत्र में यह छपा था कि महानदी घाटी में पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से ऑफ-शोर पर्यवेक्षण कार्य बन्द पड़ा है क्योंकि आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कूएँ खोदने के लिए किराये पर लिए गए रिग कार्य को अधूरा छोड़कर ही चले गये हैं। कार्य को दुबारा शुरू करने के लिए नए रिग किराये पर लेने में 6 से 7 महीने से भी अधिक समय लगेगा। यह भी सम्भव है कि उस समय नये रिग उपलब्ध न हो सकें। क्योंकि तब तक अन्तर्राष्ट्रीय फर्में उस अवधि के दौरान अपने ऑफ-शोर और ऑन-शोर पर्यवेक्षण शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त, वही परिणाम, जिन्होंने तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को गोदावरी घाटी में पर्यवेक्षण कार्य बन्द करने को मजबूर कर दिया था, महानदी घाटी के भी होंगे और मानसून समाप्त होने के साथ ही ही तरंगित और कठोर महासागर धारा के कारण भी। पता चला है कि पीरीलिन खुदाई वाला जहाज जो गोदावरी घाटी में कार्य कर रहा था बम्बई हाई में चला गया है। पर्यवेक्षण कार्य जारी रखने हेतु इसे बड़ी सरलता से बंगाल की खाड़ी के किनारे से महानदी में भेजा जा सकता था। मुझे शक है कि अगर पर्यवेक्षण कार्य समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं किया गया तो यह हो सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में रखे गये 100 करोड़ रु० लागत के दृष्टिकोण से देखने पर मुद्रास्फीती दबाव के कारण महानदी घाटी का सम्पूर्ण क्षेत्र कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और अन्त में धनराशि की कमी के कारण कार्य छोड़ देना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने के साथ-साथ सरकार को तेल का पता लगाने के कार्य में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए जिसके कारण देश के विदेशी मुद्रा के भण्डार में कमी होती है। इसलिए सरकार से यह अनुरोध है कि तेल का पता लगाने के कार्यों में वह विशेष ध्यान दें।

यह भी अनुरोध है कि चूंकि आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा महानदी घाटी में तेल पर्य-वेक्षण कार्य की प्रगति असन्तोषजनक है, इसलिये यह कार्य तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को दे दिया जाये। सोवियत संघ से आये एक विशेषज्ञ दल द्वारा किये गए सिसमिक सर्वेक्षण से पता चला कि महानदी घाटी के आफ-शोर और ऑन-शोर दोनों में ही तेल का बहुत बड़ा भण्डार पाया जा सकता है और अगर इसे पा लिया जाय तो इससे भविष्य में राष्ट्र की तेल की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। इस विषय की गम्भीरता और तात्कालिकता को मद्देनजर रखकर सरकार को अविलम्ब महानदी घाटी में तेल का पता लगाने के लिये कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करके पूरा करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिये।

(दो) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में लघु उद्योगों का विकास

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती बाड़नेर एवं जैसलमेर जिले/ प्रांत ही नहीं बल्कि देश के बारे पिछड़े क्षेत्र हैं।

उक्त क्षेत्र में जिप्सम, बैंटानाइट, मुल्तानी मिट्टी, लिगनाइट, राक फास्फेट, चूना नमक, पत्थर आदि के भरपूर भण्डार हैं, जिनके आधार पर कुछ लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

देश में सबसे अधिक ऊन इस क्षेत्र में तैयार होती है। यहां के ऊनी कंबलों ने देश में ख्याति प्राप्त की है। गलीचा एवं जट पट्टी का उद्योग भी उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो हो रहा हैं।

रंगाई छपाई का कार्य बाड़मेर जिले के बालोतरा एवं बाड़मेर नगर में दिनोंदिन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और अनेक छोटे उद्योग स्थापित हो रहे हैं।

गवार की पैदावार इस क्षेत्र में बहुत अधिक होती है। बाड़मेर एव बालोतरा नगर में बवार से आधारित गवारगम लघु उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं।

चर्म उद्योग विकास की वहुत सम्भावनाएं हैं। जालोतरा नगर में 132 के. वी. लाइन एक साल पहले पहुंच चुकी है और वाड़मेर नगर में भी 132 के. वी. लाइन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और उक्त लाइन दिसम्बर 1981 तक पहुंच जाएगी।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में जो कि अधिकतर अकाल से प्रभावित रहते हैं, लघु उद्योगों के विकास और विस्तार से अकाल का मुकाबला करने में सक्रिय सहयोग मिलेगा।

अत: केन्द्रीय उद्योग मन्त्री से निवेदन है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के लघु उद्योग के विकास एवं विस्तार को विस्तृत करने के लिए और औद्योगिक दृष्टि से पिघड़े क्षेत्र घोषित करें।

(तीन) केरल में मीन उद्योग का संकट

जेवियर अराकाल (एर्णाकुलम) : केरल में मत्स्य उद्योग पिछले तीन वर्षों से काफी कठिनाइयों में है और अब स्थिति गम्भीर होने जा रही है। जैसा कि सर्वविदित है, कि मछली निर्यात करने से भारतीय राजकोष को प्रति वर्ष 300 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा की आय होती है। जिसमें से केरल का हिस्सा 40 प्रतिशत है। केरल में कृषि क्षेत्र से अधिक व्यक्ति मत्स्य और इसके सहायक उद्योगों में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि मत्स्य उद्योग केरल की अर्थव्यवस्था में और इसकी रोजगार सम्भाव्यता में कितनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। इस उद्योग में किसी संकट से गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं जिससे इस उद्योग से अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और इसके अतिरिक्त देश की विदेशी मुद्रा की आय को भी हानि होगी। वर्तमान संकट के बहुत से कारण हैं।

विदेशी बाजार अब शर्मिन्दा है और भारतीय मत्स्य उत्पादन की मांग अब इतनी ऊंची नहीं रही जितनी की पहले थी। पिछले 20 वर्षों से हम अपनी समुद्री सम्पदा का उपयोग केवल छोटे जहाजों के प्रयोग से ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मछली पकड़ने का कार्य एक ही क्षेत्र

तक सीमित है और गहरे क्षेत्र में जाया ही नहीं जाता। एक ही क्षेत्र में लगातार मछली पकड़ते रहने से झींगी तथा अन्य निर्यात योग्य मदें गहरे समुद्र में चली गई हैं और उनके बड़े होने से पहले ही नष्ट अथवा मार दी गई हैं। जब तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का वर्णन बड़े पैमाने पर सम्भव नहीं बनाया जाता तब तक समुद्री सम्पदा से बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने की कोई आशा नहीं है। इसके अतिरिक्त, मछली पकड़ने की लागत पिछले तीन वर्षों में डीजल के मूल्य, फालतू कल-पुर्जों, श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के कारण 3 गुना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त डीजल की अत्यधिक खपत के कारण नाव का कोई मालिक उन दूर वाले क्षेत्रों में जाने से डरता है जहाँ से अच्छी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। तेल के सीमित प्रयोग और अन्य लागतों को ध्यान में रख कर कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता।

इसलिए इस उद्योग के संकट को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जाते हैं :

1. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले जाल पोतों को डीजल की लागत में 50 प्रतिशत की सहयता दी जाए।

2. नावों के अधिकतर मालिक जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है वे अपनी किश्तें अथवा उस पर देय-ब्याज देने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें संचालन में काफी हानि उठानी पड़ रही है। मैं सुझाव देता हूं कि वर्ष 1977-78 1978-79 और 1979-80 के लिए ब्याज माफ कर दिया जाए। ऐसी मुआफी कृषि ऋणों के लिए दी जा चुकी है।

3. उद्योग द्वारा सामना की जा रही गम्भीर कठिनाईयों के कारण ऋणों की वापिसी की अगले तीन वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि यह उद्योग वर्तमान संकट से मुक्त हो सके और रूग्ण—एकक फिर से कार्य शुरू कर सकें।

4. मत्स्य-उद्योग को दिए जाने वाले ऋण को कृषि-ऋणों के समान ही माना जाना चाहिए और ली जाने वाली ब्याज-दर $4\frac{1}{2}\%$ तक ही सीमित रखी जाएं जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक से कृषि पुनरवित्त के मामले में है। $4\frac{1}{2}\%$ब्याज की यह दर तीन वर्ष के ऋण-स्थगन के बाद लागू होनी चाहिए। इसे सहकारी समितियों पर अधिक उदारता और तीव्रता से लागू किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इसकी विदेशी मुद्रा आय की क्षमता और समाज के निर्धन-वर्ग के लिए रोजगार के काफी अवसरों के कारण यह उद्योग कृषि के समान ही रहने का हक रखता है जिससे इसे बैंकों और सरकार से सभी रियायतें मिल सकें। जब तक कि ये उपाय तत्काल नहीं किए जाते, सम्पूर्ण मत्स्य उद्योग विशेषतः केरल में, इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्राथमिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों में समन्वय हेतु तत्काल कदम उठाये।

(चार) बम्बई–थाणे क्षेत्र में औषधि निर्माता कम्पनियों का कथित बन्द होना

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महाराष्ट्र राज्य के बम्बई-थाणे क्षेत्र में औषधियाँ और भेषज बनाने वाली कुछ कम्पनियों ने बन्द और तालाबन्दी द्वारा जीवन रक्षक तथा जरूरी

औषधियों के उत्पादन को प्रभावित किया है। इनमें से कुछ कम्पनियां मैसर्ज गयुफिक लैबोरेटरीज बम्बई, मैसर्ज थेमिस फार्मासियुटिकल (प्रोप. चीमोसाइन प्राइवेट लिमिटेड) बम्बई, मैसर्ज सीबा-गैगी लिमिटेड बम्बई हैं।

तालाबन्दी के फलस्वरूप बड़ी संख्या में कामगारों तथा उनके परिवारों की रोजीरोटी का एकमात्र स्रोत भी बन्द हो गया है।

यह पता चला है कि मैसर्ज गयुफिक लेबोरेटरीज, बम्बई और मैसर्ज थेमिस फार्मासियुटीकल्ज (प्रो० चीमोसाइन प्राइवेट लि०) बम्बई ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से भारी मात्रा में ऋण लिया हुआ है।

इन कम्पनियों की अनेक सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियां हैं और ये अत्यन्त लाभप्रद हैं। ये सहायक और सम्वद्ध कम्पनियां परस्पर पूंजी, कच्चेमाल और श्रमिकों का निरन्तर आदान-प्रदान करती रहतो हैं। दवाओं की इन फर्मों के बन्द हो जाने से समूचे औषधीय उद्योग के काम-गारों विशेष तौर पर महाराष्ट्र के बम्बई-थाने क्षेत्र में भारी औद्योगिक अशान्ति फैल गई है। यदि इस अशान्ति को दूर नहीं किया गया तो इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे जीवनदायिनी औषधियों और अनिवार्य दवायें उपलब्ध न होंगी। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह फर्मों के बन्द किये जाने के वास्तविक कारणों का पता लगाये और यह भी मालूम करे कि क्या इन फर्मों के मालिकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं के धन का दुरुपयोग किया था और क्या अनिवार्य दवाओं के उत्पादन करने के मार्ग में कोई बाधा आई जिससे देश की जनता के हितों को नुकसान पहुंचा और क्या श्रमिकों को परेशान किया गया था।

(पांच) अम्बेडकर के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : 1 अप्रैल, भारतीय संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर का जन्म दिवस है। वे भारतीय संविधान के रचियता तो हैं ही उनका जीवन कार्य स्वयंमेव प्रकाशस्तम्भ की तरह अनेकों लोगों का सदैव पथ प्रशस्त करेगा। वे शोषित पीड़ित दलित जनों की भावनाओं की शाश्वत अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये सतत् संघर्ष किया। वे अपने समय के प्रखर विद्वान् तथा विधि शास्त्री थे। उनका विचार सुधार वादी था। अमरीका की कोलम्बिया यूनिर्वासिटी में एथ्रोपोलाजी सेमिनार में दिनांक 1 मई, 1961 को अपना शोध पत्र पढ़ते हुए कहा था "मैं अपनी विचारधारा को छोड़ने में नहीं हिचकिचाऊंगा यदि कोई इससे श्रेष्ठ चीज पैदा करता है। मुझे उसे छोड़ने में उतना ही हर्ष होगा जितना सदा के लिए विवादास्पद रहने वाले विषय पर बौद्धिक असहमति देखने में होता है और उन्होंने कहा कि मैं जितना कार्य करे जा रहा हूं, यदि उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सके तो पीछे न जाने पाये ऐसे महा-पुरुष जिनका कार्य देश और समाज के लिये सदा अविस्मरणीय है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि 14 अप्रैल को डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष में राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करें।

(छः) आगामी एशियाई खेलों के लिये बिजली की कमी का समाचार

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं रूल 377 के तहत सरकार का ध्यान 8 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस की इस सुरखी की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें एशियाई खेलों में बिजली की कमी की तरफ इशारा किया गया है। डेसू के जनरल मैनेजर ने इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर को भी लिखा है। क्योंकि मौजूदा हालत में भी दिल्ली में रहने वालों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर एशियाई खेल के लिये भी बिजली इसमें से दी गई तो दिल्ली वालों के लिये बहुत मुश्किलात का सामना होगा।

मेरी सरकार से दर्खास्त है कि अगर एशियाई गेम करने ही हैं, तो इसमें खर्च होने वाली बिजली का इंतजाम अलग से कर दें और दिल्ली के रहने वालों को आने वाली मुश्किल से बचायें।

(सात) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पीने के पानी की कमी

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र के पश्चिमी भाग में पानी की भारी कमी है। इस इलाके में निरन्तर सूखा पड़ता है। प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन से ही पानी का संकट गहरा होता जाता है। इस वर्ष संकट ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। लोग मिदनापुर और खड़गपुर शहर में एक बाल्टी के लिए नलों पर लम्बी कतारों में खड़े हैं। यदि मिदनापुर और खड़गपुर में जल वितरण को सुदृढ़ नहीं किया गया तो वहां स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाएगी। शहरों और गांवों में प्रायः सभी कूयें सूख चुके हैं और देहातों में तो लोगों को सूखे हुये छोटे-छोटे नालों से एक घड़ा पानी लेने के लिए 2 से 3 कि. मी. चलना पड़ता है। पशुओं के लिये पानी उपलब्ध ही नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कई वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र में जिसमें केरियरी, खड़गपुर लोकल, खड़गपुर शहर, मिदनापुर, सलबड़ी, गुरबेया, इतरग्राम, दीनापुर, गोपी बल्लवपुर, नया ग्राम और जिले के दूसरे इलाके शामिल हैं, सूखे का मुकाबला करने और समाप्त करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है। केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोग भारी संख्या में रहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को इस क्षेत्र के लिए इस विशेष कार्य के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

(आठ) मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिए दली-राजहरा लोह अयस्क के खान में काम की पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह दुर्भाग्य की बात है कि "दली-राजहरा आयरन और माइन्ज" के 7500 से भी अधिक कामगार भारी संकट की स्थिति में हैं तथा उनमें से बहुत से भूखों मर रहे हैं। इन कामगारों ने अपने नेता श्री शंकर गुहा नियोगी के गैर'कानूनी ढंग से हिरासत में लिये जाने पर प्रतिवाद किया था। अब, भिलाई स्टील प्लांट के प्रबन्धक उन्हें काम पर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कई कामगारों ने पत्ते और घास खाना शुरू कर दिया है। बड़े दुःख की बात है कि प्रबन्धकों की अफसरशाही ने कामगारों के लिये भुखमरी की हालत पैदा कर दी है।

कामगारों को आतंकित करने के कार्य में पुलिस भी शामिल है। श्रमिकों और भिलाई स्टील प्लांट के प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। अतः भारत सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये और वर्तमान संकट को हल करना चाहिये ताकि श्रमिकों को भुखमरी का सामना न करना पड़े।

(नौ) मोगा रेलवे स्टेशन के निकट बंजर भूमि का उचित उपयोग करने की आवश्यकता

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार (फरीदकोट) : मैं पंजाब के फरीदकोट जिले में मोगा रेलवे स्टेशन के मामले को सदन की जानकारी में लाना चाहती हूं। इस स्टेशन के आस-पास खाली जमीन पड़ी हुई है जिसे वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप इस जमीन में जंगल बन गया है जिसमें झाड़ियां उग आई हैं। इससे न केवल रेलवे स्टेशन तथा शहर के निकटवर्ती क्षेत्र गन्दे लगते हैं बल्कि यह जंगल डाकुओं और असामाजिक तत्वों को उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए शरण देते हैं। लुटेरे इस क्षेत्र में छिपते हैं और अंधेरे में अपना कार्य करते हैं।

महोदय, मोगा की नगर पालिका इस क्षेत्र में पार्क बनाना चाहती है और यहां कम्यूनिटी कल्याण केन्द्र इत्यादि स्थापित करना चाहती है, बशर्ते उन्हें जमीन का कब्जा दे दिया जाये। इस जमीन के सही विकास हेतु पिछले दौरान सरकार को कई अभ्यावेदन और प्रस्ताव भेजे गये थे परन्तु, सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे। रेल मंत्रालय को या तो इस फालतू जमीन का विकास करना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिये अथवा इसे नगर पालिका को सौंप देना चाहिए ताकि इस जमीन का सही ढंग से विकास हो सके। इस प्रकार से मोगा के इर्द-गिर्द का इलाका सुन्दर दिखाई देगा।

(दस) हाल ही में घोषित आयात नीति के कारण केरल में कुछ वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन करने वाले किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)* : मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे केरल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा हाल ही में आयात नीति के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक फसलों, जैसे कि कोको और रबड़ तथा मसालों जैसे कि दालचीनी, लौंग आदि के मूल्यों में भारी गिरावट आयेगी। वास्तव में मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि कोको, उदाहरण के तौर पर, के आयात करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया है। स्वयं केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया था कि केरल बहुत बड़ी मात्रा में कोको का उत्पादन कर रहा है। इतना ही नहीं केरल सरकार, कोको उत्पादन करने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने भी सरकार से आग्रह किया था कि कोको का आयात नहीं किया जाना चाहिये। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार की जानकारी में इस तथ्य को भी लाया गया था कि

* मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कोको, रबड़ और नारियल के तेल का आयात नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे केरल की अर्थ व्यवस्था पर भारी प्रहार होगा। परन्तु सभी तर्क एवं अनुरोध निष्प्रभावी सिद्ध हुये। अब केरल राज्य सहकारी विपणन संघ ने कोको की खरीद करना बंद कर दी है। इसका कारण यह बताया गया है कि विपणन संघ को 75 लाख रुपये की हानि हो चुकी है। अब चूंकि इस विपणन संघ ने कोको की खरीद का काम बन्द कर दिया है केरल में इसका कोई दूसरा खरीदार नहीं है। यदि "कैडबरी" जो पहले यहां से कोको खरीदता था, दोबारा खरीद शुरू नहीं करता है तो कोको उत्पादकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जायेगी।

अत: सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि कोको, रबड़, नारियल के तेल, काजू के आयात नीति पर पुनर्विचार किया जाये और केरल के किसानों को कठिनाइयों से बचाया जाए।

अनुदानों की मांगें

कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर आते हैं। हम मद संख्या 12 और 13 को लेंगे। कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श तथा मतदान; ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श तथा मतदान।

सदन अब कृषि मंत्रालय से संबंधित माँग संख्या 1 से 9 पर और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय की मांग संख्या 75 पर विचार-विमर्श और मतदान करेगा। इसके लिये 10 घंटे का समय दिया गया है।

अनुदान माँगों के संबंध में जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर स्लिपें भेज सकते हैं जिनमें कटौती प्रस्तावों जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, का क्रमांक दर्शाया गया हो। केवल इन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया समझा जायेगा। शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर एक सूची लगाई जाएगी जिसमें पेश किये गये कटौती प्रस्तावों का क्रमांक दर्शाया गया होगा। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई गलती दिखाई दे तो वह अविलम्ब इसकी सूचना टेबल आफीसर को दे।

अब, श्री जायनल अबेदिन बोलेंगे। आपकी पार्टी को 35 मिनट बोलने के लिए दिए गए हैं। आपकी पार्टी के ऐसे सदस्यों की संख्या चार है जो अनुदान मांगों पर बोलेंगे। आपकी पार्टी की ओर से आप पहले नम्बर पर बोलेंगे।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुये)

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर)* : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अनुदान माँगों का विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं विरोध इसलिए कर

---

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहा हूं क्योंकि जिन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धन मांगा जा रहा है उन योजनाओं से एक विशेष वर्ग ही लाभान्वित होता है। इनसे देश के निर्धन कृषकों और कृषि मजदूरों को लाभ नहीं पहुंचता।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि का विकास किये बिना, देश और इसके उद्योगों का सम्पूर्ण आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि का बहुत भारी महत्व है। यह आवश्यक था कि सरकार को ऐसी नीति निर्धारित एवं कार्यान्वित करनी चाहिये थी जिससे न केवल कृषि का विकास ही हो बल्कि जो देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास में सहायक हो तथा इस प्रकार हुए विकास का फल सभी को मिले चाहें वह किसी समाज अथवा वर्ग से सम्बन्धित हो। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से, केन्द्र सरकार ने एक ऐसी कृषि नीति का अनुसरण किया है जिसका उद्देश्य न तो देश का समग्र विकास करना है और न ही ग्रामीण जनता का कल्याण करना। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं तथा विशेष तौर पर इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तो बिल्कुल अस्त-व्यस्त ही हो गई है। सरकार की नीति का एकमात्र ध्येय उद्योगों के लिए सस्ता कच्चा माल पैदा करना तथा लोगों का एक छोटा वर्ग बनाना ही था जिसका उद्देश्य केवल देहातों पर सत्तारूढ़ दल का अधिपत्य स्थापित करना और उनके राजनैतिक हितों का ध्यान रखना था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लाभ केवल ऐसे ही लोगों तक पहुंचते थे।

चालू वर्ष के लिये बजट में किये गये आबंटनों से एक बार फिर वही नीति स्पष्ट होती है। बजट से किसी भी तरह यह आश्वासन नहीं मिलता कि इससे ग्रामीण जनता, खेतीहर मजदूर, वर्गदार, सीमान्तक और छोटे किसानों जो कि जनसंख्या का 70% है तथा जो अपना खून-पसीना बहा कर लाखों को भरण-पोषण के लिये उपजाता है, स्वयं दो-जून भोजन भी जुटा पाएगा। इस बजट से इस अपेक्षित वर्ग को कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात से संतोष जाहिर किया है कि देश में भरपूर फसल होगी तथा उन्होंने यह आशा प्रकट की है कि कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन 13 करोड़ 20 लाख टन होगा जो कि 1978-79 में हुए खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन से अधिक है एवं 1979-80 में हुए खाद्यान्न से यह 19% अधिक अर्थात् 2 करोड़ 30 लाख टन अधिक है। निश्चय ही खुशी की बात है लेकिन मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी होने मात्र से सरकार की कृषि नीति की सफलता अथवा असफलता का पता लग सकता है। महोदय, अगर अनाज उत्पादन में वृद्धि होने से 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता की गरीबी बढ़ती है, उनमें बेरोजगारी बढ़ती है, ऋण ग्रस्तता बढ़ती है सामग्री के भाव बढ़ते हैं, उनका जीवन और अधिक अनिश्चित क्या हो जाता है तथा दूसरी ओर गरीब खेतीहर मजदूर की वास्तविक मजदूरी गिर जाती है तब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सरकार की नीति की सफलता की द्योतक है अथवा असफलता की ? माननीय मंत्री जी इस पर संतुष्ट होंगे कि खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है तथा विदेशों को अतिरिक्त खाद्यान्न निर्यात करके, विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है लेकिन क्या कृषि मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि रिकार्ड उत्पादन के परिणामस्वरूप लाखों गरीब किसान, वर्गदार, बंटाई पर फसल करने

वाले, ग्रामीण दस्तकार तथा छोटे और सीमान्तक किसान [illegible] बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इससे वस्तुओं के भावों में गिरावट [illegible] आश्वासन देंगे कि ये लोग अन्य वस्तुएं सस्ती प्राप्त कर सकेंगे ? नहीं, [illegible]

क्योंकि हर सरकार द्वारा बनाया गया आर्थिक ढांचा [illegible] का उत्पादन अधिक होने पर उसके मूल्यों में गिरावट नहीं आती । [illegible] खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके मूल्य भी [illegible] हाल है खाद्यान्नों का । यह फसल कटाई का समय है । साधारणतया [illegible] कम हो जाते हैं । पिछली फरवरी में खाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक [illegible] हो गया था । लेकिन, यहां यह बात अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिये कि [illegible] वर्ष की संख्या से अधिक थी, उस समय थोक भाव सूचकांक 188.5 था । [illegible] यह सिद्ध करना चाह रहा हूं कि अनाज के उत्पादन में वृद्धि होने का मतलब खाद्यान्नों के भावों में कमी होना नहीं है । महोदय, किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए खाद्यान्नों के भावों में गिरावट लाने का एकमात्र रास्ता यह है कि सरकार खाद्यान्नों की थोक बिक्री का काम निजी व्यापारियों से न कराकर स्वयं करे । केवल इस तरीके से, सरकार सारे देश में निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों की बिक्री करा सकेगी । लेकिन लाखों किसानों, गरीब मजदूरों और कामगारों की इस और न्यायसंगत मांग पर भी यह सरकार ध्यान नहीं दे रही यह तो किसानों के मुकाबले जोतदारों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगी । महोदय,देश की ग्रामीण जनता गरीबी और बेरोजगारी के जुड़वां रोग से पीड़ित है । इन लोगों की भलाई के लिये हमें इन दोनों बीमारियों से लड़ना होगा । इस लड़ाई को जीतने के लिये सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नामक दो हथियार काम में लाए हैं । लेकिन महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि इस बीमारी का वास्तविक कारण पता लगाने के स्थान पर बढ़ा हुआ उत्पादन, आई आर डी पी और एन आर ई पी जैसे छोटे उपाय काम में लाने से समस्या का पूरी तरह और अन्तिम रूप में हल कभी भी नहीं खोजा जा सकता । फिर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वर्तमान शोचनीय स्थिति किस कारण हुई, इसका कारण जमीन और ग्रामीण संपत्ति का कुछेक लोगों के हाथों में आ जाना है । यह कृषि के बारे में ली गई सरकार की अपनी नीति के कारण ही हुआ है । भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा उन्मूलन के नाम पर, सामन्ती जमींदारी प्रथा पूंजीवादी जमींदारी प्रथा में परिवर्तित कर दी गई तथा ये नए पूंजीवादी जमींदार न केवल गैर कानूनी रूप से और ज्यादा भूमि रख सके अपितु इन्हें काफी बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी गई जिसे इन्होंने अन्य कार्यों में लगाया ।

कुछ ने इस राशि से, जिन दिनों खाद्यान्नों के भाव कम थे, उन्हें खरीदकर जमा कर लिया तथा जब भाव चढ़े हुए थे, उस समय बेचा । इस प्रकार उपलब्ध खाद्यान्न समेट लिया गया, उनकी कृत्रिम कमी हो गई, भाव चढ़ गए तथा जिस किसान ने उसे उगाया था, उसी का पूरी तरह शोषण करके उन्होंने अपनी तिजोरियाँ गरम कीं । कुछ ने यह राशि ज्यादा ब्याज पर उधार दी । उनके कारनामों के परिणामस्वरूप गरीब और असहाय किसान उनकी पकड़ में आ गए । मूलधन तो क्या ब्याज ही इतना अधिक था कि वे उसका भी भुगतान नहीं कर सके फलतः उधार देने वाले ने

गरीब किसान की भूमि को ही हथिया लिया। इस प्रकार सारी भूमि कुछेक लोगों के कब्जे में आ गई तथा साल दर साल देश में भूमिहीन किसानों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी। महोदय, मैं ग्रामीण मजदूर जांच समिति रिपोर्ट (1974-75) के निष्कर्षों का जिक्र करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 1964-65 में पुरुष कृषि श्रमिक की मजदूरी से प्रति व्यक्ति औसत आय 1.43 रु० थी तथा 1974-75 में यह बढ़कर 3.24 रु० हो गई। दूसरे शब्दों में, इसमें 127% की वृद्धि हुई। लेकिन, जहां मजदूरी बढ़ी, वहीं साथ ही साथ भाव भी बढ़े। अगर हम 1960 को आधार वर्ष मानें तो 1964-65 में कृषि मजदूरों का अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक 143 रु० था तथा 1974-75 में यह बढ़कर 368 रु० हो गया। अत: मूल्य सूचकांक में 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, अगर हम ऊपर दिये गए दोनों प्रकार के आंकड़ों की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि खेतीहर मजदूरों, किसानों की वास्तविक मजदूरी में इस अवधि में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। अब हमें यह देखना है कि इस अवधि में किस प्रकार उन पर ऋण का बोझ पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1964-65 में कृषि मजदूर परिवारों की ऋणग्रस्तता 60.6 प्रतिशत थी तथा 1974-75 में यह बढ़कर 66.4% हो गई। 1964-65 में कृषि श्रमिक परिवारों की प्रति परिवार ऋणग्रस्तता 148 रु० थी जबकि 1974-75 में यह 584 रु० थी। कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या 1964-65 में 15 करोड़ 30 लाख थी तथा 1974-75 में यह बढ़कर 20 करोड़ 70 लाख हो गई, अर्थात् इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 17.12.80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4185 के जवाब में सरकार ने खेतिहर मजदूर की नवीनतम स्थिति (1977-78) बताते हुए बताया कि अब इनकी संख्या 22 करोड़ 90 लाख थी। अत: यह स्पष्ट ही है कि जहाँ एक ओर खेतीहर मजदूर की मजदूरी दिन प्रति दिन कम होती जा रही है, वहीं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बड़ रही है। इस समय जनसंख्या का 70 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं जो कुछ भी खरीद नहीं सकते परिणामस्वरूप आंतरिक बाजार में निरन्तर गिरावट आ रही है।

महोदय, इस समस्या का वास्तविक समाधान पूरी विस्तृत और सुस्पष्ट भूमि सुधार प्रणाली बनाकर किया जा सकता है। इस समय, हमारे पास 40 करोड़ एकड़ से भी अधिक खेती योग्य भूमि है तथा इसमें से 40 प्रतिशत, 16 करोड़ एकड़ से अधिक 5 प्रतिशत बड़े जमींदारों के पास है। महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि अगर कई दिनों का भूखा कोई गरीब लड़का रोटी चुरा लेता है तो उसे सजा दी जाती है, यहाँ तक कि जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन, हमारे देश में थोड़े से बड़े जमींदारों, छोटे किसानों को धोखा देकर हजारों एकड़ भूमि के मालिक बन गए हैं, लेकिन देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि इस बड़े किस्म की चोरी के लिए उन्हें सजा दी सके। महोदय, अगर हम प्रति भूमिहीन परिवार 3 एकड़ भूमि बाटें तो यह इस प्रकार के $5\frac{1}{2}$ करोड़ परिवारों में बाँटी जा सकती है, अर्थात् हमारी जनसंख्या के 27 करोड़ लोगों में। इस बंटवारे का क्या प्रभाव होगा? अगर उनके पास ज्यादा भूमि होगी तो किसानों की वास्तविक आय बढ़ जाएगी, उनकी क्रय क्षमता भी बढ़ेगी तथा गिरता हुआ आंतरिक बाजार भी फिर से उठ सकेगा तथा उसका विकास होगा तथा बाजार की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये और ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जायेंगी जिसके कारण ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा! यह भूमि सुधार की समस्या

का एकमात्र समाधान है। लेकिन वास्तव में यह नहीं किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्षों से हम सरकार के मुंह से यह सुन रहे हैं कि जमीन भूमिहीनों को दी जाए, लेकिन इस पर वास्तव में कितना अमल किया गया? गरीब के लिये केवल नाममात्र को किया गया है, कोई ठोस कार्य नहींकिया गया। अगर हम उपलब्ध फालतू जमीन के मुकाबले···भूमिहीनों को वह दी गई यह देखें, तो भूमि सुधारों के बारे में सरकार ने इस समय और पहले जो कुछ किया है वह बहुत ही निराशाजनक लगेगा।

महोदय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 1971-72 में उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि संभावित फालतू भूमि 2 अरब, 15 करोड़ 10 लाख एकड़ होगी। इसके पश्चात् केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय निर्देश तैयार किये गए तथा राज्य सरकारों को भेजे गए। राज्यों ने अपनी अधिकतम भूमि सीमा में संशोधन किया जिसके कारण यह आशा की गई कि और फालतू भूमि उपलब्ध होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 31 जुलाई 1977 तक अनुमानित अतिरिक्त भूमि 53 करोड़ 20 लाख एकड़ थी इसमें से अब तक 38 लाख एकड़ अतिरिक्त घोषित की गई है तथा 25 लाख एकड़ राज्य सरकार के अधिकार में है और केवल 17 लाख एकड़ भूमिहीनों में बाँटी गई है। इस से, राज्य सरकारों द्वारा संशोधित अधिकतम भूमि अधिनियमों का ठीक से लागू नहीं किया जाना प्रकट होता है। 1973 में जो तदुद्देशीय दल गठित किया गया था, उसने देश में भूमि सुधार लागू करने के लिये बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं। तदुद्देशीय दल ने यह सुझाव दिया कि भूमि सुधार को उचित रूप से लागू करने के लिये "सुदृढ़ राजनीतिक निर्णय, तथा प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण, समर्थन और निर्देश" आवश्यक हैं। तदुद्देशीय बल ने इस बात पर भी वल दिया कि इसके लिये "काश्तकारों और भूमिहीन मजदूरों के प्रयतमान संगठन होने चाहियें।

भूमि सुधार करने के लिये वास्तव में यह बहुत ही जरूरी है। सुदृढ़ राजनीतिक निर्णय की कमी तथा सरकार की संकल्पहीनता के कारण अधिकतम भूमि कानून लागू नहीं किये जा सके हैं तथा देश में कितनी अतिरिक्त भूमि है, आज तक सरकार द्वारा इसका सही अनुमान नहीं किया गया। दूसरी ओर, हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के नेतृत्व में भूमिसुधारों के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा यह सब सरकार द्वारा लिये गए सुदृढ़ निर्णयों, प्रभावी राजनीतिक समर्थन तथा काश्तकारों से सहयोग से संभव हुआ। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1980 में वास्तव में क्या किया। राज्य सरकारों को एक साल का विवरण यह बताने के लिये पर्याप्त है कि संकल्प एवं दृढ़तापूर्वक काम करने से प्रत्येक राज्य···, भूमिहीनों के लिये काफी कुछ किया जा सकता है तथा किसानों की हालत सुधारी जा सकती है। सरकार द्वारा अधिकार में ली गई फालतू भूमि 41,105 एकड़ थी तथा इसमें से कृषि योग्य भूमि 34,437 एकड़ थी। 1980 में वितरित की गई कुल भूमि 59,392 थी। 1,75,550 लोगों को बेकार भूमि पर पट्टा दिया। पंजीकृत वर्गदार की संख्या 2,16,869 थी। 37,323 लोगों को रहने योग्य भूमि दी गई। नएवर्गदारों और पट्टाधारियों, जिन्हें संस्थागत ऋण दिये गए की संख्या 71,054 थी।

शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि सीमा से अधिक फालतू भूमि प्राप्त करने के लिये

7,46,630 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिये नोटिस जारी किये गए तथा 31.12.80 तक न्यायालय के आदेश के कारण 1,79,207 एकड़ भूमि वितरित नहीं की जा सकी। पश्चिम बंगाल में ही नहीं बाकी लगभग सभी राज्यों में भी न्यायालय के आदेशों के कारण अतिरिक्त भूमि वितरित नहीं की गयी। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि भूमि सुधार संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में रख दिया जाए। उपरोक्त को लागू करने के लिये एक व्यापक संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिये मंत्री महोदय पहले ही वचनबद्ध हैं। पहले ही काफी देरी की जा चुकी है एवं मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे और ज्यादा देरी किये बिना इस प्रकार का विधेयक सदन में प्रस्तुत करें। महोदय, बहुधा यह कहा जाता है कि भूमि का विभाजन करने से कृषि उत्पादन में बाधा आती है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मैं आपको जापान का उदाहरण दूंगा। जापान में खेती योग्य भूमि का क्षेत्र 6000 वर्ग कि० मी० है। जापान में भूमि का वितरण इस प्रकार किया गया है।

भूमि परिवारों का	70 प्रतिशत	=	1 हेक्टर से कम
,, ,,	20 प्रतिशत	=	1-2 हेक्टर के बीच
,, ,,	10 प्रतिशत	=	2 हैक्टर और अधिक

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 1978 में धान का प्रति हेक्टर उत्पादन 6166 कि.ग्रा. था जबकि पंजाब में जो कि भारत की हरित क्रांति का प्रमुख स्थल है। प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन, जापान से आधा है। भारत में 1.2 हेक्टर भूमि पर किसान खेती कर सकता है जबकि जापान में यह क्षेत्र 0.4 हेक्टर तथा ताइवान में 0.6 हेक्टर है। इन देशों में इतनी छोटी जोत होने के बावजूद भूमि की उत्पादकता तथा कृषि श्रमिकों को मिला रोजगार, अचंभे की बात है। इससे सिद्ध होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि थोड़ी भूमि होगी तो उत्पादन भी कम होगा तथा यह ज्यादा उत्पादन में बाधक नहीं है। समस्या का मूल यह है कि भूमि किसान को दी जानी चाहिये तथा उसे कृषि के तरीके आधुनिक बनाने के लिये सभी सुविधाएं और अवसर दिये जायें। छोटी जोतों के मालिक सहकारी बनाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए सही प्रेरणा की जरूरत है तथा इसमें केन्द्रीय सरकार को काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। यह प्राप्त करने के लिये उन्हें समस्त वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियाँ वहन करनी होंगी।

महोदय, जब किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी कम्पनी का कर्मचारी अवकाश प्राप्त करता है तो उसे पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि जब माननीय मंत्री अथवा संसद सदस्य अवकाश प्राप्त करता है तो उन्हें पेंशन दी जाती है। लेकिन, हम उस गरीब किसान को क्या देते हैं जो···

क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने उन कृषकों के लिये एक पेन्शन योजना शुरू की है जो 60 वर्ष के हो गये हैं और कुछ काम नहीं कर सकते हैं तथा उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। ऐसे किसानों को 60 रुपये महीने पेन्शन मिलेगी है तथा यह योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है। यह वास्तव में एक अभूतपूर्व उदाहरण है और मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा

कि वह इस प्रकार की योजनाओं को जिनसे कृषकों को बुढापे के दिनों में सहारा मिलता है। शुरूआत करने के लिये अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये कार्यवाही करें।

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि हमारे किसानों पर भारी ऋण है। ऋण की वसूली करते समय उनका भारी शोषण किया जाता है। पश्चिम बंगाल के किसानों को ऋण के इस भार से अब कोई परेशानी न हो, इसलिये राज्य सरकार ने सभी सरकारी ऋणों से वहां के किसानों को मुक्त कर दिया है और ऋणों की यह राशि 40 करोड़ रुपये बैठती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल किसानों का ऋण ही माफ नहीं किया है बल्कि वहां की सरकार ने यह घोषणा भी की है कि यदि कोई किसान सहकारी बैंक या किसी अन्य संस्था का ऋण चुकाता है तो सरकार उसके ऋण पर लगने वाले ब्याज को चुकायेगी तथा ब्याज की राशि भी 10 से 12 करोड़ रुपये बैठती है। माननीय मन्त्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या सभी राज्यों के सम्पूर्ण किसानों को इस प्रकार की राहत देना सम्भव हो सकता है तथा केन्द्र सरकार को इस प्रकार के आर्थिक भार में हिस्सा बंटाना चाहिये। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और सराहनीय कदम यह उठाया है कि उसने भूमि पर लगने वाले लगान व राजस्व को माफ कर दिया जो सामन्ती तथा शोषणात्मक प्रकृति के थे।

पश्चिम बंगाल सरकार जिस नयी पद्धति को लागू करने जा रही है उसके अनुसार कृषि आय कर केवल बड़े-बडे जमींदारों पर ही कर लगाया जायेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करें कि अन्य सभी राज्यों में भी सीमान्त किसानों को इस प्रकार के सामन्ती लगान देने के कष्ट से किस प्रकार छुटकारा दिलाया जा सकता है। इस प्रकार जबकि पश्चिम बंगाल वामपंथी मोर्चा सरकार गरीबों, किसानों तथा भूमिहीनों की दशा सुधारने के लिये एक के बाद एक कदम उठा रही है सभी प्रतिक्रियावादी ताकतें, कांग्रेस (आई) जैसी राजनैतिक संस्थाएं कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रही हैं जिससे राज्य सरकार को परेशानी हो और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध गलत प्रचार कर रही है और राज्य सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में भी केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को कोई सहयोग नहीं दे रही है। यह इस बात से पता लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का यह कहना है कि उसने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनाज का हिसाब दे दिया है लेकिन केन्द्रीय सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकार ने इसका हिसाब नहीं दिया है।

श्रीमान् जब दो सरकारें किसी बात पर असहमत हों तो ऐसी स्थिति में मामले को किसी तीसरे व्यक्ति को भेजना उचित तथा ठीक होगा और इस सम्बन्ध में यदि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु के मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजने के सुझाव को स्वीकार कर लेती तो यह केन्द्र-राज्य सरकार का झगड़ा आसानी से समाप्त हो जाये और केन्द्रीय सरकार को यह साबित करने का मौका मिल जायेगा कि इस कथन में सच्चाई है लेकिन केन्द्रीय सरकार ऐसा न करके जानबूझकर राज्य में किसी न किसी प्रकार उपद्रव भड़काने की कोशिश कर रही है।

केन्द्रीय सरकार तथा कांग्रेस (आई) पश्चिम बंगाल की जनता को आतंकित करने की कोशिश कर रही है तथा वहां की जनता को खाद्यान्न तथा रोजगार देने से भी इन्कार कर रही है। पश्चिम बंगाल में आतंक का शासन इसलिये पैदा किया जा रहा है क्योंकि अन्य राज्यों के गरीब लोगों को इस बात की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिये क्या किया जा रहा है और वे अपने-अपने राज्यों में भी वैसा ही काम करने की मांग करते हैं। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की कर्मठ/निष्ठावान जनता को अत्याचारों से नहीं दबाया जा सकता है और केन्द्रीय सरकार की किसी भी प्रकार की कार्यवाही केवल विपरीत होगी और देश की सतायी हुई तथा शोषित जनता संगठित होकर इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध करेगी।

श्रीमान् इस सम्बन्ध में मुझे दो बातें और कहनी हैं। पश्चिम बंगाल में 24 परगना में काकद्वीप में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में एक परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी और इस परियोजना के लिये एक भवन का निर्माण करवाने के लिये कुछ धनराशि भी स्वीकृत की गयी थी और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना के लिये भूमि का आबंटन किया था। लेकिन जैसाकि यह एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक परियोजना है, इसकी अभी तक शुरूआत नहीं की गयी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस दिशा में कार्यवाही करें जिससे कि भवन का निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। श्रीमान् अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लाखों किसानों की एक समस्या है जिनकी कृषि भूमि फरक्का बांध के कारण चली गयी है और उन्हें इसके लिये मुआवजा नहीं दिया गया है, वे भिखारी जैसा जीवन बिता रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि इन सभी किसानों को उचित मुआवजा मिले जिनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण फरक्का परियोजना के अन्तर्गत किया गया है।

कटौती प्रस्ताव कृषि मंत्रालय

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण लेने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की उपेक्षा करके कुछ विशेष परिवारों के सरस्यों के निहित स्वार्थों को पूरा करने से सहकारी समितियां को रोकने में असफलता। (1)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और सचिवों के कार्यकाल को एक या दो बार तक सीमित रखने में असफलता। (2)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अन्तर्गत चलने वाली नकली सोसायटियों पर रोक लगाने में असफलता। (3)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

गत 15.20 वर्षों से केन्द्रीय सहकारी बैंक गिरिडीह बिहार पर द्वारा भ्रष्टाचारी कार्यों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में असफलता। (4)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाये।

छोटा नागपुर क्षेत्र के सभी खण्डों को लघु और सीमान्त किसान एजेन्सी के अन्तर्गत लाने में असफलता। (20)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को करके 100 रुपया किया जाये।

गिरिडीह, हजारीबाग, सन्थाल परगना, सिंहभूम, पलामू, और रांची की निर्धनता को दूर करने के लिए जमीन को समतल बनाने और कृषि योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता। (21)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाये।

राजस्व आय करने और लोगों को मछली के रूप में पोष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिये तिलैया, कोनार, पैंचेट और मैथान बांधों तथा अन्य संसाधनों में मत्स्य पालन उद्योग का विकास करने में असफलता। (22)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

देश की 33 प्रतिशत भूमि पर वन लगाने तथा उनकी सुरक्षा करने में असफलता। (68)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।

वनों को बर्बाद करके के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता। (69)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वन विभाग के अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिये प्रखंड स्तर पर वन विभाग के प्रमुखों विधायकों तथा संसद सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाने में असफलता। (70)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उस भूमि को, जिस पर हरिजन आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों के लोग कार्य करते हो, वन सीमा से मुक्त घोषित करने में असफलता। (71)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के शेरों जैसे जंगली जानवर के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने में असफलता। (72)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वनों के अरहर और सूरजमुखी की फसल लगाने के लिये वन विभाग को कहने की आवश्यकता। (73)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

वन विभाग द्वारा सूरजमुखी की खेती करने और वन क्षेत्र, विशेषकर बिहार के वन क्षेत्र में मधुमक्खी पालन में असफलता। (268)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

गिरीडीह और हजारीबाग जिले में हरिजनों और आदिवासियों की कृषि भूमि को वनों की सीमाओं से बाहर घोषित करने में असफलता। (269)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

भारतीय खाद्य निगम के उन अधिकारियों को जो बिहार में करोड़ों रुपये केमूल्य के गेहूं तथा अन्य अनाज को नष्ट करने के दोषी हैं, दंडित करने में असफलता। (270)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

भारतीय खाद्य निगम के उन नैमित्तिक श्रमिकों को, जो 5 से 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, नियमित करने में असफलता। (271)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

वर्षा ऋतु गेहूं को खुले वैगनों में ले जाने, जिससे वह खराब हो जाता है, को रोकने की आवश्यकता। (272)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राष्ट्रीय वन, हजारीबाग के पत्तों का उपयोग करके कोडरमा और ईचक में हरी खाद तैयार करने के कारखाने लगाने में असफलता। (273)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा घटिया बीजों के लिये ऊंची दरें नियतकर असंगठित किसानों के शोषण को समाप्त करने में असफलता। (274)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को कम्पोस्ट, हरी खाद तथा गोबर गैस बनाने के [illegible] की आवश्यकता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मशीनों द्वारा खेती करने के लिये कृषि उपकरणों की [illegible] की आवश्यकता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कदाचार रोकने में असफलता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की पदोन्नति के मामले में [illegible] की आवश्यकता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि उत्पादों को सीधे किसानों से उचित मूल्यों पर खरीदने और कृषि [illegible] के माध्यम से उन्हें औद्योगिक नजरों में भेजने के लिये व्यवस्था करने में असफलता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने में असफलता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

छोटे और सीमान्त किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवायें कृषि उपकरण तथा बैल उपलब्ध कराने में असफलता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि उत्पादों के मूल्य औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के समान निर्धारित करने में असफलता। [illegible]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारत के प्रत्येक भाग से अवैध सूदखोरी को समाप्त करने में असफलता। [illegible]

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार के मधुबनी जिले में जामनगर में भाण्डागर निगम का गोदाम रखने की आवश्यकता। (6)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में संतुलन स्थापित करने में असफलता । (7)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

देश में खुद काश्तकारी पद्धति की स्थापना करने में असफलता । (8)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

गैर कानूनी सूदखोरी को समाप्त करने के लिये ऋण समाप्ति करने वाले और अन्य कानूनों को लागू करने में असफलता । (9)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें ।

बिहार के जिलों में मुर्गी पालन तथा सुअर पालन के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । (53)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें ।

बिहार के मधुबनी, दरभंगा और अन्य जिलों में बकरी, गाय तथा भैंस पर आधारित दुग्ध उत्पादन केन्द्रों के विकास के लिए बिहार राज्य को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । (54)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें ।

दरभंगा तथा बिहार के अन्य जिलों को उत्तम नस्ल के सांड तथा भैंसों को पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने की आवश्यकता । (55)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें ।

मधुबनी, दरभंगा तथा बिहार के अन्य जिलों में बेरोजगार युवकों की मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, जैसे स्वनियोजन रोजगारों में प्रशिक्षित करने तथा सहायता देने की आवश्वकता । (56)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें ।

मधुवनी, दरभंगा तथा बिहार के अन्य जिलों में सीमांत किसानों तथा कृषक मजदूरों को, मुर्गी, सुअर पालन तथा दुग्ध उत्पादन का प्रशिक्षण देने तथा सहायता देने की आवश्यकता । (57)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें ।

मधुवनी, दरभंगा तथा बिहार के अन्य जिलों में पशु चारा उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (58)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें।

उत्तरी बिहार में आधुनिक तरीके से दुग्ध उत्पादन का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता करने की आवश्यकता। (59)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें।

उत्तरी बिहार में आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता। (60)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें।

दक्षिणी बिहार में वन सम्पदा का गहन विकास करने और इसकी बर्बादी रोकने की आवश्यकता। (74)

कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।

पूरे देश में सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिये अलग सहकारी समितियां गठित करने में असफलता। (78)

कि खाद्य विभाग के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।

उपभोक्ता मूल्यों तथा वसूली मूल्यों के बीच अन्तर को 15 प्रतिशत करके तथा खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथों में लेकर किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया करने में असफलता। (82)

कि खाद्य विभाग के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।

चीनी उद्योत का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (83)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

दालों तथा सेमों की खेती का बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक रीति से विकास करने में असफलता। (86)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अच्छी किस्म के और अधिक उपज देने वाले फसलें उगाने के तरीकों का पता लगाने के लिये और अधिक अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करने में असफलता। (23)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों द्वारा देशी खाद अर्थात जानवरों के गोबर का खाद और हरे खाद का उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (24)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खेतों के बड़ी मात्रा में छोटा होने को रोकने में असफलता। (25)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को डेरी फार्म और मुर्गीपालन फार्म चलाने के लिये सहायता देकर उन्हें मिश्रित कृषि के लिये प्रोत्साहित करने में असफलता। (26)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिये कम लागत पर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करने के नियोजित कार्यक्रम बनाने और उसकी जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने में असफलता। (27)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्पादकों को खाद, उपकरण और बैल रियायती मूल्य पर देने तथा विपणन की सुविधायें देकर कृषि को वैज्ञानिक प्रोत्साहन देने में असफलता। (28)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि को एक उद्योग का रूप देने में असफलता। (29)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सामान्य बीमा के द्वारा व्यापक मात्रा में कृषि बीमा लागू करने में असफलता। (30)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

सहकारी कृषि को व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में असफलता। (31)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

किसानों को जानवरों का चारा, खाद और बीज सस्ते मूल्य पर सप्लाई करने पर असफलता। (32)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

जानवरों की मृत्यु को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा देने में असफलता। (33)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिये उन्हें अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने हेतु उचित विपणन सुविधायें देने में असफलता। (34)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

किसानों को बाजार भाव अथवा सरकारी भाव, जो भी अधिक हो, देने में असफलता। (35)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सहकारी तरीके अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस को लोकप्रिय बनाने में असफलता। (36)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को संरक्षण प्रदान करने के लिये सब्जियों का उत्पादन और बिक्री पर नजर रखने में असफलता। (37)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्पादकों को सहायता देने के लिये रुई उत्पादन और रुई बिक्री के लिए अच्छे संगठनों की स्थापना करने की आवश्यकता। (38)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी कृषि उत्पादों के उत्पादन और वितरण के लिये राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच बेहतर तालमेल रखने की आवश्यकता। (39)

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को सुधरी किस्म के बीज सप्लाई करने में राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य फार्म निगमों की असफलता। (40)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सफेद कीड़े को रोकने के लिये उपाय करने में असफलता। (41)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राजस्थान की सी० ए० एन० खाद तथा अमोनिया सल्फेट खाद की मांग को पूरा करने में असफलता। (42)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

रेपशिड और सरसों की पाले को सहन करने वाली किस्मों का विकाम करने में असफलता। (43)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बैलों से चलने वाले उपकरणों, विशेषकर बीज और खाद ड्रिल का निर्माण कर, उपलब्ध कराने में कृषि उद्योगों की असफलता। (44)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।

देश के प्रमुख गुवार उत्पादक राज्य राजस्थान को आई० सी० 9065 (सोना) और आई०सी० 11521 गुवार का बीज उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय बीज निगम की असफलता। (45)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

जलवायु के खतरों और कृषि के कुओं को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण उत्पादन में हुई हानि के विरुद्ध फसल बीमा योजना लागू करने में असफलता। (46)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपये किये जायें।

भारतीय दुग्ध निगम, राज्य दुग्ध विकास निगम तथा अन्य दुग्ध स्कीमों द्वारा गाय के दूध की खरीद एस० एन० एफ० के आधार पर करने की आवश्यकता न कि "फैट" प्रतिशत के आधार पर। (62)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारतीय गायों के महत्वपूर्ण नस्लों का पशुप्रजनन कार्यक्रम की उपेक्षा। (63)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने और मुख्य शीर्षक "510" के अन्तर्गत गोहत्या निगम को सहायता समाप्त करने में असफलता। (64)

कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

देश में विभिन्न दुग्ध स्कीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से दूध लाने की एक योजनाबद्ध स्कीम बनाने की आवश्यकता। (65)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वनों में मधुमखी के छत्ते को बर्बाद करके मधु निकालने की पुरानी प्रणाली के स्थान पर वैज्ञानिक रीति से शहद इकट्ठा करने तथा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधु वाटिका बनाने में असफलता। (75)

कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि स्नातकों के स्वनियोजन के लिए पनीर, मक्खन, चटनी तथा खेती पर आधारित अन्य उपसंगी उद्योगों में छोटी अवधि प्रशिक्षण के लिये केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (88)

श्री जैनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करने में असफलता। (109)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमि और जल संसाधनों को कृषि कार्यों में अधिकतम उपयोग करने में असफलता। (110)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल और प्राकृतिक संसाधनों में उचित सहयोग स्थापित करने में असफलता। (111)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समानता स्थापित करने में असफलता। (112)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

देश भर में सभी प्रमुख फसलों के लिए फसल बीमा योजना लागू करने में असफलता। (113)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

भयंकर गरीबी की दृष्टि से भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों को सरकारी ऋण के भुगतान से मुक्त करने में असफलता। (114)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रति व्यक्ति खाद्यानों की उपलब्धता को बढ़ाने में असफलता। (115)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके समान मूल्य लागू करने में असफलता। (116)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के स्तर से नीचे रह रहे लोगों को वाजिब दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असफलता। (117)

कि कृषि अनुसंधाम और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

केन्द्रीय सरकार द्वारा काफी समय पहले स्वीकृति प्रदान किये जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में 24 परगना के काकद्वीप स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र' के निर्माण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रगति करने में असफलता। (118)

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिये और निर्धन किसानों को ऋण दिलाने के लिये सहकारी समितियां स्थापित करने में असफलता। (119)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मछलपुर या सारंगपुर में भाण्डागार निगम और भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बनाने की आवश्यकता। (120)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

कृषि और औद्योगिक उत्पादों के बीच मूल्यों में समानता लाने में असफलता। (121)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

राष्ट्रीय बीज निगम में कदाचार रोकने की आवश्यकता। (122)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में किसानों को उचित मार्ग निर्देश करने की आवश्यकता ताकि फसलों को कीटाणुओं से बचाया जा सके। (123)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में कृषकों के हितों की रक्षा के लिये कृषि मूल्य आयोग की असफलता। (124)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुणा और विदिशा जिलों में कृषि कालिज स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता। (125)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के सिरोंजी क्षेत्र के सभी ब्लाकों को छोटे और सीमान्त किसान एजेंसी के अन्तर्गत लाने में असफलता। (126)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में भूमि को समान बनाने और उसे कृषि योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता। (127)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को कम्पोस्ट गोबर तथा हरी पत्तियों की खाद प्रयोग में लाने के लिये प्रेरित करने की आवश्यकता। (128)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

निर्धन किसानों को खाद, उपकरण और बैल सस्ती दरों पर देने और विपणन की सुविधाएं देने में असफलता। (129)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसल बीमा लागू करने में असफलता। (130)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को चारा, उर्वरक और बीज रियायती दरों पर सप्लाई करने में असफलता। (131)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पशु धन की हानि को रोकने के लिये मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सम्बंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता। (132)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को अपने उत्पादों का लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये उचित विपणन सुविधा की व्यवस्था करने ताकि उन्हें बिचौलिये के शोषण से बचाया जा सके, में असफलता। (133)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कपास उत्पादकों विशेषकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, को सहायता पहुंचाने के लिए बेहतर संस्था की आवश्यकता। (134)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी रूप से मत्स्य पालन का विकास करने में असफलता। (135)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में लोगों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी और विपणन की सुविधाएं देकर मछली पालन के लिए पूर्ण सहायता देने में असफलता। (136)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के गांवों में तालाबों, नदियों और जलबान्ध क्षेत्रों में आधुनिक ढंग से बड़े पैमाने पर मछली पालन कार्य के विकास की आवश्यकता। (137)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के जिलों में मुर्गी पालन और सुअर पालन के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के की आवश्यकता। (138)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में बकरी, गाय और भैंसों की बढ़िया नस्ल तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (139)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुणा और विदिशा जिलों में बढ़िया नस्ल के बैल और भैंस पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने की आवश्यकता। (140)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुणा और विदिशा जिलों में मुर्गी, सुअर और बकरी पालन के जरिए नौजवानों को स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता देने की आवश्यकता। (141)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुणा और विदिशा जिलों में आधुनिक ढंग से और सहकारी आधार पर डेरी विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (142)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन मिल्क-फल्ड-II कार्यक्रम की धीमी प्राप्ति। (143)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में वनों और वृक्षों के काटे जाने को रोकने में असफलता। (144)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में वन रोपण योजनाओं को तेजी से लागू करने में असफलता। (145)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में वन सम्पदा का विकास करने और उसके विनाश को रोकने में असफलता। (146)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में मधुमक्खी पालन को लोकप्रिय बनाने और प्रोत्साहन देने में असफलता। (147)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खाद्य विभाग के कार्यकरण में सुधार करने और कदाचार रोकने की आवश्यकता। (148)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारतीय खाद्य निगम में अनाजों की खरीद भण्डार बनाने, यातायात और उनके विक्रय में कदाचार रोकने की आवश्यकता। (149)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारतीय खाद्य निगम के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता जो कदाचार में लिप्त हैं। (150)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

त्रूटिपूर्ण भण्डारण के कारण खाद्य गोदामों में बड़े पैमाने पर होने वाली हानि तथा नुकसान को रोकने में असफलता। (151)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में दालों तथा सेमों का बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक रीति से खेती का विकास करने की आवश्यकता। (152)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पनीर, मक्खन, चटनी तथा अन्य उपसंगी वस्तुओं जैसे कृषि उद्योगों में कृषि स्नातकों के स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (153)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपये किया जाये।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रद्दी किस्म के खाद्यान्न सप्लाई करने की आदत को रोकने में असफलता। (154)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

गन्ना उपजाने वाले किसानों को ईख का मूल्य तीस रुपये प्रति क्विंटल देने में असफलता। (155)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने में असफलता। (156)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

अधिक अन्न उपजाने के लिये समुचित सिंचाई, सस्ता बीज सप्लाई करने में असफलता। (157)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

किसानों को समर्थन मूल्य तक दिलवाने में असफलता। (158)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

किसानों के असंतोष दूर करने में असफलता। (159)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असफलता। (160)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

बिहार में गेहूं के कोटे में भारी कमी। (161)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

चीनी के मूल्यों में कमी करने में असफलता। (162)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

चीनी के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने में असफलता। (163)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य की सप्लाई करने में असफलता। (164)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

खाद्यों की एजेंसियाँ देने में कदाचार का बोलबाला। (165)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

अधिक खाद्यान्न उपजाने के लिये किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असफलता। (166)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार सरकार को प्रत्येक माह में पर्याप्त गेहूं नहीं देना। (167)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खाद्यान्न के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता। (168)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पटना (बिहार) जिले के दानापुर, मनेर, बख्तियारपुर आदि प्रखण्डों के दियारा क्षेत्र में बसे ग्रामों को गंगा नदी के कटाव से बचाने में असफलता। (169)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड के जीवराखन टोला ग्राम की गंगा नदी के कटाव से रक्षा करने में विफलता। (170)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

नदियों के कटाव से ग्रामों की रक्षा करने में असफलता। (171)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

पटना में माडर्न ब्रेड का कारखाना बनाने की आवश्यकता। (172)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी करने में विफलता। (173)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खाद्यान्नों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने में असफलता। (174)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

दिल्ली में माडर्न ब्रेड के मूल्य में वृद्धि करने की मांग को अस्वीकार करने की आवश्यकता। (175)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राज्यों को आम, लीची, केला आदि फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अधिक सहायता देने की आवश्यकता। (176)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों के हितों की रक्षा करने में विफलता। (177)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वनों पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों की रक्षा करने में विफलता। (178)

कि कृषि श्रौर सहकारिता विभाग शीर्षक के श्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वनों में लकड़ी लाने के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने में विफलता। (179)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आदिवासियों की जमीन को उन्हें कर्ज देने वालों के चंगुल से रक्षा करने में विफलता। (180)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आदिवासियों से ली गई जमीन का उचित मुआवजा देने में विफलता। (181)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को गेहूं का दाम प्रति क्विंटल 150 रुपये देने में विफलता। (182)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को बिचौलियों की लूट से बचाने में असफलता। (183)

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खाद्यान्न का राज्य व्यापार घोषित करने में विफलता। (184)

श्री सत्यनारायण जटिया : (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बड़े पैमाने पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता। (236)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खेतों में किसान प्रशिक्षण स्कीम शुरू करने की आवश्यकता। (237)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि के विकास के लिये अनुसूचित जातियों के किसानों को और अनुदान तथा सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (238)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

विकास के लिए सीमांत किसानों को अनुदान तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (239)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सब्जी उगाने के लिए छोटे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुदान देने की आवश्यकता। (240)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अध्ययन दौरे में छोटे किसानों को शामिल करने की आवश्यकता। (241)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (242)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता। (243)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

बीज तथा ऋण देने में छोटे तथा सीमांत किसानों को वरीयता देने की आवश्यकता। (244)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

राज्य फार्म निगमों को और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (245)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

फार्म तथा कृषि मजदूरों के लिए एक मजदूरी नीति बनाने की आवश्यकता। (246)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि मजदूरों को फार्म पर ही आवास की व्यवस्था करने के लिए अनुदान देने की आवश्यकता। (247)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि मजदूरों के मंहगाई भत्ते को मूल्य सूचकांक के जोड़ने की आवश्यकता। (248)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि मजदूरों की युनिफार्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (249)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

तीति परिक्षण प्रयोगशालाएं प्रत्येक जिला केन्द्र पर प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता। (250)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

चलित मिट्टी परीक्षणशालाओं के माध्यम से गांवों तक मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (251)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उज्जैन (मध्य प्रदेश) में ज्वार अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता (252)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

खरगोन (मध्य प्रदेश) में कपास अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (253)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि उपजों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिये स्थायी उपाय किये जाने की आवश्यकता। (254)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि उपजों की बीमा योजना को व्यापक रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता। (255)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लघु कृषकों को विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता। (256)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि वाणिज्यिक फसलों की पुरस्कार योजना विकास खण्ड स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता। (257)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सीमान्त कृषकों के लिये पुरस्कार योजना आयोजित को जाने की आवश्यकता। (258)

कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (259)

कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पशुपालन और पशु संरक्षण का गांवों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता। (260)

कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सरकार द्वारा चरागाहों का विकास और विस्तार करने की आवश्यकता। (261)

कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उन्नत किस्म के चारे की फसलों को उगाने के लिये कृषकों को जानकारी देने की आवश्यकता। (262)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वन संरक्षण और विकास के कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता। (263)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि जोत के आधार पर कृषकों के बीच वनिकी कार्यक्रम का निर्धारण करने की आवश्यकता। (264)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वन उपजों की खरीद के लिये वनवासी सहकारी संस्थाओं का गठन किये जाने की आवश्यकता। (265)

कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वाणिज्यिक आधार पर वनों का विकास किये जाने की आवश्यकता। (266)

कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

क्षेत्रीय प्राकृतिक संतुलन के लिये आवश्यक वनिकी को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता। (267)

कटौती प्रस्ताव ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

भूमि हदबन्दी कानून, ऋण माफी योजना तथा अन्य सुधारों को कड़ाई से लागू करके जोतदारों को भूमि दिलवाकर स्वयं खेती करने की नीति का कार्यान्वयन करने में असफलता। (1)

श्री टी० आर० शमन्ना (दक्षिण बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पिछले अनुभवों के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए पंचायती राज्य के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता। (3)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रौढ़ शिक्षा को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सफल बनाने में असफलता। (5)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण बेरोजगारी समस्या का समाधान करने में असफलता। (6)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने तथा रोजी रोटी के लिये ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों की ओर भागने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु संगठित तरीके से ग्राम्य तथा कुटीर उद्योग का विकास करने में असफलता। (7)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये व्यवहारिक भूमि सुधार लागू करने में असफलता। (8)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा की व्यवस्था करने में असफलता। (9)

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान करने में असफलता। (15)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बुनियादी भूमि सुधारों को लागू करने के लिये राष्ट्रीय नीति का निर्माण करने और उसे लागू करने में असफलता। (16)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कास्तकारों और बटाईदारों में भूमि के वितरण और सुरक्षा के लिये फालतू भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता। (17)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमि के कुछ हाथों में सीमित होने को रोकने में असफलता, जिसके कारण राष्ट्रीय हित और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। (18)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमिहीन कृषि मजदूरों और गरीब किसानों को भूमि देने के लिये राष्ट्रीय नीति का निर्माण कर उसे लागू करने में असफलता। (19)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान करने में असफलता। (20)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अधिकतम सीमा से बची भूमि के एलाटियों को कृषि उत्पादन में सहायता देने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का विस्तार कर उन्हें बड़े क्षेत्र में लागू करने में असफलता। (21)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

छोटे और सीमान्त किसानों को कम मूल्य पर जबरन बिक्री करने से संरक्षण प्रदान करने के लिये उन्हें विपणन की बेहतर सुविधायें देने और गारन्टी देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डागार का निर्माण करने की योजना लागू करने और उसका विस्तार करने में असफलता। (22)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को ऋण सुविधाओं का विस्तार करने में असफलता। (23)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में फसल बीमा योजना का विस्तार करने की आवश्यकता। (24)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मूल भूमि सुधारों को लागू करने और अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को भूमिहीन मजदूरों में बांटने में असफलता। (31)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई में असफलता। (32)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गांवों और छोटे उद्योगों का विस्तार करके वैकल्पिक रोजगार सुविधाएं पैदा करके भूमि पर मनुष्य की निर्भरता कम करने में असफलता। (33)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

निर्धन और असहाय किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये पेंशन स्कीम लागू करने में असफलता। (34)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

देश भर में सन्तुलित कृषि विकास सुनिश्चित करने में असफलता। (35)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमिहीन मजदूरों छोटे और सीमान्त किसानों के तेजी से बढ़ रहे ऋणों के बोझ को रोकने में असफलता। (36)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और बेरोजगारों लोगों की बढ़ रही संख्या को रोकने में असफलता। (37)

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

मध्य प्रदेश में राजगढ़, गुना और विदिशा के सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई करने में असफलता। (25)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पिछले अनुभव तथा वर्तमान ग्रामीण आवश्यकताओं के आधार पर पंचायती राज की समीक्षा करने की आवश्यकता। (29)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण बेरोजगारी समस्या का समाधान करने में असफलता। (30)

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण, कुटीर और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करने में असफलता। (26)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

देश में सभी प्रखंडों में सामान्य रूप से और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं का प्रसार और विस्तार करने के लिए धन का उपलब्ध करने में असफलता। (27)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम बंगाल में "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अधीन अनाज के नियतन और निकासी के सम्बन्ध में वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण और पक्षपातरहित नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में असफलता। (28)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

जिला परिषदों और पंचायतों को विकास कार्यों के संचालन का पूरा अधिकार देने में असफलता। (38)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

ग्रामों के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम को पक्की सड़कों से जोड़ने में असफलता। (39)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

भूमिपतियों द्वारा हदबन्दी कानूनों से बचने के उद्देश्य से अधिक जमीनों की फर्जी बन्दोबस्ती बन्द करने में असफलता। (40)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

भूमिपतियों के जुल्मों से किसानों और खेत मजदूरों की रक्षा करने में असफलता। (41)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

भूमि-हदबन्दी कानूनों के बाद हासिल की गयी फाजिल जमीन का खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों में निःशुल्क बंटवारा करने में असफलता। (42)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

बटाईदारों के हकों की हिफाजत करने में असफलता। (43)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

आम किसानों की गरीबी दूर करने में असफलता। (44)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

भूमि-सुधार कानूनों को लागू करने में असफलता। (45)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

जिला परिषदों के लिए सरकार द्वारा सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता। (57)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

जिला परिषदों को जिले के विकास कार्यों का संचालन करने का अधिकार देने की आवश्यकता। (58)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

जिला परिषदों को पर्याप्त धन दिलाने की आवश्यकता। (59)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पंचायतों को अधिकार और धनराशि देने की आवश्यकता। (60)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमि सुधार कानूनों के संरक्षण की आवश्यकता। (61)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार में जिला पंचायत समितियों तथा प्रखड समितियों को पूर्ण स्वायत्तता देने में असफलता। (62)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

'काम के बदले अनाज' स्कीम के अन्तर्गत अशिक्षित मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करने में ढिलाई। (63)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

1000 से 1500 की जनसंख्या वाले गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने में असफलता। (64)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार के गिरिडीह, हजारी बाग, सन्थाल परगना, पलामूं, सिंहभूमि तथा रांची जिले के सभी प्रखण्डों को एस० एफ० डी० ए० के अन्तर्गत लाने में असफलता। (65)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायतों में खाद्यान्नों को रखने के लिये भाण्डागार बनाने में असफलता। (66)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ने में असफलता। (67)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण विकास कार्य के लिये ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देने में असफलता। (68)

कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में ढिलाई। (69)

सभापति महोदय : श्री एम. एम. ए. खां, क्या आप तैयार हैं ?

श्री मलिक एम. एम. ए. खां (एटा) : आप कैसे जानते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय : क्षमा चाहता हूं।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : आपने यह से कहा कि मैं तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय : जब मैंने आपका नाम पुकारा था तब आप आश्चर्यचकित से राह गये।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मुझे आशा नहीं थी कि वह इतनी शीघ्र अपना भाषण समाप्त कर लेंगे।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : चेयरमैन साहब, सबसे पहले में माननीय मन्त्री महोदय की सरकार को, आपके द्वारा मुबारकबाद दूंगा और खासतौर से श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार को, जिसने इस मुल्क को अमेरिका के गेहूं से बचाया। हमें याद है कि अमेरिका से इम्पोर्ट किये हुए गेहूं पर इस मुल्क में रहने वालों की जिन्दगी का दारोमदार था।

सभापति महोदय : ज्वार—अमरीका की ज्वार भी सप्लाई की जाती है।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : क्या ?

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि अमरीका की ज्वार भी सप्लाई की गई है।

सभापति महोदय : ज्वार।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : मैं तो व्हीट खाता हूं, इसलिये मुझे व्हीट की फिक्र है। जो ज्वार खाते हैं, उन्हें ज्वार की फिक्र है।

सभापति महोदय : हम तो ज्वार खाते हैं।

मलिक एम. एम. ए. खां : जहां तक इस ग्रीन रेवोलूशन का सवाल है, हरित क्रान्ति का सवाल है, सही बात तो यह है कि इसका क्रेडिट श्रीमतो इन्दरा गांधी की सरकार को जाता है, जिसने हमें इस काबिल किया है।

श्री मनोहर लाल सैनी (कुरुक्षेत्र) : किसानों को जाता है।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : मेरे ख्याल में जो लोग किसान नहीं हैं, वे किसान बनने की कोशिश करते हैं। इससे मसला हल होने वाला नहीं है। किसान की बात तो किसान ही ज्यादा अच्छी कह सकता है। क्या यह क्रेडिट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को नहीं जाएगा, अगर समझने की कोशिश करें, कि जब एक बीघा में एक मन और डेढ़ मन गेहूं होता था, तो आपको याद होगा, चेयारमैन साहब, लोग खेतों को देखने जाते थे और आज अगर एक बीघा में 10 मन गेहूं भी पैदा होता है, तो कोई देखने नहीं जाता है ? क्या यह क्रेडिट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और उसके दूसरे डिपार्टमेंट्स को नहीं देंगे ? क्या उस वक्त किसान मेहनत नहीं करता था ? किसान उस वक्त भी मेहनत करता था जब एक बीघा में एक मन और डेढ़ मन गेहूं पैदा होता था और किसान आज

भी मेहनत करता है जबकि एक बीघा में 10 मन गेहूं पैदा किया जाता है। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह क्रेडिट किसान को ही जाता है क्योंकि 33 साल तक उसके बीवी-बच्चों ने न दिन देखा और न रात, न जाड़ा न गर्मी और वे सब खेतों में मेहनत करते रहे। यह दूसरी बात है कि आज कुछ दूसरे लोग अपना मतलब निकालने के लिए कहीं मजदूरों को एक्सप्लायट कर रहे हैं, हड़तालें करवा कर और इस तरह से प्रोडक्सन में नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं दफ्तरों में सरकारी नौकरों को बहका कर, बाबुओं को बहका कर, सरकारी काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं मगर यह किसान ही है, जिसने मुड़ कर नहीं देखा और दिन-रात मेहनत करने के बाद चाहे आबादी तीन गुना हो गई हो और चाहें दूसरे हालात बिगड़े हों, मगर उसने गल्ला पैदा किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मदद से, उसके रिसर्च डिपार्टमेंट की मदद से, जिन्होंने उन्नतशील बीज पैदा किया, जिन्होंने फर्टिलाइजर दिया और जिन्होंने गांव-गांव में ब्लाक डेवलपमेंट के दफ्तर खोल कर खेती करने के नये-नये तरीके बताए जिससे कि पैदावार बढ़ी और आज आबादी तिगुनी हो जाने के बाद भी हमारे मुल्क में गल्ला है और हमारा पेट भरा जा सकता है। एक ड्राट गुजर गया, वह भी हमारे ऊपर असरन्दाज नहीं हो सका।

मुझे याद है कि बंगाल में जब 16 सेर का गेहूं बिका था तो लोग भूख से मर गये थे मगर जब 14 छटाक का आटा बिकने की बात है तब भी कोई व्यक्ति नहीं मरता ! मान्यवर, हम इसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तारीफ करेंगे कि उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश से हमें ऐसे बीज दिए, फर्टिलाइजर दिये, वह तरकीबें दीं जिनसे कि गेहूं की पैदावार, चावल की पैदावार, दालों की पैदावार बढ़ी।

बावजूद इसके, में मंत्री महोदय को कहूंगा कि काफी अच्छी बारिस हुई है लेकिन अगर हम देखें तो मालूम होगा कि तमिलनाडु, रायलसीमा; आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान में खरीफ में बारिस की बहुत बड़ी कमी रही और रबी में वेस्टर्न राजस्थान, इस्टर्न राजस्थान, विदर्भ, रायलसीमा, केरल सौराष्ट्र और साउथ केरल में-अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो-सूखे की स्थिति पैदा हो गई। मगर इसके बावजूद भी खरीफ में 79 मिलियन टन की पैदावार हुई और रबी में हम 54 मिलियन टन की पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम 133 मिलियन टन रिकार्ड क्राप की उम्मीद कर रहे हैं और इन कमियों और ड्राट्स के बावजूद कर रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि इनटेन्सिव एग्रीकल्चर करके और क्राप एरिया बढ़ाकर के यह हम कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की है जिसकी बजह से हमारे यहाँ इतनी क्राप हो रही है। मैं इसके लिये अपने कृषि मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा।

मान्यवर मैंने एक अजीब चीज देखी है। मुझे याद है कि 1979-80 में शुगरकेन की पैदावार 128 मिलियन टन हुई थी। उस समय इसका बड़ा शोर था और उस समय के मिनिस्टरों से जब कहा गया कि हम गन्ना कहाँ ले जाएं तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर फोड़ दो। में आपको याद दिलाता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएंसी में साढ़े तीन रुपये क्विंटल गन्ना भट्टों में जलाया गया था। उस समय भी वही सारी की सारी फैक्ट्रियाँ थीं जो इस समय मौजूद हैं। इन सारी फैक्ट्रियों के मौजूद होने के बावजूद 128 मिलियन टन गन्ने को वे हेंडिल नहीं कर सके। किसान ने उस समय

खेतों में जो गन्ना जलाया वह अलहिदा है, खड़े खेतों में आग लगाकर जलाया था, लेकिन साढ़े तीन रुपये क्विटल से भट्टों में गन्ना जला। आज 154 मिलियन टन गन्ना पैदा होने के बाद भी हमने किसान को 26 रुपये क्विंटल कीमत दी। यकीनन इसके लिये मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूं।

उस वक्त आलू की क्या पोजिशन हुई ? आलू सड़कों पर कोल्ड स्टोरेज के सामने पड़ा सड़ता रहा। मेरे ख्याल से उस वक्त लाखों मन आलू सड़ गया होगा। मेरा एटा एरिया, फर्रुखाबाद जिला आलू के लिए मशहूर है। मैंने खुद देखा कि बोरे के बोरे आलू कोल्ड स्टोरेज के सामने पड़ा-पड़ा सड़ गया। आज हमारी सरकार को क्रेडिट है कि आलू की काफी पैदावार होने के बावजूद किसान को आलू की सही कीमत दी गई है और एक भी बोरा आलू हमको कहीं पर भी बाहर पड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया।

गल्ले के सिलसिले में मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि हमेशा सरकार गल्ले के सिलसिले में सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती रही है।

मगर गन्ने की मिनिमम प्राइज सरकार ने 13 रुपये मुकर्रर की तो मिलों ने 13 रुपए से लेकर 25 और 26 रुपये तक गन्ना खरीदा। कुछ हफ्तों में 13 रुपये खरीदा, कुछ हफ्तों में 15रु. कुछ में 17, 18, 23, और 24 रुपये के भाव से खरीदा। शुगर की कीमत किस हिसाब से लगाई गई है, यह बात मैं मंत्री महोदय के जबाव में जानना चाहूंगा। मेरी राय यह थी कि जितने दिन 13 रुपये खरीदा गया था, उतनी 13 रुपए के हिसाब से कीमत लगती, जितने दिन 15 रुपए खरीदा गया उतने दिन 15 रु० के हिसाब से लगती, जितने दिन 25 रु० खरीदा गया, उतने दिन 25 रु० के हिसाब से लगती और उसके बाद एवरेज लगाई जाती। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार जो 60 फीसदी लेबी लेती हैं, मिल वालों से वो तकरीबन 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेती है, क्योंकि साढ़े तीन रुपए प्रति किलो उचित मूल्य की दुकानों पर मिलती है।

राव वीरेन्द्र सिंह : 2.85 रुपए प्रति किलो।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : हां, 2.85 के हिसाब से आप लेते हैं और बाकी जो 40 फीसदी शुगर है वह 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है, एवरेज लगाएं सारी शुगर का तो साढ़े चार रुपये से लेकर 5 रुपये किलो पड़ता है। 60 फीसदी आप लेते हैं 2.85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और बाकी का 40% ओपन मार्केट में 8 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, इनका एवरेज लगायें तो साढ़े चार रुपये—5 रुपये किलो पड़ता है। आप जो 2.85 रुपए के हिसाब से लेते हैं, वह मेरे ख्याल से आप कास्टप्राइज पर लेते हैं, जो कास्टप्राइज आपने तय किया है, उस पर आप लेते हैं और इसीलिये शेष 40 प्रतिशत पर छूट दी जाती है कि कुछ मुनाफा वे कमा लें, लेकिन वे जो मुनाफा कमा रहे हैं वह डयोढ़े से भी ज्यादा कमा रहे हैं। आप अपनी मिनिस्ट्री में हिसाब लगा लें, लेकिन मैंने जहां तक कैल्कूलेशन की है, 40% जो 8 रुपये किलो बिकती है, अगर पूरे प्रोडक्शन पर आप इनको फैला दें तो साढ़े चार रुपये से 5 रुपये किलो तक इसकी कास्ट आती है, मेरे ख्याल से यह मुनाफा आप अधिक दे रहे हैं

मिल ओनर्स को । मेरी दरख्वास्त है, इसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जह फर्माएं, कंज्यूमर्स को फायदा होना चाहिए, मिल ओनर्स को इतना ज्यादा मुनाफा देना उचित नहीं हैं । 2.85 रुपए की चीज 5 रुपए किलो बिकती है तो तकरीबन डयोढ़े से ज्यादा मुनाफा इसमें होता है और जैसा कि अभी खतरा है कि चीनी के भाव और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन हमें मंत्री महोदय पर भरोसा है कि वे चीनी के दाम और ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे और इनको कम करने की कोशिश करेंगे, जो आज 8 रुपये किलो बिक रही है ।

सभापति महोदय, 33 वर्ष तक किसान मेहनत मजदूरी करता रहा, खेती करता रहा, जैसा कि देश में अन्य जगहों पर चल रहा था, कहीं दफ्तर बंद, कहीं कारखानें बन्द—उसने कभी ऐसा नहीं किया और खेती करता रहा । मैंने यह खतरा महसूस किया था, पिछली बार अगस्त में एग्रीकल्चर की डिमांड्स पर जब चर्चा चल रही थी तब मैंने उसमें हिस्सा लेते हुए यह अंदेशा जाहिर किया था कि किसान की तरफ तवज्जह दें, क्योंकि उसकी जरूरियात की चीजें महंगी हो रही हैं, इनपुट्स महंगे होते जा रहे हैं, यदि उनको सही कीमत नहीं, मिलेगी तो उसके दिमाग पर भी इस हवा का असर हो सकता है, हालांकि मैं जानता हूं कि आंदोलनों से मसला हल होने वाला नहीं है । अगस्त में मैंने आपसे निवेदन किया था और उसके बाद मेरे ख्याल में नवम्बर में महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हुआ और इसके बाद कर्नाटक में शुरू हुआ, आखिर लोगों ने सोए हुए शेर को जगा दिया । बहरहाल किसान की तरफ ज्यादा तवज्जह होनी चाहिए । मैं नहीं जानता था कि अगस्त में मैं इस बात को कहूंगा और उसके बाद नवम्बर से यह कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरी अपनी राय यह है कि आंदोलनों से मसला हल होने वाला नहीं है । हमारी सरकार ने जो गेहूं का मूल्य 130 रुपए प्रति क्विटल तय किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हालांकि तसल्ली तो नहीं है, क्योंकि मैं किसान हूं और व्हीट एरिया का हूं, तसल्ली इसलिए नहीं हुई क्योंकि 8 रुपए किलो चीनी है और फर्टीलाइजर के दाम हमें इतने ऊंचे देने पड़ते हैं । बीवी-बच्चों के लिए कपड़े की भी उसको जरूरत होती है । रोजी उसकी वही है । हम लोग गल्ला पैदा करके और उसको बेच कर अपनी जरूरियात की चीजें हासिल करते हैं । मेरी राय में यह कीमत 140 होनी चाहिये थी । लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने तेरह रुपये बढ़ाए हैं ।

लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम आप यह तो देखें कि 130 उसको मिल जाएं । मिलते नहीं हैं । जब 110 रुपए गेहूं की स्पोर्ट प्राइस थी तो आप फूड कारपोरेशन का रिकार्ड उठा कर देख लें, एनुअल रिपोर्ट्स उसकी उठा कर देख लें, किसान को 102 रुपया आन एन एव्रेज मिला था । मैं मन्त्री जी से अलग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह कोशिश करें कि जो कीमत आपने मुकर्रर की है हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे और हमें तसल्ली हो जाएगी अगर वही मिल जाए, 130 मिल जाए । आपका जो क्वालिटी इन्स्पेक्टर होता है वह बीच के लाला से मिलकर रुपया न खा ले इसका आप ध्यान रखें । होता यह है कि जब किसान गाड़ियों की लाइन लगाता है तो इन्स्पेक्टर कभी घर में छिप कर बैठ जाता है, कभी फूड कारपोरेशन से बोरे नहीं आते हैं और कह दिया जाता है कि बोरे लेने के लिए कोई गया हुआ है और किसान बेचारा परेशान होता है । जब उसकी गाड़ियां दो-दो दिन तक खड़ी रहती हैं और किसान बेचारा परेशान होता है तो जो एजेंट लाला बैठा होता है—

सभापति महोदय : पांच बजे दफ्तर बन्द हो जाता है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : बन्द न भी हो लेकिन लाला 95 रुपये के भाव पर 110 के बजाय ले लेता था...

राव वीरेन्द्र सिंह : दो साल पहले ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : जब 110 का भाव था तब की मैं बात कर रहा हूं । अब आपने 130 भाव किया है तो कम से कम आप यह तो देखें कि क्वालिटी के नाम पर क्वालिटी इन्स्पेक्टर उसको परेशान न करे और किसान को यह कीमत मिल जाए । ऐसा होगा तो मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा, आपकी बड़ी नवाजिश होगी ।

आज एनर्जी की बड़ी कमी है । कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यह हमारी बदकिस्मती है । इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यह दूसरा सबजैक्ट है । हम देख रहे हैं पूसा इंस्टी-ट्यूट में विंड मिल लगी हुई है । जब मेला होता है तब किसानों को उसको दिखाया जाता है । उनको बताया जाता है कि किस तरह से इससे पानी उठाया जाता है । अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो बैल्जियम, हालैंड और आस्ट्रेलिया में ये बहुत दिनों से चल रही हैं और बड़ी कामयाब हुई हैं । इनसे पानी को पम्प से उठाने का काम लिया जाता है और पूरी पावर देती है । यहाँ ये नहीं चल पा रही हैं लेकिन वहां ये चल रही हैं । एक्सपर्ट्स की राय यह है कि पश्चिम में साल में दस महीने हवा ऐसी चलती है जिससे विंड मिल बड़ी आसानी से काम कर सकती है । रिपोर्ट में यह है और एक्सपर्ट्स की राय भी है कि पश्चिमी हिन्दुस्तान में, नार्दर्न इंडिया में साल में दस महीने हवा ऐसी चलती है जिससे कि ये विंड मिल्ज काम कर सकती हैं—

राव वीरेन्द्र सिंह : वेस्टर्न इंडिया में :

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : वैस्टर्न इडिया ही सही । जहाँ भी ये काम कर सकती हैं वहाँ इनको क्यों काम में नहीं लाया गया है, आज तक यह मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा । क्यों एग्जी-बीशन के लिये, दिखावे के लिये इनको रखा गया है ? किसान जब जाता है, इसके बारे में पूछताछ करने के लिये तो उसको कह दिया जाता है कि श्री जैनुल बशर जहाँ से आते हैं, गाजीपुर वहाँ चले जाओ । शायद गाजीपुर में कोई आदमी है जो इस तरह की विंड मिल्ज बना रहा है । जिस एरिया में हवा फेबरेबल है उसमें इसको आज तक क्यों बढ़ावा नहीं दिया गया है और क्यों इसको पापुलराइज नहीं किया गया है ? ताकि एनर्जी बच सके । यह बड़ा जरूरी सवाल है क्योंकि हमारे यहाँ ऐनर्जी की कमी है । खेतों पर ट्यूबवैल लगे हुए हैं लेकिन उनको चलाने के लिये बिजली वक्त पर नहीं मिलती । मिलती भी है तो बड़ी ऐरेटिक और 3, 4, 5 घंटे मिलती है । इसलिये वहाँ हवायें फेवरेबिल हैं, और जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया है 10 महीने हवायें चलती हैं जिनसे विंड मिल चल सकती है, तो उनको लगवाइये ताकि किसान को उससे फायदा हो । वह इकनामिक भी होगा और एनर्जी की भी बचत होगी । इसको पौपुलैराइज करने के लिये इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इनवाइट किया जाय ।

अन्डरटेकिंग का बुरा हाल है । यह तो ब्यूरोक्रेट्स और उनके बच्चों का अड्डा है । फूड

कारपोरेशन की बड़ी तारीफ की है, मैंने अखबारों में पढ़ा था। दो कोटियाँ बनीं स्टोरेज और ट्रांजिट लौसेस के मुताल्लिक और एफ० सी० आई के एम्प्लाईज ने वहाँ आकर ऐक्सप्लेन किया और दोनों की राय यह है, और मंत्री जी भी जानते होंगे कि गेहूं, अप्रैल और मई में कटता है, बरसात में सूख नहीं सकता, फिर इसमें ड्राईनैस कहाँ रहेगी। बरसात में तो अनैइस्चर बढ़ जाना चाहिये। लेकिन यह लोग 2-3 परसेंट सूख दिखा देते हैं। ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में साफ ऐक्सप्लेन किया है, यहाँ से बम्बई गल्ला भेजा गया और वहाँ वह गल्ला बचत में पड़ा है। तो यह जो 2, 3 परसेंट शोर्टेज जाती है यह उचित नहीं है। और हमारे यहाँ एटा में तो एक केस पकड़ा भी गया था। गोडाउन वाले बोरी ले जा रहे थे बेचने के लिये। परखी लगाकर 1, 1 किलो कर बोरी में से निकाल लिया और हमारा केस पकड़ा गया। गेहूँ बेचते हुए फूड कारपोरेशन का। 650 करोड़ सबसिडी दी जाती है, मैंने पहले भी अर्ज किया था अगस्त की स्पीच के सिलसिले में। जब मैंने 30 मिनट फूड कारपोरेशन की कमियों की तरफ मंत्री जी की तवज्जह दिलाई और 5 मिनट मौडर्न बेकरीज के मुताल्लिक बोला था। तो मौडर्न बेकरीज के मुताल्लिक कही गई बातों का तो जवाब आ गया लेकिन फूड कारपोरेशन के बारे में उठाये गये एतराजात का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर लिखना मुनासिब नहीं समझा। मुमकिन है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन मैं तो अपनी तसल्ली चाहता था।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : आपके एतराजात और सुझावों पर अमल कर रहे हैं पूरी तरह से।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आखिर 650 करोड़ रु० जाता कहाँ है? क्या 90,91 रु० खर्च आ सकता है गोडाउन में रखने के बाद खरीदने और बेचने का? नामुमकिन।

मैंने तो पहले भी कहा था 1968 में वोल्यूम आफ बिजनेस 22.7 मिलियन टन था और एम्पलाईज उस समय 15,228 थे। और 1978 में वोल्यूम आफ बिजनेस 17.30 मिलियन टन रह गया लेकिन एम्पलाईज हो गए 67,283।

मंत्री जी मुझे माफ करें, जरा ओवरहैड्ज पर तवज्जह दें। 1972-73 में ओवरहैड 10.7 और 12.74 पर टन से स्टार्ट हुआ है और इसी साल की एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट 10.72 और 12.74 से शुरू हुई। 1977-78 में यह 18.72 और 21.43 परसेंट रही। यह सब खर्च उस पर जाएगा। यह जो स्टाफ बढ़ रहा है, कास्ट बढ़ रही है तो यह तो एक टन पर कीमत लगती है, यह सरकार की जेब से जाएगी।

टैक्स में साढ़े 600 करोड़ की बजाए 700 जाएगी अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया।

मैं आपको स्टाफ के बढ़ने की एक ओर मिसाल दूं। आपकी कार्पोरेशन है सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। मैं आपकी तवज्जह दिलाता हूं, यह आपकी रिपोर्ट है परफार्मेंस बजट, मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1979-80 में 34,389 लाख टन थी और 1980-81 में 36,500 लाख टन हो गई। यानी एक लाख टन के करीब बढ़ गई। 1979-80 में इसकी रिसीट हैं 1645.24 लाख रुपये और, 1980-81 में है 1715 लाख रुपये और 1979-80 में मुनाफा है 588.29 लाख रुपये और 80-81 में 536.33 लाख रुपये। यानी कैपेसिटी बढ़

गई और मुनाफा कम हो गया। यह हिसाब मेरी समझ नहीं आया कि कैपेसिटी तो गोदाम की बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। गिरा कहां है, वह भी देख लें उसी रिपोर्ट में मौजूद है। आफीसर्स 565 थे 1979-80 में, 1980-81 में 650 यानी कैपेसिटी बढ़ी 6.14 पर्सेंट और आफीसर बढ़े 15 पर्सेंट और लोअर स्टाफ बढ़ाया 5 पर्सेंट। वहाँ तो बोरे उठाने का काम है, तो बोरे आफीसर्स उठायेंगे। वहाँ तो बोरे रखने और बेचने का काम है। इस पर आप गौर करें।

अगर आप इसको 1979-80 से कम्पेयर करें तो कैपेसिटी 1980-81 में 13.4 परसेंट बड़ी है और आफीसर्स बढ़ रहे हैं 41 परसेंट। आप गौर फरमायें कि 41 परसेंट आफीसर्स बढ़े हैं और जो बेचारे नीचे के लोग हैं, जिनको एम्पलायमैंट मिलनी चाहिये वह हैं सिर्फ 9.7 परसेंट जो बढ़ाये गये हैं। यह जो आपका एस्टीमेटेड बजट है, इसमें आपकी कैपेसिटी 13.4 परसेंट बढ़ी है और मुनाफा घट गया है जो कि 511 लाख रुपये रह गया। 588 लाख रुपये के मुकाबले में जो कि 1979-80 में था। यह सब मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि मंत्री महोदय की तवज्जह इस तरफ दिलाऊं।

आप यह भी गौर फरमायें कि आपने 1000 करोड़ रुपये का फर्टिलाइजर इम्पोर्ट किया और आपके फर्टिलाइजर की कैपेसिटी 44 परसेंट आइडल पड़ी रही, आपने 56 पर्सेंट को यूटिलाइज किया। अगर 44 परसेंट या 40 परसेंट यूटिलाइज कर लेते तो 50 पर्सेंट इम्पोर्ट कर पाते।

श्री मूलचन्द डागा : बिजली नहीं है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : उसको समझने के लिये अक्ल चाहिये।

जहाँ तक स्टेट फार्मज कारपोरेशन का ताल्लुक है, सारी लाइफ में—जबसे वह कायम हुआ है, तबसे उसने सिर्फ एक साल मुनाफा किया 14 लाख रुपये का। यह कारपोरेशन बीज उगाता है। किसान जो गेहूं पैदा करता है, और वह एक रु० किलो बेचता है। तो यह कारपोरेशन 3 रु० किलो बेचता है। इसके पास सारे इम्प्लीमेंट्स और एक्विपमेंट फारेन एड के हैं। इसके बावजूद उसको हर साल नुकसान हो रहा है—1977-78 में डेढ़ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 1975-76 में एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसान खेती करता है; अगर उसे नुकसान हो, तो बीवी-बच्चों को बेचकर भी उसका निपटारा नहीं होगा। यह तो सरकार की छाती में हिम्मत है कि खेती में एक, डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

मंत्री महोदय भी किसान हैं—मंत्री प्लस किसान। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्टेट फार्मज कारपोरेशन में नुकसान की वजह मेरी समझ में नहीं आई है। शायद मेरे कहने से उनकी तवज्जह इस तरफ जाए और कोई ऐसा इन्तजाम हो सके कि पब्लिक एक्सचेकर का जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, वह बच जाए।

सभापति महोदय : आपके सारे पायंट्स खत्म हो गए हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मेरे पास अभी बहुत से पायंट्स हैं। अभी तक मैंने कितना टाइम लिया है?

सभापति महोदय : आध घंटा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आध घंटा ज्यादा नहीं है। डिफेंस पर कई मेम्बर 45-45 मिनट तक बोले हैं।

नेशनल सीड्ज कारपोरेशन का पेड अप कैपिटल 5,91,49000 रुपये है। उसका काम यह है कि किसानों के यहाँ बीच पैदा कराए, उसको सस्ते दामों पर ले और मंहगे दामों पर फिर किसानों को वापस कर दे। वह किसानों से दो रुपये किलो के भाव से बीज खरीदता है और वही बीज तीन, साढ़े तीन रुपये किलो के भाव से फिर किसानों को दे देता है। इसके बावजूद उसको 1977-78 तक 2,57,56,000 रुपये का नुकसान हो चुका है, यानी पेड अप कैपिटल का आधा तो खत्म हो गया। जिस तरह फूड कारपोरेशन को सबसिडी दे रही है, उसी तरह वह नेशनल सीड्ज कारपोरेशन को भी देगी।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मंडी समितियाँ कायम की गईं। किसानों से सैस लिया जाता है और इस तरह एक मंडी समिति में लाखों रुपया इकट्ठा है। पहले कहा गया था कि ये समितियां किसानों के लिए शैड बनायेंगी, यह बनायेंगी, वह बतायेंगी, लेकिन अभी तक दो पैसे का काम भी नहीं लिया गया है, हालांकि लाखों रुपये बैंकों में पड़े हुए हैं। आखिर कोई काम क्यों नहीं हुआ?

लैंड डेवेलपमेंट बैंक किसानों के लिए एक मुसीबत बन गया है। अगर किसान एक दफा वहाँ फंस जाए, तो जमीन बेचने पर ही उसे छुट्टी मिलती है। वहाँ यह तरीका है कि जिस पम्प को हम कहते हैं, वही खरीदो और चैक भी उसी फर्म या कम्पनी के नाम जायेगा, चैक किसान को नहीं मिलेगा। चाहे कोई थर्ड क्लास पम्प है, लेकिन चूंकि वह एपरूव्ड है, इसलिए वही लेना पड़ता है। कम से कम इतना तो कर दिया जाये कि चैक किसान के हाथ में न दिया जाय, लेकिन उसको अपनी पसंद का, अपने चायस का, पम्प खरीदने की आजादी होनी चाहिये और उसके बचे हुए पैसे का उसको चैक मिलना चाहिये। फर्ज कीजिये कि किसान के 8,000 रुपये मन्जूर हुए और 5,000 रुपये का इंजिन लेना है तो उस इजन को किसान पसन्द करे। होता यह है कि उसको एक रुपये की चीज डेढ़ रु० में मिलती है।

यह बड़ा अहम सवाल है किसान के लिये। अगर इसको हल कर लिया जाय तो किसान को बहुत राहत मिलेगी। वह जो अप्रूव्ड वाले हैं वह "मेनेजर से मिले हुए होते हैं, वह एक रुपये का डेढ़ रुपये में देते हैं जबकि किसान डायरेक्ट डील करेगा तो एक रुपये का चौदह आने में उसको मिलेगा। यह मोटी बात है। मेरा यह कहना कि जिस कम्पनी से किसान अपना मामला तय करेगा उस कम्पनी के लिये दरख्वास्त देगा कि फलां जगह से हमने खरीदा है, आप उसी के नाम से चैक काट दीजिये। इसके अलावा 5 हजार के इंजन के बाद तीन हजार जो बेचते हैं उसका भी चैक उसको नहीं मिलता है। मैं तो गाँव का आदमी हूं, जानता हूँ। वह भी जब तक उसका एजेट आकर नहीं कहेगा मैंनेजर से कि हां, हिसाब पूरा हो गया, लाओ दो, तब तक नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी किसान हैं। किसान की आँखें आपकी तरफ लगी हुई हैं। ये मसले छोटे-छोटे नजर आते हैं मगर किसान के लिए बड़े अहम मसले हैं।

अगर आप जानकारी करें तो इस लैंड डेवलपमेंट बैंक के खातिर सैंकड़ों और हजारों किसानों की जमीनें मिल गईं और आज तक वह छुटकारा नहीं ले पाये हैं लैंड डैवलपमेंट बैंकों से।

मैं एक दो प्वाइंट और कहना चाहूंगा । माडर्न बेकरी के सिलसिले में मैंने पहले कुछ एतराज किया था और मैंने यह अर्ज किया था कि आपको उज्जैन प्लांट और फरीदाबाद मेज प्लांट नहीं लेना चाहिये था ।

सभापति महोदय : आप बेकरी के चेयरमैन रहे हैं। आप इस बारे में मंत्री से भी अधिक जानते हैं ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : इसीलिये मुझे पता है । यह जानना मेरा कर्तव्य हो जाता है । मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर मैं चेयरमेन होता तो वह दोनों प्लान्ट हरगिज नहीं लेता । एक बात यह मैं चाहता हूं कि रिकार्ड पर आ जाय क्योंकि मैं इस मुल्क के आगस्ट हाउस का मेम्बर हूं और यह मेरी जिम्मेदारी है । जो उज्जैन प्लान्ट और फरीदाबाद मेज प्लान्ट बड़े साज वाज के साथ लिया है, यह मेरे बाद लिया गया है, माडर्न बेकरी का चेयरमैन-उसके बाद आपने आई० ए० एस० आफिसर को बना रखा था, मैं बता देना चाहता हूं मत्री महोदय को कि उसको कभी नहीं चला सकते । यह मैं हाउस के रेकाडं पर लाना चाहता हूं कि ये दोनों प्लान्ट माडर्न बेकरी को खा जाएंगे । यह फूड कारपोरेशन में कायम हुआ था जब इकवाल हुसैन साहब चेयरमैन थे और मैं फूड कारपोरेशन का डायरेक्टर था, तब भी मैंने कहा था कि फूड कारपोरेशन इसको नहीं चला सकता। यह फरीदाबाद का मेज प्लान्ट नहीं चलेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि ये दोनों प्लान्ट कब लिए हैं माडर्न वेकरीं ने और आज तक उन दोनों में कितना माल बना ? ये दोनों फैक्ट्रियाँ कब माडर्न बेकरी ने ली हैं और आज तक उसमें क्या हो रहा है, उसमें कितना माल बना है ?

मैंने जब चार्ज छोड़ा, इसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उस वक्त 74-75 में इस माडर्न बेकरी का 1 करोड़ 6 लाख का प्राफिट था । जब 75-76 में प्राफिट घटा तो ऐन्युअल रिपोर्ट में लिख दिया कि उस वक्त के चेयरमैन ने 10 जुलाई को चूंकि दस पैसे पर लीफ कीमत कम कर दी ब्रेड की इसलिए प्राफिट कम हो गया । में चाहूंगा कि मैं सदन में इसकी सफाई दूं क्यों कि उस वक्त चेयरमैन मैं था। 10 जुलाई 75 को जब दस पैसे कीमत कम की थी तो मैंने की थी । लेकिन यह बिलकुल झूठ बोला है, मुल्क को धोखा दिया है, पार्लियामेंट को धोखा दिया है, माडर्न वेकरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने और मिनिस्ट्री को धोखा दिया है । जिस वक्त 10 जुलाई 75 को दस पैसे हर ब्रेड कीमत कम की गई थी उस वक्त साढ़े सात पैसे पर लीफ मैदे की कीमत कम हो गई और डेढ़ पैसे पर लीफ और इन्ग्रेडिएन्ट्स की कीमत कम हुई थी । कैलकुलेशन के बाद दस पैसे जो कि वाकई रा-मैटीरियल की कीमत कम हुई थी वह कीमत कम की गई थी । आप जाँच कर लें और मालूम कर लें । क्या मैं उम्मीद करू कि ऐसी ऐन्युअल रिपोर्ट बनाने वालों की तरफ मन्त्री महोदय तवज्जह देंगे कि झूठी रिपोर्ट बनाकर इसका सत्यानाश किया जा रहा है । (व्यवधान)

क्या बताऊं, चेयरमैन साहब बिलकुल मेरे ऊपर मेहरबान नहीं ।

सभापति महोदय : मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहूंगा, मेरा हरगिज मकसद नहीं था इन बातों को कहने का, मैंने सिर्फ इसलिए आपकी तवज्जह दिलाई है कि शायद इस मुल्क का कुछ भला हो सके और ये अन्डरटेकिंग जो करोड़ों रुपये खाये जा रही है उसमें कुछ सुधार हो सके ।

इन अल्फाज के साथ में इन डिमाँड्स का समर्थन करता हूं और आप का शुक्रगुजार हूं कि आपने समय दिया । जी तो चाहता था कुछ और कहने का मगर खैर, वक्त नहीं रहा ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति जी, कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध उन विशेष वस्तुओं से है जो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। चाहे भोजन की बात हो, वस्त्र की बात हो, हमें यह कृषि व्यवसाय से ही प्राप्त होती है। हमारे देश में जहां तक कृषि व्यवसाय का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं हैं कि यह व्यवसाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे राष्ट्रीय आय में इस व्यवसाय के योगदान का प्रश्न हो, चाहे लोगों को रोजगार और जीवन यापन की सुविधाएं देने का प्रश्न हो, चाहे फोरन एक्सचेन्ज प्राप्त करने की बात हो और चाहे उद्योगों को कच्चा माल देने की बात हो, इसमें कृषि व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब 1929 में इम्पीरियल कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी तो उसका उद्देश्य यही था कि देश में कृषि का समन्वित रूप से विकास किया जाए और जब 1947 में उसका नामकरण बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हुआ तो उसके बाद से इस परिषद का उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ा। इस समय परिषद का मुख्य कार्य है देश में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान कार्य को चलाना। कृषि शिक्षा और अनुसंधान बहुत ही प्रमुख कार्य हैं, कृषि क्षेत्र के, जोकि यह परिषद चलाती है। परिषद इन कार्यों में सहायता करती है और प्रोत्साहन देती है। कृषि से सम्बन्धित जो अन्य विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें समन्वय स्थापित करना भी इसका काम है। आज परिषद कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रही है। जब सन् 1964-66 में शिक्षा आयोग बना था तो उसने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रान्त में कृषि की उच्च शिक्षा के लिए कम से कम एक-एक कृषि विश्वविद्यालय हो। उसके पश्चात् कई प्रान्तों में कृषि विश्वविद्यालय खोले गए और वहां तक मुझे स्मरण है, आजकल करीब 21 कृषि विश्वविद्यालय देश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा आयोग ने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय जिन उद्देश्यों को उनके सामने रखा था उनकी पूर्ति को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है और यह देखना है कि यह परिषद उस दिशा में कहां तक सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

1. कृषि सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार और उसे व्यवहार में लाना, जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसन्धान सम्मिलित हों।

2. ग्रामीण अंचल की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के तुरन्त समाधान के लिए शिक्षा और अनुसन्धान पर बल देना।

3. ग्रामीण-अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक व्यावहारिक विज्ञानों और प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर विकास और शिक्षण।

4. न केवल स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर छात्रों को शिक्षित करना व पांच युवा लोगों का, जो स्नातकों के प्रत्याशी नहीं हैं, उन्हें विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण देना।

5. नियमित छात्रों के साथ-साथ व्यस्कों को भी शिक्षित करना।

इस प्रकार कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि वे कृषि विकास में सम्पूर्ण नेतृत्व करें, लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि इन विश्वविद्यालयों का जो आदर्श था, उसको पूरा करने में और अपनी भूमिका निभाने में वे असफल रहे हैं। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी जो प्रेरणास्रोत के रूप में इसकी भूमिका थी, वह भी पूरा नहीं कर सकी है। 1965-66 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत जो कृषि शिक्षा पर व्यय हुआ, वह है 9,32,223 रु० तथा 1965 में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों ने कृषि में जो उपाधियां पाई थीं, उनकी संख्या 5,259 थी। स्नाकोत्तर स्तर में जो उपाधियां पाईं उनकी संख्या 1,244 थी। 1977-78 में कृषि शिक्षा पर जो राशि व्यय हुई, वह थी 11,83,45,832 रु० लेकिन 1977 में स्नातक स्तर के छात्रों की संख्या घटकर 4,671 रह गई और स्नाकोत्तर छात्रों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, वह 1,439 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने व्यय में तो वृद्धि की, लेकिन विद्यार्थियों को ज्यादा शिक्षा देने में सफल नहीं रहे हैं। कृषि शिक्षा का निर्माण कृषि विज्ञान करती है और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदेशों में काम कर रही है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश का अनुभव है कि हजारों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हाई स्कूल स्तर तक कृषि में शिक्षा प्राप्त की और इन्टरमीडिएट में उन्होंने कृषि विषय को लेकर उत्तीर्ण किया लेकिन उसके पश्चात् जब वे स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको प्रवेश नहीं मिलता है। इस प्रकार की स्थिति में दो-तीन साल से देख रहा हूं। यह समस्या वहां पर बड़ी ही विकट रूप में प्रस्तुत हुई थी। पिछले अक्टूबर महीने में मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से माननीय कृषि मंत्री जी से सम्पर्क किया था, उन्होंने लिखा था कि इस समस्या का समाधान आपका कुछ निकलेगा, जहां तक मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने परिषद को लिखा, वहाँ के अधिकारियों ने जो उत्तर दिया, हिसाब-किताब से, वही जवाब हमारे पास भेज दिया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस परिवार का पैतृक पेशा कृषि हो और उस किसान का बेटा खुद शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सुविधा दी जानी चाहिए। शिक्षा चाहे फसलों के उत्पादन संबंधी हो, फलों के उत्पादन संबंधी हो, पशुपालन से संबंधित हो, फसलों की रक्षा संबंधी हो, खाद से संबंधित हो। इन सब पहलुओं पर स्नातक स्तर पर शिक्षा दी जाती है। इसलिये मेरी राय है कृषि मंत्री जी से, कि कम से कम जो किसान का बेटा हो, जो खुद इस संबंध में ज्ञान हासिल करना चाहता है, तो उसे सुविधा प्रदान करनी चाहिये। यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो जों प्रदेश की सरकारें हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जो इन्टरमीडिएट स्तर जो विद्यार्थी कृषि को शिक्षा प्राप्त करना चाहे, उसे सुविधा दी जाए और उसके बाद किसी अन्य विषय में जाना चाहे तो उसको उतनी कुशलता से वह सफलता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से आग्रह है कि वे इस ओर ध्यान दें।

आई० सी० ए० आर० के सम्बन्ध में एक आग्रह मैं यह करना चाहता हूं कि उसने जो व्यय के आकड़े हैं, उनमें कृषि शिक्षा और अनुसन्धान पर 23 करोड़ रुपया व्यय किया गया है, जबकि उसके इस्टेब्लिशमेन्ट पर 37 करोड़ रुपया व्यय किया जाता है। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेन्ट का व्यय कम हो, कृषि शिक्षा और उसके अनुसन्धान कार्यों पर अधिक पैसा व्यय किया जाना चाहिए।

अब मैं कृषि मूल्यों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसानों के परिश्रम का सही आंकलन होना चाहिए, क्योंकि किसान जिन कठिन परिस्थितियों में काम करता है, चाहे गरमी हो, कठोर से कठोर सर्दी हो, लू हो, दिन हो या रात हो, उसको – हर परिस्थिति में काम करना पड़ता है, इसीलिए उसकी उपज का उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन यह बड़ी विडम्बना की बात है कि कृषि मूल्य बिल्कुल विपरीत ढंग से निर्धारित होते हैं। उद्योगों में जो वस्तु पैदा होती है, उसके मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है, यहां उसके बिल्कुल विपरीत होता है। जब किसी फैक्ट्री में कोई वस्तु पैदा होती है तो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन को कन्सीडर करते हैं, ट्रांसपोर्ट कास्ट को कन्सीडर करते हैं, होलसेलर और रिटेलर के मार्जिन को लेकर तब फिर कन्ज्यूमर प्राइस तय होती है। लेकिन कृषि वस्तुभों के मूल्य निर्धारित करते समय बिल्कुल इसके विपरीत होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में हापुड़ कृषि वस्तुओं की सबसे बड़ी मण्डी है। यदि हम इलाहाबाद में हैं तो हापुड़ में कृषि वस्तुओं के मूल्य क्या हैं उनके आधार पर इलाहाबाद में मूल्य तय होता है और इलाहाबाद में जो मूल्य चल रहा है उसके आधार पर देहातों और कस्बों में मूल्य तय होता है, उसके आधार पर फिर किसान के फार्म का मूल्य तय होगा। इसलिए किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस दिशा में अधिक प्रयत्नशील हो।

इसमें मेरा एक आग्रह है। कृषि अनुसन्धान परिषद ने एक पाबन्दी लगाई है कि स्नातक स्तर पर जहां 120 विद्यार्थियों से अधिक संख्या होगी, उसको कोई अनुदान नहीं देंगे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कुछ विद्यालयों में संख्या अधिक है, फिर भी अनुदान दिया गया है। इसका आंकलन करने के लिए कि किस विद्यालय को दिया जाए—उसमें काफी विलम्ब होता है। मुझे इलाहाबाद के एक विद्यालय का अनुभव है—करीब 7-8 महीने से ऐसा चल रहा है कि अब आंकलन समिति जाती है, तब आंकलन समिति जाती है, लेकिन आज तक आंकलन समिति वहां नहीं गई। इनके यहाँ कुछ ऐसा नियम है कि जो विद्यार्थी इन्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके आएंगे उनको 100 रु० स्कालरशिप मिलता है—वहां विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करके चले गए, न वहां आंकलन समिति पहुंची और न उनको आज तक स्कालर मिला। यह जो समस्या मैंने आपके सामने रखी है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेशों में जो कृषि विभाग हैं उन विभागों तथा परिषद में आपस में समन्वय का अभाव है। इससे चाहे अनुसन्धान के काम हों या विकास के अन्य काम हों, उनमें बड़ी बाधा पैदा होती है। डा० एम० एस० रंधावा की अध्यक्षता में जो रिव्यू कमेटी बनी थी उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी जो अन्तरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी इस कमजोरी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। मैं उसको कोट करना चाहता हूं—

"समझबूझ न होने के कारण दोनों संगठन, अर्थात् राज्य कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, एक दूसरे के पूरक-अनुपूरक होने के बजाए आपसी वैमनस्य में उलझे हुए हैं और यह प्रवृति कृषि के वैज्ञानिक विकास के लिए हानिकारक है और यह समाप्त की जानी चाहिए।"

इसमें आशा यह की जा रही थी कि गेहूं का जो मूल्य सरकार तय करेगी, वह 140 रुपये प्रति क्विंटल तय करेगी परन्तु हम लोगों को बड़ी निराशा हुई जबकि 130 रुपए प्रति क्विंटल इसका मूल्य तय किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोगों की यह धारणा हो गई है और वे ऐसी आशंका व्यक्त करते हैं कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इस सम्बन्ध में डा० आई०जी० पटेल, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर हैं, उन्होंने तो यह कहा कि कृषि मूल्यों की वृद्धि जो है यह इंजन आफ इन्फलेशन है परन्तु जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की हाल की रपट है, उसमें इंजन आफ इन्फलेशन की बात किसी दूसरी जगह के लिए कही गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है। मैं कोट करता हूं:

"गत कुछ वर्षों में अतिरिक्त मुद्रा बहुत बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक सरल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि का वार्षिक औसत 2.4 प्रतिशत था जबकि वार्षिक औसत मुद्रा वृद्धि का 20.4 प्रतिशत थी।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके लिए जो जिम्मेवार है, वह डेफीसिट फाइनेन्सिंग है और साख यानी क्रेडिट का विस्तार है, सट्टेबाजी के लिए जो अधिक साख दी जाती है, वह है। ये ही सब कारण इन्फ्लेशन बढ़ने के हैं।

समर्थन मूल्य में वृद्धि की जो मांग कृषि उपज के लिए की जाती है, उसका प्रमुख कारण औद्योगिक चीजों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि है। जो चीजें किसान खरीदता है, उन वस्तुओं का उसको बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है, जो इनपुट्स उसको अपनी खेती में लगाने पड़ते हैं, उनका मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है। खाद का मूल्य बढ़ गया है और सिंचाई के रेट भी बढ़ गये हैं। इन सब चीजों के मूल्य में वृद्धि की वजह से ही वह अपनी उपज के लिए अधिक मूल्य की मांग कर रहा है। हमारे एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के चेयरमैन डा० एस.एस. कल्हन हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है:

वर्ष 1975-76 में प्राप्त किये गये तथा अदा किये गये मूल्य के बीजों का अनुपात 19.8 था वह 1979-80 में घटकर 87.4 रह गया।

और इतना ही नहीं, एकोनामिक टाइम्स के रिसर्च ब्योरो के अनुसार:

"औद्योगिक और कृषि वस्तुओं के बीच लाभ समता का औसत जो वर्ष 1979-80 में 87.6 था सितम्बर 1980 में घटकर 76.6 रह गया।

इस प्रकार से यह कहना कि अगर हम समर्थन मूल्य में वृद्धि करेंगे, तो इन्फ्लेशन आएगा, सही नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो बिचौलिये हैं, मिडिलमैन हैं, वे बहुत ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। मुख्य समस्या यह है कि मिडिलमैन के शेयर को कैसे कम किया जाए। हमारे स्पीकर साहब ने जो हिसार में दीक्षांत भाषण अभी दिया था, उसमें भी उन्होंने यह कहा है कि वे जो बिचौलिये हैं, सारी अर्थ-व्यवस्था को खराब कर रहे हैं और उनके शेयर को कम करने की एक बड़ी समस्या है और किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त मूल्य मिलना चाहिए।

कुलक्स की बात भी बहुत कही जाती है। कहा जाता है कि बड़े-बड़े किसानों को ही इससे फायदा होता है। उस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित

करना चाहूंगा कि इस देश में 5, 6 प्रतिशत किसान परिवार ही ऐसे हैं, जिनके पास 15 एकड़ से अधिक भूमि है।

18 एकड़ भूमि पर सीलिंग हुई है। इससे अधिक किसान अपने पास नहीं रख सकता है। इस देश में 10 से 15 एकड़ भूमि वाले केवल 4.7 परसेंट किसान हैं। इसलिए यह कहना कि यह मूल्य बड़े-बड़े किसानों को ही मिलता है, छोटे-छोटे किसानों को नहीं मिलता क्योंकि छोटे-छोटे किसान केवल क्रय करते हैं, बेचते नहीं हैं, गलत है।

1950-51 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया था कि 26 परसेंट आफ मार्केटिड सरपलस का उन किसानों द्वारा विक्रय किया गया जिनके पास 5 एकड़ से छोटी जोतें थीं। 28 परसेंट आफ मार्केटिड सरपलस का उन किसानों द्वारा विक्रय किया गया जिनके पास 5 से 15 एकड़ की जोतें थीं। छोटे-छोटे किसान हारवेस्टिंग पीरियड में, जब कि कटाई होती है तो अपनी-अपनी फसलों को बेच देते हैं और बाद में वे क्रय करते हैं। छोटे-छोटे किसानों को छोटी-छोटी जोतों के कारण कास्ट आफ प्रोडक्शन भी अधिक पड़ता है। अगर हम छोटे किसानों को अधिक समर्थन मूल्य नहीं देंगे तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। यह तो सभी चाहते हैं कि किसान अधिक से अधिक उत्पादन करें। अगर वह अधिक परिश्रम करके अधिक उत्पादन करता है तो उसकी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है।

अभी महाराष्ट्र में प्याज का मूल्य खुले बाजार में 30 रुपये क्विंटल है। सरकारी एजेन्सियां 60 से 75 रुपये क्विंटल दे रही हैं लेकिन वे पर्याप्त मात्रा में प्याज का क्रय करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सभी का प्याज क्रय करने की व्यवस्था इन एजेंसियों के द्वारा नहीं हो पा रही है। मैं मांग करता हूं कि इन एजेन्सियों द्वारा अधिक से अधिक प्याज का क्रय किया जाना चाहिए।

सभापति जी, सौराष्ट्र में किसानों ने जीरा बहुत अधिक बो दिया था वह बहुत अधिक पैदा हो गया। आज वह प्रति बीस किलो 50 रुपए में बिक रहा है। किसान उसे ढाई से छः रुपए प्रति किलो में बेचता है जबकि बाजार में वह 15 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में तम्बाकू की कीमत का सवाल भी प्रो॰ मधुदंडवते जी ने उठाया था। उसके बारे में भी सरकार ने कहा कि किसानों ने तम्बाकू अधिक बो दिया इसलिए उसकी कीमत गिर गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रापिंग पेटर्न की सुनियोजित ढंग से हमने कोई योजना नहीं बनाई है। अगर हम ऐसी कोई समुचित योजना किसानों के सामने रखें और उनकी वस्तुओं के समुचित मूल्य निर्धारित करें तो किसान उसी के मुताबिक उत्पादन करेगा और उसे उसका अधिक से अधिक फल भी मिलेगा।

पश्चिमी बंगाल में इधर जूट के क्षेत्रफल में सुधार हुआ है और जूट का अधिक से अधिक मूल्य भी किसान को मिला है। हमने देखा है कि 1976-77 में जहां पश्चिमी बंगाल में 4.41 लाख हेक्टेयर जूट क्षेत्रफल था, वहाँ 1978-79 में वह 5.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया और 1980-81 में 6.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया। अगर हम क्रापिंग पेटर्न की समुचित योजना बनाएं तो उसको किसान जरूर अपनायेगा।

मैं अधिक न कह कर थोड़ा सा काम के बदले अनाज देने वाली योजना के बारे में कहना

चाहता हूं। इसका अब ग्रामीण रोजगार योजना का नया नामकरण किया गया है। मैंने पिछले नवम्बर में भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि इसमें बहुत-सी अनियमितताएं हुई हैं। कहीं-कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं जाने पर भी काम हुआ ही नहीं। प्लानिंग कमीशन ने भी एक स्टडी की है और यह बताया है कि एक स्थान पर इसका बहुत-सा पैसा इन्सपेक्शन बंगलों के फर्नीचर और क्राकरी के अरेंजमेंट पर खर्च किया गया और कहीं-कहीं कलेक्टोरेट की सजावट पर खर्च किया गया।

इस प्रकार के उदाहरण हैं कि कहीं अन्य जगह पैसा खर्च हुआ, लेकिन कहीं-कहीं तो पैसा खर्च हुआ ही नहीं और दिखा दिया गया कि खर्च किया गया है। इसके लिए मैंने आग्रह किया था कि इसकी जांच के लिए एक सर्वदलीय समिति हर जिले में बनाई जाए और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं करेंगे तो गलत काम करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार के कार्य की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अब भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी मात्रा में भूमि है कि वे उसकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अगर वह जमीन छोटे-छोटे और भूमि-हीननेकिसानों को दे दी जाए तो वे अन्न की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में मंगलदेव विशारद कमेटी नियुक्त की गई थी, उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर बड़े-बड़े लोगों पर इस संबंध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए, हालांकि बड़े-बड़े लोग उधर ही ज्यादा हैं। यह कार्यवाही करने से संपूर्ण कृषि उत्पादन में सहायता मिलेगी।

श्री नगीना राय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, सदन में कृषि मंत्रालय की मांगें जो कृषि मंत्री द्वारा रखी गई हैं, उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, कृषि प्रधान देश भारत की 82 प्रतिशत जनता कृषि पर आश्रित है। भारत की जनसंख्या अब 62 करोड़ हो गई है। भारत में खेती के लायक जमीन साढ़े 42 करोड़ एकड़ है, अतः जमीन प्रति व्यक्ति 2/3 एकड़ से भी कम पड़ती है। सिंचाई की क्षमता अभी केवल 15 करोड़ एकड़ में ही उपलब्ध हो सकी है। छठी पंचवर्षीय योजना में 3.3 करोड़ एकड़ में और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि पर आश्रित किसानों की माली हालत अच्छी नहीं है। यहां 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जनता को अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी पर बहुत भरोसा है और विशाल बहुमत से राजसत्ता पर आसीन किया है। जब इन्दिराजी भारत के किसानों को संबोधित करने के लिए तैयार हुईं तो बड़ी आशा और विश्वास के साथ सारे भारत के किसान दिल्ली के लिए किसान रैली में भाग लेने के लिए उमड़ पड़े, परन्तु आवागमन की पूरी सुविधा न मिल पाने के कारण 50 लाख ही रैली के समय तक दिल्ली पहुंच सके, लाखों किसान रास्ते में पड़े रहे और लाखों किसान बाद में पहुंचे।

विरोधी दलों की दुर्भावनापूर्ण नीति के बदले हम उद्योग में बहुत आगे नहीं बढ़ सके और देश का औद्योगीकरण करके देश को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं दिला सके। अतः अब खेती का ही भरोसा है, खेती को आधार मानकर ही हम देश को आर्थिक स्वतन्त्रता दिला

सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और खेती को लाभप्रद बनाना होगा।

खाद्यान्न का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। 1950 में जहां 60.8 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता था वहीं आज 1981 में 1330 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करते जा रहे हैं। यह सब हमारी प्रगतिशील नीतियों का परिणाम है कि जहाँ हम फूड ग्रेन्स का आयात करते आ रहे थे वहां इतनी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी अब हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गए हैं। वास्तविक ताकत अन्न की है न कि उद्योग की, क्योंकि आज अमेरिका अन्न के बल पर ही दुनिया पर हावी है, क्योंकि वह 130 मिलियन टन अनाज एक्सपोर्ट करता है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी खेती लाभप्रद नहीं है अमेरिका में जहां 1890 में 93 प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित थे वहीं आज 5 प्रतिशत लोग ही खेती करते हैं और वे भी छोड़ना चाहते हैं। वहां की खेती सरकारी अनुदान पर चल रही है। जापान में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो केवल खेती पर निर्भर हो। ये देश उद्योग में काफी आगे बढ़ रहे हैं, परन्तु भारत के पास सबसे बड़ी प्राकृतिक देन है जमीन और उसके साथ साथ सूरज की रोशनी। जहां पश्चिमी देशों में 6 माह ही सूरज की रोशनी मिलती है, वहीं हमारे देश में साल भर सूरज की रोशनी मिलती है। वे एक फसल पैदा करते हैं और हम दो-तीन फसलें पैदा कर सकते हैं। हम चावल, गेहूं, चीनी, आलू, प्याज आदि भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और भारत को एक बहुत बड़ा 'एग्रो-डालर अर्निंग कंट्री' बना सकते हैं। 'पेट्रो-डालर अर्निंग' देशों की तो एक्ज़ास्टेबल सोर्स आफ इनर्जी है, वह एक दिन समाप्त हो सकती है, पर हमारी जमीन समाप्त नहीं हो सकती। हमें नान एग्जास्टेबल सोर्स आफ इनर्जी प्राप्त है। अतः किसानों को लाभप्रद दाम देकर उन्हें खुश रखकर ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए प्रगतिशील कदम उठाने चाहिए।

चीनी का उत्पादन 1961 में 3021 हजार मेट्रिक टन हुआ था और उससे हमने 194 हजार मेट्रिक टन का निर्यात भी किया। हम 1951 से 1977 तक चीनी के मामले में निर्यातक देश रहे हैं परन्तु जनता पार्टी की गलत नीतियों के चलते ईख का दाम घटने के कारण चीनी का उत्पादन कम हो गया और हमें प्रथम बार चीनी 1979-80 में इम्पोर्ट करनी पड़ी। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ईख उत्पादकों को रिम्युनरेटिव प्राइस देने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 22 रुपए से लेकर 25 रुपए फी क्विंटल तक इसका दाम हो गया और यह दाम किसानों को मिला। इसका यह नतीजा हुआ है कि इस साल हमने चीनी का रिकार्ड उत्पादन किया है और हम अब चीनी का एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। 22 जनवरी 1981 को चीनी का उत्पादन 22.60 लाख मीट्रिक टन था जो रिकार्ड उत्पादन था। अभी भी जो मिनिमम प्राइस ईख की है वह 13 रुपए प्रति क्विंटल ही है। इसे भी रिवाइज कर देना चाहिए क्योंकि इस साल ईख 22 रुपए से 25 रुपए क्विंटल बिकी है।

अब मैं आपका ध्यान इंडेक्स प्राइस आफ एग्रिकल्चरल इनपुट्स की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें गत दस वर्षों में तिगुनी, चौगुनी तक की वृद्धि हुई है। खाद, डीजल, लुब्रिकेटिंग आयल, बिजली, लोहा, ट्रैक्टर, बीज आदि के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जहाँ देहातों में टाटा की बनी कुदाल 1975 में आठ रुपए में मिलती थी वही आज पच्चीस रुपए में मिल रही है। फरगूसन ट्रैक्टर जो 1975 में पच्चीस हजार में मिलता था वह आज नब्बे हजार में मिल रहा है। जिस

रेशियो से इनपुट्स के दाम बढ़े हैं उस रेशियो से कृषि उत्पादन के दाम नहीं बढ़े हैं। 1971 में एक फारगूसन ट्रैक्टर दो सौ क्विंटल गेहूं बेचने से खरीदा जा सकता था और वही आज पांच सौ क्विंटल गेहूं बेचने से खरीदा जा रहा है। उर्वरक के दाम तो बहुत ही बढ़े हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कृषि मन्त्री जी ने मेरा सुझाव गत बार बजट पर हुई बहस के समय मान कर एफ ओ आर रेल हैड की बजाय एफ ओ आर ब्लाक हैड मान लिया था और इसके बारे में यहीं उसी वक्त घोषणा भी कर दी थी। इससे बहुत लाभ हुआ है। और भी अन्य मेरी बहुत सी बातों को वह मान गए थे जिसके लिए मैं कृषि मन्त्री राव वीरेन्द्रसिंह जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

हमारी माली हालत अच्छी नहीं रहने के कारण भारत के किसानों को खेती के लिए ऋण अवश्य ही लेना पड़ता है परन्तु उस ऋण पर सूद की दर बहुत बढ़ जाती है और किसान को 16 प्रतिशत तक सूद देना पड़ता है। इसके विपरीत दुनिया में कृषि के लिए ऋण बहुत ही कम सूद की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। थाईलैंड का रिजर्व बैंक एक प्रतिशत सूद की दर पर कौआपरेटिव बैंक को कृषि के लिए ऋण देता है। कोरिया, जावा, मलेशिया आदि देशों में चार से पांच प्रतिशत सूद की दर पर कृषि के लिए किसानों को ऋण प्राप्त हो जाता है।

आज भी हम आठ सौ करोड़ का एडीबल आयल इम्पोर्ट करते हैं। इससे भारत पर विदेशी मुद्रा का भार बढ़ जाता है। इसे शून्य किया जा सकता है। ऐसा केवल तिलहनों की पैदावार बढ़ा कर किया जा सकता है।

मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में दवा का फ्री स्प्रेइंग करा कर आप मलेरिया का सफाया करना चाहते थे और किया भी है। इसी तरह से कीटनाशक औषधियों का फ्री स्प्रेइंग करा कर कीड़ों का सफाया किया जा सकता है और फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

1980-81 में वनस्पति रक्षण के लिए 52,000 मीट्रिक टन कीट नाशक औषधियों की कुल 213 लाख रुपए की लागत से लगभग 12 लाख हैक्टर भूमि में हवाई व जमीनी छिड़काव की योजना की मंजूरी है। इस साल यानी 1980-81 में टिड्डी दलों के आक्रमण से देश मुक्त रहा है। 1984 85 तक 80 हजार मीट्रिक टन कीट नाशक औषधियों के छिड़काव का प्रस्ताव छठी योजना में है। फ्री छिड़काव से हम देश में तिलहनों की पैदावार बढ़ा सकते हैं और इम्पोर्ट्स घटा कर खत्म कर सकते हैं। आज हालत यह है कि गरीब किसान कीट नाशक दवाइयां खरीद कर उनका छिड़काव नहीं कर पाता है और उसकी फसल मारी जाती है। सरसों को खलिहान में जब ले जाते हैं तो उसके दानों में लाही के कीड़े चले जाते हैं। और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाये तो वे मर सकते हैं और फसल को क्षति होने से बच सकती है, फसल खराब होने से बच सकती है और हमारी विदेशों पर तिलहन के मामले में निर्भरता कम हो सकती है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जो हमें इनके आयात पर खर्च करनी पड़ती है, वह नहीं करनी पड़ेगी।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि साधनों की सप्लाई, सिंचाई के विकास, अनुसंधान, प्रसार सेवा का विस्तार और स्टोरेज की भरपूर व्यवस्था की जानी चाहिए। गेहूं में हमने अच्छी वैरायटी का अनुसन्धान किया है, परन्तु धान में अभी और करना है। धान की डीप वाटर रैसिस्टिंग वैराइटी की खोज होनी चाहिए।

इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलिपाइन्स में ऐसे धान का अन्वेषण हुआ है। इससे लाखों एकड़ डूबी हुई जमीन में अच्छी पैदा हो सकेगी और धान की खेती बड़े पैमाने पर हो सकेगी।

कृषि मन्त्री जी को याद होगा कि गत वर्ष बजट के समय मैंने क्रोप इंश्योरेंस की बात कही थी और मन्त्री जी ने उसको सिद्धान्ततः मान लिया था। आज आवश्यकता है कि इसका सारे देश में विस्तार किया जाय और सभी प्रांतों में इसको लागू किया जाय। अभी कुछ ही जगहों पर यह स्कीम ऐक्सपेरीमेंटल स्टेज पर ही है।

सिंचाई पर प्राइवेट ट्यूब वैल के लिए 50 परसेंट सब्सिडी दी जा रही है और हरिजनों के के लिए 75 परसेंट मिलती है। इस सब्सिडी को चालू रखना चाहिए।

गेहूं, धान, आलू, प्याज का मूल्य बढ़ाया जाये क्योंकि मनी क्राप जैसे गन्ना, कपास के अच्छे दाम मिलते हैं इसलिए लोग इन्हीं फसलों को पैदा करने लगे हैं। शुगर केन का दाम 22 से 25 रुपए तक चला गया है। इसलिए लोग कैश क्रोप्स की तरफ झुक रहे हैं और सीरियल्स की पैदा-वार कम कर रहे हैं। इसलिए सीरियल्स की पैदावार बढ़ाने के लिए गेहूं, धान आदि के दाम भी बढ़ने चाहिए।

कृषि औजारों की दुकान बहुत दूर शहर में रहती है। एक छोटा ट्यूबवैल भी खराब हो जाता है तो किसान पास में उसकी मरम्मत नहीं करा सकता। इसलिए कृषि औजारों की दुकान और मरम्मत की व्यवस्था ब्लाक लेविल पर की जाय ताकि किसान बिगड़े हुए ट्रैक्टर, ट्यूबवैल आदि की मरम्मत नजदीक में ही करा सकें।

स्टोरेज, खाद, बीज, दवा की व्यवस्था पंचायत स्तर पर होनी चाहिये जहां से शीघ्रता से यह चीजें मिल सकें। और टेक्नीकल नो हाऊ आदि भी पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो जिससे अनुसंधानों का लाभ किसान उठा सकें।

सभापति जी, मंत्री महोदय ने कहा था कि बड़े-बड़े गांवों को पिच रोड से लिंक कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है। मेरी मांग है कि छठी योजना काल में 1,000 आबादी वाले गांवों को पिच रोड से मिला देना चाहिये।

छठी योजना में सिंचाई के लिये 10,258 करोड़ रु० की व्यवस्था है, जब कि पाँचवीं योजना में सिर्फ 3,887 करोड़ रु० की व्यवस्था थी। सिंचाई कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अति आवश्यक है, इसलिये इस व्यवस्था का अधिक से अधिक और तत्काल विस्तार किया जाना चाहिए। छठी योजना में 12 लाख कुएँ, 12 लाख प्राइवेट नलकूप और 15,000 सार्वजनिक नलकूप बनाने का प्रस्ताव है। सभापति जी, आप जानते हैं कि पहले कुओं की 15 इंच की दिवाल बनती थी, लेकिन कुछ तकनीकी सुधार बताकर केवल 10 इंच की दिवाल ही बना रहे हैं जिसके कारण कुएं ढह रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 25 इंच की दीवाल कुएं की पुनः की जाय जिससे कुएं मजबूत रहें।

छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों पर भी जोर देना चाहिये। हमारा क्या अधिकार है क्योंकि अभी नेपाल से नदियां निकल कर हिन्दुस्तान में आकर गिरती हैं जिसकी वजह से उत्तरी बिहार के इलाके में एकाएक बाढ़ आ जाती है और किसान बरबाद हो जाता है। इन नदियों के प्रकोप को रोकने का हमारे पास अभी कोई अधिकार नहीं है। इसलिये नेपाल से

बात करके बाढ़ नियंत्रण के प्रोग्राम को तेजी से लागू किया जाय ताकि किसान इस विपदा से बच सके। उत्तम बीज जहां छठी योजना के अन्त तक 58 लाख क्विंटल तक पहुंचना है उसको दुगुना कर देना चाहिये।

देश के 5 हजार इलाकों में कृषि विस्तार सेवा योजना केन्द्र खोलने चाहियें जिससे आधुनिकतम जानकारी किसानों को हो सके। भूमि संरक्षण की योजना में छठी योजना में जहां 305 लाख हेक्टर भूमि में काम करने का प्रस्ताव है उसको और बढ़ाना चाहिये।

कृषि मूल्य आयोग बना हुआ है, बिरला साहब की कार का आयोग बनेगा तो उसमें बिरला साहब रहेंगे और सब लोग रहेंगे, लेकिन कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं, नगण्य हैं। वहां प्रतिनिधि है खाने वालों के लिये। इसलिये कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिये न कि सिर्फ उपभोक्ताओं का होना चाहिये जो सिर्फ खाने की बात करें और किसानों की बात न सोचें। वहां किसानों का बहुमत होना चाहिये, जो कृषि की लागत, खर्च, कठिनाई को समझ सकें और व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान जिन्हें हो।

कृषि उत्पादकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करने की नीति का अनुसरण किया जाये। किसानों के लिये हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिराजी को बहुत हमदर्दी है और भाग्य से हमारे लोकसभा अध्यक्ष और कृषिमंत्री भी किसान वर्ग से आते हैं। यह खुशी की बात है कि ये कृषि की दिक्कतों को जानते हैं, लेकिन जो विरोधी दल है, वह रचनात्मक रवैया नहीं अपना रहा है। यह लोग विध्वंसक रवैया अपना रहे हैं। पहले यह लोग नौकरी पेशे वालों और कल-कारखाने वालों की वकालत करते थे और अब किसानों को भड़का रहे हैं और देश में पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इन्दिराजी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ किसान सुखी हुए तो इन्हें कौन पूछेगा। ये संसद में विरोध-पक्ष में बैठकर भी भलाई की बात करने के बदले देश में अव्यवस्था पैदा कर अपना लाभ उठाना चाहते हैं, फिशिंग इन ट्रबल वाटर करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिये ठीक ही लिखा है :—

ऊंच निवास नीच करतूती।
देख न सकहीं पराई विभूति ॥

वही ये लोग हैं। ये देश को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, किसानों की खुशहाली को नहीं देख सकते और देश की शांति को नहीं देख सकते। इनसे आप किसानों को मुक्ति दिलायें। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारत का किसान भी जब संगठित होकर उद्योगपतियों की तरह अपने उत्पादन का उचित मूल्य तय करने की स्थिति में आ जायेगा तब आप बगैर उचित मूल्य निर्धारित किये एक दाना खाद्यान्न भी गांव से नहीं निकाल सकेंगे। इसलिये मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप किसानों के साथ न्याय करें।

इंडस्ट्री वाले जब चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देते हैं। अतः आप कृषि को ल्युक्रेटिव बनायें। सरकार पर किसानों का बहुत बड़ा भरोसा है।

साथ ही मैं पशु-पालन विभाग के बारे में, जो कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ निवेदन

करना चाहता हूं। दूध देने वाली गायों का विकास बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। अब गाय में जरसी, फ्रीजियन, रेडीश किस्म की जो होती हैं वह बहुत ज्यादा दूध देती हैं और इनका ड्राई-पीरियड बहुत कम होता है। अतः ज्यादा जोर इन्हीं पर दिया जा रहा है। अब शाहीवाल, हरियाना, माऊंटगुमरी आदि की गायें जो दूध कम देती हैं और बछड़े मजबूत खेती लायक देती हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान कम है। इनके ड्राई-पीरियड भी ज्यादा होते हैं, परन्तु खेती लायक बैल ये ही पैदा करती हैं। अतः हरियाणा वैराइटी को भी बढ़ाना चाहिये जिससे खेती में मदद मिल सके।

बड़े-बड़े शहरों में जब अच्छी गायें भी ड्राई हो जाती हैं और बछड़ों को लोग पालना पसंद नहीं करते हैं तो वे बछड़े और गाय कसाइयों के हाथ बेच देते हैं और इस तरह से उनका सफाया हो जाता है। अतः कसाई उनको काटते हैं और भारतवर्ष में गौवंश का ह्रास हो रहा है। इस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को शीघ्र प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जिससे गोवंश की वृद्धि हो और कृषि में लाभ हो।

(श्री के० राजामल्लु पठासीन हुए)

गोबर का इस्तेमाल खाद के लिये ज्यादा होना चाहिये। आप कैमिकल खाद के साथ ओरगेनिक खाद, ग्रीन मैन्योर और गोबर की खाद नहीं देंगे तो खेत वीरान हो जायेंगे और ऊसर हो जायेंगे। इसलिये गोबर का ज्यादा इस्तेमाल कृषि के लिये हो सके और गौवंश की रक्षा भी हो सके।

अन्त में मैं अपने कृषिमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छे कारगर कदम कृषकों के लिए उठा रहे हैं और कृषकों की चिन्ता करते हैं जिससे हमारे कृषकों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। इन्दिराजी ने बहुत कुछ काम किसानों के लिये किया है, हमारी सरकार का भी किसानों पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि हमारा कृषि मंत्रालय किसानों की स्थिति को देखते हुए जो बजट पेश किया है, इससे और तरक्की करेगा और मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय : मैं माँगों का समर्थन कर रहा हूँ और मन्त्री को बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि वह किसान परिवार के हैं और वह कृषकों की कठिनाइयों को जानते हैं।

मैं केवल कुछ ही मुद्दों पर बात करूँगा। हमें कुछ योजना बनानी है, क्योंकि कतिपय राज्य पर्याप्त मात्रा में चावल अथवा गेहूँ का उत्पादन नहीं कर सकते। आपको उनकी अनाज की जरूरतें अन्य राज्यों से पूरी करनी हैं। केरल जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ उष्णकटिबन्धी जलवायु है। वे मसाले तथा कुछ अन्य विशेष प्रकार के बागवानी उत्पाद पैदा कर सकते हैं। योजना के लिए, आपको इस नकदी फसल की खेती का समायोजन तथा विकास करना है।

मैंने हाल ही में अनेक कृषि अनुसंधान स्थानों का दौरा किया है और पाया है कि सभी वैज्ञानिक निष्ठावान हैं तथा राष्ट्र की अच्छी सेवा कर रहे हैं।

नारियल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि एक लम्बे अनुसंधान के पश्चात वे नारियल की बीमारी अर्थात उसकी जड़ों के मुरझा जाने की बीमारी का निदान नहीं खोज सके हैं। उनका कहना है कि वे ज्यादा से ज्यादा पेड़ को काटकर क्षतिग्रस्त भाग को हटाकर फिर उसका आरो-

पण कर सकते हैं। 8 अथवा 10 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद पेड़ फल देना आरम्भ करेंगे। यह एक लम्बी अवधि की खेती है। इसलिए सरकार को इस खेती के बारे में कुछ करना होगा। अब एक नारियल मण्डल गठित किया गया है। क्योंकि यह एक लम्बी अवधि की खेती है अतः इसके लिए आपको कम ब्याज दर पर अधिक धन का आवंटन करना है। रबड़ मण्डल तथा काफी मण्डल की ही तरह इसे भी पुनः आरोपण की योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नकद सहायता देनी होगी।

कोको के सम्बन्ध में सरकार पिछले 3-4 वर्षों से और अधिक कोको के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन दे रही है। दुर्भाग्य से कोको का अब कोई खरीददार नहीं है। मैं यह सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वह कोको तथा टेपियोका की न्यूनतम कीमत निर्धारित करे। दोनों में अच्छे खाद्य गुण हैं। यदि अतिरिक्त उत्पादन होता है तो हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं। टेपियोका से हम पेट्रोलियम की तरह का पावर अल्कोहल पैदा कर सकते हैं। ब्राजील तथा मैक्सिको में टेपियोका से पावर अल्कोहल का उत्पादन किया जा रहा है और वे अपनी मोटर-कारों को चलाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यदि हम इसकी न्यूनतम कीमत अर्थात 50 पैसे या 60 पैसे प्रति किलो निर्धारित कर दें तो इसका उत्पादन बढ़ेगा। इसमें अधिक स्टार्च होता है। हम अच्छी किस्म का पशुओं का चारा भी पैदा कर सकते हैं। हम इस टेपियोका उत्पाद का निर्यात भी कर सकते हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह टेपियोका तथा कोका की न्यूनतम कीमत निर्धारित करे।

सरकार कतिपय कृषि उत्पादों का आयात करती है। यह बहुत दुःख की बात है क्योंकि लम्बी अवधि की कृषि के लिए कृषकों को 8 या 10 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 8 या 10 वर्ष की प्रतीक्षा करने के बाद वे पैदावार देना शुरू करते हैं। इसी बीच यदि वे उत्पाद बाहर से आयात कर लिए जाते हैं तो उसकी कीमतें बिल्कुल गिर जाती हैं। जायफल तथा लौंग की यही दुर्गति हो रही है। पिछले तीन वर्षों में जायफल और लौंग की कीमतें अपनी मूल कीमतों से 30 प्रतिशत गिर गई हैं। कीमतें इतनी गिर जाने पर उसकी खेती करने वाले कैसे जीवित रह सकते हैं? अतः मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वह कृषि उत्पादों का आयात न करे। भारत एक विशाल देश है और हम अपने देश में हर प्रकार के कृषि उत्पादों का उत्पादन कर सकते है और विश्व की मंडियों से भी होड़ लगा सकते हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह दालचीनी, जायफल, लौंग, कोपड़ा तथा नारियल के तेल का आयात न करे। ये सभी उत्पाद अपने ही देश में पैदा किए जा सकते हैं।

इण्डोनेशिया तथा अन्य देशों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण काली मिर्च की कीमतें गिर गई हैं। यह निर्यात की एक परम्परागत मद है। हजारों वर्ष पहले मध्य-पूर्वी तथा पश्चिमी देश भारत आते थे और काली मिर्च खरीदते थे। पहले इसे भारत का काला सोना कहा जाता था। अब कीमतें गिर गई हैं और काली मिर्च की खेती करने वाले इस स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक काली मिर्च मंडल भी गठित करें ताकि काली मिर्च के उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके।

काजू एक अन्य कृषि आधारित उद्योग है जिसके लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। हम इसका पूर्वी अफ्रीका से आयात कर रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों तथा

तमिलनाडु में कितनी ही फालतू भूमि बेकार पड़ी हैं। यदि हम एक काजू मंडल बनाएँ और काजू के पेड़ों की खेती का विकास करें तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और यह श्रम मूलक खेती है। इसलिए, हम श्रमिकों को बहुत काम दे सकते हैं। हम विश्व बाजार में होड़ लगा सकते हैं और और इसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे काजू मंडल भी बनाएं। लम्बी अवधि की खेती के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम बहुत ऊंची दर पर ब्याज वसूल कर रहा है। कुछ उद्योगों तथा छोटे कृषकों को रियायतें दी जाती हैं। उन्हें 4 अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इन ऋणों पर लिए जा रहे ब्याज की दर घटा दें जिससे कि नारियल, जायफल तथा काजू की खेती को प्रोत्साहन मिले। मेरा सुझाव है कि या तो कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाएं अथवा कुछ नकदी सहायता दी जाए।

हम मध्य पूर्वी देशों को केला तथा फल और सब्जियाँ निर्यात कर सकते हैं। वे देश ऊँची कीमत पर सब्जियाँ खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। मद्रास में केला निर्यात निगम था। लेकिन कोई तीन अथवा चार वर्ष पहले उसे समाप्त कर दिया गया था। यदि उस निगम को फिर से स्थापित किया जा सके तो हम केले के फल तथा सब्जियाँ निर्यात कर सकते हैं और काफी विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं।

खाद्य तेलों की कमी है। हमें ताड़ के वृक्ष लगाना शुरू करना चाहिए क्योंकि हमारा उष्ण कटिबन्धी जलवायु इनके लिए उपयुक्त है। मलेशिया और नाईजीरिया काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं क्योंकि उनके पास फालतू खाद्य तेल हैं। यदि हम ताड़ के वृक्ष लगाना शुरू करें तो हम ताड़ के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों में भी आत्म-निर्भर बन सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : और सोयाबीन के बारे में ?

श्री जार्ज जोसफ (मुण्डाकल) : हाँ, सोयाबीन भी। इसके लिए भी सरकार को प्रोत्साहन देना है। लोग अपनी खाने-पीने की आदतें आसानी से नहीं बदलते। हमें नारियल, जायफल, कोका तथा इसी प्रकार के अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन तथा उपभोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब कोका उत्पादन से पैदावार मिलना शुरू हो गई है। लेकिन उसे खरीदने वाले नहीं हैं। पहले यह 16 रु० प्रति किलो के भाव से बिकता था लेकिन अब इसका दर घटकर 5.30 रु० आ गया है। केरल विपणन फैडरेशन इसकी खरीद कर रही थी। अब इसकी खेती करने वालों को कोका बीन बेचने में कठिनाई हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह काजू की खेती में अधिक रूचि ले तथा अन्य कृषकों को प्रोत्साहन दें।

सभापति महोदय : श्री मोहन भाई पटेल।

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की मांगों को मैं सपोर्ट करता हूं और कृषि मंत्री को मैं बधाई भी देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था उसमें से जय जवान के सम्बन्ध में कल हमने उसकी ग्रान्ट पर चर्चा की। आज जय किसान का जो उनका नारा था उसके अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

कृषि का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 81 का जो साल है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा

जाएगा क्योंकि अधिकांश राजनैतिक दलों ने 1981 में किसान रैलियों का आयोजन किया है।

हमको यह जानना चाहिए खास करके कृषि मंत्रालय को कि आज तक 30 साल से हमारा जो कारोबार चल रहा है उसमें न्यू अप्रोच की जरूरत है, नये आउटलुक की ज़रूरत है। थोड़े से पैच वर्क से काम चलने वाला नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है जो इन्टेलिजेंटली वाच कर सके कि 30 साल में हमारी कौन सी क्राप की कितनी बुवाई हुई और कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी हमारी जरूरत है, किस चीज का दाम कम होगा और किस चीज की खरीद में हमें सपोर्ट देनी होगी। हर दफा किसानों को हर एक चीज के लिए आन्दोलन करना पड़ता है। वह इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा तन्त्र नहीं है कि जिससे आगे से वह इन्टेलिजेंटली वाउच कर सके कि इस चीज का हमें तन्त्र तैयार करके खरीदने की जरूरत होगी। इसके लिए हमें पूरे अप्रोच की जरूरत है।

आज जो उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं वे सस्ते दाम में मांग रहे हैं और जो पैदा करते हैं वह ज्यादा दाम माँग रहे हैं।

तो इसके बारे में एक नई अप्रौच की जरूरत है। कृषि मंत्रालय यदि चाहे तो इस बात पर विचार कर सकता है कि आज भारत के किसानों की स्थिति क्या है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आज भारत के किसानों पर कितना ऋण है? 1971 के बाद इसका कोई सर्वे नहीं हुआ है। केवल 1971 में एक ऐसा सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक किसानों पर चार हजार करोड़ का ऋण था लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इससे भी ज्यादा, दो-तीन गुणा ऋण भारतीय किसानों पर है। किसान लोग दिन रात काम करते हैं, फटा कपड़ा पहनते हैं, धूप में काम करते हैं, किसान के अलावा और कोई भी व्यक्ति भारत में 8 घंटे धूप में काम नहीं करता है, सिर्फ किसान ही करते हैं या फिर खेती से जुड़ें हुए मजदूर करते हैं। लेकिन आज उनकी क्या हालत है? उनकी हालत को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आज इतने सालों के बाद भी गेहूं के दाम 25 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं बढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में हमारा प्राइस इन्डेक्स 33 परसेन्ट बढ़ा है जबकि खेती की पैदावार का प्राइस इन्डेक्स 23 परसेन्ट ही बढ़ा है। इसलिए जब हमारा 33 परसेन्ट प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है तब वह किसानों को भी क्यों नहीं मिलता है?

दूसरी बात यह देखने की है कि किसानों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके दाम कितने गुने बढ़े हैं? किसान को जो डीजल 80 रुपए बैरल मिलता था उसके दाम 500 प्रतिशत बढ़ गए हैं। रासायनिक खाद के दाम 250 से 300 प्रतिशत बढ़े हैं। पेस्टिसाइड्स के दाम 300 से 400 प्रतिशत बढ़े हैं। किसान को अनाज के अलावा सारी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं चाहे वह जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हों या सामाजिक व्यवहार अथवा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की वस्तुएं हों। इन सभी चीजों का बाजार में प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया है और उसी भाव पर किसान को वह वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं।

(व्यवधान)

अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुए हैं, मुझे बहुत से प्वाइन्ट्स कहने हैं।

यह जो एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन बना है उसके तरीके को भी बदलने की जरूरत है।

उसको नए डायरेक्टिव दिये जाने की जरूरत है। वह जो प्रोक्योरमेंट प्राइस ग्रौर कास्ट प्राइस निकाल रहा है वह पुराना तरीका ग्रब नहीं चल सकेगा। पूरे इंडेक्स के साथ हमें चलना होगा। फूडग्रेन्स की सप्लाई के बारे में भी नए विचारों की जरूरत है। जो लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं उनको कम कीमत पर नेसेसिटीज ग्राफ लाइफ दी जानी चाहिए। जो लोग सौ रुपए का टेरीकाट का पैण्ट पहनते हैं ग्रौर हर सप्ताह में दो पिक्चर देखते हैं उनको साढ़े तीन रुपया किलो चीनी देने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि फेयर प्राइस शाप्स के लिए ग्राज दो प्रकार के राशन कार्डों की जरूरत है—ग्रीन कार्ड ग्रौर रेड कार्ड। ग्रीन कार्ड पर बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को सस्ते दाम पर वस्तुएं उपलब्ध की जायें ग्रौर जो वर्ग दस हजार वार्षिक ग्रामदनी या ऊपर वाला हो उसे रेड कार्ड दिया जाये। ग्रगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो इन्कम टैक्स पे कर रहे हैं वे भी लो प्राइस से लाभान्वित होंगे।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एग्रीकल्चरल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की मांग करता हूं, जो कि यह देखे कि जो गन्ना जला देना पड़ता है, ग्रोनियन फेंक देना पड़ता है, वह न फेंकना पड़े। वह इस प्रकार की प्लानिंग करें कि उसका पूरा-पूरा प्रयोग हो सके। एक बात मैं नाफेड के बारे में पूछना चाहता हूं—नाफेड को 50 हजार टन ग्राउन्डनट एच० पी० एस० का एक्सपोर्ट करने का कोटा दिया गया जिससे उसको 50 करोड़ का मुनाफा हुग्रा, इस बारे में क्यों हमें उससे पूछना नहीं चाहिए? गुजरात में ग्रोनियन 25 रु० में लेने को कोई तैयार नहीं है, तो क्या वह उसको खरीद नहीं सकता है? मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ग्राप महाराष्ट्र से ग्रोनियन की खरीद चार साल से कर रहे हैं, लेकिन गुजरात से क्यों नहीं करते हैं? मैं इस बारे में ग्रापको ग्राँकड़े दे सकता हूं।

'नेफड' ने प्याजों की खरीद इस प्रकार की है (टनों में):

	महाराष्ट्र	गुजरात
1976-77	35672	शून्य
1977-78	94308	1748
1978-78	98451	14000
1979-80	1,89,000	15000
1980-81 (8-3-81 तक)	84532	शून्य

मैं बताना चाहता हूं कि 65 रुपए से 75 रुपए प्रति क्विंटल ग्रोनियन की खरीद महाराष्ट्र से की जा रही है, लेकिन गुजरात में 25 रुपए में भी कोई खरीदने वाला नहीं है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि नफेड जो कि तेल के बीजों के निर्यात से करोड़ों रुपए ग्रर्जित कर रहा है, को कहा जाना चाहिए कि वह गुजरात से प्याज खरीदे।

दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, वह है एच० पी० एस० के ग्राउण्ड नट का। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एग्रीकलचरल मिनिस्ट्री, सिविल-सप्लाइज मिनिस्ट्री ग्रौर कामर्स मिनिस्ट्री का ग्रापस में कोग्रार्डिनेशन नहीं है, जो कि होना चाहिए......... **(व्यवधान)** एच० पी० एस० के दाम प्रदेशों में 20 हजार रु० टन है ग्रौर हिन्दुस्तान में पांच हजार रु0 टन।

मैं यह पूछता हूं कि आप क्रशिंग करके क्या एडिबल आयल बनायेंगे ? जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है, तो वह प्रदेशों में 20 हजार रु० टन बिकता है और कृषि मंत्रालय में फाइल रुक जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार लाख टन एच० पी० एस० एक्सपोर्ट करने से क्या मिलता है—उसमें से 800 करोड़ रु० की फारेन एक्सचेंज मिलती है, जिसमें से 16 लाख टन एडिबल आयल मंगवा सकते हैं, जो हमारा दस लाख का घाटा है, वह पूरा किया जा सकता है और इसमें 120 करोड़ रु० की डयूटी हमें मिलती है यदि तीन हजार रु० टन हो। यदि 16 लाख टन एडिबल आयल मंगवाया जाए तो 40 करोड़ रु० की और ड्यूटी हमें मिलती है। दूसरे प्रदेशों से पाँच से छः रु० तक प्रति किलो तेल हमारे यहां पहुँचता है और वह 12 से 15 रु० तक बिकता है। यदि हम चार लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 1 लाख 45 लाख टन तेल बाहर चला जाता है।

सभापति महोदय; अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना वक्तव्य अगली बार जारी रखेंगे।

गैरु-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव

21वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 8 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 8 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : यह सभा अब पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित 27 मार्च, 1981 को प्रोफेसर नारायण चन्द पराशर द्वारा किये गए प्रस्ताव पर आगे की चर्चा प्रारम्भ करेगी। चूंकि अनेक माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे 3 या 4 मिनट से अधिक समय न लें।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जनाब चेयरमैन साहब, प्रो० एन० सी० पराशर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है मैं उसकी सपोर्ट में बोलना चाहता हूं। इस ऐवान के सामने उन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश किया है वह एक ऐसे वक्त में आया है जबकि हमारा मुल्क फिर एक बार हमारी महबूब लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी की लीडरशिप में हर तरह से हमारी तरक्की की राह पर गामजन हुआ चाहता है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इनको पास्ट में काफी नेग्लैक्ट किया गया है, शायद डेलिब्रेटली न किया गया हो, कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पहाड़ी इलाकों में रोड कम्यूनिकेशन का न होना सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से उनकी तरक्की की तरफ आज तक कोई तवज्जह नहीं दे पाये हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप रोड-कम्यूनिकेशन को, रोड-मैट-वर्क या पुलों को नहीं बनाते हैं तो इन पहाड़ी इलाकों की किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा सरकार को चाहिए कि दूसरी चीजों की तरफ तवज्जह देने से पहले रोड्स की तरफ सबसे पहले तवज्जह दे। अगर रोड्स होंगी, सड़कें होंगी, तब जो दूसरे तरक्कियात के काम हैं, जैसे इण्डस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, वाटर सप्लाई है, हैल्थ के काम हैं, या जो भी काम हैं उनकी तरफ तवज्जह दे पाएंगे।

लिहाजा मैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पहाड़ी इलाकों के रोड कंस्ट्रक्शन की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जह दें।

जनाबेवाला, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, अब चूंकि आपने घंटी बजाना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं कांस्टीटुयेन्सी की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। प्लानिंग मिनिस्टर साहब को पता है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को पता है कि जम्मू व कश्मीर को गाडगिल फारमूला एपलाई नहीं होता है और जम्मू व कश्मीर के अलावा कई और भी स्टेट्स हैं, जिनको यह फारमूला एपलाई नहीं होता है। यह फारमूला बनाया गया था, तो खसूसी तौर पर जम्मू व कश्मीर ने सेन्ट्रल गवर्नमैंट के सामने यह रिप्रेजेन्ट किया था कि अगर गाडगिल फारमूले को एपलाई किया गया, तो जम्मू व कश्मीर, जो ऐसी स्टेट है जिसमें ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, वहां पर स्केटर्ड पापूलेशन है, इलाका ज्यादा बड़ा है लेकिन पापूलेशन कम है, कोई इस फारमूले के लिहाज से जो प्लान एलोकेशन्स हैं जो फंड्स हैं, वे नहीं मिल सकते हैं। लिहाजा इस बिना पर उसको उसका हक नहीं मिल सकता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिना पर आज तक जो फंड्स हमारी स्टेट लेती रही है—बदकिस्मती से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वहां की सरकार यहां की पापूलेशन के एगेन्स्टस और उस इलाके के एरिया को सामने रख कर पैसा हासिल करती आई है—वहाँ जाकर उसने दूसरा स्टैन्डर्ड एपलाई करना शुरू कर दिया। वहां पर वे कहते हैं कि पापूलेशन के हिसाब से पैसा लिया जाए। नतीजा यह हुआ कि जो पहाड़ी इलाका है, मेरी कांस्टीटुयेन्सी लद्दाख का सबसे बड़ा इलाका है, और मैंने कई बार इस ऐवान के सामने कहा है कि 97 हजार स्क्वेयर किलोमीटर का यह इलाका है और हरियाणा और पंजाब से तीन गुना मेरी कांस्टीटुयेन्सी अकेली है, उसको कम पैसा मिला है। वहां पर पापूलेशन बहुत कम है और स्केटर्ड है। उन्होंने वहां पर पापूलेशन के बेसिस पर पैसा बांटना शुरू कर दिया और ऐसा करने में कुछ कम्युनलइज्म उनके जहन में आया—ऐसा मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अफसोस है कि मुझे यह कहना पड़ता है—और जानबूझ कर उन्होंने यह किया क्योंकि काश्मीर वैली जो है, वह बहुत ज्यादा थिकली पापूलेटेड एरिया है और वहां पर मेजोरिटी जो है, वह हमारे

मुस्लिम फिरके से ताल्लुक रखती है । दूसरा इलाका जो जम्मू का है और जो एक बड़ा एरिया है, वहाँ पापूलेशन कम है और मैजोरिटी हिन्दुओं की रहती है और उसमें लद्दाख सबसे बड़ा एरिया है, जो कि 2/3 जम्मू व काश्मीर के एरिया का होगा । वहाँ मेजोरिटी हिन्दुओं की है लेकिन वहां की हमारी सरकार का जहन कम्युनल है और खसूसी तौर पर जो इस वक्त सरकार वहां पर है, उसने यह काम करना शुरू किया । उन्होंने वहां पर कम्युनलइज्म का एक बीज डाल दिया और उस बेसिस पर और दूसरे पापूलेशन को एक बेस बना कर, उन्होंने वहां पर पैसा बांटना शुरू किया । नतीजा यह निकला कि जो गरीब लोग हैं, जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं । दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाया और जो शहरों में रहते हैं, उनको ही मैक्सीमम फायदा मिला और अभी भी मिल रहा है ।

यह जो आने वाला छटा पांच-साला प्लान है, इसमें जम्मू व काश्मीर को 900 करोड़ रुपया दिया गया है । मैं समझता हूं कि अगर सही तौर पर रकम को इस्तेमाल किया जाए, तब तो यह जो 900 करोड़ रुपया है, यह भी कम है । लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वह यह हो रहा है कि दिन-दहाड़े सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है और जो पैसा है वह नान-प्रोडक्टिव स्कीम्स पर डाला जा रहा है जिससे कि उनकी जेबें ज्यादा आसानी से भरी जा सकें ।

ये सारे नतीजे आपके सामने हैं । इन हालात में आप पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ कर सकते हैं ? यह जो गाडगिल फारमूला था, वह तो वे यहां से लड़कर ले गये और कह गये कि हमें पापूलेशन के आधार पर नहीं चाहिये लेकिन वहां जाकर के इसको पापूलेशन के बेसिस पर एपलाई कर रहे हैं । मैं प्लानिंग मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे इसके बारे में एक कमेटी मुकर्रर करें जो कि इन सारी चीजों को देखें ।

इसमें प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर ने भी एक कमेटी बनाने की बात कही है । उसकी मैं ताईद करता हूं । माइनोरिटीज जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाली हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है, जब तक आप यह अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे । आप शायद कह देंगे कि हम दूसरी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इसलिये बराये मुखालफत इसकी मुखालफत करते हैं । लेकिन यह बात नहीं है । आप यहां जाकर खुद देख सकते हैं कि उनके एटीच्यूड की वजह से वहां पर लोगों में क्या जजबा है । वहाँ पर पिछली सर्दी में, आपने सुना भी होगा कि काफी एजीटेशन हुआ था । वहां के लोगों के काफी शोर करने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको अभी तक काश्मीर सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है । उस एरिये को शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेअर करने के लिए कहा था लेकिन हमें तो इस बात की कोई इत्तिला नहीं है कि वहाँ की सरकार ने हिन्द सरकार को क्या रिकमण्डेशन भेजी है, या नहीं भेजी है ? यह तो हमें पता लगना चाहिए और यह भी पता लगना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने रिकमण्ड किया है ?

इसी तरह से मैं उन लोगों के एटीच्यूड की बात करता हूं । जम्मू काश्मीर में लद्दाख एक सबसे बेकवर्ड पहाड़ी इलाका है और सबसे सेनसिटिव पहाड़ी इलाका है । उस एरिये में बुद्धिस्ट्स माइनोरिटीज रहती हैं । जम्मू काश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और बाकी जो हिन्दू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं माइनोरिटीज में हैं । उनकी नीयत कुछ इस तरह की है जो माइनोरिटीज कमीशन है, जो बेकवर्ड लोगों के और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हाई पावर्ड पेनल्स हैं उनकी जुरिसडिक्शन उस स्टेट में न हो । वे आर्टिकल 370 को इस्तेमाल करके उनकी

जुरिसडिक्शन वहां ले जाने की इजाजत नहीं देते। वे कहते हैं हमको ये कमीशन नहीं चाहिए क्योंकि माइनोरिटी कमीशन मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है और हमारी स्टेट में मुस्लिम्स की मेजोरिटी है इसलिए हमें कमीशन की जरूरत नहीं है। इन हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों की भलाई हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं होगा। अगर यह है तब तो मैं यही कहूंगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए जो पाराशर जी ने रखा है उसकी मैं पुरजोर ताईद करता हूं और यह कहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बना करके सारे पहाड़ी इलाकों में भेजा जाए।

दूसरा सजेशन मेरा यह है कि जो हाई पावर्ड पेनल और कमीशन हैं ये ओवरलेपिंग कर रहे है। इनको यह भी देखना चाहिए कि जो बेकवर्ड एरियाज में रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में माइनोरिटीज के लोग हैं, शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी भलाई के लिए अच्छी तरह से वे कैसे देखभाल कर सकते हैं।

चेयरमेन साहब, अभी कहने के लिये मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं चन्द लफ्जों में प्रो॰ एन॰ सी॰ पराशर के रिजोल्युशन की ताइद करता हूं और साथ-साथ मैं आनरेबल प्लानिंग मिनिस्टर से दुबारा अर्ज करता हूं जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खासतौर से जम्मू काश्मीर में, उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत है। जब तक उस पर सही तरीके से निगाह नहीं रखेंगे तब तक पैसे का सही उपयोग नहीं हो सकता। जितना पैसा आप प्लान के लिए दे रहे हैं वह प्राइवेट लोगों की जेब में जा रहा है, जो पार्टी वहां पर पावर में है, उनकी जेब में जा रहा है और सही काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी तरफ आपको देखने की जरूरत है।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और वचन देता हूं कि मैं दस मिनट से अधिक समय नहीं लूँगा।

पिछड़े क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्याएं हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसका और भी अधिक महत्व है, जैसा कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले ने सुझाव दिया है।

इन पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं और, यदि॰हम राज्य की तुलना में इन पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रतिशतता क्षेत्र की प्रतिशतता, आबादी के घनत्व की प्रतिशतता पर विचार करें तो हमें पता चला है कि विकास बिकुल नहीं हुआ है।

जहां तक व्यवसाय का सम्बन्ध है, 1971 की जनगणना के अनुसार लगभग 75.8 प्रतिशत मजदूर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, इन पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी-छोटी जोतें अधिक हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 63.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। इन पर्वतीय क्षेत्रों की यह स्थिति है।

विगत में विकास के लिए अपनाए गए मानदण्डों का परिणाम यह हुआ है कि आर्थिक विकास के लाभों का वितरण, भौगोलिक दृष्टि से तथा समाजार्थिक वर्गों की दृष्टि से विषम रहा है। इस प्रवृत्ति को महसूस करते हुए ही कतिपय विशिष्ट-लक्ष्य-वर्ग-मूलक कार्यक्रम शुरू किये गये थे। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया। एस. एफ. डी. ए. तथा एम. ई. ए. एल. जैसे कार्यक्रम चौथी तथा पाँचवी योजनाओं के दौरान शुरू किए गए थे। इन कार्यक्रमों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सका।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह हमें यह बताएं कि इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किस प्रकार होगा और इनके परिणाम क्या होंगे।

इन विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सूखाग्रस्त इलाकों, रेगिस्तान और आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे। किन्तु इन कार्यक्रमों के बावजूद, कुछेक भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति और सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में जब तक विशेष ध्यान न दिया जाए तो वर्तमान योजना प्रक्रिया और इसके अधीन बनने वाली स्कीमों से उन्हें बड़ी सहायता नहीं मिलती। देश के पहाड़ी क्षेत्र इसी वर्ग में आते हैं।

इस समस्या विशेष के बारे में विचार करते समय नए कार्यक्रम बनाने होंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को और अगर कोई समिति नियुक्त की जाती है तो इस समिति विशेष के सदस्यों को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। देश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास साथ के मैदानी क्षेत्रों को अलग करके नहीं किया जा सकता क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियां और मैदान दोनों ही होते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के साथ, इन घाटियों और मैदानों का मुकद्दर जुड़ा होता है। और उनकी अर्थव्यवस्था में नजदीकी का रिश्ता होता है। इन पहाड़ी क्षेत्रों को विकास के लिए योजना बनाते समय इस तथ्य पर भी विचार करना होगा।

विभिन्न रिपोर्टों से हमें यह भी पता चला है कि पहाड़ी क्षेत्र, कुछ हद तक मैदानी क्षेत्रों की जलवायु पर भी प्रभाव डालते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत-सी बड़ी नदियों के, जो मैदानी क्षेत्रों में बहती है, के प्रावाह क्षेत्र और जलविभाजक हैं। तीसरे इन पहाड़ी क्षेत्र में जंगल, पौधे और खनिज सम्पदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अतः इन पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मिश्रण को ध्यान में रखकर मैं महसूस करता हूं कि इन क्षेत्रों के स्रोतों के संरक्षण और उचित प्रयोग के लिए पर्याप्त कार्यक्रम बनाये जाएं। अन्यथा इन क्षेत्रों की समस्याओं का हल नहीं होगा और इससे मैदानी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां की एक और समस्या भी है जो इस पहलू से लाक्षणिक हैं और वह है बांधों और जलाशयों में तीव्र गति से गाद का भरना। प्रोफेसर साहब ने भी इसका उल्लेख किया है। बाढ़ कृषि-जलवायु परिस्थितियों आदि में परिवर्तन और बेरोजगारी का बढ़ना क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी क्षेत्रों से ही आते हैं, आदि अन्य समस्याएं भी हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसे पहाड़ी क्षेत्र तो नही कहा जाता किंतु लयाबरी में गांव तो हैं। मैदानी क्षेत्रों में मेरे लोगों द्वारा भी कुछ समस्याओं का सामना किया जाता हैं। वे इस स्थान विशेष से प्रवास करते हैं।

मेरा जिला भी काफी बड़ी मात्रा में मनी-आर्डर द्वारा पैसा भेजे जाने के लिए भी देश में प्रसिद्ध है। सम्भवतः देश में यही एक स्थान ऐसा है जहां कि प्रत्येक महीने बम्बई में रहने वाले लोग 1,80,00,000 रु० की राशि के मनी-आर्डर भेजते है। ये सभी लोग पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। इससे प्रवास की मात्रा का पता चलता है।

इस क्षेत्र के स्रोतों का विकास अत्यावश्यक है ताकि वहां रहने वाले लोगों को भी आधुनिक विज्ञान और प्राद्योगिकी के लाभ प्राप्त हो सकें।

मेरे अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और परिस्थिति के सुदृढ़

सिद्धांतों के आधार पर एक एकीकृत प्रणाली बनाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

मुझ से पहले मेरे सहयोगियों द्वारा पहले ही उठाये गए मुद्दों के अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि इस क्षेत्र को भूमि कटाव से होने वाली क्षति से बचाया भी जाए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जंगलों के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे।

यद्यपि उक्त मुद्दे अन्य सदस्यों द्वारा भी उठाए गए थे और उन्हें प्रभावकारी सुझाव भी दिये थे किंतु उन सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया गया।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान पशु-पालन के विकास के कार्यक्षेत्र की ओर भी दिलाना चाहूंगा।। चौथी और पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसका उल्लेख किया गया था। जब मैंने पशु-पालन के विकास हेतु योजना की प्रगति के बारे में प्रश्न पूछा तो उत्तर में एक व्यापक स्कीम बताई गई और उसकी प्रगति का हवाला दिया गया। उत्तर में बताई गई प्रगति संतोषजनक नहीं है।

अन्य कारक, जिस पर विचार किया जाना चाहिए, संरक्षण और पर्यावरण है।

इन सबके लिए वैज्ञानिक योजना, वैज्ञानिक पद्धतियों नवीनतम आंकड़ों सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिये कदम उठाए जाने अत्यावश्यक हैं।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि विशेष परिस्थिति, सीमा की स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति और मैदानों तथा घाटियों के परस्पर सम्बन्धों को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं एक बार फिर से प्रोफेसर साहिब का समर्थन करता हूं और उन्हें यह संकल्प लाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें इस क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। उस संकल्प के पाठ से पता चलता है कि इन 33 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास हेतु बनाई गई स्कीमों के बावजूद भी यह अभी तक पिछड़ा हुआ ही है और इसके विकास के लिए काफी कुछ करना बाकी रहता है।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, मैं पराशर की अहसानमन्द हूं कि इतना अच्छा संकल्प उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है और हमको एक अवसर दिया है कि हम आपके और सदन के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से कुछ प्रार्थना कर सकें, कुछ कह सकें, जिन्हें यदि मैं अपने प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो कह सकता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर विकास की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं श्री नारायण दत्त।

और सौभाग्य से हमारे पर्वतीय क्षेत्र को आज वह व्यक्ति देश के योजना मंत्री हैं इन्दिरा जी ने उनको भारत की प्रगति की रूप रेखा बनाने का दायित्व सौंपा है। मैं समझता हूं कि जो दिक्कत और अनुभव उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में हुए हैं उनका लाभ निश्चित रूप में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को मिलेगा।

जहां तक मैं समझ पाया हूं देश के अन्दर जो कुछ मूल समस्याएं हैं पर्वतीय क्षेत्रों में उनसे लगी हुई समस्याएं तो हैं ही, कुछ ऐसी भी समस्याएं हमको विरासत में मिली हैं जो औरों के साथ नहीं हैं। इसलिए हमें पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में एक विशिष्ट संदर्भ में सोचना पड़ता है। शायद इसी कारण इन्दिरा जी ने योजना आयोग में पहले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक सैल बनाया था। दुःख की बात है कि जनता पार्टी के शासन काल में उस पृथक सैल की कार्य विधि को नियंत्रित कर दिया गया और उसके साथ पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ दिया गया। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों के साथ होने से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर विशिष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए योजना विभाग में पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं के लिए विशेष सैल होना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं उन्हीं के संदर्भ में सोची जा सकें और उन पर कुछ कार्यवाही हो सके। उसी तरीके से प्रांतों का भी कहा जाना चाहिए जहां पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, नोर्थ ईस्टर्न क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर आदि यह सब प्रांत अपने यहां योजना विभाग में हिल्स के लिए एक अलग सैल बनाएं। उत्तर देश में ऐसा सैल नहीं है। मंत्रालय जरूर बना दिया गया है। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मन्त्रालय तो योजनाओं को कार्यान्वित करता है जिनको प्रांतों के योजना विभाग बनाते हैं। वह सारे प्रांत के संदर्भ में योजना तैयार करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में नहीं। और अगर प्रांत के संदर्भ में बनी योजना को कार्यान्वित किया जाएगा तो क्रियान्वयन और योजना बनाने में फर्क हो जाता है जो स्वाभाविक है उस डिफरेंस को यदि हम सोचें तो कुछ ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि करोड़ों रु० खर्च करने के बावजूद भी हमको अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र जहां की जमीन (मिट्टी) हर किलोमीटर पर बदलती है, यदि एक किलोमीटर ऐल्कैलाइनिक टायप होती है तो दूसरे किलोमीटर पर दूसरी तरह की जमीन होती है जहां जलवायु में दो, तीन किलोमीटर पर परिवर्तन होता है तो वहां पर कंसेप्ट आफ एरिया प्लानिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिये। वहां की प्लानिंग जिला मुख्यालय, ब्लाक हैड-क्वार्टर चुननी चाहिये और तब प्रांत स्तर पर जाए। तब क्रियान्वित हो तो ठीक रहेगा। इस तरह का प्रोसेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, और प्रांतों का मुझे ज्ञान नहीं है।

माननीय पराशर जी ने जो संकल्प रखा है उसमें उन्होंने कुछ जो प्रांतीय सरकारों के करने की बात है उसके अलावा केन्द्रीय सरकार के दायित्वों की तरफ भी इशारा किया है। मैंने 1980-85 का ड्राफ्ट प्लान पढ़ा है इसमें आपने पिछड़े क्षेत्रों की जो परिभाषा दी है उस से हम सहमत हैं। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रा स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ताकि औद्योगिक विकास हो, उनके लिए जिन बिंदुओं को आपने चिन्हित किया है उन पर कितनी कार्यवाही हुई है इसको भी आप देखें। ऐसे भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां आजादी के 32 साल बाद भी एक इंच रेल नहीं गई है।

जहां रोड्ज नहीं गई हैं, वहां उन्नति, प्रगति कैसे आ सकती है और विकास की रोशनी कैसे आ सकती है? आपने कहा कि रोड्ज को वहां डैवलप किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जितना पैसा आप देते हैं वह इतना कम है कि यदि हम उसको मैदानी क्षेत्र के हिसाब से सोचें, जितना मैदानों की रोड्ज और दूसरे तीसरे ट्रांस्पोर्टस की सुविधाओं पर आप खर्च करते हैं तो उसका प्रतिशत आधा भी नहीं बैठता है। इसके लिए धन बढ़ाने की जरूरत है। वहां रेल के जाने

की कोशिश करनी चाहिये । अगर रेलों की सुविधाएं पैदा नहीं कर सकें तो वहां तात्कालिक तौर पर ज्यादा राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये और सैंट्रल पूल में से और ज्यादा सहायता दी जानी चाहिये ताकि वहां हम रोड्ज का विस्तार कर सकें जिससे वहां का कच्चा माल बाहर आ सके और बाहर से कच्चा माल, वहां पर जिन इकाइयों को स्थापित कर रहे हैं, उनको वह प्राप्त हो सके ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जो भी हमारे केन्द्रीय संचार विभाग या दूसरे तीसरे विभाग हैं, उन सबको यह कहा जाना चाहिये । केन्द्रीय योजना आयोग के द्वारा कि वह उनके लिए इतना धन मुहय्या करे कि वह सब सुविधाएं वहां विस्तृत हो सकें ।

जंगल के विषय में मैं इतना चाहूंगा कि हमारे दोस्त श्री परुलेकर जी ने जो कहा कि पर्वतीय क्षेत्र मैदानों की क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि सारा गंगा और यमुना का मैदानों का इलाका पर्वतीय क्षेत्रों के जंगल पर अपना जीवन निर्भर करता है । लेकिन आज वहां की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है जिस तरह से प्रांतों की सरकार अपने विकास के दबाव में आकर पैसे के लिये वहां के जंगलों को काट रही हैं उससे गंगा यमुना के सारे मैदानों को एक प्रकार का खतरा पैदा हो गया है । अगर हम ने प्रांतीय सरकारों द्वारा जंगलों के कटान को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया, चाहे सरकारी तौर पर उनका कटान हो रहा हो या प्राइवेट कंट्रैक्टरों द्वारा वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उनका कटान हो रहा हो तो मैदानों को बाढ़ की विभीषिका से रोका नहीं जा सकता । सूखे के प्रभाव से नहीं बचाया जा सकता और वहां के डैम्स को सिल्टिंग से नहीं बचाया जा सकता ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि हमारी धरती की क्षमताएं कितनी हैं, हमारे जलस्त्रोतों में कितनी ताकत है, हमारी जमीन में किस-किस तरीके की उपयोगिता छिपी हुई है । हम चाहते हैं कि हमारें पर्वतीय क्षेत्रों का टैक्नो-इकनामिक सर्वे करवाया जाए और लैंड केपेबिलिटी का सर्वे कर पता लगाया जाए । अगर यह काम प्रान्त की सरकारें नहीं करती हैं तो केन्द्रीय योजना आयोग अपने संसाधनों से वहां का टैक्नो-इकनामिक सर्वे करवाये ताकि वहां के विकास का काम योजनाबद्ध तरीके से हो सके ।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आज पेयजल का संकट पैदा हो गया है । वहां पर लोगों को 5-5 और 6-6 किलोमीटर की दूरी से पेयजल लाना पड़ता है । वहां के लोगों का एक-चौथाई श्रम पेय-जल लाने में व्यतीत होता है । मैं चाहूंगा कि योजना आयोग चाहे वर्ल्ड-बैंक से धन उपलब्ध करावे या किसी दूसरे-तीसरे साधन या एल. आई. सी. से ऋण ले या अपने साधनों से प्रान्त की सरकारों को पैसा दे और केन्द्रीय योजना आयोग इस बात की जिम्मेदारी ले कि 5-6 साल में योजनाबद्ध तरीके से वहां के पेयजल की समस्या का निदान हो सके ।

जो वहां के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए हमने सोशल एमिनिटी जैनरेट कर ली हैं । अब सोशल एमिनिटी के तौर पर सड़क, बिजली और दूसरी चीजें और चाहिएं । लेकिन जब तक इन-कम जैनरेटिंग सैक्टर में काम नहीं होगा तब तक वहां के लोग माइग्रेट होकर मैदानों में आना नहीं छोड़ेंगे । इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में यदि कोई लड़का हाई-स्कूल पास करता है तो वह नौकरी के लिये मैदानों में आ जाता है । आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे-ऐसे गांव हैं जहाँ कोई चिट्ठी नहीं पढ़

सकता है। वहां के लोगों को वहीं रोकने के लिये उनको वहां रोजगार प्राप्त हो सके, लोग अपने पेट के सवाल को पहाड़ों में रहकर हल कर सकें, इन बातों की व्यवस्था करनी होगी।

पहाड़ों में पेट के सवाल को हल करने के लिए अगर हम वहाँ पर बड़े-बड़े उद्योग भी नहीं लगा सकते हैं, तो छोटे उद्योगों के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहिए। इस बारे में प्रांतों की सरकारों का दायित्व निर्धारित करना चाहिए। केन्द्र का इण्डस्ट्रीज मंत्रालय कहता है कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबन्ध करेंगे, लेकिन वह प्रबंध केवल, कागजों पर ही रह जाता है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके लिए जरूरी है कि प्रांतीय सरकारें एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनाएं और टारगेट निश्चित करें कि इतने समय के अन्दर इतना औद्योगीकरण करना है। इसके अन्तर्गत वहाँ पर ऐसे एरियाज निर्धारित किये जायें, जहाँ औद्योगिक इकाइयां और काम्प्लेक्स स्थापित किये जा सकते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रानिक्स और दूसरी लाईट इण्डस्ट्रीज को सरकारी क्षेत्र से स्थापित किया जा सकता है : मुझे हिमाचल प्रदेश की बात ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में लाइट इंडस्ट्री के नाम पर भी पब्लिक सेक्टर में कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भी रिजनल इम्बैलेन्सिज पैदा हो गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ भाग तराई का होता है और कुछ पहाड़ का होता है। यदि हम उन दोनों के बारे में अलग-अलग इकाई के रूप में नहीं भी सोचते हैं तो कम से कम विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से उनका पृथक-पृथक प्लानिंग करना चाहिए, तदुपरांत धन भी खर्च करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय पूल से पैसा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना भी कुछ पैसा लगाया। इस प्रकार 86 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया है। उसके लिए हम मन्त्री महोदय के शुक्रगुजार हैं, हम इन्दिरा जी के शुक्रगुजार हैं। लेकिन वास्तविक अर्थों में 1980-81 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास के सम्बन्ध में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूँ मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को एक किलोमीटर भी नई सड़क दिखा सकूं, जिसको 1980-81 में बनाया गया हो। मैं उन्हें पेय जल या कोई भी दूसरी योजना नहीं बता सकता हूं, जिसका श्रीगणेश 1980-81 में किया गया हो। मैं उन्हें ऐसी कोई चीज बताने में समर्थ नहीं हूँ, जिससे मैं उन्हें संतुष्ट कर सकूं कि 86 करोड़ रुपए की रकम में से उन्हें भी कुछ हिस्सा मिला है।

योजनामन्त्री से मेरा निवेदन है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पूछें कि आखिर उस 86 करोड़ रुपए का क्या हुआ। अगर केन्द्रीय योजना आयोग पैसा देगा, लेकिन वह उस पैसे पर नजर नहीं रखेगा कि प्रांत की सरकार उसका उपयोग कैसे कर रही है, वह यह मूल्यांकन नहीं करेगा कि प्रांतीय सरकारों को जिन कामों के लिए पैसा दिया गया था, वे काम किये गये हैं या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि उस पैसे के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहेगी। इस पर कोई न कोई चैक अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों या प्रांतों की

सरकारों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी काम करने हों, उतके बारे में व्यापक दृष्टि में विचार करने की आवश्यकता है।

आज आसाम का पहाड़ अशांत क्यों है ? इसलिए कि हम वहाँ के लोगों की विकास की भूख की शाँत नहीं कर पा रहे हैं। जब वहाँ के लोग देख रहे हैं कि कुछ इलाके बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और वे बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं. तो उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और उस असंतोष का फायदा कुछ राष्ट्रघाती तत्व उठा रहे हैं।

आज जिस तरीके से हमारे विरोधी दल के बड़े-बड़े नेताओं का स्टेचर, कद, घट रहा है, उसी तरह हमारे पहाड़ों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कभी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, मगर आज सिमट कर स्थानीय स्तर पर आ गए हैं। वे स्थानीय विकास की भूख का गलत फायदा उठाने की कोशिश न करें। आज हमारे पहाड़ी इलाकों में जगह-जगह ऐसी बातें कही जाने लगी हैं कि हम आसाम बना देंगे। इन बातों को खुटपुट तरीके से कहा जा रहा है, मगर हम उन्हें साधारण तरीके से नहीं ले सकते, हमें उसमें गहराई से जाना होगा। इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि इतने बरसों में पहाड़ों में क्या विकास हुआ है, हमारी राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत वास्तविक अर्थों में पहाड़ों में गया है, पहाड़ी क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है और उसके संदर्भ में कितना पैसा खर्च हुआ है। माननीय सदस्य श्री पराशर ने इन बातों की जांच के लिये एक पार्लियामेंटरी कमेटी बिठाने का जो बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय योजना मन्त्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में सारे हिन्दुस्तान की बिगड़ी हुई योजना, जिस में सारी योजना के स्वरूप को उन्होंने बिगाड़करके रख दिया था, उसको किस तरीके से वह अच्छे रास्ते पर ले आए हैं, उसी तरह से हमारी भी उनसे यह आशा है और हमारा जोर भी है इस बात के लिए कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित रूपरेखा बनाएंगे और पर्वतीय क्षेत्रों का समुचित विकास करेंगे।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पराशर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वह एक बहुत जरूरी रेजोल्यूशन यहाँ लाए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के बारे में एक कवि ने कहा है कि—

पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश,
आती है पत्थरों से खुशबू कभी-कभी ।।

चौथी पंच वर्षीय योजना का एक पैरा मैं पढ़ कर सुनाता हूँ आपको :

> "देश में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास मैदानों से पृथक करके नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके साथ उनकी अर्थ व्यवस्था का नजदीकी सम्बन्ध है। जब तक कि पहाड़ी क्षेत्रों के स्रोतों को संरक्षण और उचित प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक न केवल इन क्षेत्रों की समस्याएँ बनी रहेंगी बल्कि मैदानी क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा।"

हिमाचल के आंचल में मेरा क्षेत्र पड़ता है और एक गाँव का उदाहरण देकर मैं पोजीशन बताना चाहता हूँ कि पहाड़ों में हालत क्या है। मेरे अपने अम्बाला जिले में कम से कम 200

गाँव ऐसे हैं जिनमें भोजपुर टीकर नाम का एक गांव है जहाँ हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल तक है, गाँव में कोई सड़क नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिसपेंसरी नहीं है, प्राइवेट डाक्टर भी नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है। तालाब जिसे कहा जा सकता है वह भी नहीं है, तीन जोहड़ हैं। एक जोहड़ ऊँची जाति के लिए है जो उसमें से पानी पीते हैं, एक हरिजनों के लिए है और तीसरा मवेशियों के पानी पीने के लिए है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। झाड़ फूंक और मंत्र यही इलाज अभी तक वहाँ चलता है। जब हालत सीरियस होती है तब उसको कहीं नीचे ले जाने की बात होती है और नीचे प्लेन तक जाते-जाते वह दम तोड़ देता है। गर्मी के मौसम में जब वहां का पानी खत्म हो जाता है तो 3 किलोमीटर नीचे चश्मे से पानी लेने के लिए वह आते हैं। अन्दाजा लगाइए उस महिला का जिसके पास मिट्टी का घड़ा है, कांसे पीतल का बर्तन नहीं है, वहीं सिर पर उस घड़े को रख कर तीन किलो-मीटर ऊपर पानी लेकर चढ़ती है, जरा सा उसका पाँव कहीं हिल जाए और पानी सहित वह नीचे गिर जाये, फिर उसकी हालत का अन्दाजा लगाइए······

एक माननीय सदस्य : गला टूट जाता है।

श्री सूरजभान : जी हां, यही मैं कह रहा हूँ कि उसका गला टूट जाता है। मैं यह समझता हूँ कि इन इलाकों की हालत सुधारने के लिए आधार बदलने चाहिए जिसकी तरफ प्रोफेसर पराशर जी ने इशारा किया था। मैदानी इलाके में 2 लाख रुपए में एक किलोमीटर सड़क बन जायेगी लेकिन पहाड़ी इलाके में तो उससे 1 फर्लांग भी नहीं बन पाएगी। यही आधार अगर आप पहाड़ों में भी रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये आधार आपको बदलने चाहिए। उसके लिए ज्यादा रकम का प्रावधान आपको करना चाहिए। डाक तार विभाग ने कुछ आधार बदले हैं लेकिन रेलवे ने बिलकुल नहीं बदले हैं। हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रेलवे नहीं देखी। मुझे अभी बम्बई जाने का मौका मिला, वहाँ के कम्प्यूटर्स ने माँग रखी है कि ट्रेन 6 मिनट के बाद आती है, तीन मिनट के बाद आनी चाहिए। माँग उनकी भी वाजिब है। लेकिन यहां करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी तक रेलवे की शक्ल भी नहीं देखी है।

जगाधरी से पौंटा साहब की रेलवे लाइन के लिए मैं बहुत अरसे से चिल्लाता आ रहा हूं। पराशर साहब ने भी वह मांग रखी है। लेकिन कोई सुनता नहीं है। कहते हैं कि अन-एकोनामिकल है। अनएकोनामिकल तो होगी जब आपका स्टैंडर्ड यह रहेगा। इस स्टैंडर्ड को बदलिए तभी जाकर हालत सुधरेगी।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जो मैटीरियल मिलता है, उसके लिए कारखाने पहाड़ों में ही लगाये जाएं। सीमेंट के कारखाने आसानी से पहाड़ों में लगाये जा सकते हैं, कागज का कारखाना वहाँ आसानी से लग सकता है, जड़ी बूटियाँ वहाँ बहुत मिलती हैं, दवाइयों का कारखाना पहाड़ों में लग सकता है, फ्रूट प्रोसेसिंग के कारखाने पहाड़ों में लग सकते हैं। यह वहाँ होना चाहिए। उसका लाभ मैदानों को भी होगा, लेकिन पहाड़ में रहने वाले भी उसका लाभ उठा सकें, इतना जरूर होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मैदान के लोग विरोध करेंगे।

श्री सूरजभान : कोई विरोध नहीं करेगा। मैं रहता मैदान में ही हूँ, लेकिन मेरा एरिया जरूर उससे मिलता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अमीरों के लालच और गरीबों की जरूरत के कारण पहाड़ों का बहुत बड़ा जंगल कटता जा रहा है। अमीर अपने लालच के कारण और गरीब अपनी जरूरत के कारण उसको काटते जा रहे हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब जंगल कटते जायेंगे तो मैदानों में बाढ़ आती है।

पानी के रेजवीयर्स में सिल्ट बढ़ता है और लैंड स्लाइट्स होती हैं। इसलिए जब तक डिफोस्टेशन समाप्त नहीं होगा और एफ़ारेस्टेशन नहीं होगा तब तक यह हालत सुधरेगी नहीं।

सभापति महोदय, किसी पहाड़ की एक ऊंची चोटी होती है, तो उसके नीचे खाई भी होती है। इसी किस्म का फर्क पहाड़ पर रहने वाले लोगों में भी है। उनमें कुछ तो बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं जिनको कि शायद इन्सान कहना भी ठीक नहीं होगा। सौभाग्य से मुझे पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिला है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस टेलीविजन एज में कुछ आदिवासी भाई ऐसे भी हैं जो कि कंप्लीटली नैकेड रहते हैं। क्या किसी ने उनकी तरफ़ भी ध्यान दिया है ? क्या जब वे एजिटेशन करेंगे तभी उनकी हालत सुधरेगी।

चूंकि समय कम है इसलिए मैं दो-तीन सुझाव ही देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि गारलैंड कैनाल (माला नहर) की बात हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पहाड़ों के साथ-साथ वह बनेगी। पता नहीं वह कहाँ पर अटकी पड़ी है और क्या उसमें कमी है—इसको जरा देखा जाए। शायद कुछ विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि अगर कहीं वह टूट गई तो पहाड़ तो क्या सूखे में भी बाढ़ आ जाएगी लेकिन मैं समझता हूँ इन चीजों का बन्दोबस्त किया जा सकता है और वह पानी जो कि आज हमारे देश में सैलाब लाता है उसको ऐसी कैनाल के द्वारा काम में लाया जा सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हर डिपार्टमेंट में हिल ऐरियाज के डेवलपमेंट के लिए एक सेल बनाया जाये और उससे कहा जाए कि हर साल के आखिर में वह पार्लियामेन्ट में एक रिपोर्ट पेश करे कि उसने क्या-क्या किया।

तीसरी बात यह है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में नार्थ ईस्टर्न रीजन में पौने चार करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड रह गए। वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन में भी 8 करोड़ रुपए लैप्स हुए। छठी पंचवर्षीय योजना में एमाउन्ट तो कुछ ज्यादा है, लेकिन मेरी इससे तसल्ली नहीं है, पहले 340 करोड़ था अब 560 करोड़ है, परन्तु सवाल यह है कि इसमें कितना लैप्स होगा ? इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप इस किस्म की कोई मशीनरी बनाएं जो हर साल बताये कि जो टार्गेट्स निर्धारित किये गए थे उनमें कितनी पूर्ति हुई है और कितनी नहीं हुई है वरना फिर आप अन्त में देखेंगे कि अमुक एमाउन्ट लैप्स हो गया।

आखिर में मेरा सुझाव यह है कि एक नेशनल बाडी बनाई जाये, अगर इसके लिए आप को संविधान की धारा (371) में कोई संशोधन करने की जरूरत हो तो वह भी कर लें, उसको हिल एंड बैकवर्ड ऐरियाज के डेवलपमेन्ट के लिए पूरी पावर्स दी जाएं और वह इस दिशा में पूरी तरह सक्रिय होकर अपना काम करे।

अन्त में मैं पराशर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी जो मांग है कि एक पार्लियामेन्टरी कमेटी बने जो सारे मामले को देखे, इसका मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे इसको मान लें क्योंकि इसको सारे सदन का समर्थन प्राप्त है। धन्यवाद !

श्री ऐन० ई० होरो (खूंटी) : सभापति महोदय, पराशर साहब जो रेजोल्यूशन यहां पर लाये हैं उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी एक पार्लियामेन्टरी कमेटी बनाने की मांग को अगर योजना मंत्री मान लेते हैं तो इससे इस सदन की इज्जत भी बढ़ेगी और उन क्षेत्रों की प्रगति में भी तेज़ी आयेगी। विकास आइसोलेशन में नहीं होता है, इस बात को प्लानिंग कमीशन ने भी मान लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्लानिंग कमीशन तो प्लान बनाता है, स्टेट्स भी प्लान बनाती है और प्लान के इंप्लीमेन्टेशन का जो काम है वह स्टेट्स करती है। कई स्टेट्स ने प्लानिंग की अवधि में ईमानदारी के साथ काम नहीं किया है। आज जैसा कि यहाँ पर सूरजभान जी ने कहा कितना ही रुपया प्लान पीरियड में लैप्स हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि आप एक इमारत बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके यहां कोई फाउंडेशन नहीं है। इसमें पैसा तो बर्बाद होगा ही। इसलिए पराशर साहब का जो रेजोल्यूशन है उसमें बहुत साफ-साफ़ कहा गया है कि आज आवश्यकता इंफ्रा-स्ट्रक्चर की है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जिसकी तरफ किसी की नजर उठी नहीं है। जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है।

इसलिए मैं चाहूँगा कि श्री पराशर साहब के रिजोल्यूशन के अनुसार जो मांग की गई है, कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, उसे मंत्री महोदय स्वीकार कर लें। जैसा कि नान-ऑफिसियल रिजोल्युशन या कोई भी चीज होती है, उस पर मंत्री जी आश्वासन दे देते हैं और फिर वह विद-ड्रा कर लिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी कम से कम इसको स्वीकार कर लें, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन में एक नया विचार आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इन 30-32 सालों में जो सैन्टर या स्टेट में गलतियाँ हुई हैं योजनाओं में, पहाड़ी क्षेत्रों के बैकवर्ड रीजनस की मूल समस्याओं को जो देखा नहीं गया है, उनको एक नए दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ऐसे-ऐसे उपाय किये जाने चाहिए ताकि विकास का काम आगे बढ़े, लेकिन यह पूरा का पूरा स्टेट के मातहत नहीं छोड़ देना चाहिए, इसमें सैन्टर को रिसपेन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए सैन्टर को जवाबदेही होती है। सैन्टर यह नहीं कह सकती है कि इसकी जवाबदेही सैन्टर को नहीं है, स्टेट को है—ऐसा कह कर उनकी समस्याओं के समाधान से वह वंचित नहीं रह सकती है। इसलिए प्लानिंग कमीशन में एक नया दृष्टिकोण बनाना जरूरी है। आप जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर कहीं नए स्टेट की बात आती है और कहीं पर आंदोलन की बात चलती है—इन सब के पीछे क्या है कि कभी भी इनकी मूल समस्याओं की ओर देखा नहीं गया है। जब कभी वहाँ पर लोगों द्वारा आवाज उठाई जाती है, तो सरकार के सामने लॉ-एंड-आर्डर का सिचूएशन हो जाता है।

आज के नौन-आफिशियल बिजनेस में चार आइटम हैं—एक प्रो० पराशर का है जिस

पर बहस चल रही है, दूसरे श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है, तीसरे श्री के० पी० सिंह देव और चौथे श्री मूल चन्द डागा का है—यदि इन चारों के रिजोल्यूशन्स को देखें तो लगता है कि हमारे देश में ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो कि उपेक्षित हैं। पहाड़ी क्षेत्र जहाँ कि मूल समस्या आर्थिक विकास की है, उस ओर आप की नजर जानी चाहिए। इन चारों प्रश्नों को चार दिशा से देखा जा रहा है, इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिसको आजादी के 32 साल बीत जाने पर भी देखा नहीं गया है। पराशर जी का यह रिजोल्यूशन इस बात का सबूत है कि पार्लियामेंट इन समस्याओं को हल करने के लिए कितनी चिन्तित है और यह देश कितना चिन्तित है। आजादी के 32 साल बीत जाने पर भी हम पहाड़ी क्षेत्रों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन की ओर से उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है, जिसका नतीजा है कि हिन्दुस्तान को बाहर से तो खतरा है ही, लेकिन अन्दर से भी खतरा पैदा होता जा रहा है। सरकार की ओर से जब कभी नार्थ-ईस्टर्न-रीजन की बात आती है, तो कहा जाता है कि अलगाव की स्थिति पैदा की जा रही है तथा अभी कुछ लोग कह रहे थे अपोजीशन के लोग भड़का रहे हैं, यह कोई भड़काने वाली बात नहीं है, बात यह है कि आपने उनकी मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया है। जब वे अपने हक के लिए माँग करते हैं, तो उनको रिशेप्शनिस्ट कहा जाता है। तीन सदियों से यह प्रेजूडिस का जमाना चला आ रहा, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार की जो व्यवस्था है, और इसमें जो लोग हैं, उनको उनके उत्थान के लिए नए ढंग से देखना चाहिए, ताकि उनका भी विकास किया जा सके। मैं ऐसा समझता हूँ कि, जैसा कहा जाता है, कहीं भी आंदोलन हो रहा हो, नए स्टेट की मांग हो रही हो या नार्थ-ईस्टर्न रीजन के आन्दोलन का सवाल देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करेगा, बल्कि आप देश के टुकड़े-टुकड़े करेंगे यदि वहां के लोगों का उत्थान नहीं किया गया।

वे जो मूल समस्या को देश के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। इस पर सदन को और पूरे देश को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिए कि हमने पिछले 32 सालों में क्या किया है और किस रास्ते पर चले हैं। योजना विभाग ने जो रास्ता निकाला है क्या वह रास्ता ठीक है? प्लान के अन्दर बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही जाती हैं। प्लानिंग कमीशन योजना बना देता है, पैसा दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। यह देखना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है? सच्चाई यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी डेवलपमेंट ओरिएन्टेड नहीं है। राज्यों में कुछ ऐसे पाकेट्स हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कुछ बिलकुल नैग्लेक्टेड रहते हैं। जहां पर ज्यादा पोलिटीकल प्रेशर है उनका काम हो जाता है, दूसरों की उपेक्षा हो जाती है, वे अविकसित रह जाते हैं। आज इस चीज को हम लोगों को एक नये दृष्टिकोण में देखना चाहिए।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र प्रो० नारायण चन्द्र पराशर ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हमारे हिमालय का जो पहाड़ है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ पहाड़ गिना जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो सारे हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए हमारे पहाड़ ही काम आते हैं। आज हिमालय की चोटियाँ दरख्तों से खाली होती जा रही हैं। इन

पहाड़ों पर से दरख्तों का कटान होता चला जा रहा है जिससे वे वीरान हो गये हैं। चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, काश्मीर हो, नागालैंड हो या यू० पी० के पहाड़ हों—एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरख्त कटते चले जा रहे हैं। 1975-76 में इनको रोकने के लिये जो कदम उठाए गए, उसके बाद 1977-78 में उस तरह की नीति नहीं बनाई गई जिससे कि पहाड़ों के जंगलों को बचाया जा सके।

हमारे पहाड़ों के डेवलपमेंट के क्या साधन हो सकते हैं। हमारे ऊँचे पहाड़ों पर या जहां से हमारे नामग्याल जी आते हैं—पशु पालन, भेड़-बकरी का व्यापार होता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में किन्नोर, लाहोल, स्पीति—ये सब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं जहां भेड़-बकरी और पशुपालन का काम होता है। जो जिन्स, खाने के अनाज या दूसरी चीज़ें वहाँ जाती हैं, वे भेड़ बकरियों पर लाद कर ले जाई जाती हैं। न आज तक वहां सड़कें बनी है, न दूसरी सुविधायें हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बनी हैं, इसका कारण क्या है ? इसका एक कारण यह भी है कि वहां वर्फ पड़ जाती है जिससे काम ठप्प हो जाता है, टेक्नीकल सैंक्शन्ज के लिये फाइल घूमती रहती है लेकिन काम कुछ नहीं होता। जब तक वहां के लोकल लोगों को काम में नहीं जुटाया जायगा, तब तक पहाड़ी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमें ऐसे काम वहां शुरू करने चाहिये जिससे उन लोगों को काम मिले। एक ऐसा काम टूरिज्म का काम है, जैसा कि हमारे साथी ने अपने प्रस्ताव में अर्ज किया है। मैं समझता हूं कि पहाड़ों पर टूरिस्ट काम्प्लैक्स बनाये जायें, टूरिस्ट लोग जो यहां पर आते हैं, वे हमारे पहाड़ों को देखना चाहते हैं। हमारे पहाड़ मैदानी इलाकों को ठण्ड से बचाते हैं। अगर पहाड़ों से लकड़ी यहाँ न आये तो यहां का काम नहीं चल सकता। पहाड़ों में डैम्ज बनते हैं, छोटे या बड़े डैम्ज पहाड़ों में ही बन सकते हैं, जिनसे बिजली पैदा की जाती है, सिंचाई के लिए नहरों में पानी दिया जा सकता है, कोयले की बचत होती है। ये हमारी नेशनल प्रापर्टीज़ हैं जिनको प्रकृति ने हमें दिया है। शहरों में हड़तालें होती हैं, कारखाने बन्द होते हैं—लेकिन इस तरह का वातावरण पहाड़ों में नहीं है। वे लोग शान्तिप्रिय हैं, अमन से रहते हैं। बेकारी की शक्ल आपको पहाड़ों में देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी बस स्टैंड पर आपको कोई मांगता हुआ नजर नहीं आयेगा।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं—हमारी प्लानिंग बाडी में पहले कोई लाकड़ावाला वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने हमारे पहाड़ों के लिये कुछ नहीं किया। अब हमारी सरकार ने चाहे हमारी हिमाचल की सरकार हो या केन्द्र में हो, इस तरफ ध्यान देना शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जो उनसे कराना चाहते हैं कृपया इस बारे में बतायें।

श्री कृष्ण दत्त : मैं यह कहना चाहता हूं—आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहाड़ी प्रदेश है जिसमें रेल्वे ज़ीरो है, एक किलोमीटर लाइन भी इस प्रदेश को नहीं दी गई है।

हम लोग भी देश के नागरिक हैं और इसलिए हमारा भी हक जाता है। हम संसद में बोलते हैं और कहते हैं कि हमें रेलवे दो, पीछे तो कोई सुनने वाला नहीं था लेकिन अब तो हमारी प्रधानमंत्री जी हैं और प्लानिंग के जो मंत्री हैं, तिवारी जी, वे पहाड़ी इलाकों की क्या कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में सब जानते हैं और मैं समझता हूं कि वे कुछ न कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के

लिए करेंगे। उनके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि वहाँ का विकास हो सके। इस देश में और जगहों पर उद्योग लग रहे हैं और सारा का सारा डेवलपमेंट मैदानी इलाकों में ही हो रहा है।

आज आप यह देखते हैं कि फ्लड्स आते हैं। तो ये ऊपर से नीचे ही आते हैं। अगर पहाड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इनको रोकना मुश्किल होगा। वहां पर पेड़ लगाने की बहुत जरूरत है और वहां पर जो राज्य सरकारें हैं, उनको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के अन्दर जो गरीब लोग रहते हैं, उनको कारोबार में लगाया जा सके, काम में लगाया जा सके। उनकी आपको मदद करनी चाहिए ताकि वे छोटे-छोटे काम-धन्धे कर सकें, छोटे-छोटे उद्योग लगा सकें। वहाँ पर चूने के पत्थरों का भंडार है। उससे वहाँ पर छोटे-छोटे सीमेंट के कारखाने लगाए जा सकते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में चूने के इतने भंडार हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप को पहाड़ी क्षेत्रों की उन्नति करना है, तो वहाँ पर आप कारखाने दीजिए ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आगे बढ़ सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपका जो नेशनल हाईवे है, उसको आप किन्नौर के आगे तक ले गये हैं, जो चाइना के बार्डर के पास है लेकिन चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे भरमोर हो और चाहे यू० पी० तथा दूसरे पहाड़ी क्षेत्र हों, वहां पर जो गांव के लोग हैं, उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। उन देहातों में न सड़कें हैं और न बिजली, पानी का कोई इन्तज़ाम है। ये सब सुविधायें उनको मिलनी चाहिएं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ने सेवों और दूसरी चीज़ों के ले जाने के भाड़े बढ़ा दिये हैं। इसके अलावा जो पैकिंग केसेज होते हैं, जिनमें फल आदि ले जाए जाते हैं, उनके भाड़े रेलवे ने बढ़ा दिये हैं। मेरा कहना यह है सेब, केला, संतरा और अनाज आदि पर रेल भाड़े में छूट दी जाए। प्लानिंग कमीशन के मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि अगर पहाड़ों की उन्नति करना है, तो वे इस पर ध्यान दें ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग तबाही से बच सकें। वहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और नियम 377 के तहत मैंने यह मामला उठाया था और यह बताया था कि हमारे इलाके में सरसों, चना और फल आदि की फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और अब वहां के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास अपने गुजारे के लिए कुछ नहीं बाकी बचा है। इसलिए मैं भारत सरकार से माँग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां-जहाँ ओलावृष्टि हुई है और लोगों का नुकसान हुआ है, वहां पर उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद दें और उनकी सहायता करें। इसके साथ ही साथ बिजली के उद्योग लगाने के लिए, बिजली का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा रखा जाए। हमारे यहाँ के लिए 750 करोड़ रुपये की योजना थी लेकिन वह भी काट दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको बढ़ाया जाए और वहाँ पर रेलवे लाइन बनाई जाएं ताकि वहाँ के लोग आगे बढ़ सकें।

माननीय सदस्य श्री पराशर जी यह प्रस्ताव लाए हैं, उसमें इस सदन के सभी साथियों को अपना योगदान देना चाहिए। एक बहुत अच्छे टाइम पर यह प्रस्ताव लाया गया है और उसका समर्थन सभी को करना चाहिए।

हमारे यहाँ विमान सेवाओं के बारे में बात चली थी और हमारे मंत्री जी इसको मान गये थे क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ गई है वरना पहले इसको कोई मानने वाला नहीं था। मुझे उम्मीद है कि विमान सेवा से हिमाचल प्रदेश को जोड़ा जाएगा जैसा कि और जगहों को राजधानी से जोड़ा गया है।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहूँगा कि टेलीविजन के मामले में भी हमारा हिमाचल प्रदेश पीछे है। वहाँ पर टेलीविजन और ब्रोडकास्टिंग का कोई सेन्टर नहीं है। जब भी हम इसके बारे में कहते हैं तो यह कहा जाता है कि हम इसको कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 1992 तक वह लगा दिया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि वहाँ पर यह होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। जहाँ तक बैंकों की सर्विसेज का ताल्लुक है चाहे वह यूनाइटेड कमर्शियल बैंक हो या चाहे कोई और बैंक हो, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे लोगों को उनमें काम करने के लिए भेजा जाता है, जो वहाँ की बोली नहीं जानते, जो वहाँ की भाषा नहीं जानते। वहां पर उन्हीं क्षेत्रों के लोगों को लगाना चाहिए। रोजगार में वे लोग पीछे हैं और पढ़ने में भी पीछे हैं, तो फिर वहाँ का विकास कैसे हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 17 एसेम्बली कांस्टीटुयेन्सीज हैं, जिनमें तीन जिला हैडक्वार्टरों पर चार कालेज हैं और बाकी जो जगहें हैं, वहाँ पर कोई कालेज नहीं हैं।

आप वहाँ के लोगों के एजूकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें और दूसरी सहुलियतें दें जिससे कि हमारी स्टेट के बच्चे भी आगे बढ़ें। इसके लिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यू० पी० के पहाड़ी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और जहाँ-जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सबके लिए ज्यादा पैसा खर्च करें जिससे कि वहाँ के लोग आगे बढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय! मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि सदन श्री पराशर का यह प्रस्ताव पुनः स्थापित करने के लिए कृतज्ञ होगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। हम सभी की एक जैसी राय है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में कोई दलगत विभाजन नहीं है।

हम सभी सरकार से यह आशा, अनुरोध तथा साथ ही उसे इस बात की प्रेरणा भी दे रहे थे कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास संबंधी योजनाएं बनाए और वह एक ऐसा सांविधिक तथा राजनीतिक तन्त्र बनाए जिसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। हम ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं करना चाहते जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 30 या 35 वर्षों में अब तक प्राप्त हुए हैं।

उन दिनों में हमें बिल्कुल भी स्वतन्त्रता नहीं थी। इन क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, वहां के लोगों के जीवन को समझने तथा तत्पश्चात उनके लिए कार्य करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी के अनेक शिष्य इन क्षेत्रों में गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात और हमारे हाथों से कुछ राजनैतिक शक्ति तथा समर्थन मिल जाने तथा चुनावों के जरिये इन लोगों से समर्थन प्राप्त करने के पश्चात हमारा

ध्यान विकास संबंधी पहलुओं से हटकर राजनैतिक पहलुओं की ओर भटक गया है जिसके फलस्वरूप विकास कार्यों को धक्का लगा है ।

यह कहना गलत है कि वहां कतई विकास कार्य नहीं हुआ । मैंने स्वयं देखा है कि वहां अत्यधिक प्रगति हुई है । मैंने स्वयं तथा तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे अपने अनुयायियों व महात्मा गांधी के शिष्यों से उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थितियों के सर्वेक्षण कराए थे तथा उस समय मैं हिमालय और आदमपुर से पंजाब तथा गुजरात व महाराष्ट्र में रचनात्मक कार्य कर रहे उनके कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क बनाए रखता था । लेकिन अभी काफी कुछ करना शेष है । केवल केन्द्रीय सरकार या स्थानीय सरकारें अकेले यह कार्य नहीं कर सकतीं। यह कार्य तो प्रभावी ढंग से केवल तभी किया जा सकेगा जब कोई ऐसा राजनैतिक तन्त्र बने जिसमें स्थानीय सरकारें और केन्द्रीय सरकार आपस में सहयोग करें और मिलकर कार्य करें। वस्तुतः मैं समझता हूं कि कुछ दशक पूर्व इसमें से कुछ लोगों ने कांग्रेस सरकार पर जोर डाला था कि वे अजमेर-मारवाड़ विकास प्राधिकरण नामक निकाय स्थापित करे उक्त प्राधिकरण स्थापित करने की बात केवल इसी दृष्टिकोण से की गई थी कि विकास संबंधी गतिविधियों को केवल स्थानी सरकारें, उनकी राजनीति और उनके वित्तीय साधनों पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर ऐसा स्वतन्त्र प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे से सहयोग करें। वह अपना बजट स्वयं तैयार करके उसे स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को पेश करेगा और इस बात का सुनिश्चय करेगा कि उन दोनों सरकारों से उसे पर्याप्त अनुदान राशि मिले ताकि वह योजना आयोग की समग्र योजना को ध्यान में रखकर उसके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार उस राशि का उपयोग कर सके । हमें अभी तक उस प्रकार के प्राधिकरण का इन्तजार है ।

आपने इनमें से अधिकांश राज्यों को राज्यपाल-स्तर के राज्यों का ओहदा दे दिया है और वहां उनकी स्वयं की स्थानीय या राज्य स्वायत्तता है तथा वे अपनी राजनीति में ही काफी व्यस्त हैं । इसलिए वहां एक ऐसे स्वतन्त्र अधिकरण की अत्यन्त जरूरत है जो इस प्रकार के राजनैतिक प्रतिद्वंदों और दलगत राजनीति से परे हो । मैं वित्त मंत्रालय और योजना आयोग दोनों के विचार के लिए एक और सुझाव दूंगा । इनमें से अधिकांश क्षेत्र खाद्यानों के अलावा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं का आयात करके पूरा करते हैं । इन सभी वस्तुओं के संबंध में उन्हें भी उसी प्रकार उत्पादन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों के लोग उत्पादन शुल्क का भुगतान करते हैं । यह बात उन्हें काफी दुःखती है । इससे उनके संसाधनों का अभिक्रमण होता है । इसलिए कर सम्बन्धी ढांचे पर काफी ध्यानपूर्वक विचार करना होगा ताकि उन्हें उत्पादन शुल्क के इस भार से छुटकारा मिल सके । हम किस ढंग से, कितनी मात्रा में और किस प्रकार से उन्हें राहत दे सकते हैं इस बात पर गौर करना पड़ेगा । हमें यह भी देखना होगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल गैर पर्वतीय लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों का शोषण न कर पाएं । इन सब बातों का अध्ययन करना पड़ेगा । इन सब कार्यों को करने के लिए एक प्राधिकरण बनाए जाने की जरूरत है । अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार का प्राधिकरण बनाया कैसे जाए ? एक विशेष कानून के जरिए इस प्रकार का प्राधिकरण बनाया जा सकता है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र पराशर ने सुझाव दिया है । इन

सब बातों पर एक संसदीय समिति विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करके भला ही करेगी और वह स्वयं इन बातों का अध्ययन करने के लिए मंत्रि-मंडल और किसी अन्य विशेष समिति में विचार करेगी तथा तत्पश्चात सदन के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव पेश करेगी जिसमें बताया जाएगा कि वह किस विधि से इस मामले को सभी पहलुओं से अध्ययन कराना चाहती है। वह प्रस्ताव में बताएगी कि वह उक्त अध्ययन सुझायी गई संसदीय समिति या किसी ऐसी समिति आयोग से कराना चाहती है जिसमें संसद के सदस्य और मिलकर कार्य करने वाली राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमें इन महत्वपूर्ण विषयों को सरकार के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि सरकार सदन के इस एकमत के प्रति कोई अतिशीघ्र तथा प्रभावी ढंग और रचनात्मक उत्तर दे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद!

उपाध्यक्ष : श्री पीयूष तिरकी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय मेरी एक विनती है। हम सभी इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। अतः इस प्रकार से समय दिया जाए कि हम भी कुछ बोल सकें।

उपाध्यक्ष : मैं चाहूँगा कि प्रत्येक सदस्य पाँच मिनट से अधिक न बोलें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : मुझे अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष : इस समय संध्या के 4 बजकर 45 मिनट हुये हैं। इस विषय को दिया गया समय अब समाप्त हो गया है। लेकिन अभी 15 या 16 सदस्यों को बोलना बाकी है। बाजपेयी जी से अनुरोध है कि अब उन्हें संकल्प पेश करने दिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : कृपया समय भी बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष : अतः क्या सदन की बैठक एक घण्टे आगे तक के लिये बढ़ा दी जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष : इसके बाद और और अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई विधिवत सहमति तो होनी चाहिये। सरकारी पक्ष में बैठे हुये मित्रों से मेरा अनुरोध है कि मुझे अपना प्रस्ताव पेश करने के लिये समय जरूर दिया जाये और विचार-विमर्श तो अगली बार भी हो सकता है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : हम कुछ और मिनट भी बोल सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे अपना प्रस्ता पेश करने की अनुमति दी जाये।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : हम समय बढ़ा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आज ही पेश किया जाना है और मैं यदि मेरा प्रस्ताव अलग करने का प्रयास किया गया तो मैं उसका विरोध करूंगा। यह गैर-सरकारी कार्य है और इसके लिये मेरी सहमति का होना जरूरी है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हुई इसी प्रकार की घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। पिछली बार जब राष्ट्रपति प्रणाली पर एक संकल्प पेश किया जाना था तो उक्त प्रस्ताव पेश न किये जाने के लिए प्रयास किये गये थे और संकल्प पेश नहीं हो सका था। हमने इस बात का विरोध किया था। आप उस समय पीठासीन थे।

उपाध्यक्ष : मुझे ध्यान नहीं है।

(व्यवधान)

सदन इस विषय पर एक और घण्टे तक विचार-विमर्श करने के लिये सहमत हो गया है। कठिनाई यह है कि हम 6 बजे के बाद विचार-विमर्श जारी नहीं रख सकेंगे। इसलिए अब विचार-विमर्श का समय 4 45 बजे से एक घण्टे आगे तक के लिये बढ़ाया जा रहा है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि उनमें से प्रत्येक केवल पांच मिनट ही बोलें और इस विचार-विमर्श को 5·45 बजे तक समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

मैं एक घण्टे का समय बढ़ा रहा हूँ। किन्तु कोई भी माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेगा। इस बात पर सदन एकमत है। सदन विचार-विमर्श का समय 5.45 बजे तक बढ़ाने पर सहमत हुआ है। एक घण्टे की समय वृद्धि दी जाती है। विचार-विमर्श जारी रहेगा। हमने 4.45 बजे से 5.45 बजे तक की समयवृद्धि कर दी है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपको सदन की स्वीकृति लेनी चाहिये।

उपाध्यक्ष : सदन इस बात पर मतैक्य है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है। अधिकांश सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह बात अचानक कैसे पैदा हो गई ? मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन यह बात अचानक पैदा हो गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : विचार-विमर्श के समय को सायं 5.45 बजे तक बढ़ाया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस समय में मंत्री महोदय के उत्तर सहित सभी बातें पूरी की जानी हैं। यदि आप बहुमत को देखकर चलेंगे **(व्यवधान)** मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि···**(व्यवधान)** मैं सदन के मतैक्य की बात कर रहा हूँ। क्या वे अल्पमत की बात पर भी ध्यान देंगे या नहीं ? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : नहीं नहीं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बेलट में मेरे प्रस्ताव को प्रथम स्थान मिला है। **(व्यवधान)** उन्होंने तो अपना विचार बना लिया है। वे इसे प्रस्तुत नहीं होने देंगे। **(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा : आप सदन पर हुक्म नहीं चला सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रंगा जी हुक्म तो आप चला रहे हैं। मुझे अफसोस है। यदि वह संकल्प महत्वपूर्ण है तो मेरा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। सदन सायं 4.45 बजे तक विचार-विमर्श करने हेतु सहमत हो गया है। (**व्यवधान**) श्री ए० के० राय जैसे अनेक सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। श्री वाजपेयी यदि हमने इस संकल्प के लिए समयवृद्धि दी है तो आगे आपका संकल्प भी आएगा। आपके संकल्प को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं उसे पेश करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। अगली बार। नियम में यही व्यवस्था की गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या इसे गारंटी समझा जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : गारंटी कोई नहीं है। यह नियम है।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : वे केवल यही चाहते हैं कि यह कालातीत न हो जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : और आप कल भी इसी बात को दोहरायेंगे। आपकी नीयत है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम पढ़ता हूँ।

अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश 9(क) इस प्रकार है:

9(क) : यदि किसी दिन की कार्य सूची में दर्ज ऐसे संकल्प पर, जिस पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है, चर्चा के लिये निर्धारित समय को सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जाता है तो उस संकल्प को आंशिक रूप से चर्चा किये गये संकल्प, यदि कोई हो, के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के लिये उसी सत्र के दौरान नियत अगले दिन के कार्य की पहली मद के रूप में रखा जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस नियमानुसार भी, मौजूदा संकल्प पर चर्चा आज ही समाप्त करनी होगी। परन्तु यदि वे चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहें तो···

उपाध्यक्ष महोदय : तब भी आपको प्रस्ताव पेश करने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पीयूष तिरकी बोलेंगे।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पाराशर जी ने जो संकल्प व्रत किया है वह बहुत जरूरी था, इसलिए कि अभी देखा जा रहा है कि हिन्दुस्तान के पहाड़ी इलाकों में ही समस्या उत्पन्न हुई है। जहां जहां पहाड़ी इलाके हैं वहीं समस्या उत्पन्न हुई है और विद्रोह देखा जा रहा। इसका मूल कारण यह है कि वहां के रहने ट्राइबल हैं और वह स्वाभिमानी हैं, उनके अपने रीतिरिवाज, अपनी भाषा और कल्चर है जिसको वह बनाए रखना चाहते हैं। किन्तु इस अवस्था का, हमारे संविधान द्वारा स्वीकार करते हुए भी, हमने उसका आदर नहीं किया, और यही कारण है कि जहां जहां जमीन उपजाऊ होती गई उनकी

जमीनें छीनी गयीं और वह ट्राइबल्स बेचारे बेघर होकर कंट्रेक्टर, बिजनेसमैन और मनीलैंडर्स के गुलाम की तरह से रह रहे हैं। नागालैंड, असम, बिहार के क्षेत्रों में जो विद्रोह की भावना जग रही है या हर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है, इसका मूल कारण एम्प्लायटेशन है जो सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए विद्रोह हो रहा है क्योंकि ट्राइब्ल्स लोगों को समस्याओं को समझने में हमारा प्रशासन असफल रहा है।

30 तारीख को चाइ गया था वहाँ करीब 30,000 आदमी, औरत, बच्चे जवान, वकील, मुख्तार और टीचर्स सब शामिल थे, उन्होंने बताया कि यह शेड्यूल्ड एरिया है, पहाड़ी इलाका है और अंग्रेजों के जमाने से यहाँ का जो कामन ला है कि यहां पर पुलिसलैस सरकार चले, वहां गुण्डे शासन व्यवस्था को चलाते थे, उनके पास रेवेन्यू और पुलिस की पावर थी और न्याय करने की भी पावर थी और सरकार जो रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करती थी उसका कुछ हिस्सा उनको दिया जाता था। हमारे संविधान में शेड्यूल्ड एरिया के गवर्नर को कहा गया है कि हर वर्ष कितना डेवलपमेंट हुआ उसका हिसाब उनको देना चाहिए। लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। इस ढीलढाल के कारण से उस मीटिंग में करीब 30,000 ट्राइबल्स ने कहा हम हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जायेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपना रोष दिखाया, क्योंकि हमारे हकों, जमीनों, जंगलों के हमारे अधिकारों को लूटने के लिये सरकार चेष्टा कर रही है, हमको इसको बचाना है और क्या कर रहेंगे चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। यह डिक्लेरेशन 30 मार्च को चाईवाणा के बाजार में ट्राइब्ल लोगों ने किया। हमने उनके कामन ला, जो आदिवासियों का वे आफ लाइफ है ईसको समझा, और समझने की चेष्टा भी नहीं की। उन्होंने बताया कि मिशनरी लोग आगे, जमींदारों के अत्याचारों से शैल्टर पाने के लिए ही मिशनरीज के पास गये थे।

किन्तु अभी भी वही लोग जो नेता बनकर, कंट्रेक्टर बनकर, पुलिस आफिसर बनकर, जो न वहाँ की भाषा जानते हैं, न कलचर जानते हैं, वह वहां प्रशासक हो गये हैं और अपनी ही नीति अपने ही कानून उन पर लागू कर रहे हैं जिससे विद्रोह होता है। अगर समय पर सरकार चिन्ता नहीं की तो सारे देश के हर पहाड़ी क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र में भारी विद्रोह हो जायेगा और उसको संभालना गवर्नमेंट के लिए कठिन हो जायेगा और हम सब के लिए वह सुख की बात नहीं होगी।

इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इनको अपने रूप से पनपने क्यों नहीं देते। जहाँ जहां शिड्यूल्ड क्षेत्र हैं जहां-जहाँ पहाड़ी इलाके हैं उनको एक जगह में लेकर इनको अपने ही तौर से पनपाने के लिए और तरक्की करने के लिये यदि आप सहायता दें तो ऊससे लाभ होगा। उन्हीं के क्षेत्र के लिए उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर वहां लगाये जायें तब उनके समझ में आयेगा कि हम को कुछ दिया गया है, तभी इस क्षेत्र का समाधान हो सकता है।

इसके फिफ्थ शिड्यूल्ड मैं क्वोट करता हूं—

कंट्रेक्टरों द्वारा शोषण

नीति तथा वन विभाग के कर्मचारियों पर पड़ने वाले इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अतिरिक्त, इस नीति के फलस्वरूप दूसरी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। इस नीति में वार्षिक

राजस्व की अधिकतम वसूली करने पर बल दिया गया है। इससे कन्ट्रेक्टरों का महत्व बढ़ गया। निसन्देह इससे सरकार का कार्य सरल हो गया है परन्तु ये कन्ट्रेक्टर ट्राइबल लोगों का बेहद शोषण कर रहे हैं। कंट्रेक्टर के मुख के निकला शब्द कानून होता है। विभाग के अधिकारियों के साथ उसकी सांठ-गांठ है। ट्राइबल लोग जिन्हें नियमों की बिलकुल जानकारी नहीं है, उनके रहम पर छोड़ दिये गये हैं। कन्ट्रेक्टर चाहे तो ग्रामीणों को काम दे दें और न चाहे तो न दे। वह उनकी वस्तुओं को खरीद सकता है अथवा खरीदने से मना भी कर सकता है। वह नियमों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार करता है। कन्ट्रेक्टर प्रणाली ने विगत दस वर्षों में उन्मुक्त एकाधिकार का रूप ले लिया है...

जनजातीय लोगों की प्रतिक्रिया

निरन्तर यह प्रचार किया जाता रहा है कि जनजातीय लोग वनों को नष्ट कर रहे हैं। हमने इस शिकायत के बारे में कुछ जनजातीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने प्रत्युत्तर में पूछा कि वे किस प्रकार से वनों को नष्ट कर सकते हैं। उनके पास कोई ट्रक आदि नहीं है। उनके पास बैलगाड़ी भी नहीं है। अधिक से अधिक वे इतना कर सकते हैं कि वनोत्पाद सिर पर उठाकर ले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इसके लिये भी उनके पास लाइसेंस है।"

सभी जगह समूचे हिन्दुस्तान में जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वह नंगे होते जा रहे हैं और उसका दोष पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, दोष किसका है। इन कन्ट्रेक्टरों ने उनको बहाना देकर जब वहाँ से मूल्यवान लकड़ी रुपया कमाने के लिये इधर उधर भेज दी है, इससे हमारे देश का जंगल उजड़ता जा रहा है और इस तरह से बहुत-सी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं।

फिफ्थ शिड्यूल में कहा गया है :

"अनुसूचित क्षेत्रों का गठन दो स्पष्ट ध्येय को सामने रखकर किया गया था—एक तो जनजातीय लोगों को अपने मौजूदा अधिकारों का स्वतन्त्र रूप से इस्तेमाल करना और दूसरा उन क्षेत्रों का विकास करना तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रगति करना। इस योजना में जनजातियों के हितों की रक्षा, साहुकारों द्वारा शोषण से उन्हें बचाना और भूमि आवंटन के मामले में उन्हें प्राथमिकता दिया जाना सर्वप्रथम आता है। संविधान ने जनजातियों के संरक्षण के लिये विनियम बनाने की शक्तियाँ राज्यपाल को सौंपी हैं परन्तु इस शक्ति का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया।"

यह तो भारत सरकार की अपनी मान्यता है, उसका अपना कानून है। संविधान के छठे शिड्यूल में भी इस बारे में कहा गया है। यदि पार्लियामेंट इसको समादर दे और सरकार इस तरफ ध्यान दे, तो उस समस्या का उचित समय पर निराकरण हो सकता है। आज पहाड़ों पर रहने वालों की आत्म-गौरव की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि यदि उसने उस ओर ध्यान न दिया, तो हमारे लिये सुख के दिन नहीं, बल्कि बहुत विपत्ति के दिन आ रहे हैं।

सरकार को समय रहते इस बारे में उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि पहाड़ी और

ट्राइबल इलाकों की समस्याओं का सही मूल्यांकन करके उनका सही समाधान किया जा सके, हर जगह समान रूप से डेवलपमेंट हो और सब लोग अपने आप को हिन्दुस्तान के बड़े समाज के अंग माने जा सकें। आज तो हिन्दुस्तान में जात-पांत की भावना व्याप्त है। जात-पांत के आधार पर लोगों को सुविधायें दी जाती हैं, लोगों को कंट्रेक्ट दिए जाते हैं और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ की जाती हैं। आज स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने समूचे पहाड़ी इलाकों में दारू की भट्टियां लगा दी हैं, वह भी ट्राइबल्ज़ का रिप्रेजेन्टेटिव हो कर पार्लियामेंट में आ गया है। ऐसे आदमियों से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे इन इलाकों की भलाई कर सकेंगे। वे तो एक्सप्लायटर्ज के मुमाइंदे बन कर यहां आये है। अगर मंत्री महोदय समय रहते बातों की ओर ध्यान देंगे, तो शायद समस्या का निराकरण हो सकता है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदया, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र परस्पर सटे हुए हैं। इन्हें "सप्त सिन्धु" नाम से पुकारा जाता है। यह क्षेत्र उत्तर की बड़ी नदियों की तलहटी में स्थित है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्व भारत के संघ राज्य क्षेत्र, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय और उप-हिमालय क्षेत्र, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत माला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा संघ राज्य क्षेत्र के पशिश्चमी घाटों के साथ लगे क्षेत्रों की स्थिति विलक्षण है। अत: उसके प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए पृथक प्राधिकरण होना चाहिए। कुछ राज्यों में इन क्षेत्रों के लिए उप-योजना तैयार की गई है परन्तु ऐसा प्रत्येक राज्य में नहीं किया गया है। मैं यह कहूगा कि सभी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए और इसका प्रशासन एक स्वतंत्र प्राधिकरण के हाथ में होना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास उनके साथ लगे हुए मैदानी इलाकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यदि पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं की जाती है तो इससे भूमि का कटाव होगा तथा बाढ़ें आयेंगी जिससे मैदानी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे नदियाँ और तालाब गाद से भर जायेंगे और जान-माल तथा फसलों की हानि होगी। अत: यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों के साथ लगे हुए मैदानी इलाकों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमारे लिए पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। उद्योग धन्धे शुरू करने के लिए लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से संशाधन, खनिज और लकड़ी आदि उपलब्ध हैं। वनों के काटे जाने के फलस्वरूप अब पर्वतीय क्षेत्रों की रक्षा करना असम्भव होता जा रहा है। अत: वन लगाए जाने चाहिए।

इस वर्ष को हम विकलाँग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की ही भांति भौगोलिक दृष्टि से विकलांग क्षेत्र भी हैं। ये विकलांग क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं। जब हम इन क्षेत्रों की साक्षरता, कृषि उत्पादन, उद्योग, सिंचाई, ऋण सुविधाओं, सड़कों, रेलों, दूर संचार, पेय जल, बैंक सुविधाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। इसलिए हर प्रकार से इन क्षेत्रों का विकास किया जाना है।

महोदय, इन पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के कटाव को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

पानी और भूमि का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। वन लगाए जाने चाहिए। पर्वतीय चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। लघु उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। वहाँ जल विद्युत परियोजनायें शुरू किए जाने की अधिक सम्भावनाएं हैं। यदि हम उत्तर के इन पर्वतीय क्षेत्रों में जल-विद्युत परियोजनाएं चालू कर दें तो मुझे विश्वास है कि हम वहाँ से देश भर को बिजली दे सकते हैं। अतः हमें अवश्य ही पर्वतीय क्षेत्रों के सभी ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे देश के लाखों लोगों को काम मिलेगा।

महोदय, इन पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के बाग लगाने की बहुत अधिक सम्भावना है। उदाहरण के तौर पर, हिमाचल प्रदेश में लगभग 67 प्रतिशत भूमि बंजर पड़ी है। अतः यहाँ फलों के बाग लगाने की सम्भावना अधिक है। इस समय किसान हिमाचल प्रदेश तथा जम्मु कश्मीर में सेब के बाग लगाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार उत्तर के समूचे पर्वतीय क्षेत्र में सेब के बाग लगाने की बहुत अधिक सम्भावना है। इससे हमारा देश धनी होगा।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, इस संकल्प के माध्यम से हमें अपनी आर्थिक नीतियों, पंचवर्षीय योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों की समीक्षा करने का अवसर मिला है। इस संदर्भ में, यदि हम इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विषय को लें तो एक बात काफी स्पष्ट है, जिस पर संसद में भी मतैक्य है, कि इन क्षेत्रों की विकास गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हम अपनी आर्थिक नीतियों और पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा अथवा मूल्यांकन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ प्रतीत होती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था अभी भी गाँवों पर आधारित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या अभिप्राय है। इसके परिणाम हैं भारी निर्धनता, बेरोजगारी और गन्दगी। इस संकल्प पर चर्चा करते समय हमें एक बात दिमाग में रखनी है और कई सदस्य स्पष्ट शब्दों में कह भी चुके हैं, कि पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में मैदानी क्षेत्रों से अलग हट कर विचार नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिए बिना इन क्षेत्रों की परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अतः समस्याएं एवं समाधान परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि हम चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करें तो कई योजनाएं बनाई गई और उन पर करोड़ों रुपए व्यय किए गए। वास्तव में इन योजनाओं पर 161 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे—78.5 करोड़ रुपए केन्द्र द्वारा और 83.4 करोड़ रुपए राज्यों द्वारा। इस अध्याय ने इन क्षेत्रों को वर्गीकृत कर दिया है जैसे पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी कौंसिल क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र इत्यादि।

1974-79 के दौरान संसद के एक अधिनियम द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का गठन किया गया था। और इस क्षेत्र के लिए 90 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इस राशि में से 86.67 करोड रुपए व्यय किए गए थे। मैं यह जानना चाहूँगा कि ऐसा कैसे हुआ? मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्तमान योजना 1980-85 में इस क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 340 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 1974-79 अवधि के दौरान पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए केवल 170 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। इसमें से केवल 162.65 करोड़ रुपए व्यय किए गये थे। जबकि वर्तमान योजना 1980-85 में

इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यदि आप पिछली पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करें तो उसमें कुछ करोड़ रुपए की भूल है। यह राशि वहाँ व्यय नहीं की गई है। यदि ऐसा है तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है कि आवंटित राशि इस क्षेत्र में बिकास कार्यों पर व्यय की जाए ? माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यही है।

छठी पंचवर्षीय योजना में 5% आर्थिक विकास की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का प्रतिशत 48% से घटा कर 30% प्रतिशत करना है। इस छठी योजना की एक मुख्य विशेषता है भूमि सुधार। मेरे विचार में प्रो० रंगा भी मेरी इस टिप्पणी का समर्थन करेंगे—जब तक भूमि सुधार लागू नहीं किए जाते, तब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। निर्धनता समाप्त करने और आर्थिक अन्याय को रोकने के लिए मैं इस बात पर बल देता हूं। इन क्षेत्रों में भूमि सुधारों को शीघ्र लागू किया जाए।

यहाँ 10 प्रतिशत गरीब जनता के पास 1 प्रतिशत भी भूमि नहीं है। इससे हमारे अंतःकरण, हमारी समाजवाद की भावना, हमारे राष्ट्र की भलाई की भावना पर प्रभाव पड़ता है। इन लोगों की 1 प्रतिशत भी भूमि अपनीं नहीं है। जबकि जनसंख्या के केवल 10 प्रतिशत लोगों के पास 60 प्रतिशत भूमि है। क्या ऐसा होने दिया जाए ? मेरा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। अतः केन्द्र सरकार की इसमें सीमित जिम्मेदारी है। मैं उस कथन से सहमत हूँ लेकिन क्या हम इसे जारी रहने दे सकते हैं ?

अब मैं कुछ तथ्य और आंकड़े देता हूँ। जैसाकि कुछ लोग कहते हैं कि आंकड़ों से वस्तु स्थिति का पता लग जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 5.32 मिलियन एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध है। आप हमारे क्षेत्र में भूमि सुधार की धीमी प्रगति के बारे में जानते हैं। इस अनुमान के अनुसार 5.32 मिलियन फालतू भूमि है जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कहना है कि यदि 1972 के भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम को कार्यान्वित किया जाए तो 21.51 मिलियन फालतू भूमि उपलब्ध होगी। अब तक केवल 404 मियियन एकड़ फालतू भूमि की घोषणा की गई है। इसमें ने सरकार से केवल 2.10 मिलियन एकड़ भूमि ही ली है। 2.10 मिलियन एकड भूमि में से केवल 1.29 मि० एकड़ भूमि ही का वितरण किया गया है। इस भूमि के एक चौथाई भाग का भी वितरण नहीं किया गया है। यदि यह दृष्टिकोण है यदि इस दिशा में लिया जाने वाला यही कदम है, तो मैं नहीं जानता कि भूमिहीन लोगों में फालतू भूमि को बाँटने में कितनी शताब्दियाँ लगेंगी। यह बताया गया है कि फालतू भूमि का 50 प्रतिशत भूमि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इस ममले को योजना आयोग को देखना होगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह कि भूमिहीन वर्ग विशेष तौर से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष, 1961-71 में अनुसूचित जनजातियों की प्रति हजार वृद्धि 343 थी और अब यह वृद्धि 518 प्रति हजार है। इसी प्रकार वर्ष 1961-71 में अनुसूचित जनजातियों की प्रति हजार वृद्धि 197 थी और अब यह वृद्धि प्रति हजार 330 है। किसानों

की स्थिति क्या है ? अनुसूचित जातियों के किसानों की संख्या पहले प्रतिहजार 378 थी और अब यह 279 प्रति हजार है। अनुसूचित जन जातियों के किसानों की स्थिति पहले 681 प्रति हजार थी और अब यह घटकर प्रति हजार 576 हो गई है। ये लोग कहां जाते हैं। सभा के समक्ष यह प्रश्न है। उन्हें अपनी गरीबी और बेरोजगारी के कारण पहाड़ों से मैदानों में आना पड़ता है। शुद्ध परिणाम क्या है ? मैदानों में भी घनी आबादी है। पहाड़ों से बेरोजगार व्यक्तियों के मैदानों में आने के कारण समस्याएं पैदा ही नहीं हुई हैं बल्कि वे बहुत अधिक बढ़ी भी है।

मुझे वित्त मंत्री महोदय के 28 फरवरी 1981 के बजट भाषण में यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने इस बात को गम्भीरता से लिया है। कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। विभिन्न कार्यक्रम हैं। पहाड़ी क्षेत्र के विकास सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम के लिए 12 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 180 करोड़ रुपए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 198 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना के लिग 110 करोड़ रुपए, राज्यों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास निगमों के लिए 13 करोड़ रुपए तथा जन जातीय उप योजना के लिए 85 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इन क्षेत्रों में अब अपनी पहली नीति को कृषि क्षेत्र की ओर बदल दिया है।

जहाँ तक पेयजल सुविधाओं का सम्बन्ध है सरकार ने इसके लिए 110 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और इससे 36,000 गांवों को पानी मिलेगा। जहाँ तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इससे लगभग 22,000 गांवों को बिजली मिलेगी।

इन विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मेरा यह प्रश्न है कि इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाली कौन सी ऐजेन्सी है तथा इन बनाये गये कार्यक्रमों की कौन सी ऐजेन्सी देखभाल करती है और सरकार ने इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कौन से उपाय किए हैं। कुछ कार्यक्रमों के गत वर्षों में असफल होने के अनुभव के आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह देखने के सम्बन्ध में कौन से उपाय किए हैं कि इन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया गया हैं और इससे इन क्षेत्रों के लोगों को क्या लाभ हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मित्र प्रो० पराशर को इस सभा के समक्ष इस संकल्प को रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

आपका धन्यवाद।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रो० पराशर जी द्वारा सदन में विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है, मैं समझता हूं कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हिन्दुस्तान के बैकवर्ड माइनोरिटीज की समस्या पर विचार करना है। हिन्दुस्तान में जिस तरीके से अनटचेबलस का एक अलग तबका है, उसी तरह से, उसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी लोग हैं, जिनके साथ पिछले 32 सालों से वही व्यवहार किया जा रहा है जो हिन्दुस्तान के अनटचेबल्स और दूसरे बैकवर्ड तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ हुआ है।

यह मैं इस लिए कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाये बनी हैं उन सभी योजनाओं के प्रारूप को देखकर हिन्दुस्तान के आदमी यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रो के विकास के बारे में कभी भी सोच-समझ कर योजना नहीं बनाई गई। आप हिन्दुस्तान के किसी भी पहाड़ी क्षेत्र मे चले जाइये, वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर बड़ी सुलभता से देखने को मिल सकता है। मैं खास तौर से अपने योजना मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ—आप योजना बनाते वक्त जो करोड़ों लोग हिन्दुस्तान के पहाड़ों में रह रहे हैं उनके बीच में जाकर देखिये। उनके यहाँ आजादी की रोशनी आज तक नहीं पहुँची, जीवन के कोई साधन उनके पास दिखलाई नहीं देंगे, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है चिकित्सा के लिए दवायें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं।

पार्लियामेण्ट का सदस्य बनने के बाद मुझे अनेक पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिला है। मैंने स्वयं उन क्षेत्रों में देखा है कि उनके पास जीवन का कोई साधन नहीं है, बल्कि सरकार ने आज तक कोई साधन मुहैरया ही नहीं किया है। मैं इस अवसर पर खास तौर से राँची के पहाड़ी क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूँ। वहाँ की नौजवान लड़कियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, किसी तरह से अपने स्तन तक के भाग को आगे ढके रहती हैं, उनके पास जमीन नहीं है, दुकान नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। जो क्रिश्चियन मिशनरी उनके अन्दर पहुँचे हैं उनसे उनको थोड़ी-बहुत रोशनी मिली है, वरना सरकार की तरफ से या हिन्दुस्तान के किसी भी धर्म के ठेकेदारों की तरफ से उनके लिए कुछ नहीं किया गया, कोई रोशनी या सभ्यता नाम की चीज उन तक नहीं पहुँची है। इसी लिए वे ईसाई बनते जा रहे हैं। आपने उनके लिए सड़कें नहीं बनाई, उनकी खेती के डेवलमेन्ट के लिए कोई योजना बनाई, नहीं सिंचाई के साधन मुहैरया नहीं किये, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं खोले, इसी लिए आज उनके अन्दर असन्तोष पनप रहा है। कश्मीर से लेकर कलकत्ते तक या नार्थ-ईस्टर्न भागों में जो आदिवासी या गिरिजन रहते हैं—आज उनके अन्दर असन्तोष है, आक्रोश है, वे ज्यादा दिनों तक दबाये नहीं जा सकेंगे। इसका एक ही रास्ता है कि आप उनके विकास की तरफ ध्यान दें। अभी तक आप हिन्दुस्तान के मैदानों को प्रायोरिटी देते रहे हैं। आप करोड़ों रुपया एशियन गेम्ज़ पर खर्च करने जा रहे हैं, विदेशी पैसा लेकर खर्च कर रहे हैं—ऐसे खर्चों के स्थान पर आप हर पंचवर्षीय योजन में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर पैसा लगायें। उनको शोषण से बचाने के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उनके विकास के लिए योजना बनाइये। हमारे तिवारी जी भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं भी श्रीमान्, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उन्होंने यहाँ आकर अभी तक अपनी योग्यता का परिचय नहीं दिया है। चूंकि वे खुद भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा कि वे उन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनायें बनाएँ।

अभी तक आप उन क्षेत्रों में अस्पताल नहीं पहुँचा पाये हैं, शिक्षा के साधन नहीं दे पाये हैं—मैं पूछता हूँ आपने क्या साधन उनको दिये हैं ? मैदानी लोगों की सुविधायें आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यहां तक कि उनके पास लकड़ी के जो साधन हैं उनको भी मैदानी लोग शोषण करके ले जाते हैं, एक तरह से उनका पैसा और परिश्रम दोनों खींचकर मैदानों में ले जाते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ···यदि आप उनके विकास की तरफ ध्यान देंगे तो फिर मैदान के लोगों को उनके शोषण का मौका नहीं मिल सकेगा। आज ऋशिकेश में बसा हुआ

व्यापारी वर्ग किस तरह से पूरे पहाड़ों का शोषण कर रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिये 10-12 साल के बच्चे लकड़ियां काटकर सिर पर लाद कर सड़कों के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं, दो या डेढ़ रुपये में बेचकर चले जाते हैं—बस वही उनकी आमदनी का साधन है। जो चीज वे पैदा करते हैं उसके सही मूल्य की कोई गारन्टी उनके पास नहीं है।

मैं एक और उदाहरण देता हूँ—हमारे यहाँ लाख पैदा होती है जिसको हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले आदिवासी पैदा करते हैं। आज कहा जाता है कि दुनिया की लाख की खपत का 60% हिन्दुस्तान में पैदा होता है। आज तक आपकी सरकार उनको यह गारन्टी नहीं दे पाई कि उनको उनके लाख की सही कीमत मिल सके।

लाख दो, ढाई और तीन रुपये किलो यहाँ के व्यापारी उनसे छीन लेते हैं और सफाई करने के बाद उसका एक्सपोर्ट 40-45 रुपये प्रति किलो करते हैं। इस तरह से यहां के व्यापारी उनके परिश्रम का शोषण कर रहे हैं और उनके खून-पसीने की कमाई को चूस रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो इस प्रकार के लाख के क्षेत्र हैं, क्षेत्र के हिसाब से उनके जीवनचर्या के लिए जो भी साधन हो सकता है, उसी साधन को प्राथमिकता देकर, आप उनके सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। तभी यह असमानता खत्म होगी। पहाड़ी क्षेत्रों को अपनी योजना में आप प्राथमिकता दीजिए वरना मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा आक्रोश सबसे बड़ा गुस्सा, इस सरकार के प्रति नफ़रत का जो है, तो वह इन्हीं इलाकों में है, जिन इलाकों के लोगों ने आज तक कभी गाड़ी नहीं देखी, जिन इलाकों में यदि आप, योजना मंत्री जी, चले जाएँ, तो वहाँ के आदमी आपका उतना असर मानने वाले नहीं हैं, जितना कि वे वहां के एक पटवारी का मान सकते हैं। यह चीज आज उनके जीवन में आप देख सकते हैं।

माननीय योजना मंत्री जी, आप आइए उन इलाकों में तो देहरादून के ऊपर का जो इलाका है, वहां पर आज भी बहुपति प्रथा है। आज भी मैदान का आदमी वहां जाकर उनके शरीर को खरीदने में कोई देरी नहीं लगाता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में अपनी बीबी के प्रति, अपनी बहन के प्रति सम्मान की भावना नहीं जग पाई है, आप मैदान के आदमी से पूछिये कि उन क्षेत्रों में जाकर वह उनका कितना शोषण करता है। उनकी लड़कियों के बारे में वह ऐसी राय रखता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी लड़कियों के साथ सस्ते दामों में चाहे जैसा व्यवहार कर लो, लेकिन बीबी को बन्द-नजर से वे नहीं दिखाना चाहते। आप समझिये कि ऐसा स्तर है। उन पहाड़ी क्षेत्रों का। वे अपनी लड़कियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना नहीं रखते। इससे ही आप उनके बिछड़ेपन का अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपनी योजना में इन्साफ के लिए, जस्टिस के लिए, मानव के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इन पहाड़ी क्षेत्रों में आप सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। तभी जो हिन्दुस्तान का सही नक्शा है, वह हमारे सामने आएगा।...वे लोग जो अंग्रेजों के जमाने में जानवरों से बदतर, बिल्ली और कुत्ते से बदतर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज 33 साल की आजादी के बाद भी उनकी स्थिति वही है। आज भी मैदान के व्यापारी उनका शोषण करते हैं और इतना ज्यादा शोषण करते हैं जितना अंग्रेज़ों के शासन में भी नहीं होता था।

अन्त में मैं यह अपील अपने योजना मंत्री जी से करूंगा कि वे योजना में पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। आप यह समझिये कि हिन्दुस्तान का वह जो आदमी है, उसमें भी दिमाग है, उसमें भी जोश है और वह भी लड़ना जानता है और ज्यादा दिनों तक आप उनको नहीं दबा पाएँगे और एक दिन वह आएगा कि जिस तरह से नागा, मीजो, कूकी, गिरीजन और नक्सेलाइट व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरह से ये लोग भी व्यवहार करने लगेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले एक दिन अपने पांव खड़े होंगे और एकजुट होकर न्याय को प्राप्त करेंगे चाहे रास्ता कोई भी हो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामअवतार शास्त्री।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० नारायण चन्द्र पराशर ने जो संकल्प रखा है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पार्टियों को अवसर देने जा रहा हूँ। जो सदस्य बोल रहे हैं वह अपनी पार्टी से केवल एक मात्र सदस्य हे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उनका पहाड़ों से कोई कोई मतलब नहीं है।

रामावतार शास्त्री : क्या हित वाले ही इस पर बोलेंगे ! मामला जरूरी है और एक राजनीतिक दल में होने के कारण मुझे समय मिलना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयीजी इस प्रकार मत कहो। वह रामअवतार हैं। उन्हें उनके लिये करना है जो हनुमान हैं तथा पहाड़ों पर रह रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यस, यस। उपाध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और प्रो० नारायण चन्द्र पराशर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सवाल को यहाँ पर उठाया। मैं इनको और ज्यादा धन्यवाद देता, अगर दो-तीन बातें और इसमें जोड़ देते। जितनी बातों की चर्चा इसमें है, वह बिल्कुल सही है। आज हमारे देश का जो पहाड़ी अंचल है, उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, यह बिलकुल स्वयं-सिद्ध है।

तो मैं यह कहता हूँ कि पहाड़ी अंचलों में पहाड़ी लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए साधन मुहैया कीजिए। कुछ साधन देने की चर्चा इसमें है—जैसे उद्योग धंधे बढ़ाना और सड़कें बनाना। उनको और दूसरे साधन भी चाहिए जो कि आज की सामाजिक सभ्यता में विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन सब बातों के अलावा भूमि सुधार बहुत ही अति आवश्यक है। आज हम भूमि सुधार की बात करते हैं और इस सिलसिले में कुछ किया भी गया है लेकिन पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, जंगलों में आज भी सूदखोर, महाजनों के चंगुल में आज भी पर्वतों के लोग फंसे हुए हैं।

मैं बिहार की बात करता हूँ। वहाँ रांची संथाल परगना, हजारी बाग, पलामू पहाड़ी क्षेत्र हैं। यह छोटा नागपुर क्षेत्र है। यहाँ पर्वतीय लोग काफी संख्या में रहते हैं। अगर आप उनको जमीन नहीं देंगे। या जो जमीन उनके पास है वह सूदखोरों के चंगुल में जाने से नहीं बच सकेगी तो जाहिर बात है कि उनके जीवन में सुधार आने में दिक्कत होगी। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी तरफ उन्होंने जिक्र किया कि जंगल सरकार का है। हम तो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ आदिवासियों के कुछ परम्परागत अधिकार जंगलों पर रहे हैं उन्हें उन अधिकारों से आप महरूम कर रहे हैं। आप उनके उन अधिकारों की रक्षा कीजिए। वे खाना पकाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं वह भी आप लेने नहीं दे रहे हैं। जो कुछ वे साधन जुटा कर अपना जीवन बिताते हैं उसमें भी कठिनाई पैदा की जाती है।

शिक्षा की स्थिति भी आप जानते हैं। आप जो भी इस मद में मदद देते हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन देने की जरूरत है। हरिजन आदिवासियों को जो छात्र-वृत्ति आप देते है वह कहीं आठ रुपये है, कहीं 12 रुपये है। कालेज में तीस-चालीस रुपये देते हैं। क्या इतनी राशि से वह अपनी शिक्षा का काम चला सकेंगे ?

आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है ? उनको अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी आज ही के इकनॉमिक टाइम्स में और बिहार के अखबारों में यही खबर निकली है कि पर्वतीय इलाके में ए० आई० टी० यू० के पूर्णेन्दु मजूमदार और मिस जोखो ने बिहार के मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वहां की औरतों के साथ किस तरह से रखैल की तरह व्यवहार किया जाता है और उन्हें रखैल के रूप में रखा जाता है। कानून ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सारी स्थितियाँ संकटापन्न हैं। ये सारी बातें उन इलाकों में जाने से पता चलती हैं। आपको इन पर ध्यान देना होगा।

लेकिन इन सब चीजों का हल कैसे निकलेगा, आज मैं यह सवाल उठा रहा हूँ। इन पहाड़ी इलाकों के लोगों पर दूसरे लोग राज बनाकर आसन जमाये हुए हैं। गैर आदिवासी बहुमत में हैं और उनके नेतृत्व में आदिवासियों का उत्थान कैसे हो सकेगा, यह प्रश्न आज उठ रहा है और बिहार में भी यह उठा हुआ है। बिहार में यह मांग उठ रही है कि आदिवासियों के जो सटे-सटे इलाके हैं जिनमें आदिवासियों का बहुमत है, उन क्षेत्रों को मिला कर राज्य बनना चाहिए। उसका नाम आप झारखंड रखें या कोई और नाम रखें। किसी नाम से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। यह एक बुनियादी सवाल है। अगर इस पर नहीं सोचा गया, केवल मलहम पट्टी की गयी, पैबंद लगा दिया गया तो यह बात ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। हमारे सूबे में ये विचार प्रतिदिन उठ रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ और हमारा दल भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी, भी उन लोगों में है जिन्होंने यह माँग की है कि जो कन्टीनुअस एरिया है, संस्था परगना, राँची जिले के इलाके हैं उनका एक अलग साम्राज्य हो जिसमें कि आदिवासियों का बहुमत होना चाहिए।

गैर-आदिवासियों का बहुमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैर आदिवासियों के बहुमत वाले राज्य तो अभी भी हैं। इसलिए अगर उनके लिए अलग राज्य बना दिये गये और उनमें गैर-आदिवासियों का बहुमत रहा तो जितनी बातों की चर्चा प्रोफेसर साहब ने अपने संकल्प में की है, उन बातों को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। आप देखें जमशेदपुर में—वहाँ पर टाटा जमींदार है। वहां पर टाटा की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसकी अनुमति के बिना वहां पर मकान नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते—वहाँ पर बिहार-सरकार के स्कूल नहीं चलते, सारे टाटा के स्कूल चलते हैं, अस्पताल नहीं बना सकते, सब चीजें टाटा की मरजी पर चलती

हैं। वहाँ पर भी अगर इसी प्रकार से गैर-आदिवासियों का बहुमत रहा, टाटा और इसी तरह के इजारेदार पूंजीपति आदिवासियों पर और गैर-आदिवासी किसानों गरीबों और मजदूरों पर जुल्म करते रहेंगे हमें ऐसे राज्य नहीं चाहिए। हमें ऐसे राज्य चाहिए जहाँ भाग्य का फैसला करने का अधिकार आदिवासियों के अपने हाथ में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक गुलामी से छूटकर दूसरी गुलामी में चले जायेंगे और वे जहाँ थे वहीं रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासी-बाहुल्य वाले राज्यों की स्थापना की जानी चाहिए। हमारे छोटा-नागपुर के इलाके में बहुत कारखाने बन रहे हैं, जमशेदपुर में बन रहे हैं बोकारो में बन रहे हैं, हटिया, राँची में बड़े-बड़े कारखाने बन रहे हैं, लेकिन जमीन किसकी गई—आदिवासियों की इसके लिए आदिवासी नौकरी माँगते हैं, मुआवजा माँगते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए करते हैं, पूछते हैं कि हम वहाँ पर रहें तो उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। अभी गुआ के आदिवासियों पन गोलियां चलाई गई इस तरह के अधिकार मांगने पर और 11 आदमी मारे गये। इसी तरह से कई जगहों के नाम बताये जा सकते हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए पूरे-पूरे अवसर नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ रहा है। उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए झारखंड राज्य की स्थापना की जाए और वह आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका होना चाहिए। वहाँ पर कारखाने बनाइये, किसानों को जमीनें दीजिये, उनकी जमीनों की हिफाजत कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, पीने के पानी की सुविधा दीजिए। पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर है। बिहार के आदिवासी इलाके में पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति है, वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा दीजिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर दुगना-तिगुना धन भी खर्च करना पड़े तो हिन्दुस्तान की जनता, हिन्दुस्तान की संसद खुशी-खुशी देने के लिए तैयार है। मैंने इस संकल्प में जो दृष्टिकोण बताया है, उस दृष्टिकोण पर विचार किया जाए, मेरा तिवारी जी से निवेदन है कि इस पर विचार करें, यही एकमात्र रास्ता है कि उनको राजनीतिक अधिकार दिया जाए। जब तक उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दीजिएगा, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनके हाथ में शासन-सूत्र दीजिए, उनको अपना राज्य बनाने का अधिकार दीजिए और उन राज्यों में आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल जी। मैं एक सदस्य विपक्ष से और एक सदस्य सत्तारूढ़ दल से बुलाऊंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की ओर मैं माननीय योजना मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान में सात आठ जिले पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और बारह पंद्रह रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं। इस तरह से राजस्थान हर माने में पिछड़ा हुआ है फिर चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र हो या रेगिस्तानी। इन वर्षों में राजस्थान के लोगों की जो आर्थिक दशा बिगड़ी है उस पर भी गम्भीरता से सोच विचार करने की आवश्यकता है। आप पैसा पापुलेशन के बेसिस पर देते हैं। वहाँ रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा है जहाँ पर मुश्किल से दस आदमी ही एक वर्ग मील में रहते हैं। पर्ववतीय क्षेत्रों की भी पापुलेशन कम है। जब आप किसी प्रान्त का विकास करना चाहते हैं तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि राजस्थान को क्षेत्रफल के आधार पर मदद मिलनी चाहिए, उसके समुचित विकास की व्यवस्था होनी चाहिए।

भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सवाई, माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र हैं। इनमें खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज सम्पदा से ये इलाके भरे हुए हैं। इन पदार्थों का अगर एक्सप्लायटेशन किया जा सके, इन पर आधारित कल कारखाने लगाए जा सकें तो निश्चित रूप से राजस्थान इस स्थिति में हो सकता है कि सारे देश को इन चीजों की सप्लाई कर सके। इस संदर्भ में मैं सीमेंट उद्योग का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। इन जिलों में चूने के पत्थर के विपुल भंडार हैं। अगर आप पंद्रह सीमेंट के कारखाने भी इन जिलों में लगाएं, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लगाएं तो उनको आसानी से चूने के पत्थर की सप्लाई हो सकती है और इससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। आज भी चार पांच वहां सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं लेकिन और ज्यादा लगने की बहुत गुंजाइश है। कोटा से चित्तौड़ तक आपने कृपा करके बड़ी लाइन स्वीकार की है। यह बहुत बड़ा काम आपने किया है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे वहाँ सीमेंट के कारखाने फल फूल सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर जिले में कम से कम दो-दो तीन-तीन सीमेंट के कारखाने तो आप स्थापित करें। इससे सारे देश की सीमेंट की आवश्यकता पूरी होगी और प्रगति के रास्ते पर देश तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

माइका के भी बहुत बड़े भंडार खास तौर से भीलवाड़ा में मिले हैं। इससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इन खदानों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लायट करके ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की आज आवश्यकता है। बिहार में आपने एक माइका पेपर का कारखाना दिया है। हमारी भी इसकी बहुत बरसों से मांग चली आ रही है। हिन्दुस्तान में इस तरह के कारखाने के लिए अगर किसी जिले का दूसरा नम्बर आता है तो वह भीलवाड़ा है। वहाँ आपने माइका पेपर का कारखाना लगाया तो हजारों आदमियों को रोजगार मिल जायेगा और आपको विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी और उस इलाके की आर्थिक उन्नति भी हो सकेगी।

भीलवाड़ा में आबूचा नामक स्थान पर जिंक के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। जिंक पर आधारित एमैल्टर प्लांट की वहाँ स्थापना हो सकती है या अन्य प्रकार के कल कारखाने लग सकते हैं। आप योजनाबद्ध तरीके से अगर विकास करना चाहते हैं तो निश्चय ही इससे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है और यहाँ की बेरोजगारी और बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। मैं यह भी चाहता हूँ कि सुपर जिंक एमैल्टर प्लांट भी आप लगाएं ताकि लोगों को औद्योगिक विकास की तरफ जाने का अवसर मिले। इतने विपुल भंडार हिन्दुस्तान में तो क्या एशिया में कहीं नहीं हैं जिंक के। इससे पन्द्रह हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है, करोड़ों रुपये की आपको आमदनी हो सकती है, फारेन एक्सचेंज आपको मिल सकता है।

बहुत से ऐसे रसायन निकल सकते हैं जिनकी देश में कमी है और विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करें और इस कारखाने को बनायें तो बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है।

राक फ़ास्फेट के भंडार उदयपुर के पास निकले हैं। माननीय सेठी साहब ने कहा है कि

राक फास्फेट पर आधारित एक फर्टिलाइजर का कारखाना वहाँ पर लगायेंगे । मेरी मांग है कि उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए ।

उदयपुर क्षेत्र में काफी भील रहते हैं और उनकी हालत ऐसी है कि आगे पीछे बेचारों के पास सिवाय लंगोटी के और कुछ नहीं है । उनको रोटी रोजी देने के लिए बड़े बड़े कारखाने आपको इस क्षेत्र में लगाने चाहिए जिससे इन आदिवासियों को लाभ हो । माननीय सेठी जी ने कहा हम कारखाना लगाएंगे, मगर कितनी जल्दी लग सकता है यह योजना मंत्री जी, आप पर निर्भर करता है क्योंकि जब तक आप स्वीकृति नहीं देते तब तक कोई काम नहीं होगा इसलिए राजस्थान के पिछड़े और ट्राइबल क्षेत्र के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराइये ताकि उसके जरिए वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और उनको राहत मिल सके ।

इसी तरह से संगमरमर के भंडार उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा में मिले हैं । इसके ऊपर बेस्ड कारखाने लग सकते हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है । माइनिंग बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बहुत बड़े भंडार राजस्थान के पहाड़ी जिलों में हैं । सभी मिनरल्स वहाँ हैं । प्लानिंग डिपार्टमेंट अगर इनके सम्बन्ध में सोचे तो बहुत बड़ा लाभ हमको मिल सकता है और राजस्थान प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकता है ।

योजना मन्त्री महोदय, राजस्थान को 32 सालों में केवल 2 परसेंट पैसा दिया है जिससे वह प्रान्त पिछड़ा हुआ रह गया है । और···

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं ? वह क्या है ? जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्या यह राजस्थान है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान में कितने पहाड़ी क्षेत्र हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : राजस्थान में केवल पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं हैं बल्कि मुख्य मंत्री खुद पहाड़ी आदमी हैं—पहाड़िया (**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास : 7 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, भीलवाड़ा, चितौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा । अगर अटल जी ने न देखे हों तो मैं दिखा सकता हूँ। आपके पीछे माननीय सतीश जी बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिये ।

इन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी मिनरल्स निकलते हैं। कोटा में, चित्तौड़ और बूंदी में जो पट्टियां निकलती हैं और पत्थर निकलता है वह सारे देश में सप्लाई होता है । वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मजदूरों को नहीं मिल रहा है । कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं चल रही है जहाँ ट्राइबल्स काम करते हैं । उनके लिए वेलफेयर एक्टिवटी चलनी चाहिए जिससे उनको राहत मिले ।

रेलवे का मामला भी बहुत गड़बड़ है, इसलिये इस व्यवस्था को भी करना चाहिए ।

पीने का पानी राजस्थान के इन पहाड़ी जिलों में बहुत कम है । उस व्यवस्था को करने के लिये राजस्थान ने जितने करोड़ रु० छठी योजना में मांगा उतना रुपया नहीं दिया । 200

करोड़ रुपये की आपने कमी कर दी । इसलिये पीने के पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पायेगी । आप इसके लिये भी कोई व्यवस्था कीजिए । ताकि वहाँ के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्राप्त हो सके ।

सिंचाई के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी नदियों खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, और भीलवाड़ा में यों ही बह रही हैं । इन पर बांध बनाकर हम वहां के क्षेत्रों की ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, वहाँ की जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था हमारे माननीय मन्त्री महोदय को करनी चाहिये ।

लैंड रिफार्म के बारे में मेरा निवेदन है कि ट्राइबल्स को आपने 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीन देने की बात कही लेकिन आज भी राजस्थान में बड़े-बड़े राजा महाराजा, बड़े-बड़े जागीरदार हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है और कई स्थानों पर उन्होंने गलत तरीके से जमीन रखी हुई है । लैंड सीलिंग के कानून को प्रभावी बनाया जाना चाहिए । आज भी जयपुर के महाराजा के पास 10 हजार बीघा और बीकानेर के महाराजा के पास 5 हजार बीघा जमीन पड़ी है । बहुत से पूंजीपतियों के पास भी बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है । इन सब से यह जमीन लेकर गरीब ट्राइबल्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को अगर हम बाटें तो निश्चित तरीके से उनका विकास हो सकता है, उन लोगों की आर्थिक उन्नति हो सकती है ।

इसलिए हमारे श्री पराशर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और माननीय योजना मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने जो सुझाव रखे हैं, उन पर गौर फरमा कर कुछ न कुछ व्यवस्था करने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर चर्चा का समय सायं 5.45 बजे तक बढ़ाया गया था । अब 5.50 बज चुके हैं और अभी कुछ और माननीय सदस्य रहते हैं जो इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं । मैं इस सम्बन्ध में सभा की राय जानना चाहता हूँ । तब मंत्री महोदय उत्तर देंगे । इसके पश्चात संकल्प के प्रस्तावक को भी बोलना पड़ेगा । अतः क्या आप यह चाहते हैं कि इस संकल्प पर चर्चा के लिये समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । अतः चर्चा के लिये समय दो घंटे बढ़ाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे एक घण्टे और बढ़ायेंगे । इसे अगली बार लिया जायेगा । हम सायं 6 बजे के बाद नहीं बैठेंगे । मेरे विचार से एक घंटा समय बढ़ाना बिल्कुल ठीक है ।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ

श्री के० पी० सिंह देव : दूसरे संकल्पों के बारे में क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अगली बार लिया जायेगा । लेकिन केवल श्री अटल बिहारी जी के संकल्प को लिया जायेगा अन्य संकल्पों को नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात अपने मित्रों से कह दूं । मेरा

प्रस्ताव अब नहीं तो अगली बार आयेगा, तो आप क्यों उसमें रुकावट डाल रहे हैं ? आपकी यह योजना सफल नहीं होगी ।

श्री मूलचन्द डागा : कल का कोई भरोसा मत करो । जो आज है वह आज है, टुमारो नैवर कम्स ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरा विचार है कि श्री वाजपेयी जी का संकल्प समाप्त नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री वाजपेयी जी का संकल्प ही लिया जायेगा । अब श्री महाजन अपने विचार व्यक्त करें ।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, मैं श्री पराशर द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन करता हूं । विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनता के आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक उत्थान के बारे में उनकी चिंता से हम भी चिंतित हैं । यह सत्य है कि इन लोगों को आर्थिक विकास तथा टेक्नालाजिकल प्रगति से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है जो हमने पिछले 30 वर्षों में की है ।

ये लोग समाज के अन्य वर्गों से पीछे रह गए हैं और ये लोग अब भी ऐसा जीवन बिता रहे हैं जिसे देख कर ऐसा लगता है कि ये लोग समाज के अन्य वर्गों से अभी भी 50 या 60 वर्ष पीछे हैं । गत 25 या 30 वर्षों में हुए आर्थिक विकास का लाभ उन्हें नहीं हुआ है । संकल्प में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे उपलब्ध करने की आवश्यकता है जैसे—डाकघरों, बैंक, सड़क, मार्ग आदि की व्यवस्था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन क्षेत्रों के लिए इनकी आवश्यकता है ।

संकल्प में एक और बात पर जोर दिया गया है वह यह है कि इन क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण किया जाए । इस प्रश्न के बारे में भी कोई दो राय नहीं हो सकती है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों तथा गाँवों में हमें लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर देना होगा क्योंकि भौगोलिक तथा भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इन क्षेत्रों में मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित करने में बहुत कठिनाई होगी ।

इन क्षेत्रों में केवल लघु तथा कुटीर उद्योग ही स्थापित किए जा सकते हैं तथा उन्हें कम धनराशि से ही स्थापित किया जा सकता है । इन उद्योगों से भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है । जैसा कि मैंने कहा है इन लघु तथा कुटीर उद्योगों को कम पूंजी से ही स्थापित किया जा सकता है, इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि देश में पूंजी की बहुत कमी है । इन लघु उद्योगों को अपेक्षित प्रशिक्षण तथा तकनीकी उपस्करों की व्यवस्था करने से इन लोगों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी । इस प्रश्न पर भी इस संकल्प में जोर दिया गया है । पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के रहन सहन का दर्जा बहुत ही नीचा है । जब तक इन लोगों को सभी प्रकार की सुविधायें, वैज्ञानिक उपस्कर तथा उपकरण उत्पादन बढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते तब तक उनके रहन-सहन के स्तर को उठाना सम्भव नहीं होगा ।

माननीय सदस्यों ने जिन बातों को पहले ही उठाया है, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग मुख्य रूप से वनों से लकड़ी आदि प्राप्त करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तथा वनों से लकड़ी आदि लेने के सम्बन्ध में उनका सरकार द्वारा नियुक्त वन रेंजरों से झगड़ा हो जाता है। वे पेड़ों को काटकर गिरा देते हैं, वनों से बांस तथा अन्य वन सम्पदा ले लेते हैं तथा यह सब काम वे अनधिकृत रूप से तथा सरकार की अनुमति के बगैर ही किया जाता है। अपनी जीविका कमाने के लिये उन्हें ऐसा मजबूर होकर करना पड़ता है। अतः उनके तथा वन रेंजरों के मध्य हमेशा लड़ाई रहती है। इसके बगैर वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है, और हम उनके जीवन निर्वाह के लिए उनको रोजगार का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा मजबूर होकर करना पड़ता है। हमें यह देखना है कि इन क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति हो और यह प्रगति हमारे वन संसाधनों के विकास के अनुरूप बनी है। दुर्भाग्यवश हमारी वन सम्पदा गत 20 वर्षों में काफी घट गई है।

इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र अधिकतर पंचायती राज संस्थानों के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन संस्थानों ने इन लोगों की ओर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया है क्योंकि जो अधिकारी इन क्षेत्रों में जाते हैं वे पंचायती राज प्रशासन के पदाधिकारियों के रिश्तेदार होते हैं। कभी कभी वे लोगों का शोषण करते हैं और उनके साथ आर्थिक तथा अन्य मामलों में न्याय करने में असमर्थ रहते हैं।

इनमें विकास शुरू होने के साथ ही मैदानी क्षेत्रों के कुछ व्यवसायी तथा ठेकेदार वहाँ पहुंच गये हैं लेकिन ये यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं। महाराष्ट्र में हमने समस्या को कम करने के लिए एक उप योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को सहकारी समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित करके इन व्यापारियों तथा ठेकेदारों को हटा देना चाहिए। जहाँ कहीं भी जंगल कामदार हैं हमने उनकी सहकारी समितियाँ बना दी हैं जिससे ठेकेदार उनका शोषण न कर सके।

ये क्षेत्र ज्यादातर देश की सीमाओं पर हैं। अतः सुरक्षा के दृष्टि से भी उन क्षेत्रों का विकास करना बहुत आवश्यक है। ये क्षेत्र हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना बहुत आवश्यक है। इन क्षेत्रों के लोगों को वैज्ञानिक तथा टेक्नालाजीकल प्रगति करने के लिए भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाए जिससे कि वे अपना निर्वाह ठीक प्रकार से कर सकें और हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकें।

कभी कभी मैदानी इलाकों से इन क्षेत्रों में अधिकारी भेजे जाते हैं लेकिन वे प्रायः वहाँ जाने में सहमत नहीं होते हैं। यदि उनको अवश्य ही जाना पड़ता है तो वे वहां काम को दिल लगाकर नहीं करते हैं। अतः इन लोगों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में अधिकारियों को भेजने के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन तथा प्रलोभन दिए जाने चाहिए अन्यथा इन लोगों के हितों को बराबर नुकसान होता रहेगा।

श्रीमन, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ

कि योजना आयोग को इन लोगों की समस्याओं की जानकारी रही है और इसने छठी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के विकास के लिए भारी धनराशि की व्यवस्था की है। व्यवस्था की गई धनराशि का उल्लेख श्री जेवियर अराक्कल ने किया है। यदि आप उस पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम उन लोगों की समस्याओं के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। और हम उनकी आर्थिक प्रगति करने में कृत संकल्प हैं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 15 **अप्रैल** 1981/25 **चैत्र,** 1903 **(शक) के** 11 **बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

1981 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित।